छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर

राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

नया रायपुर छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	प्रारंभिक	01
1.7	अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं	02
1.8	नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान	03
1.9	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम1989	09
1.10	आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय-विक्रय	10
1.11	प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयन	12
1.12	औद्योगिक नीति	13
1.13	अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी नीति	18
2	अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन	21
2.1	शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	21
2.2	जनजाति सलाहकार परिषद का गठन	21
2.3	राजनीतिक आरक्षण	23
2.4	विधानसभा में आरक्षण	23
2.5	शासकीय सेवा में आरक्षण	23
2.6	जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन	23
2.7	अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं	31
2.8	परियोजना सलाहकार मंडल	40
2.9	परियोजना क्रियान्वयन समिति	41
2.10	आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन	42
2.11	अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	43
3	अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी	47
4	अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं	49
4.1	वन विभाग	49
4.2	ऊर्जा विभाग (क्रेडा/विद्युत मंडल)	53
4.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	62
4.4	कृषि विभाग	66
4.5	पशुपालन विभाग	71
4.6	मत्स्योद्योग विभाग	73
4.7	संस्कृति विभाग	83
4.8	गृह विभाग (पुलिस)	84
4.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	85
4.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	88
4.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	109
4.12	सहकारिता विभाग	112

4.13	समाज कल्याण विभाग	116
4.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	120
4.15	ग्रामोद्योग विभाग	124
4.16	लोक शिक्षण	132
4.17	उच्च शिक्षा विभाग	136
4.18	जल संसाधन विभाग	139
4.19	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	140
4.20	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	143
4.21	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	146
4.22	लोक निर्माण विभाग	147
5	विकास कार्यक्रमों की समीक्षा	175
5.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	177
5.2	पशुपालन विभाग	180
5.3	मत्स्य विभाग	181
5.4	सहकारिता विभाग	182
5.5	वन विभाग	183
5.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास)	185
5.7	ऊर्जा विभाग	186
5.8	ग्रामोद्योग विभाग	188
5.9	जल संसाधन विभाग	190
5.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	191
5.11	स्कूल शिक्षा विभाग	192
5.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	194
5.13	उच्च शिक्षा विभाग	203
5.14	जनशक्ति नियोजन विभाग	203
5.14.1	तकनीकी शिक्षा विभाग	203
5.14.2	रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	205
5.15	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत विभाग)	206
5.16	महिला एवं बाल विकास विभाग	206
5.17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	207
5.18	लोक निर्माण विभाग	210
6	विशेष पिछडी जनजातियों का विकास	214
7	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	223
परिशिष्ट		
1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	227
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	228
2	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य	229
3	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद की बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 12 जुलाई 2016	230
4	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद की बैठक का कार्यवाही	

	विवरण दिनांक 31 मार्च 2017	254
5 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाआंे को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	283
5 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	290
5 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	294
5 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	298
5 इ	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना	304
5 ई	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.सी.डी.प्लान) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना	306

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष – 2016–17

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2016–17

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले है, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर–सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 39 सीटें (29 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) आरक्षित है।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 19 जिलों (13 पूर्ण एवं 06 आंशिक) में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण– परिशिष्ट–1 (अ) एवं (ब) में दर्शित है।

1.4 राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2011) 78.22 लाख है। जनगणना 2011 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 115.61 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 64.85 लाख (56.09%) है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 102.79 लाख (जनगणना 2011) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 58.69 लाख (57.09%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है।

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, दोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है। अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले (13 पूर्ण एवं 11 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट–2 पर दर्शाया गया है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियां का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 2005–06 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.55 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

1.7 अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य्‍ समस्याएं :–

नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति :–

वर्तमान में छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 16 जिले वामपंथी गतिविधि से प्रभावित होने के कारण LWE जिलों की सूची में सम्मिलित किये गये है जिनके नाम क्रमशः बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद, बालोद, गरियाबंद, धमतरी एवं राजनांदगांव है।

1. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

   केन्द्र सरकार द्वारा दो विशेष भारत रक्षित वाहिनियों की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक में 2–2 तकनीकी कंपनी हैं जो इन क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग करेगी और शेष कंपनी सुरक्षा प्रदान करेंगी।
2. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोसंरचना यथा पुलिस थानों, कर्मचारी आवासगृह आदि का निर्माण किया जायेगा।
3. सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है जिसमें बस्तर क्षेत्र के युवकों से भर्ती की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई हैं इसके तहत लगभग 4000 का बल तैयार किया गया है।

1.8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4/ 82/ गृह–सी/2001/दिनांक 20 अक्टूबर 2004 में उल्लेख अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/ परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है :–

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है –

   अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो

   अथवा

   ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

2. पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक, कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगे। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत/सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगें।

4. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेगें। राज्य स्तर पर एक अंतर्विभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में होगी, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुर्नव्यवस्थापन के प्रकरण जो इस योजना के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुर्नव्यवस्थापन के किसी प्रकरण के प्राप्ति के 60 दिनों में उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो अंर्तविभागीय समिति उसका निराकरण करेगी।

5. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है।

6. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :–

(1) उम्र, (2) शिक्षा, (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना।

7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संघम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर

गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200– अन्य योजना–2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायता अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

8. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

1.	एल.एम.जी.	–	रू.	3,00,000
2.	ए.के.–47 रायॅफल	–	रू.	2,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	–	रू.	1,00,000
4.	थ्री नाट थ्री रायफल	–	रू.	50,000
5.	12 बोर बन्दूक	–	रू.	20,000

9. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही इकाई माना जायेगा और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये दोनों में से किसी एक को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जायेगा।

10. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडो का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए.पी.एल. परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवेदन कर सकेगें। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों के यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीड़ित

व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

12. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की गई है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगें। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई ''कटऑफ'' तिथियां यथावत रहेंगी।

13. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।

14. यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षक/ कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (प्रीमिटिव ट्राइव) की, की जाती है।

15. यदि आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।

16. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यतानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में, पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

17. नक्सल पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित

योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

18. नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है, अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।

19. यदि उनके पुत्र–पुत्री शिक्षित है, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते है तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार के पुत्र–पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहते हों, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगें।

20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

21. मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रूपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4''शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना– 2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंबटन की प्रतीक्षा नहीं करेगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की

गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कराना आवश्यक है।

23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, और वह विकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।

24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :–

1.	घायल को– क्र. स्थाई असमर्थ ख. गंभीर घायल	 रू. 50,000 (रू.पचास हजार) रू. 10,000 (रू. दस हजार)
2.	स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के	 रू. 10,000 (रू. दस हजार) रू. 20,000 (रू. बीस हजार)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रू. 5,000 (रू. पांच हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – बैलगाड़ी, नाव आदि	रू. 10,000 (रू. दस हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – ट्रेक्टर, जीप आदि	रू. 25,000 (रू.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आयेंगें, जिन्हें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोडकर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर

उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

26. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मूलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।

28. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपक्र रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को देकर तथा उसके बदले अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आबंटित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आबंटित कर सकेगी।

1.9 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

सवर्ण व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त अथवा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मॉनीटरिंग की जाकर समय-समय पर निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर परिलक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। किन्तु राज्य में परिलक्षित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।

3. राज्य में कुल 11 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला–रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, जशपुर तथा कोरिया जिलों हेतु स्वीकृत है। जिसमें 08 यथा– रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा तथा रायगढ़ में विशेष न्यायालय कार्यरत है।

1.10 आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय :–

(1) अंतरण पर प्रतिबंध :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि अन्तरण पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

धारा 165(6)

''उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (Aboriginal Tribe) होना घोषित किया हो, किसी भूमि स्वामी का अधिकार –

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हो, तथा ऐसी तारीख से, जिसे/जिन्हे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा,

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न को, जो कि किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।''

इस तरह राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी कृषक के द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को ही किया जा सकता है, गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को नही। राज्य में कुल 146 विकासखंड है, जिनमें से 85 विकासखंड अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा 61 विकासखंड गैर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन 85 अधिसूचित विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। शेष 61 गैर अधिसूचित विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि जिला कलेक्टर की अनुमति से ही हस्तांतरित की जा सकती है, अन्यथा नही। अधिनियम में उक्त प्रावधान वर्ष 1976 से लागू किये गये है।

(2) कपटपूर्वक किये गये अन्तरण की जांच :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में या वर्ष 1976 में संशोधित उक्त प्रावधान लागू होने के पूर्व कपटपूर्वक किये गये अन्तरणों या अन्य रीति से किये गये अन्तरणों की जांच करने, ऐसा अन्तरण विधि विरूद्ध या असद्भाविक पाये जाने पर ऐसे अन्तरणों को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 170 में प्रावधान किये गये है। संक्षेप में प्रावधान निम्नानुसार है :–

(1) धारा 170 में यह प्रावधान किया गया है, कि वर्ष 1976 में संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्व यदि अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि अन्तरण किया गया हो, अथवा वर्ष 1978 के बाद की स्थिति में, अन्तरण के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर मूल भूमि स्वामी के द्वारा स्वयं या उसके वारिसानों द्वारा ऐसे अन्तरित भूमि के कब्जा दिलाये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जाने का प्रावधान है।

(2) संहिता की धारा 170 में वर्ष 1980 में नया प्रावधान शामिल कर नवीन धारा 170(ख) शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 1980 के पूर्व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा धारित भूमि यदि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के कब्जे में हैं, तो कब्जेदार 2 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करेगा, कि वह भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी। ऐसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच की जावेगी, कि अन्तरण सद्भाविक है, या नही। यदि अन्तरण असद्भाविक पाया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूमि मूल कृषक या उसके वारिसानों को वापस किया जावेगा। इस धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है, कि उक्त

संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अर्थात वर्ष 1980 से 2 वर्ष के भीतर यदि कब्जेधारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो यह उप धारणा की जावेगी, कि अंतरण असद्भाविक है।

(3) वर्ष 1998 में अधिनियम की धारा 170 (ख) में उपधारा (2–क) शामिल कर यह नवीन प्रावधान शामिल किया गया है, कि अनुविभागीय अधिकारी को अंतरण की जांच करने के लिए जो शक्तियां प्राप्त है, वह अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को होगी। इस तरह वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उक्त शक्तियां अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भी प्राप्त है। यदि ग्राम सभा उक्त कार्यवाही करने में असमर्थ होती है, तो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त कार्यवाही की जावेगी।

(4) अधिनियम की धारा 170(ग) में गैर आदिवासी को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही अधिवक्ता नियोजित करने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 170(घ) द्वारा ऐसे समस्त आदेश, जो 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात धारा 170 के तहत पारित किये गये हैं, उनमें द्वितीय अपील वर्जित किये गये है।

(5) अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि अंतरण संबंधी मामलों की सूक्ष्म जांच कराई गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

प्रावधान लागू होने से अब तक दर्ज प्रकरण	अब तक निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग के पक्ष में निराकृत प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग को लौटाई गई भूमि का रकबा	कब्जा देने हेतु शेष प्रकरण	रकबा
44464	44093	371	18037	12212.147	81	100.183

कब्जा नहीं सौंपने का कारण प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों में लंबित तथा स्थगन होना है।

1.11 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में छ.ग.साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयनः–

अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य) को ऋणग्रस्तता से मुक्त रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन अधिनियम 2010) अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा। इस प्रकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

1.12 औद्योगिक नीति :–

राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2014–19 दिनांक 01 नवंबर 2014 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार छूट एवं रियायत के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं :–

ब्याज अनुदान :–

पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :–

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक।

ख. मध्यम एवं वृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक।

ग. मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75

क्षेत्रों में (परिषिष्ट–7 के अनुसार)	प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिषिष्ट–8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक।

1. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

ख. मध्यम उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 90 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 125 लाख।

ग. वृहद उद्योग – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत रु. 140 लाख।

घ. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिषिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिषिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख

2. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :—

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति — औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.50 लाख।

3. विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु) :—

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) —

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिषिष्ट—7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिषिष्ट—8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप :— केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

4. औद्योगिक क्षेत्रों में भू—आबंटन पर भू—प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :—

   1. उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू—प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी एवं भू—भाटक की दर रु. 1 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

2. औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गो के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी।

   आरक्षण की अवधि नियम दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी।

3. अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाए जाएंगे।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जाएगी।
5. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।
6. मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट–4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम एवं भू–भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।

5. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई.एस.ओ. 9000, आई.एस.ओ. 14000, आई.एस.ओ. 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणियाँ, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बीईई) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमाक्र, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7. प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों

को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किए गए भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

8. मार्जिन मनी अनुदान :–

रु. 5 करोड़ के पूँजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांक योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 40 लाख होगी।

9. औद्योगिक पुरस्कार योजना :–

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

10. अन्य आर्थिक प्रोत्साहन :–

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :–

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)

(केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

टीप :– नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्को एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक पार्को में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

1.13 अनुसूचित क्षेत्र मे आबकारी नीति :–

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के अंतर्गत आबकारी नीति निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में मादक द्रव्यों की वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत सीमित है। जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में मदिरा दुकानों की संख्या नगण्य है। नीति लागू होने के बाद दुकानें बंद की गई है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आबंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है जिसमें भागीदारी सभी वर्ग के लोग कर सकते है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आबकारी अधिनियम में संशोधन भी किये गये है। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलंभन कार्य हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61ख के तहत इस समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा पारित किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 61च के तहत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। अतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण जैसी स्थिति नहीं है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये मदिरा निर्माण करने की छूट है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 61घ में प्रावधान है :–

आबकारी अधिनियम की धारा 61घ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट –

1. इस अधिनियम के उपबंध, आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात :–

   (एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

   (दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।

   (तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :– गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में वर्तमान में लॉटरी के माध्यम से दुकान आबंटित की जाती है। पूर्व में वर्ष 1981 से 1990 तक एवं वर्ष 1993 से 2001 तक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें शासन द्वारा संचालित होती थी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ग्राम पंचायत को है, इस संबंध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड़ में हैं, जो निम्नानुसार है :–

धारा 61 ड़ मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की ग्राम सभा की शक्ति –

(1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसि़द्ध करने की शक्ति होगी।
परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।

(2) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट, किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नही की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।

(3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकाय, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे।

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने का आबकारी अधिनियमों में प्रावधान निहित है।

आबकारी मामलों से राहत :—जन सामान्य को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो को नियम—कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरूद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

❋❋❋❋❋

अध्याय–2

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन

– – 0 – –

2.1 संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :–

राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हेतु छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन :–

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में छ.ग जनजाति सलाहकार परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है। परिषद के गठन संबंधी अधिसूचना निम्नानुसार है :–

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 27 जून 2014

क्रमांक/एफ–20–2/2009/आजाकवि/25–2 : छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.05.2009 एवं 13.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है :

1.	मान. मुख्यमंत्रीजी	–	अध्यक्ष
2.	मान.श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. एवं स्कूल शिक्षा विभाग	–	उपाध्यक्ष
3.	मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	–	सदस्य
4.	मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	–	सदस्य
5.	मान.श्री विक्रम उसेंडी, सांसद, कांकेर	–	सदस्य
6.	मान.सुश्री चम्पादेवी पावले, विधायक भरतपुर–सोनहत	–	सदस्य
7.	मान.श्री रामसेवक पैंकरा, विधायक, प्रतापपुर	–	सदस्य
8.	मान.श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर	–	सदस्य

9.	मान.श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	–	सदस्य
10.	मान.श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पत्थलगांव	–	सदस्य
11.	मान.श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा	–	सदस्य
12.	मान.श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	–	सदस्य
13.	मान.श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	–	सदस्य
14.	मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	–	सदस्य
15.	मान.श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा	–	सदस्य
16.	मान.श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला–मानपुर	–	सदस्य
17.	मान.श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दन्तेवाड़ा	–	सदस्य
18.	मान.श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर	–	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	–	सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 17 दिसंबर 2015 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–03 एवं 04 पर संलग्न है।

2.3 राजनीतिक आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित 11 लोकसभा सदस्यों मे से 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण लोकसभा के लिए निर्वाचित है।

2.4 विधानसभा में आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा के सदस्यों में से 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण विधानसभा के लिए निर्वाचित है।

2.5 शासकीय सेवाओं में आरक्षण :–

संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इन वर्गो को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के लिये आरक्षण की अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। आरक्षण की सुविधा शासकीय सेवाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी दी गई है।

2.6 जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन :–

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य –

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :–

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान की भौतिक उपलब्धियाँ वर्ष 2016–17

मानवशास्त्रीय अध्ययन –

1. कोंध – प्रतिवेदन पूर्ण
2. भैना – प्रतिवेदन पूर्ण
3. कंवर – प्रतिवेदन पूर्ण
4. पहाड़ी कोरवा – प्रतिवेदन पूर्ण
5. बियार/ब्यार – प्रतिवेदन पूर्ण
6. बिंझवार – प्रतिवेदन पूर्ण
7. बिरहोर – प्रतिवेदन पूर्ण

नृजातीय परीक्षण अध्ययन –

1. दुसाध–पासवान अनुसूचित जाति – प्रतिवेदन शासन को प्रेषित।
2. भरिया/भारिया अनुसूचित जनजाति – प्रतिवेदन शासन को प्रेषित।
3. लांजा जाति – प्रतिवेदन शासन को प्रेषित।

4. कोंध, कोंद जाति — प्रतिवेदन शासन को प्रेषित।

5. कोड़ा जाति — प्रतिवेदन शासन को प्रेषित।

6. मंगिया जाति — अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

7. बियार / ब्यार अनुसूचित जनजाति — अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

8. दोरला जनजाति — अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

मोनोग्राफिक अध्ययन –

बियार अनुसूचित जनजाति — प्रथागत कानून का अध्ययन पूर्ण।

बिरहोर अनुसूचित जनजाति — प्रथागत कानून का अध्ययन पूर्ण।

पहाड़ी कोरवा अनुसूचित जनजाति — प्रथागत कानून का अध्ययन पूर्ण।

बस्तर दशहरा — अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

बस्तर का आदिवासी हाट बाजार — अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

सर्वेक्षण –

1. संस्थान द्वारा राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति यथा कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा बिरहोर एवं अबुझमाड़िया का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसका विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नांकित है –

क्र.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	जिला	विकासखण्ड	वर्तमान में सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या	वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या	कुल जनसंख्या		
						पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बैगा	कबीरधाम	बोड़ला	190	6635	13313	13188	26501
			पंडरिया	78	4625	8532	8577	17109
		मुंगेली	लोरमी	46	2358	4202	4172	8374
		बिलासपुर	कोटा	33	1520	2616	2536	5152
			गौरेला	17	2095	3286	3204	6490
			तखतपुर	2	60	110	134	244
		राजनांदगांव	छुईखदान	39	1348	2183	2174	4357
		कोरिया	मनेन्द्रगढ़	23	435	793	736	1529
			खड़गवा	24	355	638	585	1223
			भरतपुर	84	5174	8195	8447	16642
योग				536	24605	43868	43753	87621
2.	पहाड़ी	बलरामपुर	कुसमी	27	742	1641	1584	3225

	कोरवा		शंकरगढ़	50	1336	3310	2847	6157
			राजपुर	43	1142	2273	2275	4548
			बलरामपुर	7	66	117	116	233
		सरगुजा	मैनपाट	16	382	792	779	1571
			लुण्ड्रा	51	887	1659	1721	3380
			अम्बिकापुर	4	104	263	284	547
			लखनपुर	8	185	370	367	737
			सीतापुर	10	197	372	368	740
			बतौली	16	409	741	750	1491
			उदयपुर	5	173	316	321	637
		जशपुर	मनोरा	12	238	523	496	1019
			बगीचा	81	3863	6839	6718	13557
			कुनकुरी	1	9	16	16	32
		कोरबा	कोरबा	31	378	637	655	1292
			पोड़ीउपरोड़ा	4	33	62	56	118
योग				366	10144	19931	19353	39284
3.	कमार	गरियाबंद	गरियाबंद	71	2006	3425	3585	7010
			छुरा	59	1092	2085	1998	4083
			मैनपुर	51	1437	2267	2331	4598
			फिंगेश्वर	18	205	361	357	718
		बलौदाबाजार	कसडोल	2	40	77	80	157
		कांकेर	नरहरपुर	13	79	148	148	296
		महासमुंद	बागबाहरा	32	390	690	696	1386
			पिथौरा	2	44	86	82	168
			महासमुंद	41	461	819	867	1686
		धमतरी	नगरी	88	1243	2324	2412	4736
			मगरलोड़	26	448	821	821	1642
			धमतरी	5	20	37	41	78
		कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	1	10	20	17	37
योग				409	7475	13160	13435	26595
4.	बिरहोर	जशपुर	कुनकुरी	1	22	32	34	66
			दुलदुला	1	16	29	27	56
			कांसाबेल	4	29	47	52	99
			बगीचा	4	60	101	86	187
			पत्थलगांव	2	34	57	50	107
		रायगढ़	धरमजयगढ़	16	223	331	353	684
			घरघोड़ा	3	15	31	25	56

			तमनार	3	53	63	78	141
			लैलूंगा	3	23	37	47	84
		कोरबा	कोरबा	9	145	224	222	446
			पोड़ीउपरोड़ा	12	189	281	278	559
			पाली	11	159	248	273	521
			करतला	3	13	19	21	40
		बिलासपुर	कोटा	4	104	163	172	335
			मस्तुरी	2	39	56	67	123
योग				78	1124	1719	1785	3504
5.	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	ओरछा	237	4617	10864	11263	22127
			नारायणपुर	17	149	338	381	719
योग				254	4766	11202	11644	22846
महायोग				1643	48114	89880	89970	179850

2. भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद क्षेत्र के बाहर के विकासखण्डों यथा देवभोग, फिंगेश्वर, महासमुंद, बागबाहरा एवं मगरलोड में निवासरत कुल 514 भुंजिया परिवारों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है। जिसका विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है।

प्रकाशन –

राज्य के जनजातियों में प्रचलित बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से निम्नांकित बोलियों पर आधारित वार्तालाप निर्देशिका एवं शब्दकोश तैयार किया गया है –

1. कुडुख बोली वार्तालाप संक्षेपिका
2. हिन्दी–भतरी शब्दकोश
3. हिन्दी–भतरी वार्तालाप संक्षेपिका
4. हिन्दी–हल्बी शब्दकोश
5. हिन्दी–परजा शब्दकोश

त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन –

राज्य के जनजातियों में प्रचलित बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से जनजातीय बोलियों को जीवंत बनाए रखने हेतु संस्थान द्वारा स्थानीय बोलियों में ही विचार, लेख, लोक–गीत, लोककथा आमंत्रित कर त्रैमासिक पत्रिका ''आदि गोठ'' का प्रकाशन किया गया है तथा इसमें रूचि रखने वाले अथवा जानकार व्यक्तियों से आलेख निरंतर आमंत्रित है।

राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में सहभागिता –

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2016 तक नई दिल्ली में आयोजित ट्राइबल कार्निवाल में सहभागिता दी गई। संस्थान द्वारा उक्त महोत्सव में राज्य के बैगा, दण्डामी माड़िया एवं धुरवा जनजातियों के नर्तक दलों, काष्ठकला एवं परम्परागत चिकित्सा कला, राज्य की जनजातीय संस्कृति से संबंधित आभूषण एवं छायाचित्रों का प्रदर्शन किया गया ।

प्रशिक्षण –

संस्थान द्वारा निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये –

1. सरगुजा जिले के मैनपाट में राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों एवं उनके आरक्षण संबंधी प्रावधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार के नियम एवं निर्देश संबंधी प्रशिक्षण एवं वन अधिकार अधिनियम, अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम, जनजातीय जागरूकता सम्मेलन में सहभागिता दी गई।
2. सरगुजा, बस्तर एवं रायपुर संभाग में पृथक–पृथक तिथियों में जाति प्रमाण–पत्र जारी करने, अत्याचार निवारण अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
3. संस्थान की संभागीय क्षेत्रीय ईकाईयों बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर द्वारा विधिक परामर्श सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति –

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय कु. माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट एवं अन्य ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 एवं लावेतीगिरी विरूद्ध डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर आन्ध्रप्रदेश ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1506 में समस्त राज्य सरकारों को दिए गए दिशा–निर्देशों के परिपालन में एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु पत्र दिनांक 17.03. 2017 द्वारा 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय छानबीन समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है :–

क्र.	समिति में नामांकित अधिकारीगण	अध्यक्ष / सदस्य
1	2	3
1	भारसाधक सचिव, छ.ग. शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
2	आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास	उपाध्यक्ष
3	संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास	सदस्य
4	संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव
5	आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा नामांकित दो अधिकारी	सदस्य

फर्जी / गलत जाति प्रमाण–पत्रों की जांच की प्रक्रिया :–

जाति प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 एवं ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1506) के परिपालन में एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 में विहित प्रावधान अनुसार जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है :–

1. शिकायत शासन के विभिन्न विभागों / जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।
2. तत्पश्चात नियोक्ता विभाग से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण–पत्र, नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।
3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जाँच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी जाति प्रमाण–पत्र का प्रतीत होता है तो जाति प्रमाण–पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक अथवा समिति के विजिलेंस इन्सपेक्टर को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक के पिता / पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित ग्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक के माता / पिता रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण–पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र में उनके पूर्वजों की जातिगत जानकारी अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भराया जाता है।

4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में जाति प्रमाण–पत्र धारक वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल–खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।
5. पुलिस अधीक्षक से अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी की जाती है, साथ ही अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति उपलबध कराते हुए जवाब प्राप्त किया जाता है।
6. संबंधित को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है।
7. समिति के सक्षम जाति प्रमाण–पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन, संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण–पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।
8. नियोक्ता को समिति के आदेश की प्रति भेजते हुए आरक्षित पद पर दी गई गलत नियुक्ति निरस्त करने के लिए लेख किया गया है। (माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 की कंडिका 15 एवं सा.प्र.वि. के आदेश दिनांक 01.08.1966 की कंडिका 21)
9. फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक व्यक्ति एवं फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

जाति प्रमाण पत्रों की जांच –

संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच से संबंधित अब तक कुल 617 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 506 प्रकरणों पर कार्यवाही पूर्ण करते हुए 481 प्रकरणों में आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा शेष 25 प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण की गई है जिनके आदेश जारी किये जा रहे है। आदेश पारित प्रकरणों में 236 जाति प्रमाण–पत्र सही पाये गये एवं 245 जाति प्रमाण–पत्र गलत पाये गये। जांच हेतु 136 प्रकरण शेष है जिसमें से 80 प्रकरण जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के विजिलेंस सेल के पास अन्वेषणाधीन है। शेष 56 प्रकरणों में सुनवाई प्रक्रिया जारी है।

छानबीन समिति द्वारा दिनांक 01.04.2016 से 25.07.2017 तक माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनियमन नियम, 2013 में विहित प्रावधान एवं दिशा–निर्देशों का अनुशरण करते हुए 68 प्रकरणों पर आदेश पारित किये गये है जिनमें से 23 जाति प्रमाण–पत्र सही एवं 45 जाति प्रमाण–पत्र गलत पाये गये।

जाति प्रमाण पत्रों का प्रदाय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 8वी से 12वीं में शाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सुविधा की दृष्टि से जिला स्तर पर जाति प्रमाण तैयार कर निःशुल्क प्रदान किये जा रहे है ताकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े एवं विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उन्हे जाति प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सके। वर्ष 2016–17 में राज्य में कुल 729576 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये जिसमें से अनुसूचित जनजाति के 213984 विद्यार्थी शामिल है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के 13 पूर्ण एवं 06 आंशिक जिलों के 446928 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये जिसमें अनुसूचित जनजाति के 186422 विद्यार्थी शामिल है।

2.7 अनुसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं :–

1. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनाः–

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन मे स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्‌देश्य है। इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना 2010'' का संचालन प्रारंभ किया गया। इस योजना में प्रमुख रूप से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनांतर्गत 985.80 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के चार घटक निम्नानुसार है :–

1. आस्था 2. निष्ठा 3. प्रयास 4. सहयोग

(1) आस्था : नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है । इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्तमान में संस्था में 310 विद्यार्थी (155 बालक 155 बालिका) इस योजना से निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधा प्राप्त कर रहे है। उक्त आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय 2007 से संचालित है ।

(2) निष्ठा : इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता–पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2016–17 में 155 बच्चे राजनांदगांव एवं रायपुर जिले के कुल 16 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है।

(3) प्रयास : ''मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना'' के महत्वाकांक्षी घटक के रूप में प्रदेश की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में प्रयास आवासीय बालक विद्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 19 जुलाई 2010 को किया गया। इसमें नक्सल प्रभावित 16 जिलों कांकेर / कोण्डागांव / बस्तर / नारायणपुर / बीजापुर / सुकमा / दंतेवाड़ा / जशपुर / बलरामपुर / अंबिकापुर / कोरिया / धमतरी / महासमुंद / गरियाबंद / बालोद एवं राजनांदगांव के कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा चयनित प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं विज्ञान / गणित विषय के अध्यापन के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई (मेन / एडवांस) तथा एआईपीएमटी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में संचालित किये जा रहे है तथा कांकेर जिला मुख्यालय पर फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु संचालित है। जिसमें सत्र 2016–17 में 1606 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना से अब तक 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :–

सत्र / वर्ष	संस्था का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	परीक्षा परिणाम प्रतिषत में
2011-2012	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	250	171	75	04	100%
2012-2013	बालक प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	137	134	03	--	100%
2013-2014	प्रयास बालक / बालिका आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	272	225	40	01	98%
2014-2015	प्रयास बालक / बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर	408	390	17	01	100%
2015-2016	प्रयास बालक / बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	725	646	78	01	100%
2016-2017	प्रयास बालक / बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	690	624	57	4	99.27%

प्रयास आवासीय संस्था का बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2017

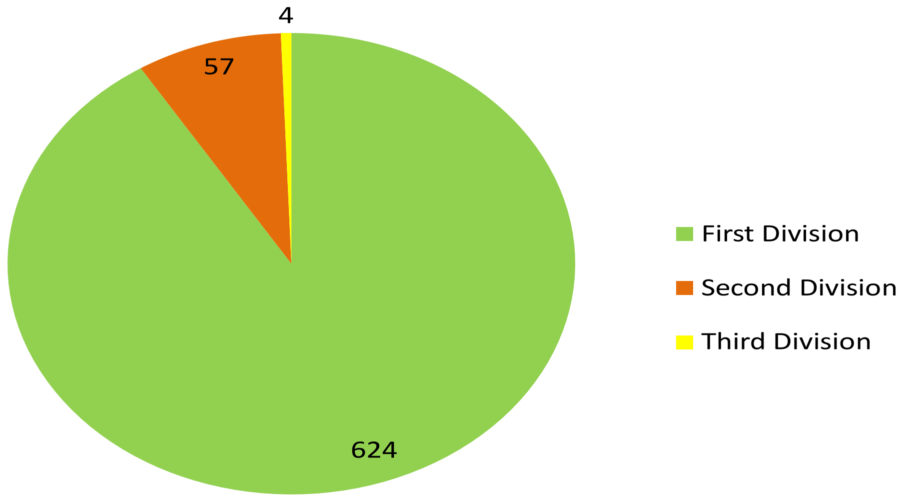

अ

उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग/मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में क्वालिफाई छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	बैच	एनआईटी में प्रवेषित	आईआईटी में प्रवेषित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेषित	पीएमटी में प्रवेषित
2010-12	प्रथम बैच	12	02	130	-
2011-13	द्वितीय बैच	20	01	45	01
2012-14	तृतीय बैच	08	0	81	03
2013-15	चतुर्थ बैच	07	06	84	03
2014-16	पंचम बैच	30	06	92	12
2015-17	षष्ठम बैच	40	08	96	08
योग		117	23	528	27

(4) सहयोग : मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने–जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

4. आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनाः–

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की प्रतिभाशाली छात्राएँ जिनकी विज्ञान एवं वाणिज्य में अभिरूचि है, किन्तु वनांचल क्षेत्रों में गुणवत्ता–परक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें पूर्ण संसाधनों के साथ अवसर उपलब्ध करा कर विज्ञान/वाणिज्य विषय के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड. की पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों के रूप में सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013–14 से अभिनव योजना के रूप में प्रारंभ की गई है ।

उक्त योजनांतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में वर्ष 2013–14 से प्रारंभ किया गया है। इसमें 330 बालिकाएँ प्रवेशित हैं तथा 500 सीटर बालक विज्ञान विकास केन्द्र जगदलपुर जिला मुख्यालय में स्थापित करने हेतु भवन निर्माणाधीन है ।

5. आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःषुल्क आवासीय सुविधा :–

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से 500 सीटर छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 छात्रावास स्वीकृत किये गये है।

6. वनबंधु कल्याण योजना :–

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्र विकास के उदेश्य से ''वनबंधु कल्याण योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014–15 में इस योजना हेतु रू.1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत लाइवलीहुड, कौशल परीक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएं, विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाएं तथा विद्यार्थियों को को कोचिंग, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं/बच्चों को पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे है। वर्ष 2015–16 में योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल है को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 10 आश्रम विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जो जिला मुख्यालयों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अब तक रू.1416.50 लाख की स्वीकृति दी गई है।

7. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :–

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास–आश्रम में ''खाद्यान्न सुरक्षा योजना'' लागू की गई है।

8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयः– भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किये गए हैं। वर्तमान में 06 बालक तथा 02 कन्या एवं 17 संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इस प्रकार प्रदेश में कुल 25 आवासीय विद्यालय विभिन्न जिलों में संचालित किये जा रहें हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान हैं। शिक्षण सत्र् 2017–18 में 5302 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड से अध्यापन कराया जा रहा हैं। निकट भविष्य में इन विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित करने की विभाग की योजना हैं।

शिक्षण सत्र् 2016–17 में कक्षा 10वीं का परीक्षाफल 96.3 प्रतिशत रहा। जिसमें 70 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, इसी प्रकार कक्षा 12वीं का परीक्षाफल 98 प्रतिशत रहा प्रथम श्रेणी में 53 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

9. सरस्वती सायकिल प्रदाय योजना :– महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु अनु.जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को कक्षा 8वीं पास कर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर सायकिल प्रदाय की जाती है।

10. निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना :– प्राथमिक स्तर की अनु.जनजाति एवं अनु.जाति की समस्त बालिकाओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1ली से 8वीं तक के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है।

11. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना :– कक्षा 1ली से 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वितरित की जाती है। विभाग द्वारा 9वीं एवं 10वी की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है।

12. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों में सतत् उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने हेतु पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने एवं प्रतियोगिता की भावना जागृत करना हैं यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के 700 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 300 छात्र–छात्राओं को प्रति विद्यार्थी राशि 15,000/– पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता हैं।

13. नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :– <u>नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःषुल्क अध्ययन सुविधा योजना</u>

नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य हैं। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए राशि रू0 759.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना प्रारंभ से अब तक 1605 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

14 छात्र भोजन सहाय योजना :– विभागीय मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष पोषण आहार एवं मेस संचालन के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु प्रति छात्र –छात्रा रू. 400/– प्रतिमाह की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 हेतु रू1186.80 लाख का बजटीय प्रावधान एवं भौतिक लक्ष्य 23278 है।

15. विशेष शिक्षण योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रवीणता बढ़ाना है जिससे इस वर्ग के छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक

सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 146 विकासखंडों में संचालित है।

16. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :— विभागीय छात्रावासों में निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि वे कम्प्यूटर के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सी.डी. आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं सूचना आदान—प्रदान की नवीन तकनीकों से परिचित हो सके।

17. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) :— चिकित्सा सुविधा अप्राप्त/विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015—16 में लगभग 66000 छात्र/छात्राएं लाभान्वित रहे है।

18. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण :— आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं परिवर्धन की दृष्टि से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु एक वित्तीय वर्ष में किसी एक जनपद पंचायत से अधिकतम 05 सांस्कृतिक दलों को रू. 10,000/— की सहायता राशि दी जाती है। वर्ष 2015—16 में राशि रू.100.00 लाख का बजटीय प्रावधान उपलब्ध रहा है।

19. जनजातियों के पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना :— राज्य के समस्त आदिवासी ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। योजना के तहत प्रति ग्राम रू. 50,000/— की सहायता राशि दी जाती है।

20. युवा कैरियर निर्माण योजना :—

वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुख्य रूप से शासकीय शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर की जाती थी जिसके कारण योजना में सफलता का प्रतिशत कम रहता था। उक्त योजना के प्रावधानों की समीक्षा कर वर्ष 2006 में युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को Out sourcing करके देने का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जिसका परिणाम भी उत्साहवर्धक रहा है। वर्तमान में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर, बिलासपुर तथा जगदलपुर में संचालित की जा रही है। वर्ष 2011 में योजना का विस्तार करते हुए बैंकिंग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि परीक्षाओं की कोचिंग के कार्य को भी योजना में समाहित किया गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2008 की राज्य सिविल

सेवा की परीक्षा में कुल 26 अभ्यर्थी डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयन किया गया है। वर्ष 2012–13 में बैंकिग, रेल्वे भर्ती इत्यादि परीक्षाओं में 18 प्रतिभागियों का विभिन्न पदों पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। उल्लेखनीय है इनमें से 4 प्रतिभागियों का प्रोबेशनरी आफिसर के रूप में चयन हुआ है वर्ष 2011 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में कुल 09 अभ्यर्थी, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार इत्यादि पदों पर चयनित हुए है। वर्ष 2012 की राज्य की सिविल सेवा परीक्षा की 02 माह की अल्पावधि में कोचिंग संचालित की गई जिसमें कुल 32 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया गया । जिसमें 04 अभ्यर्थी अंतिम रूप से विभिन्न पदों पर चयनित हुए है जिसमें कु. आराध्या कमार, विशेष पिछड़ी जनजाति की अभ्यर्थी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद हेतु हुआ है। युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 से नई दिल्ली स्थित सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निजी कोंचिंग संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान की जा रही है। योजनांतर्गत वर्ष 2015–16 में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में 100, रायपुर में 100 तथा जगदलपुर में 100 प्रशिक्षणार्थी प्रवेश प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वर्ष 2014 में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 अभ्यर्थियों में से 16 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए। एसएसएस, बैंकिंग, व्यापम, रेल्वे भर्ती आदि अन्य परीक्षाओं की कोचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों में से 19 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में अभ्ययर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ हैं।छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2012 के धोषित परिणाम में से 08 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह पाए गये।एसएससी, बैंकिंग, व्यापक, रैलवे भर्ती आदि अन्य परीक्षाओं की कोंचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों में से 21 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ।परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जगदलपुर में एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, रैलवे भर्ती आदि इन परीक्षाओं की कोचिंग हेतु जून 2015 से प्रशिक्षण संचालित किया गया है जिसमें प्राप्त परिणाम के आधार पर 09 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। वर्ष 2016–17 में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में 100, रायपुर में 100 तथा जगदलपुर में 100 प्रशिक्षणार्थी प्रवेश प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

21. ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :– देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा अखिल भारतीय स्तर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए द्वारका नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हास्टल संचालित किया जा रहा है। इस संस्था का उददेश्य राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए प्रोत्साहित करते हुए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। साथ ही संस्था में पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठयक्रम में प्रवेश लेकर उत्कृष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च अध्यन की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है जहां आवास करने वाले बच्चों को भोजन, आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है।

अब तक 120 विद्यार्थियों ने आई.ए.एस.02 ने आई.ई.एस तथा 05 ने उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लिया है। वर्ष 2016–17 में युवा कैरियर निर्माण अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये 44 अभ्यर्थी तथा 04 के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक ऑनर्स से सफलतापूर्वक अध्ययनरत है। वर्ष 2016–17 में 50 अभ्यर्थी अध्ययनरत है। यहां प्रवेशरत सभी छात्र–छात्राएं पूरे उत्साह, लगन तथा परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

22. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना संचालित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पालक आयकर दाता नहीं है उन्हे लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 10,000/– एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 20,000/– तथा यू.पी.एस.सी. सिविल सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 1,00,000/– की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। अब तक 305 विद्यार्थियों को राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु एवं 64 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु लाभान्वित किया गया है।

23. मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम :–

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'' जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जशपुर जिले में 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उदेश्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं।

वर्ष 2016–17 में जिले से प्रेषित प्रस्ताव राशि रू.5002.95 लाख के विरूद्ध शासन द्वारा राशि रू.2884.79 लाख की स्वीकृति दी जाकर राशि रू.1442.88 लाख (केन्द्रांश राशि रू.1004. 75 लाख एवं राज्यांश राशि रूपए 438.145 लाख) का आबंटन प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जशपुर के निर्देश में विभिन्न विभागों के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है।

2.8 परियोजना सलाहकार मण्डल :–

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ–23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए हैं तथा सदस्य सचिव, परियोजना प्रशासकों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. अध्यक्ष –राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष।

2. सदस्य –

क. जिला पंचायत अध्यक्ष।

ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।

ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होंगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।

ञ. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।

च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।

छ. कलेक्टर।

ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।

झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।

ञ. अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ–23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलो के निर्णय अनुसार ही

शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद की राशि के उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :–

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कूलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज–सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

2.9 परियोजना क्रियान्वयन समिति :–

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/ एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य है:–

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।

3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यो में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

2.10 आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए।
फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतुः–

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ7–5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणः–
गठन एवं विस्तारः–

उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, बाद में विस्तार कर धमतरी जिले का नगरी, दुर्ग जिले का डौण्डी लोहरा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ राजनांदगांव जिले का ''नचनिया'' एवं जिला कवर्धा का ''माड़ा'' एवं गरियाबंद जिले का क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किये गये। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता पूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये–4379.54/– लाख का बजट प्रावधान से 740 निर्माण कार्य 1654 हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये है।

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणः–

गठन एवं विस्तारः–

सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बाद में विस्तार कर जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले का गौरैला परियोजना तथा मुंगेली एवं कवर्धा जिला क्षेत्र को प्राधिकरण अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके माध्यम से स्थानीय विकास के कार्य सुगमता पूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये–4853.30/– लाख का बजट प्रावधान से 992 निर्माण कार्य 864 हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये है।

उद्देश्यः–

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत्

जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के सरंक्षण,. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणः–

राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र / एफ–7–9/04/01/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

गठन एवं विस्तारः–

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगावं, धमतरी, महासमुन्द, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद पूर्ण रूप से एवं आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में राज्य के अन्य जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के लिए स्थानीय विकास के कार्य सुगमता पूर्वक स्वीकृत किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये–4363.60/– लाख का बजट प्रावधान से 905 निर्माण कार्य 850 हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये है।

2.11 अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान :–

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन/पालन–

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
1	प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग–9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा,	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129–ड में निम्न प्रावधान रखे गये है– अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में

	परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।	होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2	राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129–ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है– 1. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।
3	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यवस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यन्चयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।	धारा 170–ख–आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा

		(6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्रारूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी। (2–क)–यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी। परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से

		कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।
4	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरूद्ध तथा अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति	(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा–170–ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2–क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है:– (2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू–स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगी: (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

✵✵✵✵✵

अध्याय–3

अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी

1. विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 5.एफ 9–8/2002/1/3 रायपुर दिनांक 18.07.2003 द्वारा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि,छ.ग.राज्य की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है के उम्मीदवार यदि तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एंव चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हों तो उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्गो के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने की विशेष सुविधा दी जावे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 02 (प्रधान पाठक) मे, 263 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग–03 एवं 12 अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में तथा 1385 अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों में इस प्रकार 1672 अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी गई है, जिसमें वृद्धि संभावित है।

2. राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण :–

छ.ग.शासन,वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/772/एफ–3/1/2004/वित्त /ब–4/ चार दिनांक 13 मई 2010 के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

3. बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से भरने बाबत्

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 25.02.2017 द्वारा यतः भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा – 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित ''नियुक्ति के लिए पात्रता'' संबंधी प्रावधान में, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17.01.2012 द्वारा उपांतरण करते हुए, निर्देशित

किया गया था कि इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे,

और यतः उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी की गई थी और 16 जनवरी 2014 तक प्रवृत्त थी, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1—1/2012/1—3 रायपुर दिनांक 19 मई 2014 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2014 से 16 जनवरी 2015 तक बढ़ाया गया था एवं उक्त अधिसूचना की अवधि को समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1—1/2012/1—3 रायपुर दिनांक 10 मार्च 2015 द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2015 से 16 जनवरी 2017 तक और बढ़ाया गया था,

और यतः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाई जाये,

अतएव, पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी अवधि के लिए अर्थात् 17 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक निरंतर प्रवृत्त रहेगा। इस प्रकार दिनांक 25.02.2017 को जारी अधिसूचना द्वारा पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई है।

उक्त के अनुक्रम में छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र./ एफ— 14—53/ 25—3/ 2011, दिनांक 09.03.2012 एवं दिनांक 15.03.2012 के द्वारा मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से जिला संवर्ग की रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में तृतीय श्रेणी में 5137 एवं चतुर्थ श्रेणी के 5043 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियों की कार्यवाही की गई।

4. वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावा प्रकरणों के हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 के नियम 6 के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोडा जावे अर्थात :—

   ''(ढ) उप—खंड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त समस्त दावों को स्वतः याचिका के रूप में माना जा सकेगा तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन तथा नियम 13 के खंड (क) से (झ) के अधीन केवल एक बार के लिए पुनः परीक्षण किया जा सकेगा।''

*****

अध्याय – 4

अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है। इन वर्गों के हित–संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को निर्देश देने बाबत् संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 46 में व्यक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए अनु.जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 वन विभाग :–

1 बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों मे किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रुप मे हैं। अधिकांश क्षेत्रो में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रुप मे है। योजना का मुख्य उद्धेश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुर्नवास करना है । इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 1549 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 1366 लाख का व्यय किया गया।

2 बांस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्र को लिया जाता है जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरुप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिर्रे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बासों की संख्या में वृद्धि होती है तथा बास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 4415 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 2932 लाख का व्यय किया गया।

3 पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में रू. 1300 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 1107 लाख का व्यय किया गया।

4 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/ औषधि रोपण

प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संर्वधन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में रू. 825 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 803 लाख का व्यय किया गया।

5 संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास

राज्य में वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में जनसहभागिता हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण एवं वन प्रबंधन तकनीकों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में रू. 635 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 576 लाख का व्यय किया गया।

6 लघुवनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 580 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 550 लाख का व्यय किया गया।

7 सड़के तथा मकान निर्माण कार्य

इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय भवन निर्माण, विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों एवं वन मार्गों का निर्माण कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2016–17 में रू. 1570 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 1334 लाख का व्यय किया गया।

8 पौधा प्रदाय योजना

निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। इस योजनांतर्गत

वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 117 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 104 लाख का व्यय किया गया।

9 हरियाली प्रसार योजना

कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 6292 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 3250 लाख का व्यय किया गया।

10 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्‌देश्य से विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 880 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 383 लाख का व्यय किया गया।

11 सामाजिक वानिकी

इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्राों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 360 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 223 लाख का व्यय किया गया।

12 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 270 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 268 लाख का व्यय किया गया।

13 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रामकों को पट्‌टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्राों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 467 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 362 लाख का व्यय किया गया।

14 तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित

योजना अंतर्गत जैविक दबाव के कारण बिगड़े वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों का रोपण करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 1445 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 558 लाख का व्यय किया गया।

15 भू एवं जल संरक्षण कार्य

राज्य शासन द्वारा भू–गर्भीय जल स्तर में वृद्वि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू–संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्राण हेतु नवीन मद के अतर्गत योजना लागू की गई है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 2359 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 1494 लाख का व्यय किया गया।

16 लाख विकास योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य में लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन कर कार्य किया जावेगा, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 300 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 210 लाख का व्यय किया गया।

17 वनमार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण

योजना अंतर्गत वनक्षेत्रा से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण करना जिससे वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 2000 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 1428 लाख का व्यय किया गया।

18 कर्मचारी कल्याण योजना

प्रदेश में लगभग 9000 क्षेत्रीय वन कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रों मे वनों के भीतर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन कर्मचारियों के कल्याणार्थ कार्य कराने का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 294 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 262 लाख का व्यय किया गया।

19 वन अधिकारों की मान्यता

अतिक्रमित वनभूमि का सर्वे कर, पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू. 60 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 46 लाख का व्यय किया गया।

4.2 ऊर्जा विभाग (विद्युत मंडल)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन/केंद्र शासन के सहयोग से निम्न योजनाएँ संचालित हैं :–

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (6825) :–

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र शासन/राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे दिनांक 18.03.2005 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। छ.ग. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण हेतु "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के 10 वीं एवं 11 वीं योजना के अंतर्गत राज्य शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने जिलेवार योजना बनाने से लेकर विद्युतीकरण तक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने हेतु केन्द्र शासन के तीन उपक्रमों यथा एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. एवं पी.जी.सी.आई.एल. को अधिकृत किया गया है। योजनांतर्गत 90% राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 10% राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। पी.जी.सी.आई.एल. को सौंपे गये 04 जिलों में से नक्सली प्रभावित 02 जिले यथा बस्तर (जिला नारायणपुर सहित) एवं दंतेवाड़ा (जिला बीजापुर सहित) के विद्युतीकरण के कार्य उनके द्वारा नहीं किये जाने के कारण छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी मर्या. को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कोरिया एवं जशपुर जिले, जिनके कार्य क्रमशः पी.जी.सी.आई.एल. एवं एन.टी.पी.सी. द्वारा किये जाने थे, उनके कार्य भी विद्युत वितरण कंपनी को सौंपे गये हैं।

10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना के बाद केन्द्र शासन ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नये कार्यों के 4 जिले यथा महासमुन्द, धमतरी, जांजगीर चांपा एवं कोरबा को भी स्वीकृति प्रदान की।

राज्य में सभी पूर्ववर्ती 18 जिलों यथा कबीरधाम, दुर्ग, राजनांदगाँव, रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, रायगढ़, जांजगीर–चाँपा, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जशपुर एवं कोरिया की योजनाएँ कुल रू 164668.10 लाख की स्वीकृत हो चुकी हैं। योजनान्तर्गत मार्च 2017 तक कुल रू 133979.50 लाख का व्यय किया जा चुका है। योजनान्तर्गत कवर्धा (फेस–1 एवं 2), दुर्ग (फेस–1 एवं 2), राजनांदगांव, महासमुन्द, धमतरी, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिले की योजनायें पूर्ण हो चुकी है। शेष जिलों के कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 31 अविद्युतीकृत/डी–इलेक्ट्रिफाइड ग्रामों का विद्युतीकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2951 परिवारों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया जिसके किये गये कुल व्यय रू 3241.40 लाख हैं।

(2) <u>कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (6758)</u> :–

राज्य गठन से पूर्व राज्य में मात्र 73369 कृषि पंप विद्यमान थे जबकि राज्य गठन के पश्चात मात्र 16 वर्षों की अवधि में दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में 309664 अतिरिक्त पम्प कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में कुल 383033 ऊर्जीकृत कृषि पंप हो गये हैं। वर्ष 2016–17 में प्रदेष में 22000 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 21284 कृषि पम्पों का कार्यपूर्ण किया गया। कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2016–17 में राज्य शासन के बजट में कुल रू 10000 लाख एवं आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत रू 1400 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 1400 लाख का आवंटन शासन से प्राप्त हुआ था।

(3) <u>5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (7305)</u> :–

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत फ्लैट रेट पर विद्युत उपयोग का विकल्प नहीं चुनने वाले कृषकों हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के कृषक परिवार को 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष तथा 3 से 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 7500 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। योजना का विस्तार करते हुए अस्थाई कृषि पम्पों हेतु 3 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 500 यूनिट प्रति माह तथा 3 से 5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंप पर 625 यूनिट प्रति माह विद्युत खपत पर निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये कृषि पम्प कनेक्षन के लिये खपत की सीमा नहीं है। कृषि उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट पर विद्युत उपयोग का विकल्प भी दिया गया है जिसके लिये उन्हें रू 100 प्रति अष्व षक्ति प्रति माह का षुल्क देय होगा। फ्लैट रेट पर विद्युत उपयोग का विकल्प लेने वाले कृषकों को विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं है। राज्य शासन द्वारा कृषकों को विद्युत षुल्क, स्थाई प्रभार, उपकर एवं मीटर किराया में छूट का लाभ दिया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रू 8012 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 8012 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 94112 कृषकों के पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया गया।

(4) <u>एकलबत्ती (बी.पी.एल.) कनेक्षनों को निःषुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान (6501)</u>:–

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 40 यूनिट प्रति कनेक्षन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस योजनातर्गत राज्य षासन के बजट में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष

2016–17 में रू 1478 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू 1478 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2016–17 में राज्य के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लगभग 6,57,000 एकल बत्ती उपभोक्ताओं को निःषुल्क विद्युत प्रदाय किया गया। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःषुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. लैम्प प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत खपत की पात्रता को 40 यूनिट से घटाकर 30 यूनिट कर दिया जायेगा।

(5) शासकीय स्कूलों/अस्पतालों/आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण (8678) :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के सभी शासकीय स्कूलों/ अस्पतालों/आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण किया जाना है। इस बावत् वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रू. 2500 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 2500 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2016–17 में लगभग 10300 शासकीय स्कूलों/ अस्पतालों/ आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया।

(6) मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (8548) :–

वर्ष 2011–12 से प्रदेश के नगर निगम अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं शहर के गरीब तबके के लोगों को एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना" प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नगरीय निकायों में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य लगातार चलाये जा रहे हैं जिसके कारण विद्युत लाईनों एवं उपकेन्द्रों की शिफ्टिंग का कार्य आवश्यक है। योजना में प्रदेश के 13 नगर निगम क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रू 1672 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 1672 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था।

(7) मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना (8965) :–

वर्ष 2014–15 में अविद्युतीकृत मजरों/टोलों, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या अन्य किसी शासकीय योजना में शामिल नहीं हैं, को विद्युतीकृत करने हेतु मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना/मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत शामिल मजरों/टोलों के साथ अविद्युतीकृत बसाहटों का विद्युतीकरण एवं बी. पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना है।

वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रू 1672 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 1672 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था एवं सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जाकर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में लगभग 1339 मजरों–टोलों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया गया।

(8) <u>दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (7652)</u> :–

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम. क्रमांक 44/44/2014–RE दिनांक 03.12.2014 के द्वारा "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.)" प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीन योजना के लिये वित्तीय संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है–

(i) भारत सरकार द्वारा अनुदान – योजना लागत का 60 प्रतिशत

(ii) वितरण कम्पनी का योगदान – योजना लागत का 10 प्रतिशत

(iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंक से ऋण – योजना लागत का 30 प्रतिशत

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथक्करण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय किया जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/ मजरा–टोला के कार्य भी शामिल हैं।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में रू 60 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016–17 के बजट में रू 65.01 करोड़ अनुमोदित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के 27 जिलों में स्थित सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भारत सरकार की इस योजना की नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल रू. 1247.38 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 53 अविद्युतीकृत/ डी–इलेक्ट्रिफाइड ग्रामों का विद्युतीकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2139 परिवारों को बी.पी. एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया जिसके किये गये कुल व्यय 3000.00 लाख हैं।

(9) एकीकृत विद्युत विकास योजना (7655) :–

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक 26/1/2014–APDRP दिनांक 03.12.2014 के द्वारा “एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.)” प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार द्वारा नवीन योजना के लिये वित्तीय संरचना निम्नानुसार प्रस्तावित है–

(i) भारत सरकार द्वारा अनुदान – योजना लागत का 60 प्रतिशत

(ii) वितरण कम्पनी का योगदान – योजना लागत का 10 प्रतिशत

(iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंक से ऋण – योजना लागत का 30 प्रतिशत

इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई. टी. उपयोग को समर्थकारी बनाने के कार्य किये जाने हैं। प्रदेश में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के 18 संचारण/संधारण वृत्तों के अंतर्गत चयनित 182 वैधानिक शहर/जनगणना शहर के लिये भारत सरकार की इस योजना की नोडल एजेंसी पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा कुल रू 489.06 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। वर्ष 2015–16 के बजट में रू 60 करोड़ का प्रावधान राज्य शासन द्वारा किया गया था।

(10) मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना :–

राज्य में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. विद्युत उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का क्रियान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) द्वारा छ.रा.वि.वि.कं. के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में लगभग 15 लाख बी.पी.एल. तथा लगभग 21 लाख ए.पी.एल. उपभोक्ता है जो इस योजना से लाभान्वित होगें। एल.ई.डी. लैम्प वितरण योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री छ.ग.शासन द्वारा दिनांक 13 मार्च 2016 को जिला राजनांदगांव से किया गया। प्रारंभ में योजना के क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष थी जिसे जून 2017 तक बढ़ाया गया किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर एल.ई.डी. लैम्प की उपलब्धता में कमी के कारण वितरण का कार्य जारी है। योजना के प्रारंभ में एल.ई.डी. बल्बों की दर नगद भुगतान पर रू 85 तथा मासिक किश्तों में रू 90 प्रति लैम्प थी जो दिनांक 01.12.2016 से घटकर रू 65 हो गयी है। वर्तमान में दिनांक 05.07.2017 तक राज्य में कुल 1768437 उपभोक्ताओं को कुल 7956924 एल.ई.डी. लैम्पों का वितरण हो चुका है।

- योजना का क्रियान्वयन जिलेवार चरणों में किया जाना है। योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले 09 वाट् एल.ई.डी. लैम्प की न्यूनतम गारंटी 03 वर्ष के लिए रहेगी। एल.ई.डी. लैम्प में तकनीकी खराबी अथवा फ्यूज होने की स्थिति में ई.ई.एस.एल. द्वारा वितरण के पश्चात् 03 वर्ष की अवधि में निःशुल्क बदला जायेगा।
- बी.पी.एल. उपभोक्ता– विद्युत वितरण कम्पनी के पात्र बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को 03 एल.ई. डी. लैम्प का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। इसके अलावा बी.पी.एल. उपभोक्ता अतिरिक्त 05 एल.ई.डी. लैम्प नगद भुगतान कर भी प्राप्त कर सकते है। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. लैम्प प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत खपत की पात्रता को 40 यूनिट से घटाकर 30 यूनिट कर दिया जायेगा।
- ए.पी.एल. उपभोक्ता –विद्युत वितरण कम्पनी के पात्र ए.पी.एल. उपभोक्ता 05 नग एल.ई.डी. लैम्प एक मुश्त नगद भुगतान कर अथवा मासिक भुगतान योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं जिसमें रू 10 प्रति लैम्प की दर से लैम्प प्राप्त करते समय तथा शेष राशि का भुगतान रू 10 प्रति लैम्प की दर से आगामी मासिक किष्तों में करना होगा। इसके अलावा ए.पी.एल. उपभोक्ता अतिरिक्त 05 एल.ई.डी. लैम्प नगद भुगतान कर प्राप्त कर भी सकते हैं।
- वाणिज्यिक उपभोक्ता –वाणिज्यिक उपभोक्ता रू 85 प्रति लैम्प की दर से नगद भुगतान कर 20 नग एल.ई.डी. लैम्प प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत सभी हितग्राहियों को उनके नाम से जारी मासिक विद्युत बिल के साथ फोटोयुक्त परिचय पत्र (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक) प्रस्तुत करने पर पात्रता अनुसार एल.ई.डी. लैम्प प्रदाय किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की योजनाओं का विवरण :–

प्रस्तावनाः–गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से मई 2001, में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का गठन किया गया। केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंत मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन क्रेडा द्वारा किया जाता है। अक्षय ऊर्जा का अर्थ है पुनर्जनित, समाप्त न होने वाले, पर्यावरण अनुकूल और गैर–जीवाश्म संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा।

1- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनाः– सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में राज्य के ऐसे ग्राम जो वर्तमान में पारम्परिक विद्युत ग्रिड से विद्युतीकरण की किसी भी योजना में सम्मिलित नही है को चिन्हित कर सम्मिलित किया जाता है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा Decentralized Distributed Generation Scheme ग्रामों में सौर पावर प्लांट की स्थापना कर घरों में सौर ऊर्जा आधारित घरेलू प्रकाश व्यवस्था के कार्य किये जाते है। तदानुसार राज्य के ऐसे ग्राम जहां ग्रिड से विद्युतीकरण प्रस्तावित नही है में सौर ऊर्जा से विद्युतीकण के कार्य किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में REC द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर क्रमशः (382+141+383) इस प्रकार से कुल 906 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। जिसमें राज्य शासन द्वारा रू.43.58 करोड़ एवं आर.ई.सी., नई दिल्ली से रू.208.98 करोड़ का अनुदान शामिल है ।

2- विद्यमान संयंत्रों की क्षमता का उन्नयनः–

वर्ष 2002–03 से वर्ष 2010 तक ऐसे ग्रामों में स्थापित संयंत्रों पर ग्राम विद्युतीकरण योजनांतर्गत सौर संयंत्र तथा होमलाईट/स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना डछत्म् तथा राज्य शासन से उपलब्ध करायी गई सम्मिलित राशि से की गई है। वर्ष 2003–04 से वर्ष 2009–10 के मध्य स्थापित किये गये है अर्थात इन संयंत्रों को स्थापित हुए 7 से 12 वर्ष पूर्ण हो चुंके है। इन ग्रामों में सोलर योजनायें भी धीरे–धीरे पहुंची जो ग्राम उस समय सुदूर पहुंच विहीन थे, उन ग्रामों में पहुंच मार्ग, पुलिया, स्कूल, हॉस्टल आश्रम, आदि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंची और ग्राम का विकास हुआ इससे विगत 10 वर्षो में ग्राम की जनसंख्या, परिवारों की संख्या, सामुदायिक स्थलों की संख्या में वृध्दि हुई तथा ग्रामवासी विद्युत का उपयोग तथा इससे चलने वाले विभिन्न उपकरणों के प्रति आकर्षित हुए एवं ग्राम में विद्युत के अन्य उपकरण जैसे टी.वी., रेडियों, म्यूजिक सिस्टम, पंखा, कूलर का भी उपयोग होने लगे है। उपरोक्त बदलाव एवं समय के अंतराल से क्रेडा द्वारा स्थापित किये गये सौर संयंत्रों की क्षमता ग्राम के लिए अब पर्याप्त नही है इसमें संयंत्र जिसकी क्षमता उपरोक्तानुसार लोड पर केवल 6 घंटे के हिसाब से डिजाइन की गई थी। अब काफी छोटा पड़ने लगे है तथा क्षमता उन्नयन करने तथा विगत 10 वर्षो में पी.डी.एन की स्थिति नाजुक होने से ग्राम में अतिरिक्त क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना एवं पुराने संयंत्र के संयंत्र एवं पी.डी.एन. तथा नवीनीकरण करने की अत्यंत आवश्यकता है। जिस पर राज्य शासन के मद से रू.3.50 करोड़ का का अनुदान शामिल है ।

3- सौर ऊर्जा आधारित विभिन्न योजनाः— सोलर स्टेण्ड अलोन योजना अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, पुलिस थाना एवं बेस कैम्प, जेल, औद्योगिक संस्थाए एवं स्कूल, रूफ टाप, व्यवसायिक संस्थान, वन विभाग के चेकपोस्ट, विश्राम गृह, पर्यटन स्थल, शासकीय भवन आदि में सोलर पावर प्लांट, होम लाईट, स्ट्रीट लाईट, सौर गर्म जल संयंत्र एवं सोलर कुकिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य किया जाता है इन संयंत्रों की स्थापना से विद्युत व्यवस्था में अवरोध से बचाव में सहायक है। सौर सयंत्र का जीवनकाल अधिक होने के कारण अन्य विकल्पों की तुलना में उपयुक्त है तथा इसके रखरखाव की लागत बहुत कम है। ऐसे पहॅुच विहिन दूरस्थ स्थल जहॉ पर परम्परागत विद्युत से विद्युतीकरण करना संभव न हो अथवा लागत लागत अधिक होता है उन स्थलों में छोटे–छोटे सौर संयंत्र घर/भवन आदि में स्थापित कर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त परम्परागत विद्युत पर पूर्ण निर्भरता से बचने के लिये ऐसे स्थलों पर जहां परम्परागत विद्युत उपलब्ध हो वहां पर भी सौर संयंत्र का उपयोग किया जा रहा है, जिससे परम्परागत विद्युत पर निर्भरता समाप्त हुई है बल्कि परम्परागत विद्युत का बोझ कम हुआ है ।ऐसे सौर संयंत्र में घर/भवन के छत पर सोलर पैनल स्थापित करते हुऐ विद्युत अपने ही घर में उत्पादन होता है तथा ऐसे समय में जब सोलर उपलब्ध न हो तो विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये बैटरी का उपयोग किया जाता है। जिस पर 1750 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापना पर राज्य शासन के मद से रू.7.00 करोड़ का अनुदान शामिल है।

4- ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यकमः— उर्जा संरक्षण अधिनियम –2001 के अंतर्गत नामित एजेन्सी के रूप में ऊर्जा संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु प्रचार–प्रसार तथा शासकीय/निजी भवनो, नगरीय निकायों में, ऊर्जा संरक्षण पर कार्यशाला कार्यक्रम, छात्रों हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, शासकीय अमले हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला ई.सी.बी.सी. कार्यक्रम, कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम वाणिज्यिक, संस्थानों में ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य और ऊर्जा दक्ष लाईटों की स्थापना/प्रोत्साहन का कार्य किया जाता है।जिस पर राज्य शासन के मद से से 0.40 करोड़ का अनुदान शामिल है।

5- सौर सुजला योजनाः— प्रदेश के विद्युत पहुंचविहीन क्षेत्रों के कृषको को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा सौर सुजला योजना के क्रियान्वयन किया गया है। सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ भू–जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। योजना अंर्तगत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कृषि विभाग

में बोरवेल/पम्प अनुदान हेतु संचालित विभिन्न योजना में चयनित हितग्राहियों को सौर सुजला योजना के लाभ की पात्रता रहेगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7082 नग सोलर पम्प की स्थापना की गयी है। जिस पर रू.257.31 करोड़ का अनुदान शामिल है।

- सोलर पेय जल एवं अन्य पम्पः– ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु सार्वजनिक बोरवेल में सौर ऊर्जा चलित डयूल एवं अन्य पम्प की स्थापना की जाती है, तथा इसमें से जल का उद्वहन कर समीप में एक ओवर हेड टैंक स्थापित कर जल संग्रहण किया जाता है। इन संयंत्रों में टैंक के पास 04 नग वाले स्टैण्ड–पोस्ट की स्थापना की जाती है ताकि एक साथ 04 उपयोगकर्ता पानी भर सकें। इस संयंत्र में सबमर्सिबल पम्प के साथ एक हैण्ड पम्प भी लगा होता है, ताकि किसी कारणवश यदि सौर पम्प अकार्यशील होता है तो भी पेयजल व्यवस्था बाधित न हो। इस योजना में नगर पंचायतों/कस्बों के बोरवेल में ज्यादा क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना कर पाइप लाईन के माध्यम से पेयजल का प्रदाय किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामों में सोलर ड्यूल पम्प संयंत्रों की स्थापना कर उन्हें पेयजल एवं स्वच्छता हेतु सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे राज्य में ग्राम के रहवासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त किये जाने हेतु अधिक परिश्रम नही करना पड़ेगा साथ ही स्वच्छ जल की निकट में ही उपलब्धता से वे स्वच्छता की ओर आकर्षित होकर अपने रहन–सहन व जीवन शैली में सुधार कर पायेंगा। राज्य शासन के मद से 1091 नग सोलर पेय जल की स्थापना पर रू.9.00 करोड़ का अनुदान शामिल है।

7- ग्रामीण ऊर्जा को अनुदानः– केन्द्र प्रायोजित विद्युतीकरण योजना के अंर्तगत आने वाले ग्रामों को छोड़कर राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक ग्राम अभी भी अविद्युतीकरण है, जिनका सौर संयंत्र माध्यम से विद्युतीकरण करना आवश्यक है। उक्त योजनांतर्गत 135 नग सोलर होम लाईट के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है, जिस पर राज्य शासन के मद से रू. 0.19 करोड़ का अनुदान शामिल है।

8- सौर ऊर्जा को छोड़कर अन्य गैर पारम्परिक ऊर्जा को प्रोत्साहनः– क्रेडा द्वारा राज्य में पवन ऊर्जा संसाधन की सम्भाव्ययता ज्ञात करने हेतु 100 मीटर की ऊचांई पर ऊर्जा के वास्तविक क्षमता के आंकलन करने के उददेश्य से राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चैन्नई के सहयोग से 4 स्थलों पर 100 मीटर ऊचांई के विण्ड मास्ट स्थापित किये गये है। वर्ष 2016–17 में अन्य 15 स्थलों पर 100 मीटर ऊचांई के विण्ड मास्ट स्थापित कर पवन ऊर्जा संसाधन की सम्भाव्ययता ज्ञात किया जाना है। इसके अलवा वेस्ट टू एनर्जी, सूक्ष्म/अति सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, इंडस्ट्रीयल वेस्ट सर्वे ट्रीटमेंट के संबंध में सर्वे

एवं अनुसंधान का कार्य किया गया है। जिस पर राज्य शासन के मद से से 1.09 करोड़ का अनुदान शामिल है।

9- बायो एनर्जी आधारित कार्यकमः–

घरेलू बायोगैस संयंत्रः– कोई भी ग्रामवासी जिनके पास समुचित मात्रा में जानवरों का अपशिष्ट उपलब्ध हो इस योजना का लाभ उठा सकता है। बायोगैस संयंत्र से भोजन पकाने हेतु गैस तो मिलती ही है साथ में उत्तम गुणवत्ता की खाद भी प्राप्त होती है। गैस से लैम्प जलाकर प्रकाश की व्यवस्था भी की जा सकती है ।इसके उपयोग से जलाउ लकडी, एल.पी.जी कैरोसीन आदि की बचत की जा सकती है तथा प्रदूषण मुक्त होता है ।

बायोमास गैसीफायर कुक स्टोव्ह एवं बायोमास गैसीफायरः–गैसीफायर अनुपयोगी लकड़ी तथा कृषि अपशिष्ट का दोहर का प्रोड्यूसर गैस बनाई जाती है जो कि सीध अथवा 30 प्रतिशत डीजल के साथ मिलाकर विद्युत उत्पादन अथवा तापिय प्रयोग हेत उपयोग में लाई जाती है ।

संस्थागत/सामुदायिक बायोगैस संयंत्रः– 15 से 100 घनमीटर क्षमता तक बड़े बायोगैस संयंत्रों की स्थापना गौशाला कृषि फार्म, पोल्ट्री फार्म इत्यादि में की गई है ।

उक्त योजना अंर्तगत राज्य शासन के मद से से रू.0.15 करोड़ का अनुदान शामिल है।

4.3 महिला एवं बाल विकास विभाग

1) ग्रामीण महिलाओं का दिशा दर्शन भ्रमण

योजना के तहत स्व–सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया जाता है तथा दिशा दर्शन के तहत ऐसे स्व–सहायता समूहो से भेंट करवायी जाती है जो सुदृढ़ हो, उल्लेखनीय आर्थिक/सामाजिक गतिविधि कर रहे हो । स्व–सहायता समूहो को दिशा दर्शन पर ले जाने के पूर्व आवश्यकता आंकलन कर समूहों की क्षमता विकास संबंधी आवश्यकता अनुकूल समूहों का भ्रमण करवाया जाता है । दिशा दर्शन कार्यक्रम को प्रशिक्षण सह दिशा दर्शन के रूप में आयोजित किया जाता है जिस गतिविधि के लिये दिशा दर्शन करवाया जा रहा है उसका संक्षिप्त मौके पर प्रशिक्षण रखवाया जाता है ।

2) स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने हेतु विभागीय अनुदान नियम 2005 बनाया गया है । अनुदान नियमों के

प्रावधान के अनुसार 100 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को विभागीय मान्यता दी गई है । स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दिये गये अनुदान आवेदन के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से अनेक क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है ।

3) महिला जागृति शिविर की स्थापना

महिलाओं से संबंधित मुद्दों एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। महिलाओं को समाज में बराबरी का हक देने उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने के लिए जागृति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ।

4) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

योजना के तहत प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी का विवाह कराने का संकल्प लिया है । अभी तक सरकार लगभग रू.45 हजार से अधिक बेटियों का विवाह करा चुकी है, एवं आगामी वर्ष में 8666 बेटियों का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है । इस योजना से सामुहिक विवाह होने के कारण विवाह पर होने वाला अनावश्यक व्यय कम हो रहा है वहीं बाल विवाह की कुप्रथा में कमी आयी है ।

5) अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम

मानव व्यापार की रोकथाम तथा उनके पुनर्वास के लिए इस योजना अंतर्गत वर्ष 2016—17 में रू.60.00 लाख का प्रावधान किया गया है एवं वर्ष 2017—18 में रोकथाम तथा उनके पुनर्वास पर कार्यवाही किया जाना है ।

6) भवन निर्माण

आंगनवाड़ी भवनो का निर्माण विभागीय योजना, IAP, BRGF एवं अन्य स्थानीय मद की योजनाओं से भी किया जाता है। प्रदेश में 9 नवीन जिले स्वीकृत है, इन जिलों में कार्यालय भवन निर्माण स्वीकृत है। पर्यवेक्षको हेतु मुख्यालय में निवास करने हेतु ''पर्यवेक्षक मुख्यालय'' वार्षिक योजना में प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में आंगनवाड़ी भवनो के केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नवीन प्रांकलन में विद्युत कनेक्शन का प्रावधान रखा गया है।

7) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सामान्य

भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की

क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ योजना प्रारंभ किया गया। समेकित बाल विकास सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 26 डीपीओ सेल, 220 बाल विकास परियोजनाओं के स्थापना व्यय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–सहायिकाओं को भारत शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अलावा योजना संचालन के सामान्य घटक जैसे– सूचना शिक्षा संचार, मूल्यांकन अनुश्रवण, प्री स्कूल किट, मेडिसिन किट, स्नेह शिविर, सामग्री प्रदाय, निःशक्त बच्चों की देखभाल, फ्लैक्सी फंड, आकस्मिक व्यय, ईसीसीई आदि शामिल है।

8) किशोरी शक्ति योजना

इस योजना में 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाती है ।

9) सबला योजना

सबला योजना अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किषोरी बालिकाओं को लाभांवित किया जाता है। जिसमें पूरक पोषण आहार के साथ–साथ स्वास्थ्य पोषण शिक्षा एवं जीवन चक्र प्रशिक्षण भी शामिल है। पूरक पोषण आहार घटक में भारत सरकार 50 प्रतिशत राशि वहन करती है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 27 में से 10 जिलो को सबला योजना अंतर्गत शामिल किया गया है, शेष 17 जिलो में राज्य आयोजना से किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है।

10) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम – विशेष पोषण आहार योजना

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नवाजतन योजना, आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामग्री प्रदाय, गणवेश प्रदाय आदि हेतु प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2016–17 में नवाजतन योजना अंतर्गत 1 लाख बच्चों के लक्ष्य के आधार रखा गया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामग्री प्रदाय, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को गणवेश प्रदाय तथा मॉडल आंगनवाड़ी का संचालन किया गया है ।

11) पूरक पोषण आहार कार्यक्रम

प्रदेश के 6 माह से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ किया गया है । आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3–6 वर्ष आयु के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ–साथ पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जा रहा है । आंगनबाड़ी केंद्रों के 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को रेडी टू ईट फूड उपलब्ध कराया जा रहा है ।

12) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इस योजनांतर्गत निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों को निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन–देन की रोकथाम करना है। योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15000/– रू. की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है ।

13) नोनी सुरक्षा योजना

राज्य में बाल लिंगानुपात बनाये रखने, आमजन में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह की रोकथाम हेतु 1 अप्रेल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक बालिका को 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तथा शिक्षा पूर्ण होने पर ही 1 लाख रू. की राशि प्रदान करेगी । राज्य की लगभग 9000 कन्याएं योजना के तहत पंजीकृत कर ली गई है ।

14) मुख्यमंत्री अमृत योजना

राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दूध वितरण किया जाता है । इस वर्ष 84,948 बच्चे लाभान्वित हुए है । वर्ष 2017–18 में लगभग 9.50 लाख बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

15) महतारी जतन योजना

राज्य में कुपोषण को कम करने एवं कुपोषण के चक्र को तोड़ने हेतु गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल करने के उद्देश्य से उन्हें पोषण युक्त आहार प्रदाय किया जाता है । इस वर्ष 43890 गर्भवती एवं कुपोषित महिलाएं लाभान्वित हुए है । वर्ष 2017–18 में लगभग 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

16) फुलवारी योजना

राज्य में कुपोषण से बचाव हेतु गर्भवती माता, शिशुवति माता एवं 0 से 03 वर्ष के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना । यह योजना समुदाय के सहयोग से संचालित योजना है।

4.4 कृषि विभाग

कृषि विभाग द्वारा विभिन्न राज्य पोषित, केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना में कुल 44474.53 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 41752.80 लाख (94%) व्यय किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में कुल 14566.85 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 13796.51 लाख (95%) व्यय किया गया है।

राज्य पोषित योजना :–

जनजागरण अभियान के शिविरार्थीयों को प्रोत्साहन :–

इस योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के शिविरार्थियों कृषकों के खेतों में निःशुल्क धान/मक्का बीज वितरण एवं निःशुल्क ट्रेक्टर जुताई करायी जाती है। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर जिलों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत 1070 क्वि. धान/मक्का बीज वितरण किया जाकर 1512 एकड़ में निःशुल्क ट्रेक्टर जुताई कर 4310 कृषकों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत राशि रु. 44.90 लाख व्यय किया गया।

कृषक समग्र विकास योजना :–

(अ) अक्ती बीज संवर्धन योजना :– इस योजनान्तर्गत कृषकों को धान के आधार/प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिये रु. 500/–प्रति क्विं. एवं वितरण पर रु. 500/– प्रति क्विं. तथा तिलहन फसल के बीज उत्पादन/वितरण पर रु. 1000/– क्विं. अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अंतर्गत निम्नानुसार प्रगति हुई।

क्र.	घटक	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	प्रमाणित बीज वितरण (क्वि. में)	201907.82	137128	63760.36	34576
2	बीज उत्पादन (क्वि. म	267950.26		84615.87	

(ब) रामतिल विकास योजना :– राज्य में रामतिल के उत्पादन के वृद्धि के लिये आधार/ ब्रीड सीड, उर्वरक, प्रदर्शन एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना आदिवासी बाहुल्य जिलें जगदलपुर, कोंडागॉव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कॉकेर जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं बलरामपुर जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत 5730 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार उक्तानुसार कृषक समग्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 2222.56 लाख तथा 409.26 लाख व्यय किया गया।

फसल प्रदर्शन :–

विभिन्न प्रकार के धान फसल के प्रदर्शन हेतु राज्य शासन द्वारा श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन योजना, ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन एवं द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन कार्यक्रम योजना क्रियान्वित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार हुई है।

क्र.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकतावर्धन (हेक्ट. में)	5359.60	13424	1672.00	4175
2	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन (हेक्ट. में)	8479.00	9919	2701.00	3466
3	द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन कार्यक्रम(हेक्ट. में)	3814	4994	1078	1097

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 806.24 लाख तथा 251.06 लाख व्यय किया गया।

जैविक खेती मिशन :–

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य पोषित जैविक खेती मिशन योजना का शुभांरभ वर्ष 2013–14 में किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 5 जिलों रायपुर, बालोद, रायगढ़, कोरिया तथा दंतेवाड़ा के कलस्टरों में चयनित कृषकों द्वारा जैविक खेती की गयी थी। वर्ष 2015–16 से प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जैविक खेती मिशन संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में राज्य के 4 जिलों क्रमशः गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 23 जिलों के एक–एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन अंतर्गत वर्ष 2016–17 में जैविक कृषि तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फसल प्रदर्शन का आयोजन 13960 एकड़ में किया गया, इसके तहत् 14484 किसानो को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 632.17 लाख तथा 98.71 लाख व्यय किया गया।

सुनिश्चित सिंचाई विस्तार :–

विभाग द्वारा सुनिश्ंचित सिंचाई विस्तार हेतु शाकम्भरी, किसान समृद्धि योजना लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना क्रियान्वित की जा रही है। शाकम्भरी योजना में 0.5 से 5 हार्स पॉवर तक विद्युत तथा ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प एवं डीजल पम्प क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 16875/– अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पम्प प्रतिस्थान पर अजजा./अजा. वर्ग के कृषकों को रु. 43000/– अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनान्तर्गत 40 हेक्ट. तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्माण किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपरोक्त योजनाओं में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना निम्नानुसार प्रगति हुई।

क्र.	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग		अनुसूचित जनजाति वर्ग	
		भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या	भौतिक पूर्ति	लाभान्वित कृषक संख्या
1	शाकम्भरी योजना में डीजल विद्युत पम्प एवं कूप निर्माण	10055	10055	3215	3215
2	किसान समृद्धि योजना	1497	1497	352	352
3	माईक्रोमाईनर सिंचाई योजना	30	1023	7	186

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपरोक्त तीनों राज्य पोषित योजनाओं में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 2434.97 लाख तथा 761.13 लाख व्यय किया गया।

कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना :–

कृषि कार्य में संलग्न मजदूरों कों अन्य कार्यो की तुलना में श्रम एवं समय देना होता है। जिससे उनके आर्थिक स्थिति सबल नहीं हो पाती है एवं सीमित संख्या में मजदूरों के उपलब्धता के कारण कृषि कार्यो में भी विलम्ब होता है। मजदूरों के कार्य को सरल बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये कृषि कार्य हेतु उपयोगी कृषि यंत्र किट, जिसकी लगभग कीमत रु. 42000/– कृषि मजदूरों को निःशुल्क प्रदाय की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में क्रमशः 465 किट (4600 लाभान्वित) तथा 147 (1465 लाभान्वित) किट वितरित किया गया। जिसमें क्रमशः राशि रु. 208. 39 लाख तथा राशि रु. 61.12 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एंड आयलपाम योजना :–

योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये कृषकों को प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण, पौध संरक्षण औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, नीदानाशक, सिंचाई पाईप वितरण आदि घटकों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 6538 कृषकों को लाभान्वित कर 92.32 लाख तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में 2228 कृषकों को लाभान्वित कर 43.66 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित सबमिशन ऑन सीड एंड प्लाटिंग मटेरियल योजना :–

योजनान्तर्गत कृषकों को एक एकड़ के लिये अनाज फसलो के आधार/ प्रमाणित बीज वितरण पर 50 प्रतिशत एवं दलहन/तिलहन तथा चारा फसलों के लिये 60 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को प्रदाय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत 22141 क्विं. आधार/प्रमाणित बीज वितरण किया अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18202 कृषकों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 10341 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान :–

राज्य में कृषि यॉत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु तथा कृषकों को यॉत्रकीकरण खेती के लाभ से परिचित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से कृषि यॉत्रिकीकरण सबमिशन अंतर्गत कम्पोनेट क्रमांक–3 के तहत ट्रेक्टर, पावर टिलर, स्वचलित एवं शक्ति चलित यंत्रों पर 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान देय है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कृषि यॉत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 27820 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 9538 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रमशः 368.78 लाख तथा 137.03 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्थानीय आवश्यकताएँ, फसलों एवं जरुरतों को प्राथमिकता, फसलों के उत्पादकता वृद्धि हेतु उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना तथा वृहद प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तकनीकों को कृषकों तक पहुचाना। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 48900 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 15464 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रमशः 2630.32 लाख तथा 724.84 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति):–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, अधोसंरचना विकास एवं समग्र विकास हेतु अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन वृहद प्रदर्शन के माध्यम से कृषि तकनीकों को कृषकों तक पहुचाना। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 79360 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 25100 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रमशः 6271.84 लाख तथा 1713.28 लाख व्यय किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित स्वायल हेल्थ मेनेजमेंट योजनाः–

स्वायल हेल्थ मेनेजमेंट योजनान्तर्गत राज्य के समस्त कृषकों को उनके खेतों की उर्वरता की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रत्येक दो वर्ष में स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया जाना है। जिस हेतु सिंचित रकबे में 2.5 हेक्टेयर का ग्रिड व असिंचित रकबे में 10 हेक्टेयर ग्रिड लेकर मृदा नमूना लिया जाता है। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 132562 नमूना विश्लेषण के विरुद्ध 18,78,03 नमूना विश्लेषण कर 1078400 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति उपयोजना में 49340 नमूना विश्लेषण के विरुद्ध 70450 नमूना विश्लेषण कर 3,52,200 कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण किया गया।

परम्परागत कृषि विकास योजना :–

राज्य में प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये इस योजना के तहत् कलस्टर में जैविक ग्रामों के अंगीकरण एवं सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली ;च्ळै ब्मतजपपिबजपवदद्ध के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण कार्य किया जा रहा है, इसके अंतर्गत राज्य के छः जिले सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर नगर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में कृषि 113 एवं उद्यानिकी 75 कुल 188 कलस्टर, 9400 एकड़ रकबा में क्रियान्वित की जा रही है, इसका क्रियान्वयन शासन के निर्देशानुसार अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सेवा प्रदायक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 2473 कृषकों एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 330 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

4.5 पशुपालन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के 146 विकासखंडों में 85 विकासखंड अनुसूचित विकासखंड एवं 03 विकासखंड बैगा प्री–मेटीव अंतर्गत आते है। इन आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों के उन्नत जीवन यापन के लिए विभाग द्वारा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

राष्ट्रीय जनगणना 2011 प्रदेश में कुल 56.50 लाख परिवार संख्या (House Hold) है, जिसके अंतर्गत कुल 29.72 लाख परिवार (56.60%) पशु पालन का कार्य करते है। इसमें से कुल 6.29 लाख (21.03%) परिवार भेड़, बकरी, पालन एवं 0.92 लाख(3.08%) परिवार सूकर पालन करते है।

उक्त श्रेणी के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए विभाग द्वारा भेड–बकरियों में फैलने वाले रोग पी.पी.आर. के विरूद्ध एवं सूकरो में होने वाले रोग स्वाईन फीवर के विरूद्ध सघन प्रतिबंधात्मक टीकाकरण प्रतिवर्ष निष्पादित किया जा रहा है, भेड़,बकरियों एवं सूकरों की मृत्यू दर में कमी आयी है।

अनुसूचित जन जाति वर्ग के पशुपालकों का निम्नानुसार विभागीय योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2016–17 में लाभान्वित किया गया है–

(1) बैकयार्ड कुक्कुट इकाईः–

योजना अंतर्गत प्रत्येक चयनित आदिवासी परिवार को 28 दिवसीय 45 रंगीन चूजे दाना सहित 90 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। चयनित आदिवासी परिवार को लगभग 31400.00 सालाना आय संभावित है। योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 238.71 लाख का अनुदान दिया जाकर 8841 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया।	

(2) सूकरत्रयी वितरण योजनाः—

योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर आदिवासी परिवारों को 01 नर एवं 02 मादा उन्नत नस्ल के सूकर प्रदाय किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 98.34 लाख अनुदान के रूप में व्यय की जाकर 1093 आदिवासी परिवारो को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को औसतन रू. 24000.00 की सालाना आय होती है।	

(3) शत् प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदायः—

नस्ल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना है। योजनांतर्गत शत् प्रतिशत अनुदान पर सांडों के प्रदाय योजना अंतर्गत नस्ल सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के सांडों को प्रदाय किया जाता है। वित्तीय वर्ष में 191 सांड वितरित किया गया है एवं राशि रू. 43. 81 लाख अनुदान के रूप में व्यय हुई है।	

(4) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु कार्यक्रम :—

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राशि रू. 1199.51 लाख व्यय किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिलों में बकरी प्रजाति में होने वाले संक्रामक रोग पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु सुनियोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।	

(5) राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना :–

राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में डेयरी की 114 इकाई हेतु राशि रू. 307.89 लाख अनुदान वितरित किया गया है।	

4.6 मत्स्योद्योग विभाग

(अ) आदिवासी उपयोजना

I. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास

मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना तथा मत्स्य प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्र के विभागीय जलाशयों का प्रबंधन एवं मत्स्य पालन विकास मत्स्योद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है । राज्य में प्रवाहित नदियों में प्रग्रहण मात्स्यिकी (केप्चर फिशरीज) अन्तर्गत अत्यल्प हो गये मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन नदियों में उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य भण्डारण को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यो के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 131.96 लाख प्रावधानित राशि में से रू. 131.68 लाख का व्यय कर उन्नत किस्म के 198.80 लाख स्टे.फ्राई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

II. मत्स्य बीज उत्पादन

आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देश्य है । उत्पादित मत्स्य बीज का उपयोग विभागीय जलाशयों में संचयन, नदियों में संचयन आदि के अतिरिक्त निजी मत्स्य पालकों, सहकारी संस्थाओं आदि को विक्रय हेतु किया जाता है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन, संचयन एवं प्रबन्धन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है

। अनुरक्षण मद के अन्तर्गत बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की जाती है । लघु निर्माण मद में विभागीय हैचरियों, फार्म तथा फार्म पर स्थित अन्य अद्योसंरचना की मरम्मत आदि के लिए राशि व्यय की जाती है ।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विभागीय मत्स्य बीज हैचरी फार्म तथा फार्म पर स्थित नवीन अद्योसंरचना निर्माण के लिए वृहद निर्माण मद अन्तर्गत राशि व्यय की जाती है । उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 203.00 लाख प्रावधानित राशि के विरूद्ध रू. 200.86 लाख का व्यय कर आदिवासी क्षेत्रों में 4453 लाख स्टे. फ्राई का उत्पादन कर 6850 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

III. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 20.34 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू. 10.17 केन्द्रांश तथा रू. 10.17 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रू. 10.17 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''फिशकोपफेड'' नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 10.17 प्रति हितग्राही राज्याशं राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है । अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 6.81 लाख के विरूद्ध राशि रू. 6.81 लाख व्यय कर 67000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

IV. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

आदिवासी जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है । स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. रू. 750/– शिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 6.25 लाख के विपक्ष में रूपये 6.25 लाख का व्यय कर 250 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया ।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1. मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता – सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जाती है।
3. मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता– शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।
4. मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता– सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
5. मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।
6. तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।
7. तालाबों में चूना प्रयोग– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोंग हेतु रू 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।
8. अध्ययन भ्रमण– मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रू. 0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है ।
9. विस्तार सेवाएं– जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्टि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

इसके तहत् योजनान्तर्गत रूपये 551.69 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध 551.07 लाख व्यय कर 4080 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

VI. नीलक्रांति योजना :– यह योजना वर्ष 2016–17 से राज्य में लागू है। इस योजनांतर्गत निम्नानुसार घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

1. मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र का निर्माण – इस हेतु रूपये 6.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रू. 3.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 3.00 लाख कृषक का अंशदान)
2. स्वयं कि भूमि पर तालाब निर्माण – नवीन तालाब निर्माण के लिये रू. 7.00 लाख प्रति हेक्टेर का प्रावधान है। (रू.3.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 3.50 लाख कृषक का अंशदान) स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनो स्थितियों में अनुदान देय है।
3. तालाबों/टैंकों का पुनरूद्धार एवं एक्वाकल्चर – तालाबों एवं टैंकों के पुनरूद्धार के लिये रू. 3.50 लाख की सीमा में एवं इनपुटस के लिये रू. 1.50 लाख की सीमा में कुल रू. 5.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रू. 2.50 लाख केन्द्रांश एवं 2.50 लाख कृषक अंशदान)
4. मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना – नवीन मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण हेतु रू. 25.00 लाख (रू. 12.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 12.50 लाख कृषक का अंशदान) की सहायता दी जाती है।
5. बर्फ संयंत्र की स्थापना – बर्फ संयंत्र की स्थापना के लिये रू. 11.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रू. 5.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 5.50 कृषक का अंशदान)
6. आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स – आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स के लिये रू. 2.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रू. 1.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 1.00 लाख कृषक का अंशदान)
7. मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स – मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.60 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 0.30 लाख केन्द्रांश एवं रू. 0.30 लाख कृषक का अंशदान)
8. साइकिल के साथ आइस बाक्स – साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.03 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 0.015 लाख केन्द्रांश एवं रू. 0.015 लाख कृषक का अंशदान)

9. फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना – फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख प्रति इकाई की सहायता दी जाती है। (रू. 5.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 5.00 लाख कृषक अंशदान/महासंघ)

10. मछुआरों का दुर्घटना बीमा – मछली पालन का कार्य करने वाले 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के मत्स्यजीवीयों का शत्–प्रतिशत् अनुदान पर दुर्घटना बीमा की जाता है। (रू. 10.17 केन्द्रांश एवं रू. 10.17 राज्यांश, कुल रू. 20.34 प्रति कृषक) दुर्घटना में मृत्यु/स्थाई विकलांगता होने पर रू. 2.00 लाख एवं अस्थाई अपगता पर रू. 1.00 लाख की सहायता दी जाती है।

11. बचत सह राहत – बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को तीन माह तक रू. 1500 प्रति माह की सहायता दी जाती है। इस के तहत हितग्राही से 8 माह अंशदान से रूपये 1500 एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रू. 3000 कुल 4500 रू. बैंक में जमाकर हितग्राही सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में रू. 641.73 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू. 641.35 लाख का व्यय कर 2533 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया।

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत</u>

I. मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) झींगा पालन – झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ब) नाव जाल आबंटन – प्रति मछुआ एक बार रू 10000/–का नाव जाल प्रदाय किया जाता है ।

(स) फिंगरलिंग संचयन – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से प्रति वर्ष रू. 2000/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज पांच वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(द) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन – नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन किया जाता है ।

(इ) मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(फ) मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम के तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 252.40 लाख में से रू. 252.23 लाख का व्यय कर 5125 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. शिक्षण और प्रशिक्षण

आदिवासी जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू. 1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 75/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से षिश्यवृत्ति, रू. 400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 75.00 लाख में से 74.99 लाख व्यय कर 6800 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

III. मछुआ सहकारिता

आदिवासी जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत आदिवासी मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रूपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रवाधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 70.65 लाख में से राशि रू. 70.31 लाख व्यय कर 75 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

(ब) अनुसूचित जाति उपयोजना

I. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र : राज्य के 50 : 50 के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू. 20.34 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू. 10.17 केन्द्रांश तथा रू. 10.17 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। राज्यांश राशि रू. 10.17 प्रति हितग्राही के मान से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''फिशकोपफेड'' नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है । फिशकोफेड केन्द्रांश राशि रू. 10.17 प्रति हितग्राही राज्यांश राशि में जोड़कर सीधे बीमा कम्पनी को जमा कराती है। अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 1.00 लाख तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 2.00 लाख का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 1.32 लाख के आंवटन के विपक्ष में रूपये 1.32 लाख व्यय कर 13000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

II. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है । स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. रू. 750/– शिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू. 4.50 लाख के आंवटन के विपक्ष में राशि रूपये 4.50 लाख व्यय कर 180 उन्नत मछलीपालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया।

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत</u>

I. मत्स्य पालन प्रसार अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) झींगा पालन – झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ब) फिंगरलिंग संचयन – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(स) मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(द) मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यक्रम तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 64.78 लाख में से रू. 64.76 लाख का व्यय कर 1347 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. शिक्षण और प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीकी एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण तहत 10 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राषि व्यय की जाती है । प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू. 1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 75/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति, रू. 400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 17.50 लाख के विपक्ष में रू. 17.50 लाख व्यय कर 1400 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

III. मछुआ सहकारिता

अनुसूचित जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देष्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार नवीन योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के मछुआरों के पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु आयटमवार अधिकतम सीमा के आधीन लगातार तीन वर्षों में रूपये 3.00 लाख तक अर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किये जाने का प्रवाधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 27.90 लाख के विपक्ष में रू. 27.76 लाख व्यय कर 26 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया ।

IV. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1. मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता – सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु.जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं तृस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी।
3. मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे. के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता– शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हे. जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।
4. मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता– अनुसूचित जाति वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आवंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सह. समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
5. मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्यबीज बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।
6. तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राईके स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।
7. तालाबों में चूना प्रयोग– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोंग हेतु रू 0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।
8. अध्ययन भ्रमण– मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रू 0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है ।
9. विस्तार सेवाएं– जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्टि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

इस योजनान्तर्गत रूपये 188.46 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू. 188.16 लाख व्यय कर 1393 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

V. नीलक्रांति योजना –

यह योजना वर्ष 2016–17 से राज्य में लागू है। इस योजनांतर्गत निम्नानुसार घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

1. मत्स्य बीज संवर्धन केन्द्र का निर्माण – इस हेतु रूपये 6.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रू. 3.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 3.00 लाख कृषक का अंशदान)
2. स्वयं कि भूमि पर तालाब निर्माण – नवीन तालाब निर्माण के लिये रू. 7.00 लाख प्रति हेक्टेर का प्रावधान है। (रू. 3.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 3.50 लाख कृषक का अंशदान) स्वयं के व्यय से या बैंक ऋण दोनो स्थितियों में अनुदान देय है।
3. तालाबों/टैंकों का पुनरूद्धार एवं एक्वाकल्चर – तालाबों एवं टैंकों के पुनरूद्धार के लिये रू. 3.50 लाख की सीमा में एवं इनपुटस के लिये रू. 1.50 लाख की सीमा में कुल रू. 5.00 लाख की सहायता दी जाती है। (रू. 2.50 लाख केन्द्रांश एवं 2.50 लाख कृषक अंशदान)
4. मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना – नवीन मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण हेतु रू. 25.00 लाख (रू. 12.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 12.50 लाख कृषक का अंशदान) की सहायता दी जाती है।
5. बर्फ संयंत्र की स्थापना – बर्फ संयंत्र की स्थापना के लिये रू. 11.00 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 5.50 लाख केन्द्रांश एवं रू. 5.50 कृषक का अंशदान)
6. आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स – आटो रिक्शा के साथ आईस बाक्स के लिये रू. 2.00 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 1.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 1.00 लाख कृषक का अंशदान)
7. मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स – मोटर साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.60 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 0.30 लाख केन्द्रांश एवं रू. 0.30 लाख कृषक का अंशदान)
8. साइकिल के साथ आइस बाक्स – साइकिल के साथ आइस बाक्स हेतु रू. 0.03 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 0.015 लाख केन्द्रांश एवं रू. 0. 015 लाख कृषक का अंशदान)
9. फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना – फुटकर मत्स्य विक्रय दुकान की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख प्रति ईकाइ की सहायता दी जाती है। (रू. 5.00 लाख केन्द्रांश एवं रू. 5.00 लाख कृषक अंशदान/महासंघ)

10. मछुआरों का दुर्घटना बीमा – मछली पालन का कार्य करने वाले 18–70 वर्ष के मत्स्यजीवीयों का शत्–प्रतिशत् अनुदान पर दुर्घटना बीमा की जाता है। (रू. 10.17 केन्द्रांश एवं रू. 10.17 राज्यांश, कुल रू. 20.34 प्रति कृषक) दुर्घटना में मृत्यु/स्थाई विकलांगता होने पर रू. 2.00 लाख एवं अस्थाई अपगता पर रू. 1.00 लाख की सहायता दी जाती है।

11. बचत सह राहत – बंद ऋतु में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के कारण रोजगार से वंचित मछुवारों को तीन माह तक रू. 1500 प्रति माह की सहायता दी जाती है। इस के तहत हितग्राही से 8 माह अंशदान से रूपये 1500 एवं केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50:50 में रू. 3000 कुल 4500 रू. बैंक में जमाकर हितग्राही सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में रू. 28.032 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध रू. 28.03 लाख का व्यय कर 799 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया।

4.7 संस्कृति विभाग –

विभाग द्वारा पुरखौती मुक्तांगन पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत कार्य किया गया। पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय राज्य का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है जो नया रायपुर के 200 एकड़ क्षेत्र में जन जाति उपयोजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। राज्य के पारंपरिक जनजाति शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति, संस्कृति, कला शिल्प, प्राकृतिक संरचना, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण जैव विविधता को प्रदर्शित करते हुये विकास कार्य संपन्न कराये जा रहें हैं। पुरखौती मुक्तांगन में लोक जनजाति के शिल्प निर्माण कार्यशालाओं में पुरातन और नवाचार के अनेक उपदानों को संकलित किया गया है जिससे छत्तीसगढ़ के पुरखों के विविध कालखण्डो को जीवन मूल्य की विरासत को एक ही स्थान में देखा और समझा जा सकता है। वर्ष 2015–16 में बजट राशि रू. 485.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 425.17 लाख का व्यय किया गया है, जो 88% के लगभग है, जिसमें बस्तर संभाग के आदिवासी कलाकारों द्वारा मृदा शिल्प, काष्ट शिल्प, लौह शिल्प, गड़वा शिल्प का निर्माण, धुरवा गृह निर्माण, माड़िया गृह निर्माण, मारिया गृह निर्माण, घोटूल गृह का निर्माण, अबुझमाड़िया गृह का निर्माण, बस्तर के पुरातन संरचना (नारायण पाल मंदिर) निर्माण, ढोल काल गणेश (पहाड़, स्थानीय वनस्पति के समान पर्यावरण संरचना भवन) का निर्माण, बस्तर के जंगल, पहाड़, स्थानीय वनस्पति के समान पर्यावरण संरचना (ऊचांई 25 फिट, 4000 वर्ग मीटर) का निर्माण, जगदलपुर के प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर का आकर्षक प्रवेश

द्वार का निर्माण, आदिवासी युक्त प्रदर्शनी शिल्प का निर्माण, बस्तर में दशहरा रथ की मृदा में अंकित चित्र का कहानी का प्रदर्शन स्थल (गोल घर) का निर्माण किया गया है।

राज्य की संस्कृति, परंपरा, पुरातत्व, पर्यावरण और जीव–सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करने हेतु पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और राज्य के पारंपरिक शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान करने का संकल्प जीवन्त हुआ। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम– उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर आकार ग्रहण कर रहा है।

लगभग 200 एकड़ में परिक्षेत्र में फैला पुरखौती मुक्तांगन शैक्षणिक केन्द्र होगा जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कलाशिल्प, प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक परिदृष्य, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रदर्शित करने हेतु विकास कार्य संपन्न कराये जा रहें हैं।

4.8 गृह विभाग (पुलिस)

01. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये कई विधायी सुरक्षा के उपाय किए गए है। राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न के त्वरित निवारण करने के लिये पुलिस मुख्यालय में अजाक शाखा कार्यरत् है, यह शाखा अति0 पुलिस महानिदेशक/पुलिस उप महानिरीक्षक के नियंत्रण में है।
02. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों के विचारण के लिये क्रमशः जिला– रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सरगुजा, जशपुर एवं जगदलपुर में विशेष न्यायालयों तथा शेष अन्य जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालयों के द्वारा अजाक से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।
03. राज्य में 13 अजाक थाने क्रमशः जिला रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर–चांपा, सूरजपुर, एवं कोरबा में तथा शेष अन्य 14 जिलों में क्रमशः धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, कोरिया, जशुपर, बलरामपुर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा एवं कांकेर में अजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है। प्रत्येक अजाक थाना एवं

प्रकोष्ठ उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना की जा रही है।

04. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिये शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किए गए है।

05. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21 में किये गये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियम– 15, 16 के अंतर्गत की गई है।

06. पुलिस द्वारा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक/सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 तथा संशोधित नियम– 15, 16 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृत हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते है। अनुसूचित जाति/जनजाति पीड़ितो के लिये पुलिस मुख्यालय में हेल्पलाईन टोलफ्री नंबर 1036 स्थापित है। मूल अधिनियम में संशोधन अनुसार लागू अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2015 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। तथा राज्य शासन द्वारा अगस्त 2016 में जारी अधिसूचना अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पीड़ितों/आश्रितों को राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है।

4.9 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागः–

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयान कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्यपर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप–तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है।

1. <u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली</u> :– राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 127 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 12 हजार 348 उचित मूल्य दुकानों के जरिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह 58.50 लाख राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

<u>उचित मूल्य दुकान</u> –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 12 हजार 348 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,510 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,222 दुकान, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 3,427 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 151 तथा नगरीय निकाय द्वारा 38 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण मार्च, 2012 से कोरपीडीएस के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, किन्तु राज्य की सभी दुकानों में टैबलेट के जरिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य अगस्त, 2015 से किया जा रहा है । राज्य में उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण एंड्रायड आधारित टैबलेट के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 12 हजार 58 अर्थात 99 प्रतिशत राशन दुकानों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है और अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 3 माह में बची हुई राशन दुकानों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

खाद्य अधिकार पुस्तिका (राशनकार्ड) –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 58.50 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इनमें से 14 लाख 88 हजार 898 अन्त्योदय गुलाबी राशनकार्ड, 42 लाख, 84 हजार 767 प्राथमिकता राशनकार्ड, 61 हजार 071 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 7 हजार 958 अन्नपूर्णा गुलाबी राशनकार्ड तथा 8 हजार 111 निःशक्तजन हरा राशनकार्ड कुल 58 लाख 50 हजार 805 राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डो में पात्रता अनुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है।

2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए 84 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 2.14 करोड़ लोगों को न्यूनतम 7 किलो प्रति सदस्य के मान से चावल वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रतिकिलो है जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के जरिए अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.50 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रतिकिलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है। राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है –

अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां निम्नानुसार है :–

(1) अन्त्योदय परिवार, (2) प्राथमिकता परिवार,

1. अन्त्योदय परिवार :–

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में अन्त्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवारों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जो विशेष कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों । विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह में शामिल हैं– केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, मुखिया लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मुखिया निःशक्त व्यक्ति हैं, मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के है और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नही है, मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जावे। वर्तमान में अन्त्योदय श्रेणी के कुल 14.88 लाख राशनकार्ड हैं।

2. प्राथमिकता वाले परिवार :–

इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन उनकी पात्रता की सीमा तक समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार, ऐसे परिवार जिसके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा समस्त परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उन्हे प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्तमान में प्राथमिकता श्रेणी के कुल 42.84 लाख राशनकार्ड हैं।

3. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :–

इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में अप्रैल 2007 से किया जा रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रतिमाह 1.03 लाख टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है जबकि राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह 1.53 लाख टन चावल का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिमाह 50 हजार टन चावल का वितरण राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है।

4. अन्त्योदय अन्न योजना :–

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है । राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह 7,18,900 हितग्राहियों हेतु केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का स्थायी आबंटन

प्राप्त हो रहा है एवं राज्य के 7.69 लाख अतिरिक्त जारी अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु चावल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.88 लाख राशनकार्ड प्रचलित है ।

5. <u>रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना</u> :–

इस योजना में राज्य के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.50 लाख परिवारों को अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में निःशुल्क प्रतिमाह 1 किलो रिफाईन्ड आयोडाईज्ड नमक प्रति कार्ड वितरित किया जा रहा है तथा इसके वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन से विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ मिला है एवं घेंघा रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिली है।

6. <u>अन्त्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय</u> :–

जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों के 24.01 लाख अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है । चना वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन को किया जाता है ।

7. <u>अन्नपूर्णा योजना</u> :–

भारत सरकार की यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनांतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है । छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों को स्पेशल अन्त्योदय राशनकार्ड जारी किया गया है । स्पेशल अन्त्योदय राशनकार्ड में हितग्राहियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क तथा 25 किलो चावल 1 रूपए प्रति किलो की दर से प्राप्त करने की पात्रता है । प्रदेश में इस योजना से लाभाविन्त होने वाले हितग्राही कार्डधारियों की संख्या 7,958 है ।

4.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :–

छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जिसके 10 से ज्यादा जिले आदिवासी क्षेत्र हैं। यह ध्यान में रखते हुए ही समस्त योजनाएं तैयार की जाती है। योजनाओं के सभी घटक विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या पर केन्द्रित होती है। इसके अतिरिक्त पी.आई.पी.

में विशेष आदिवासी योजनाएं बनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में हाट बाजारों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सी.आर.एम.सी. की सुविधा बढाई गई है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कर्मचारी प्रेरित हो। कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ की गतिविधियों में आरक्षण का प्रावधान है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास :–

आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के भोजन दर में वृद्धि करते हुए रू 60/– से 100/– किया गया ।आदिवासी क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों के भोजन दर में वृद्धि करते हुए रू 60/– से 100/– किया गया । आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालय में ई–हास्पिटल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रू 10.00 लाख का प्रावधान किया गया था। आदिवासी क्षेत्र के जिला चिकित्सालय में सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु रू 190.00 लाख का प्रावधान किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों के जिला चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट स्वीकृत किया गया है।प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया । समस्त आदिवासी जिलों में दवा गोदाम की स्वीकृति दी गई।

आदिवासी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोलर हैंड पंप स्वीकृत किया गया।

समस्त जिलों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 नये ब्लड बैंक स्वीकृत किया गया। जिसमें चिकित्सा अधिकारी तथा लैब टैक्निशियन के पदों का सृजन किया गया है।

आदिवासी जिलों में निरंतर बिजली सप्लाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

पोषण पुनर्वास केन्द्र :–

राज्य में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

कम उम्र के बच्चों में रोग एवं मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक गंभीर कुपोषण है। राज्य सरकार के द्वारा इस ओर पहल किया गया है एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण पुनर्वास केन्द्र संस्थानों को मापन किया जा रहा है, जहां कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भर्ती एवं देखरेख की जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नये कदमः–

- आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
- आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं मच्छरदानी हेतु राज्य बजट संसाधनों से प्रावधान।
- आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष 30 वाहन चिकित्सा स्टॉफ युक्त चलित चिकित्सा इकाई का आरंभ।
- आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के इलाज एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 20 स्वीकृत पोषण पुनर्वास केन्द्र में से 18 नये पोषण पुनर्वास केन्द्र।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये कदम :–

स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी चिकित्सा प्रदाता के समान सुविधा जैसे विशेषज्ञ सेवा एवं रोग निदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप) नीति को स्वीकृति दी गई। राज्य में संस्थागत प्रसव नवजातों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बीमार बच्चें एवं गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने हेतु एक समर्पित एंबुलेंस (102 सेवा) सेवा प्रारंभ किया गया है।

कॉल आधारित सेवा देने के लिए 104 परामर्श सहायता सेवा प्रारंभ किया गया है।

108 संजीवनी एक्सप्रेस इमरजेंसी सर्विसेज योजना के अंतर्गत 36 एम्बुलेंस की शुरूआत की गई। जिसमें गंभीर मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।

सरकारी संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने एवं नवजातों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजातों को विशेष सामान जैसे– ब्लैंकेट, कपड़े, चादर, छोटे मच्छर दानी इत्यादि प्रदान किये जा रहे हैं।

समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष डॉक्टर, डेन्टिस्ट, एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू की एक समर्पित टीम के द्वारा किया जाता है।

मुख स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सभी ब्लाकों में डेन्टिस्ट सेवा दिया जाना है।

संक्रामक रोगों की रोकथाम :–

राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डायरिया, पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अंतर्गत कुओं, हैंण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन–रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 27 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्क्ररों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजनाः–

जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना अंतर्गत जिला नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम संचालित है। जिसे राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य मितानिन योजनाः– राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में है कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहूचना कठिन है, राज्य में 5186 उप स्वास्थ्य केन्द्र है, स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरूआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे, बुढ़े, महिला, पुरूष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 69,900 से भी अधिक मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

विभाग अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैं :–

क्र	संस्था (संख्या)	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

विभाग को वर्ष 2016–17 में राशि रू 119728.71 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू 95880. 57 लाख का व्यय किया गया।

क्रं	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय राशि (लाख में)	लाभान्वित संख्या
1	2	3	5	6
1	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	135.95	91.58	
2	छत्तीसगढ इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉस सर्विस	2000.00	2000.00	
3	जिला चिकित्सालय का उन्नयन	9120.03	6986.01	
4	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	3000.00	3000.00	15 लाख एपीएल परिवार
5	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	160.00	64.00	
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	12500.00	10664.93	42 लाख एपीएल परिवार
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	86.00	86.00	69900 मितानिन प्रशिक्षण
8	जीवनज्योति चलित औषधालय की स्था.	176.75	160.36	
9	राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	47500.00	34939.15	
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	7755.81	7557.33	
11	उप स्वास्थ्य केन्दों की स्थापना	3737.10	3737.10	
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुलभूत सेवायें)	12634.99	10813.22	
13	शीत ज्वर	1850.60	746.42	
14	छत्तीसगढ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान	2000.00	1855.00	3542 हितग्राही
15	टी.बी. के रोकथाम हेतु	720.00	720.00	
16	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	2.00	00.00	

चिकित्सा शिक्षा

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के विभागीय दायित्वः—

क/ चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसाय का प्रबंधन तथा नियंत्रण।

ख/ परिचर्या शिक्षा, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय का प्रबंधन तथा नियंत्रण ।

ग/ शासकीय कर्मचारियों को राज्य के बाहर चिकित्सा सहायता तथा उपचार से संबंधित विषय।

घ/ निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय खोलने के संबंध में कार्यवाही ।

च/ ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनका विभाग से सम्बन्ध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) ।

विभागीय संरचनाः—

राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास,विस्तार एवं प्रशासनिक नियंत्राण हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में संचालक चिकित्सा शिक्षा की पृथक से स्थापना की गयी है । संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की विभागीय संरचना निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	अद्यतन स्थिति
1	संचालक	01	प्रभारी संचालक पूर्ण कालिक
2	अतिरिक्त संचालक	01	रिक्त
3	संयुक्त संचालक	01	01 संविदा पर कार्यरत
4	उपसंचालक	02	अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत
5	सहायक संचालक	04	02 कार्यरत् 02 रिक्त
6	सांख्यिकी अधिकारी	01	01 रिक्त
7	सहायक संचालक वित्त	01	कार्यरत
8	अन्य	47	(19 कार्यरत एवं 28 रिक्त)
	योग	58	कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध 23 कार्यरत् तथा 35 पद रिक्त हैं।

अधीनस्थ कार्यालय / संस्थायें :–

चिकित्सा शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को मूर्त रूप देने हेतु निम्न संस्थायें संचालित हैं:–

क्र.	संस्था का नाम	कार्यालय प्रमुख
1	पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	अधिष्ठाता
2	डॉ0 भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
3	क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रायपुर	अधीक्षक
4	स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	अधिष्ठाता
5	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
6	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर	अधिष्ठाता
7	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) संबंद्व चिकित्सालय बिलासपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
8	स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़	अधिष्ठाता
9	स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मति चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय रायगढ़	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
10	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	अधिष्ठाता
11	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
12	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर	अधिष्ठाता
13	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
14	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	प्राचार्य
15	शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर	प्राचार्य
16	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर	प्राचार्य
17	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बिलासपुर	प्राचार्य
18	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर	प्राचार्य
19	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़	प्राचार्य
20	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर	प्राचार्य
21	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कबीरधाम	प्राचार्य
22	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय राजनांदगांव	प्राचार्य
23	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दुर्ग	प्राचार्य
24	पैरामेडिकल कौंसिल	रजिस्ट्रार / पाठ्यक्रम संचालक

इसके अतिरिक्त प्रदेश में निम्नलिखित निजी संस्थायें संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध हैं :–

क्र.	संस्था का नाम
	निजी चिकित्सा महाविद्यालय
01	चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग
02	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई
03	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर
	निजी दंत महाविद्यालय
01	छत्तीसगढ़ दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव
02	मैत्री डेंटल कालेज अंजोरा दुर्ग
03	न्यू होराईजन डेंटल कालेज बिलासपुर
04	रूंगटा डेंटल कालेज भिलाई दुर्ग
05	त्रिवेणी डेंटल कालेज बोदरी बिलासपुर

निजी नर्सिंग महाविद्यालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम
01	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम– रामपुर, कुम्हारी जिला– दुर्ग (छ.ग.)
02	होली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.)
03	श्रेयस कॉलेज ऑफ नर्सिंग,श्रेयस मेडिकल सेंटर, शिवनाथ कॉम्पलेक्स, जी.ई. रोड़ सुपेला, भिलाई
04	कॉलेज ऑफ नर्सिंग,धमतरी क्रिश्चन हॉस्पीटल, धमतरी छ.ग. 493773
05	मैत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड़ अंजोरा, दुर्ग
06	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम बेलभाठा, अभनपुर, जिला– रायपुर
07	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग,अमड़ी नगर, हुडको भिलाई, जिला– दुर्ग
08	चंदुजाल चंद्राकर नर्सिंग इंस्टीट्यूट नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड़ भिलाई
09	कंफ्यूलेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पर्री रोड़, राजनांदगांव .
10	सी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बजाज कालोनी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
11	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेटनरी कॉलेज के पास अंजोरा, दुर्ग
12	आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग,मुर्रा रोड़ रायपुर
13	सेन्ट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोपेडिह रोड़, देवादा, राजनांदगांव
14	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जामुल भिलाई, मेन रोड़ राधिका नगर दुर्ग
15	कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडूका, पोस्ट–दर्री, पेंड्रा रोड़, जिला– बिलासपुर
16	एम. जे. कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहका जुनवानी रोड़, सुपेला भिलाई
17	महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आशीष भवन, कोटा स्टेडियम, रायपुर
18	बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरसी, दुर्ग
19	मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चोपड़ापारा, रिंग रोड़, अंबिकापुर, दुर्ग
20	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट,सीनियर एमआईजी 14, 15 हॉउसिंग बोर्ड कालोनी बाधधाट, जगदलपुर
21	बोधनी देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट अडवाल जगदलपुर, बस्तर
22	श्री चंद्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पुष्पक नगर , मोतीलाल नेहरू, भिलाई
23	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम– रिसाली, भिलाई

24	ओरियेंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिलासपुर रोड़, कटघोरा, जिला –कोरबा
25	आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ नर्सिंग छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर
26	पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जं.एल.एन. हॉस्पीटल, स्ट्रीट नं. 5, हॉस्पीटल सेक्टर, भिलाई, दुर्ग
27	कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोलो हॉस्पीटल, लिंगियाडीह सीपत रोड़,बिलासपुर
28	छ.ग. कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिसाली, धनोरा दुर्ग
29	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड़ टेरेसरा, अंजोरा, राजनांदगांव
30	सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर, जिला जेल राजगमर रोड़, कोरबा
31	क्राइस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गीदम रोड, राजेन्द्र नगर, जगदलपुर, बस्तर
32	जगदगुरू शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग , मुजगहन सेजबहार, जिला– रायपुर
33	शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जुनवानी स्मृति नगर भिलाई
34	सी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रामा आर्केड व्यापार विहार आई. सी.आई. बैंक के पास बिलासपुर
35	आदेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट, बरदेभाठा कांकेर
36	संदीपनी एकेडमी ग्राम अछोटी पोस्ट गोडी तालुका धमधा, जिला– दुर्ग
37	सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग परशुराम भवन लिंक रोड़, जांजगीर–चांपा
38	वी.एम कॉलेज ऑफ नर्सिंग ज्ञानोदय एसोशिएशन बिश्रामपुर सरगुजा
39	व्ही. केयर नर्सिंग कॉलेज, तिवारी बिल्डिंग केदारपुर, अंबिकापुर
40	श्री रावतपुरा सरार इंस्टट्यूट ऑफ नर्सिंग, धनेली माना रोड़, रायपुर
41	के.बी. पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गोदरीपारा, चिरमिरी मनेन्द्रगढ़
42	फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग तुलसी रत्नाबांधा रोड़ सिविल लाईन, धमतरी
43	पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मदनपुर एम.जी. रोड, शिफाली अंबिकापुर, सरगुजा
44	मार्गदर्शन संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैकुंठपुर कोरिया
45	संदीपनी एकादमी मधुबन रोड़, दयालबंध, बिलासपुर
46	रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मुक्तांगन के पास नया रायपुर
47	सूर्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट गुरू तेग बहादुर, श्री गुरू सिंग सभा, गुरूद्वारा कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़, रेल्वे स्टेशन के पास, महासमुन्द
48	प्रतीभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग दलदल सिवनी मार्ग, विधान सभा रोड़, रायपुर
49	गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कुदली रोड़, दंतेवाड़ा
50	कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गाम– टेकरी विधान सभा के पास, रायपुर
51	हार्दिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पुराना आरडीए बिल्डिंग देवपुरी धमतरी रोड़ रायपुर
52	सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गीदम रोड़, जगदलपुर, बस्तर
53	रिलांयस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रत्नबांधा, बस्तर रोड़ धमतरी
54	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, गुरूनानक मार्केट मेनरोड़ दल्लीराजहरा, बालोद
55	जे.ई.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग गतौरा रेल्वे स्टेशन ग्राम फरहदा, बिलासपुर
56	बिलासा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मिशन हॉस्पीटल चाटापारा बिलासपुर
57	स्कोप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कांगेर वेली स्कूल के पास, डूमरतालाब, रायपुर
58	श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एकता चौक , दुबे कॉलोनी, मोवा रायपुर
59	जगदलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आजाद चौक भवना ज्वेलर्स, संजय मार्केट, जगदपुर
60	मारूति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सी.सी.चर्च केपास मेन रोड दल्लीराजहरा, जिला– बालोद
61	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सत्य विहार, विधान सभा चुदखुरी मार्ग, पचेडा आरंग, रायपुर
62	सुयश कॉलेज ऑफ नर्सिंग डुमरतालाब आमापारा पुलिस स्टेशन रायपुर
63	शिवम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पंजाब नेशनल बैंक फारेस्ट नाका रायपुर

64	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एम.एम.आई. लालपुर, रायपुर
65	कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिटी हॉस्पीटल के पास रायपुर
66	कोण्डागांव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोण्डागांव
67	ए.के. कॉलेज ऑफ नर्सिंग मनेन्द्रगढ़, जिला– कोरिया
68	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कोरबा
69	वेदांती विद्या नर्सिंग इंस्टीट्यूट बेमेतरा
70	इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च सेन्टर, सुरजपुर
71	आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, रधुनाथ पुर सरगुजा
72	आयुष कॉलेज ऑफ नर्सिग, बिलासपुर
73	बीरेन्द्र दीपक कॉलेज ऑफ नर्सिंग गरियाबंद
74	लवकुश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिग पत्थलगांव, जशपुर
75	लवकुश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिग, कोण्डागांव

_सत्र 2016 से जी.एन.एम (जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी) पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया एवं संचालन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर के अधीन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली से जारी सूची अनुसार 06 शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र एवं 66 निजी जनरल प्रशिक्षण केंद्र संचालित है।

क्र0	संस्था का नाम
1	ए.के. स्कूल ऑफ नर्सिंग, अंबिकापुर ,कोरिया
2	आदर्श नर्सिंग इंस्टीटयूट, मुरा रोड दतरेंगा, रायपुर
3	आसरा इंस्टीटयूट अंबिकापुर , सरगुजा
4	आदेश्वर नर्सिंग इस्टीटयूट जगदलपुर
5	ओदश्वर नसिंग इंस्टीटयूट, कांकेर
6	अपोलो कॉलेज ऑफन नर्सिंग कांकेर
7	अपोलो कॉलेज ऑफन नर्सिंग ,अंजोरा दुर्ग
8	अपार इंस्टीटयूट , कुंनकुरी जशपुर
9	अशरफी देवी इस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, बलरामपुर
10	भारत इंस्ट्टियूट ऑफ नर्सिंग , दल्लीराजहरा, बालोद
11	बिलासा इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, चाटापारा, बिलासपुर
12	बिरेंद्र दीपक कॉलेज ऑफ नर्सिंग , राजिम जामगांव, गरियाबंद
13	सी.जी. इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
14	सी.जी. इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, राजेन्द्र नगर, रायपुर
15	सी.जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, राजेन्द्र नगर, रायपुर
16	सी.जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
17	केरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रायगढ़
18	सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजनांदगांव
19	चंदुलाल चंद्राकर ममोरियल हॉस्पिटल, दुर्ग
20	छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑॅफ नर्सिंग सरगुजा
21	क्रिश्चियन हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
22	सिटी नर्सिंग स्कूल कोटरा रोड, रायगढ़
23	धमतरी क्रिश्चयन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी
24	दिशा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईंस सत्य विहार, रायपुर
25	डिवाईन इंस्टीटयूट ऑफ नसिंग, बलरामपुर,

26	फंलोशिप स्कूल ऑफ नर्सिंग, महासमुंद
27	गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दंतेवाडा
28	गायत्री इस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग , जगदलपुर, बस्तर
29	जी.एन.एम टेनिग सेंटर जिला अस्पताल,दंतेवाडा
30	जी.एन.एम टेनिग सेंटर जिला अस्पताल,स्कूल ऑफ नर्सिंग दुर्ग
31	शासकीय जीएनएम टेर्निग सेंटर, शासकीय कोमल देवी जिला अस्पतला, कांकेर
32	शासकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग , महासमुदं
33	ग्रेसियस स्कूल ऑफ नर्सिंग, बचपन कैंपस, कबीरधाम
34	ग्रेसियस स्कूल ऑफ नर्सिंग, सुंदर नगर, रायपुर
35	इंस्टीटयूट ऑफ जनरल नसिंग टेर्निग सेंटर, अंबिकापुर, सरगुजा
36	इंस्टीटयूट ऑफ जनरल नसिंग टेर्निग सेंटर, सूरजपुर
37	जे.एम.जे. मार्निंग स्टार स्कूल ऑफ नर्सिंग, रायगढ़
38	जगदगुरू शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेजबहार,रायपुर
39	जगदलपुर इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग आदेश्वर अकेडमी कैंपस, बस्तर
40	जन स्वास्थ्य सहयोग स्कूल ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर
41	के.बी. पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग , चिरमिरी, कोरिया
42	कालिंदी इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग साईंस, राजापारा, कांकेर
43	कोंडागांव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उमरकोट रोड, कोंडागांव,बस्तर
44	लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग , सीतापुर, सरगुजा
45	एम.जे. कालज ऑफ नर्सिंग, कोहका, जुनवानी भिलाई, दुर्ग
46	मा मंगला, जीएनएम ट्रेर्निग सेंटर, धमतरी रोड, रायपुर
47	माही नर्सिंग इंस्टीटयूट, मोहाली, धमतरी
48	मार्डन मेडिकल इंस्टीटयूट स्कूल ऑफ नर्सिंग धमतरी रोड, लालपुर
49	मदर टेरिसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग , श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशन, कुम्हारी, दुर्ग
50	न्यू लाईफ इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग बैंकुठपुर, कोरिया
51	ओरियंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोरबा
52	पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई दुर्ग
53	प्रतिभा इंस्टीटयूट ऑफ नसिंग सेक्टर–01 शंकर नगर, रायपुर
54	रजवाडा इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग वार्ड न0 05, बैकुंठपुर, कोरिया
55	रामकुष्णा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साईंस 58–59, सुंदर नगर, रायपुर
56	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग , जी.ई रोड, राजनांदगांव
57	रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग , माडल टाउन, नेहरू नगर, भिलाई, दुर्ग
58	रविशंकर इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग , नया रायपुर
59	संदीपनी एकेडमी, जांजगीर रोड बिलासपुर
60	संदीपनी एकेडमी, ग्राम अछोटी, धमधा, दुर्ग
61	स्कूल ऑफ नर्सिंग होली क्रॉस हास्पिटल कुनकुरी
62	स्कूल ऑफ नर्सिंग, महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर, बस्तर
63	शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गरियाबंद
64	श्रेयस नसिंग स्कूल, श्रेयस शिक्षण संस्थान, सुपेला भिलाई, दुर्ग
65	श्री बालाजी इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, एकता चौक, दुबे कालोनी, रायपुर
66	श्री चंद्रा नर्सिंग इंस्टीटयूट वार्ड न0 60, पुस्पक नगर, दुर्ग
67	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग , धरसींवा रायपुर
68	श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग , आमदी नगर, हुडको भिलाई, दुर्ग
69	श्री सिद्धा बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग बंसी लाल भवन , मताले गली, शांति नगर, राजनांदगांव
70	सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, परशुराम भवन, जांजगीर चांपा

71	ईवेंजीकल मिशन अस्पताल, तिल्दा, रायपुर
72	वी.एम. कालेज ऑफ नर्सिंग, जांजगीर, विश्रामपुर, सुरजपुर

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

शैक्षणिक :–

क/ छत्तीसगढ राज्य में वर्तमान में छः शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अध्ययनरत चिकित्सा छात्रों को सम्बद्ध चिकित्सालयों में विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

ख/ एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 150 सीट्स छत्तीसगढ़ आर्युविज्ञान संस्थान, बिलासपुर में 150 सीट, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में 100 सीट, स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 50 सीट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालाय, राजनांदगांव में 100 सीट, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में 100 एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की 100 सीट हैं । चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 71 सीट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 21 सीट्स कुल 92 सीट है। सिम्स बिलासपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 05 सीट उपलब्ध है तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर के स्त्री एवं प्रसूती रोग विभाग में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम में 02 सीट उपलब्ध है।

ग/ प्रदेश में 01 शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीट का है तथा 08 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, जिसमें रायपुर में 50 सीट, बिलासपुर में 60 सीट, जगदलपुर में 60 सीट, अंबिकापुर में 40 सीट, कर्वधा में 40 सीट, रायगढ़ में 40 सीट, दुर्ग में 50 सीट तथा राजनांदगांव में 30 सीट है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमएससी नर्सिंग कोर्स संचालित किये जा रहें हैं। इस हेतु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर में 25 सीट उपलब्ध है। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर में सत्र 2014–15 से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की 20 सीट उपलब्ध है एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग की 10 सीटे उपलब्ध है।

तालिका–A

महाविद्यालय का नाम	कुल सीट	अखिल भारतीय कोटा सीट	भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित	एन.एम.डी.सी.	राज्य कोटा	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष) रूपयों में
पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (UG Seats)	150	22	04	00	124	50000/–
(PG Seats)	92	46	00	00	46	22000/–
चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	100	15	03	05	77	50000/–
(DNB Seats)	02	00	00	00	02	38100/–
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर	150	22	04	00	124	50000/–
(PG Seats)	05	02	00	00	03	22000/–
स्व0 श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ	50	07	01	00	41	50000/–
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	100	15	03	00	82	50000/–
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर	100	15	03	00	82	50000/–
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	100	15	03	–	82	20500/–
शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय रायपुर	50	–	–	–	50	15800/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर	50	–	–	–	50	20000/–
(PG Seats)	25	00	00	00	25	35000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	60	–	–	–	60	20000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	60	–	–	–	60	20000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अंबिकापुर	40	–	–	–	40	20000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़	40	–	–	–	40	20000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कवर्धा	40	–	–	–	40	20000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग	50	–	–	–	50	20000/–
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, राजनांदगांव	50	–	–	–	50	20000/–

तालिका – B

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				150
अखिल भारतीय कोटा सीट				22
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				4
राज्य कोटे की सीटे				124
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	52	40	17	15
बिना संवर्ग	29	24	9	9
महिला	16	12	5	5
सैनिक	2	1	1	0
दिव्यांग	3	2	1	1
स्व.सं.से.	2	1	1	0

तालिका– C

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका– D

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				150
अखिल भारतीय कोटा सीट				22
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				4
राज्य कोटे की सीटे				124
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	52	40	17	15
बिना संवर्ग	29	24	9	9
महिला	16	12	5	5
सैनिक	2	1	1	0
दिव्यांग	3	2	1	1
स्व.सं.से.	2	1	1	0

तालिका– E

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				50
अखिल भारतीय कोटा सीट				7
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				1
राज्य कोटे की सीटे				42
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	18	13	6	5
बिना संवर्ग	10	8	4	3
महिला	5	4	2	2
सैनिक	1	0	0	0
दिव्यांग	1	1	0	0
स्व.सं.से.	1	0	0	0

तालिका– F

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका– F-1

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका– F-2

निजी चिकित्सा महाविद्यालय

चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (150) / रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांईसेस, रायपुर (150)/श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, भिलाई (150) में उपलब्ध सीटों का आरक्षणवार विवरण –

कुल सीटों की संख्या				150
प्रबंधन नियतांश कोटा				64
एनआरआई कोटा सीट				23
राज्य कोटे की सीटे				63
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	26	20	9	8
बिना संवर्ग	14	11	5	6
महिला	8	6	3	2
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	1	1	0
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका–G

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में उपलब्ध सीजी पीएमटी सीटों का आरक्षण अनुसार विवरण

कुल सीटों की संख्या				100
अखिल भारतीय कोटा सीट				15
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				3
राज्य कोटे की सीटे				82
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	34	26	12	10
बिना संवर्ग	20	14	7	6
महिला	10	8	4	3
सैनिक	1	1	0	0
दिव्यांग	2	2	1	1
स्व.सं.से.	1	1	0	0

तालिका–H

शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

कुल सीटों की संख्या				50
अखिल भारतीय कोटा सीट				7
भारत सरकार द्वारा नामित कोटा सीट				1
राज्य कोटे की सीटे				42
	अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
कुल सीटे	21	16	07	06
बिना संवर्ग	11	12	05	04
महिला	07	04	02	02
सैनिक	01	0	0	0
दिव्यांग	01	0	0	0
स्व.सं.से.	01	0	0	0

तालिका–I

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर में 50 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	18	01	01	01	21
2 अनुसूचित जाति	06	00	00	00	06
3 अनुसूचित जन जाति	16	00	00	00	16
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	07	00	00	00	07
	47	01	01	01	50

तालिका–J

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में 60 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	22	01	01	01	25
2 अनुसूचित जाति	07	00	00	00	07
3 अनुसूचित जन जाति	16	01	01	01	19
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	09	00	00	00	09
	54	02	02	02	60

तालिका–K

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जगदलपुर में 60 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	22	01	01	01	25
2 अनुसूचित जाति	07	00	00	00	07
3 अनुसूचित जन जाति	16	01	01	01	19
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	09	00	00	00	09
	54	02	02	02	60

तालिका–L

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर में 40 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग

1 अनारक्षित	14	01	01	01	17
2 अनुसूचित जाति	05	00	00	00	05
3 अनुसूचित जन जाति	13	00	00	00	13
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	05	00	00	00	05
	37	01	01	01	40

तालिका–M

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, कर्वधा में 40 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	14	01	01	01	17
2 अनुसूचित जाति	05	00	00	00	05
3 अनुसूचित जन जाति	13	00	00	00	13
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	05	00	00	00	05
	37	01	01	01	40

तालिका–N

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायगढ़ में 40 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	14	01	01	01	17
2 अनुसूचित जाति	05	00	00	00	05
3 अनुसूचित जन जाति	13	00	00	00	13
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	05	00	00	00	05
	37	01	01	01	40

तालिका–O

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग में 50 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	18	01	01	01	21
2 अनुसूचित जाति	06	00	00	00	06
3 अनुसूचित जन जाति	16	00	00	00	16
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	07	00	00	00	07
	47	01	01	01	50

तालिका–P

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, राजनांदगांव में 30 सीटों का श्रेणी /संवर्गवार विवरण

क. श्रेणी	महिला	सैनिक	स्व0सं0से0	दिव्यांग	योग
1 अनारक्षित	12	00	00	00	12
2 अनुसूचित जाति	04	00	00	00	04
3 अनुसूचित जन जाति	08	00	00	00	08
4 अन्य पिछड़ा वर्ग	06	00	00	00	06
योग	30	00	00	00	30

ग/ चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 1085 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में 640 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में 470 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में 350 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में 380 बिस्तर, चिकित्सा महाविद्यालय

अंबिकापुर में 414 बिस्तर तथा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रायपुर में 64 शैय्याओं के चिकित्सालयों की व्यवस्था है।

घ/ संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कुल स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत्		रिक्त
		नियमित	संविदा	
प्रथम	956	272	333	351
द्वितीय	1295	88	446	761
तृतीय	4063	1490	126	2447
चतुर्थ	2670	844	53	1773
योग	8984	2694	958	5332

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धियां

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर–

- ❖ सत्र 2016–17 में अंबिकापुर में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (100 छात्र प्रवेश क्षमता) के साथ प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा की स्थापना हेतु ग्राम–हर्राटिकरा, गंगापुर, बिषमपुर, तहसील– अंबिकापुर स्थित शासकीय भूमि स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अग्रिम आधिपत्य दिया गया है। भवन निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 मे राशि रू. 10.00 करोड़ प्रस्तावित है तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत अस्पताल के उन्नयन हेतु रू. 19.50 करोड़ एवं कॉलेज हेतु रू0 5.00 करोड़ भवन निर्माण हेतु प्रावधानित किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर हेतु 282 पद तथा सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु 616 पदों के सृजन आदेश जारी किये गये हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय रायपुर –

- ❖ पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कैंसर मरीजों के समुचित ईलाज के लिए सीटी सीमुलेटर, आईसीयू यूनिट की स्थापना, लीनियर एक्सीलरेटर, रैपिड आक्र तथा आईजीआरटी मशीन स्थापित एवं कार्यरत् हैं।
- ❖ डॉ0 भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्ड एवं पेंसेंट केयर हेतु नवीन उच्च तकनीकी उपकरणए डी.एस.ए. मषीन, मेमोग्राफी मशीन, 128 स्लाईस सीटी स्केन, 3 टेसला एमआरआई, नेवीगेशन सिस्टम स्थापित एवं कार्यरत् है।

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 से सिम्स बिलासपुर की छात्र प्रवेश संख्या 100 से बढ़ाकर 150 छात्र प्रवेश क्षमता कर दी गई हैं।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पीएसएम विभाग में 01 सीट, फारेंसिक मेडिसीन विभाग मे 02 तथा वर्ष 2016–17 मे एनाटॉमी विभाग मे स्नातकोत्तर की 03 सीटों की अनुमति भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई है। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सतत् प्रयास जारी है।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में सत्र 2015–16 से 15 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेषित किया गया है इस हेतु Essentiality & Desirability Certificate शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति अपेक्षित है।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर के नवीन भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 03.10.2013 को किया गया था वर्तमान मे महाविद्यालय नवीन भवन मे संचालित है एवं संबद्ध चिकित्सालय का भवन निर्माण पूर्णता की ओर है। स्त्रीरोग विभाग में डीएनबी कोर्स प्रारंभ किया गया है। (02 Seats की मान्यता Diplomat National Board, New Delhi द्वारा प्राप्त हुए हैं।)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ तथा सम्बद्ध चिकित्सालय –

- चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, रायगढ़ अंतर्गत नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण पूर्णता की ओर है तथा बालक/बालिका छात्रावास भवन, नर्सिंग हॉस्टल, स्टॉफ क्वार्टर एवं आधुनिक उपकरणों सहित जिम भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित है। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों मे नवीन उपकरण स्थापना एवं सुविधा जिसमे Special Newborn Care Unit, X-ray Machine, Blood Bank equipment आदि संचालन मे है।

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर –

- ❖ शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर मे आगामी शिक्षण सत्र वर्ष 2017–18 से 06 विषयों मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु शासन द्वारा 20 शैक्षणिक पद सृजित किये गये हैं।

प्रदेश में निजी चिकित्सा महाविद्यालय –

- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 से चन्दूलाल चन्द्राकर एजुकेशन सोसायटी दुर्ग 150 सीटो सहित संचालित है।
- ❖ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 से प्रदेश मे दो नये चिकित्सा महाविद्यालय श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भिलाई एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर को 150 सीट प्रवेश क्षमता के साथ संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

- ❖ वर्ष 2017–18 की प्रस्तावित योजनायें –
- ❖ ट्रामा युनिट– केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 05 हास्पीटल मे ट्रामा यूनिट का उन्नयन किया जाना है इस हेतु निर्माण कार्य एवं उपकरण क्रय के लिये स्वीकृत राशि का 70 प्रतिषत भाग केंद्र सरकार तथा शेष 30 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है, जिसमे चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर एवं बिलासपुर के ट्रामा यूनिट हेतु केन्द्रीय भाग प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2016–17 मे रायपुर एवं बिलासपुर के ट्रामा यूनिट के प्रत्येक इकाई के लिये रू. 5.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ❖ डी.के.एस.पी.जी.आई एण्ड रिसर्च सेंटर (सुपरस्पेशियेलिटी हास्पीटल)– सुपरस्पेशियेलिटी हास्पीटल पुराने डी.के.एस. भवन मे स्थापित किये जाने की प्रक्रिया जारी है। हास्पीटल मे नेफ्रोलॉजी, न्यूरालॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, थोरेसिक सर्जरी एवं यूरालॉजी जैसे विषयों के सुपरस्पेशलिस्ट प्रशिक्षित चिकित्सको द्वारा राज्य की जनता को किडनी, न्यूरो एवं हार्ट तथा अन्य बीमारियों के चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। चिकित्सालय हेतु 419 पदों के सृजन आदेश जारी किये गये हैं। वर्ष 2017–18 मे चिकित्सालय हेतु रू. 75.49 करोड़ प्रस्तावित है साथ ही इसके अंतर्गत एम.एस.सी–60 सीट एव बी.एस.सी.–50 सीट के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है।

❖ राज्य केंसर संस्थान बिलासपुर– राज्य केंसर संस्थान, बिलासपुर केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत् स्थापित किये जाने की प्रकिया जारी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राशि रू. 10.00 करोड़ प्रावधानित है। वर्ष 2017–18 मे भी रू. 10.00 करोड़ प्रस्तावित है।

❖ मनेन्द्रगढ़ मे टर्शरी केंसर संस्थान की स्थापना– इस हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत रू. 10.00 करोड़ प्रस्तावित है।

4.11 जनशक्ति नियोजन विभाग

तकनीकी षिक्षा :–

1- प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./ एस.टी. छात्रों को संध्याकालिन विशेष कोचिंग का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में भारत सरकार द्वारा संचालित TEQIP-II परियोजना के अंतर्गत भी Academically weak Students हेतु विशेष कक्षाओं का प्रावधान है एवं योजनांतर्गत छात्रों को इसका लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्रस्तावति बजट राशि को पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु मांग के अनुरुप पुनःनियोजित कर अपेक्षाकृत मांग एवं व्यय में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

2- प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी छात्रों हेतु बुक बैंक योजना के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है। समस्त संस्थाओं में योजनांतर्गत प्रगति संतोषजनक है।

3- अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हो जाने से वेतन एवं भत्तों में व्यय में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 822 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें से चयन उपरान्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 96 एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कुल 445 शिक्षकों की पदस्थापना की जा चुकी है। विभिन्न संस्थाओं में अलिपिकीय पदों की भर्ती की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयास

से आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय के प्रतिशत में संतोषजनक वृद्धि होने की संभावना है।

4- केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य बजट के अंतर्गत प्रदेश में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य यथा– मशीन, यंत्र उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकें हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध व्यय में संतोषजनक प्रगति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में त्वरित रूप से संस्थाओं को राशि आबंटन किया गया है तथा समय सीमा में आबंटित राशि के उपयोग की शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर से सतत् निगरानी की जा रही है।

5- केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत संचालित 11 नवीन शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध वित्तीय वर्ष में व्यय की प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि 07 शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर, कोरिया, जशपुर, नारायणपुर, बीजापुर, रामानुजगंज एवं बिलासपुर में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। शेष 04 शासकीय पॉलीटेक्निक, रायपुर, बस्तर, कोण्डागांव, सूरजपुर में जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रुपये 1400.00 लाख (रुपये चौदह करोड़ मात्र) बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रुपये 1385.45 लाख (रुपये तेरह करोड़ पच्यासी लाख पैंतालीस हजार मात्र) का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रुपये 3300.00 लाख (रुपये तैंतीस करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान है।

- प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के शैक्षणिक, प्रशासनिक, अधोसंरचना के उन्नयन एवं भौतिक संसाधनों के विकास हेतु योजनाओं के प्रावधानों के अनुरुप सतत् प्रयास किया जा रहा है।

प्रशिक्षण पक्ष (आई.टी.आई.)

छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 हेतु जानकारी।

राज्य में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार स्थापित करने की दृष्टि से छ.ग. शासन, कौशल विकास विभाग के अंतर्गत मार्च 2017 की स्थिति में कुल 172 शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। विभाग द्वारा राज्य के सभी विकास खण्ड में कम से कम एक–एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने की योजना है। जिसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में राज्य के 146 मे से कुल 137 विकास खण्ड में शासकीय आई.टी.आई. स्थापित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4

अतिरिक्त विकास खण्ड को शामिल करते हुए 5 नवीन शासकीय आई.टी.आई. खोलने हेतु बजट में प्रावधान है।

अनुसूचित क्षेत्र –

वर्तमान में राज्य के 85 विकास खण्ड, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित हैं, में से 79 विकास खण्ड में आई.टी.आई. संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 05 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड को कवर किया गया। तद्नुसार वर्तमान में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड का 93% क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान है।

राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य 11 विकास खण्ड में आई.टी.आई. संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 02 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड को कवर किया गया। इस तरह मार्च 2017 तक तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य का लगभग 92% क्षेत्र में आई.टी.आई. संचालित है। अनुसूचित जाति बाहुल्य 1 विकास खण्ड बलौदा, जिला–जॉजगीर चॉपा में एन.टी.पी.सी. के सहयोग से आगामी सत्र से आई. टी.आई. खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आई.टी.आई. –

राज्य में संचालित कुल 172 शासकीय आई.टी.आई. में से 64 आई.टी.आई.(37. 21%) अनुसूचित जनजाति उपयोजना(TSP) तथा 12 आई.टी.आई.(6.98%) अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) अंतर्गत संचालित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में TSP अंतर्गत 05 तथा SCSP अंतर्गत 03 नये आई.टी.आई. खोले गये। विभाग के अंतर्गत 9 संस्थायें विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये संचालित हैं। वर्तमान में अनेक संस्थाऐं ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित हैं किन्तु सामान्य योजना अंतर्गत संचालित हैं। जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्रानुसार संस्थाओं का वितरण असमान है। अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित ऐसे संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रानुसार योजना में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

संस्थाओं में स्वीकृत सीट –

प्रदेश में संचालित 172 शासकीय आई.टी.आई. में वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु कुल 19360 सीट्स स्वीकृत हैं, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 6.47% अधिक है। संस्थाओं में स्वीकृत सीटों में अनुसूचित जनजाति के 7251(37.45%) तथा अनुसूचित

जाति के 2131(11.00%) सीट्स शामिल हैं। स्वीकृत सीटों में 30% अधिसंख्य पेमेंट सीटों में प्रवेश का प्रावधान है। जिसमें अनुसूचित वर्ग के प्रशिक्षणार्थी भी सम्मिलित होते हैं। शासन के नियमानुसार सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। विभाग के अंतर्गत 9 संस्थायें विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने के कारण श्रेणीवार स्वीकृत सीटों की प्रतिशत में अंतर विद्यमान है।

बजट – विभाग के अंतर्गत संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के ''प्रशिक्षण पक्ष'' के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू. 35099.53 लाख का बजट प्रावधान था। जिसमें से कुल राशि रू. 19785.77 (56.37%) लाख व्यय हुआ। व्यय में कमी का मुख्य कारण विभाग में स्वीकृत पदों का लगभग 70% रिक्त होना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है–

क्र	योजना	प्रावधान	प्रावधान का %	व्यय	व्यय का %
1	सामान्य	28687.90	81.73	17178.13	59.87
2	अनुसूचित जनजाति	5844.03	16.65	2407.83	41.20
3	अनुसूचित जाति	567.60	01.62	199.81	35.20
योग –		35099.53	100.00	19785.77	56.37

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित कुछ आई.टी.आई. सामान्य योजना के अंतर्गत संचालित होने के कारण योजनावार बजट प्रावधान में अंतर उत्पन्न हुई है। इन संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्रानुसार योजना में परिवर्तित कर बजट समावेशन किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

4.12 सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग शासन के अन्य विभाग से भिन्न होकर एक नियामक एवं सहकारी आन्दोलन मे कार्यरत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने वाला विकास विभाग है। सहकारिता विभाग सीधे धनराशि व्यय करने वाला विभाग नही है वरन् यह विकास से जुडी सहकारी संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं नियामक विभाग है, जिसका दायित्व संस्थाओं का गठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, परिसमापन एवं सुदृढ़ीकरण का है। सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का एक ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिंग संस्थाओं और स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, ताकि वे सामान्यजन, विशेष रूप से कमजोर वर्गो के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का माध्यम बन सके। प्रदेश के किसानो,

कारीगारो, बुनकरो, मछुवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गो, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गो के व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं के लिए विभाग की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में निभाता है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की जा सके।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं एवं सहकारिताएं है। वर्तमान में इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य किये जा रहे है। प्रदेश में सहकारिता के सहकारी आंदोलन ने समाज में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गो के सर्वागीण विकास के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा गांव–गांव में सहकारी साख सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास,मत्स्य,डेयरी बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाईयो के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है।

2–विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय सामान्य जानकारी :–

प्रदेश में कुल 8561 सहकारी संस्थाएं पंजीकृत है। जिसमें से मुख्यतः अल्पकालीन साख संरचना के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक, 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंके तथा 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं कार्यरत है। दीर्घकालीन साख संरचना के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य विकास बैंक एवं 12 जिला सहकारी कृषि विकास बैकों का विलय राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंको में किया गया है। 32 राज्य स्तरीय संस्थाएं ,14 नागरिक सहकारी बैंके तथा 04 सहकारी शक्कर कारखाना कार्यरत है।

3–विभाग संबंधी ''मानिटरेबल इण्डीकेटर्स '' की राज्य संबंधी जानकारी, राष्ट्र में राज्य की स्थिति (स्थापित इण्डीकेटर्स की अनुपस्थिति में) विभाग जिन बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर विकास को दर्शाता है, उसका उल्लेख निम्नानुसार है

1. राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के कृषको को ब्याज मुक्त सहकारी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश के समस्त अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त प्राप्त हो रही है। जिससे प्रदेश के कृषि की आर्थिक स्थिति मे सुधार हो रही है।
2. प्रदेश में 02 साख संरचना अर्थात अल्प कालीन एवं दीर्घकालीन थी, जिसके कृषको के हितो को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन साख संरचना को समाप्त कर अल्प कालीन साख संरचना में विलोपित किया गया है।

3. प्रदेश के कृषको के उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो को ध्यान में रख कर 04 विभिन्न क्षेत्रो में सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता से किया गया है। जिससे कृषको द्वारा उत्पादित गन्नो को क्रय कर शक्कर उत्पादन किया जा सके। इससे कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है एवं नगद फसलो की पैदावार में बढ़ोत्तरी हो रही है। सहकारी शक्कर कारखानो को प्रति वर्ष गन्ना खरीदी एवं पेराई हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोन्टा क्षेत्र में लाल मिर्च का उत्पादन अधिक होने के कारण से लाल मिर्च विपणन का कार्य तथा टोरा, मुंगफल्ली, तिल, सरसो एवं नारियल की पेराई हेतु तेल मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रो में सहकारी विपणन संस्थाओ को प्राथमिक प्रदान करने हेतु विपणन सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाना है।

4΄ प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं जाति की जनसंख्या को ध्यान में रखकर उनकी सहकारी संस्थाओं में अधिकाधित भागीदारी बढ़ाने हेतु सहकारी संस्थाओ में सदस्यता ग्रहण कराने हेतु राज्य शासन से अंशक्रय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. राज्य शासन प्रतिवर्ष सहकारी बैंको एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अंशपूंजी में निवेश कर रही है, जिससे उनकी उधार ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो एवं अपने कृषक सदस्यो में अधिक ऋण उपलब्ध करा सकें। प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं कें अंशपूंजी में निवेश करने से उनको कार्य व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। जिससे कार्य व्यवसाय हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रो के लिए संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

1. (5628)—कृषक ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान :— इस योजनान्तर्गत प्रदेष के सहकारी अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए कुल राशि रू. 214.00 करोड़ मे से अनुसूचित क्षेत्रो के 476 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषक सदस्यो को ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2- (7781)–सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय अनुदान :– इस योजना से प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी समितियों में बढ़ाया जा सके।

3- (7678)–सहकारी संस्थाओं के लिए अंशपूंजी :– इस योजना से सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं, सहकारी शक्कर कारखाना एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के अशपूंजी में निवेश किया जाता है, जिससे उनकी उधार क्षमता में वृद्धि हो/कार्य व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

4- (8970)–प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (अनुदान/ऋण) :– इस योजनान्तर्गत विपणन सहकारी संस्थाओ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। प्रदेश के कुछ विपणन सहकारी समितियां लाभ अर्जित कर रही है, तथा विपणन सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, किन्तु पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध न होने के कारण नया व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम नही है एवं भूमि का सही उपयोग नही हो पा रही है, ऐसी समितियों को नया कार्य/व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

5- (5055)–सहकारी शक्कर कारखाना :– इस योजनान्तर्गत सहकारी शक्कर कारखानो को गन्ना खरीदी कर पेराई हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है।

- (8641)– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन :– इस योजनान्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को वर्तमान कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रू. 10.00 लाख अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

7- (5006)–जनजाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान :– इस योजनान्तर्गत अनुसचित जनजाति क्षेत्र में पंजीकृत आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय वित्तीय भार कम करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

8. (8930)– प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान :– इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0 जशपुर को कार्य व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु राशि उपलब्ध कराया जाना है।

9. (7748) सूखा प्रभावित कृषको के लिए कृषि ऋण राहत योजना :– राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रो के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषको को उनके अल्पकालीन कृषि ऋणो की 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितिया को उपलब्ध कराई गई।

4.13 समाज कल्याण विभाग

निःशक्तजन छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां :–

अनुसूचित जनजाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रूपये 50/– प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 वीं तक रूपये 60/– प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वीं तक रूपये 70/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नानुसार दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है :–

कक्षा	दैनिक छात्र (प्रतिमाह रूपये)	छात्रावासी (प्रतिमाह रूपये)
कक्षा 9 से 12 वीं एवं आई. टी.आई.	85/–	140/–
स्नातक	125/–	180/–
स्नाकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक	170/–	240/–

वितीय वर्ष 2011–12 की वित्तीय भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या –41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
22.00	19.41	3275

2. मांग संख्या –64– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
16.00	14.44	2166

कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना :–

निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 6 हजार तक मूल्य के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या –41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
50.00	48.46	1386

2. मांग संख्या –64– विशेष घटक योजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
34.00	33.91	832

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदानः–

निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृति किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

1. मांग संख्या –41– (2235) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
100.00	56.56	392

2. मांग संख्या –64– (2235) उपयोजना

बंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	हितग्राही
40.00	15.41	65

निःशक्त बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

निःशक्त बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कक्षा–1 ली से कक्षा 05 वीं तक शिक्षा दी जा रही है।

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि वर्ष 2016–17 (राशि लाख में)

मांग संख्या	आबंटन	व्यय	हितग्राही संख्या
41/2235.79	220.68	180.45	214
64/2235.79	203.11	80.73	167

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की जानकारी

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः–

राज्य में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को राशि रू 350/– प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को राशि रू 650/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि रू 150/– राज्य शासन का अंशदान है।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाः–

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा को राशि रू 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि रू 50/– राज्य शासन का अंशदान है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनाः–

राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग गंभीर (एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुनिःशक्त को राशि रू500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इनमें राशि रू 200/– राज्य शासन का अंशदान है।

4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाः–

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रू 20,000/– की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन (जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

सामाजिक सहायता कार्यक्रम मार्च. 2017

(राशि लाख में)

मांग संख्या	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	हितग्राही
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	5040.00	4986.90	182605
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	1430.00	1571.13	45240
82	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	342.00	367.78	9137
82	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	460.00	362.30	1812
	योग मांग संख्या – 82 –	7272	7288.11	238794
83–191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	228.00	190.61	7193
83–191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	50.40	119.18	3857
83–191	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	12.00	12.36	460
83–191	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	40.00	42.40	212
	योग मांग संख्या 83 –191–	330.40	364.54	11722
83–192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	120.00	123.27	5580.00
83–192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	90.00	84.62	2314
83–192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	19.00	17.19	511
83–192	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	40.00	24.80	124
	योग मांग संख्या 83 –192–	269.00	249.88	8529
83–193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	250.00	182.34	6529
83–193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	63.00	68.43	2080
83–193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	27.00	23.69	611
83–193	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	50.00	33.60	168
	योग मांग संख्या 83 –193–	390.00	308.06	9388
	योग मांग संख्या 83	989.40	922.48	29639
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	2500.00	2477.98	97959
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	600.00	703.74	20092
15	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	210.00	213.47	5185
15	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	100.00	86.80	434

	योग मांग संख्या – 15 –	3410.00	3481.98	123670
53–192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	239.00	229.43	9741
53–192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	53.00	70.85	2096
53–192	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	36.00	20.48	622
53–192	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	20.00	17.50	89
	योग मांग संख्या 53 – 192	348.00	338.25	12548
53–193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	162.00	155.70	5912
53–193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	108.00	70.53	1858
53–193	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	27.00	22.93	718
53–193	राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	20.00	14.60	73
	योग मांग संख्या 53 – 193	317.00	263.76	8561
	योग मांग संख्या – 53 –	665.00	602.01	21109
53–194	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (5401)	8539.00	8346.21	315519
	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (7336)	2394.40	2688.48	77537
53–194	योग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (7340)	673.00	677.89	17244
53–195	योग राष्ट्रीय परिवार सहायता (5397)	730.00	582.00	2912
	महायोग	12336.40	12294.59	413212

4.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन, आवासहीन तथा उनके रोजगार हेतु पलायन को रोकने के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समुचित अवसर एवं संसाधन निर्माण कराये जा रहे है। निर्धारित बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

(I) A detailed note on implementation of the constitutional safeguards for promotion of educational and socio-economic development of STs.

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना क्रियान्वित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में

निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक है, एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 100 दिवस का श्रम उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पितियों का निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों के ओर हो रहे पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस रोजगार के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य बजट से प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार 150 दिवस रोजगार दिया जा रहा है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना :– ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची अनुसार पात्र आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 01/04/2016 से सामान्य जिलों के लिए राशि रू. 1.20 लाख, महात्मा गांधी, नरेगा अंतर्गत (90 दिन) रोजगार से लाभ राशि रू. 15,030 एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रू. 12,000 इस तरह कुल राशि रू. 1.47 लाख तथा आई.ए.पी. जिलों के लिए राशि रू. 1.30 लाख महात्मा गांधी, नरेगा अंतर्गत (95 दिन) रोजगार से लाभ राशि रू. 15865 एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रू. 12,000 इस तरह कुल राशि रू. 1.57 लाख प्रावधानित है । योजनांतर्गत हितग्राहियों को भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । आवास निर्माण का कुर्सी क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर है ।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्‌देश्य विभिन्न प्रकार के स्व–रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए गए है, जिनमें समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्य उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है । राग्राआमि के उद्‌देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक, सामाजिक, संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसरंचना उपलब्ध कराना, इत्यादि कार्य शामिल है । मिशन के उद्‌देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था है ।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है, ताकि क्षेत्र के आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों को प्राप्त हो सके ।

(5) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अन्तर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं आती है। (गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 से कम तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी की बसाहटों) को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा एक तरफ से जुड़ी बसाहटों को दूसरे तरफ से भी जोड़े जाने का प्रावधान है।

(6) राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :– 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। देश के सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2019 तक खुले में शौच से मुक्त हासिल करने का लक्ष्य है। आई.ई.सी. के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं का बढावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

(II) An assessment of overall evaluation of working of Acts/ regulations/ instructions relating to land alienation,money-lending,trade and exise policy,bounded labour,displacement of tribals,atrocities,ect.

(III) The complete sketch of the development programmes undertaken, Financial allocation used and physical targets achieved.

1- योज़रनाओं के 2016–17 के उपलब्धि की जानकारी :–

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू. 2750.00 करोड़ की राशि उपलब्ध थी, जिसके विरूद्ध रू. 2755 करोड़ व्यय किये गये। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध 100 प्रतिशत व्यय किया गया। योजनांतर्गत कुल 885.95 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये

गये। जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को 340.63 लाख (38%) एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 79.80 लाख (9%) मानव दिवस रोजगार प्राप्त हुआ।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश आबंटन सहित कुल उपलब्ध राशि रू. 1924.462 करोड़ के विरूद्ध 1199.522 करोड़ व्यय कर 2,30,849 आवास निर्माण कार्य स्वीकृत कराया गया जिसमें से 97375 आवास अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए तथा 41485 अनुसूचित जाति परिवारों के लिए स्वीकृत किया गया है ।
- प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन दिनांक 01/06/2011 को कराया गया है । मिशन अंतर्गत परियोजना हेतु जिलों के कुल 64 विकासखंडों का चयन किया गया है । वर्तमान में कुल 64 विकासखंडों में कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2016–17 में 21236 स्व–सहायता समूह को 305.6 करोड़ की आर्थिक सहायता (बैंक ऋण) प्रदान की गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य 8070 स्व–सहायता समूहों को 115.92 करोड़ रूपये तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य 2548 स्व–सहायता समूह को रू. 36.67 करोड़ वितरण किया गया ।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 अवधि में कुल 735.09 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य कराया गया है । इस अवधि में 212.00 अ.ज.जा./अ.जा. बाहुल्य नवीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है । राशि रू. 317.13 करोड़ व्यय हुये है ।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र अन्तर्गत कुल 168.86 कि.मी. लंबाई के सड़कों का निर्माण किया गया है। जिसमें रू. 88.382 करोड़ राशि का व्यय हुआ है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र अन्तर्गत कुल 124.07 कि.मी. लंबाई के सड़कों का निर्माण किया गया है। जिसमें रू. 57.014 करोड़ राशि का व्यय हुआ है।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में राशि रू. 969.09 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध राशि रू. 1078.16 करोड़ व्यय कर कुल 12,87,637 शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 1,54,516 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 4,89,302 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

2 राज्य बजट अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग हेतु वर्ष 2016—17 में आदिवासी उपयोजना मद में बजट प्रावधान एवं व्यय की पृथक जानकारी संलग्न है। (संलग्न सहपत्र 1)

(IV) The existing level of the administration of Scheduled Areas and measures to be adopted or proposed to be adopted by the State Govt.

शासन की नीति अनुसार।

(V) A brief on problems relating to law and order, naxal movement and tribal unrest.

(VI) Central and State laws enacted in the state during the report period and their extension/adaption to Scheduled Areas by the Governor.

(VII) Working of PESA Act and empowerment of Local Bodies in the state

(VIII) The District/ITDP/ITDA-wise analysis of results.

4.15 ग्रामोद्योग विभाग

4.15.1 रेशम प्रभाग :—प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

उक्त योजना के अंतर्गत रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, मलबरी, ईरी एवं धागाकरण के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल तथा उच्च गुणवत्तायुक्त टसर, मलबरी, ईरी स्वस्थ समूह का उत्पादन एवं टसर,मलबरी एवं ईरी के नवीन प्रजाति के पौधरोपण तकनीक का प्रषिक्षण दिया जाता है तथा अनुसंधान के माध्यम से नवीन विधाओं की खोज हेतु ट्रायल्स आदि अनुसंधान गतिविधियॉ संपादित की जाती है।

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2016—17 में 19 विभागीय कर्मचारियों को एवं 965 कृमिपालक हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना क्रमांक 2731 अन्तर्गत प्रावधानित एवं आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009-10	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	27.00	26.99
2	2010-11		27.00	27.00
3	2011-12		30.00	17.38
4	2012-13		30.00	29.98
5	2013-14		32.00	31.98
6	2014-15		35.55	32.58
7	2015-16		33.50	33.47
8	2016-17		36.85	31.75

प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009.10 से 2014.15 तक कुल लाभावित हितग्राही एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों की संख्या का विवरण :—

क्र0	वर्ष	विवरण	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अ. जा.	अ.ज. जा.
1	2009—10	मलबरी एवं टसर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को नर्सरी एवं पौधरोपण पद्धति तथा संधारण प्रक्रिया, कृमिपालन भवन का निरोगीकरण, चॉकी कृमिपालन, नवीनतम तकनीक, संस्थागत गतिशीलन, जागरूकता एवं पौधों पर होने वाली बीमारियों के संबंध में रोकथाम के उपाय, टसर ग्रेनेज की उन्नत तकनीक (निजी ग्रेन्यूर) प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर रेषम रोजगार हेतु परिपक्व बनाना।	500	126	292
2	2010—11		845	225	452
3	2011—12		1240	140	857
4	2012—13		801	144	476
5	2013—14		1075	123	793
6	2014—15		1405	265	1140
7	2015—16	विभा.कर्म 51+949 हित.	1000	—	—
8	2016—17	विभा.कर्म 19+965 हित.	984	—	—

पालित प्रजाति के कृमिपालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजना

प्रदेष के व्यवसायिक पालित टसर कृमि पालकों को विभाग द्वारा कृमिपालक हितग्राहियों को मात्र रू0 2/– प्रति स्वस्थ समूह की दर पर स्व.समूह (अण्डे) प्रदाय किया जाता है। तथ प्रथम द्वितीय एवं तृतीय फसल में इस वर्ष रू0 10/– प्रति स्वस्थ समूह की दर सहायता राशि प्रदान की जाती है, एवं उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश में पालित डाबा टसर ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 230 केन्द्रों (विभागीय 80 केन्द्रो/50 मलबरी से ट.परि./नये विस्तार–77 तथा 23 वन स्थलों) में 6005 हेक्टेयर एवं 151 परियोजना केन्द्रों पर 2286 हेक्टेयर तथा प्राकृतिक वन खण्डों पर 4965 हेक्टेयर कुल उपलब्ध क्षेत्र 13256 हेक्टेयर है, जिसमें ग्रामीण अंचलों के हितग्राहियों को अण्डे देकर कृमिपालन कार्य कराया जाता है। तथा उनसे उत्पादित ककून शासकीय दर से विभाग द्वारा गठित ककून बैकों द्वारा क्रय कर लिया जाता है।

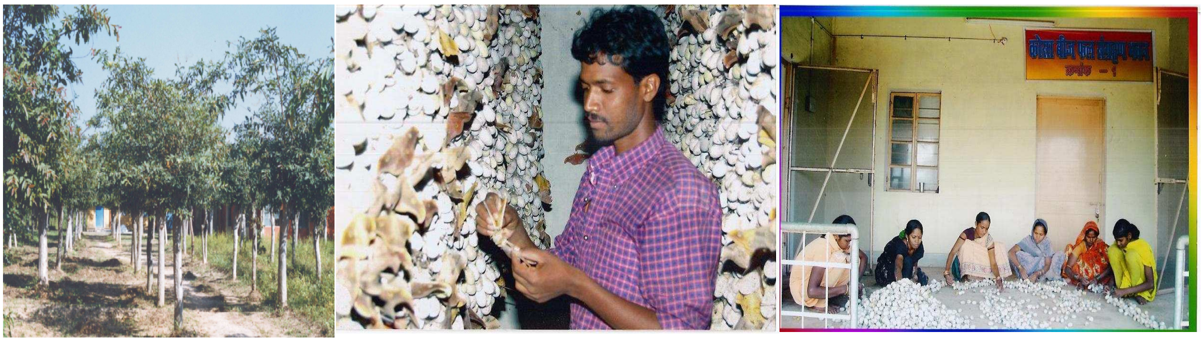

टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना क्रमांक 5662 अन्तर्गत आवंटित बजट तथा आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009-10	टसर स्वस्थ डिम्ब समूह योजना/ योजना क्रमांक 5662	80.00	75.35
2	2010-11		100.00	77.75
3	2011-12		110.00	66.62
4	2012-13		120.00	116.49
5	2013-14		155.00	121.54
6	2014-15		155.00	145.14
7	2015-16		155.00	144.51
8	2016-17		593.00	541.25

विगत छः वर्षों की पालित प्रजाति के उपयोगित टसर स्वस्थ समूह एवं कृमिपालक हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	विवरण	इकाई	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
1	पालित टसर ककून उत्पादन हेतु स्व.समूह प्रदाय	लाख नग में	18.76	22.32	22.041	22.25	22.56	28.12	28.297
2	टसर स्वस्थ समूह से कुल लाभांवित हितग्राही	संख्या में	11890	10457	10925	10093	9323	13837	12234
	अ.जा.		1851	1186	1374	1149	939	1327	1522
	अ.ज.जा.		7342	7028	7031	6907	6117	7914	8029

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 5146)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत 13256 हेक्टेयर साजा, अर्जुना का टसर खाद्य पौधरोपण कुल क्षेत्र है, जिसका
उपयोग टसरयोजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

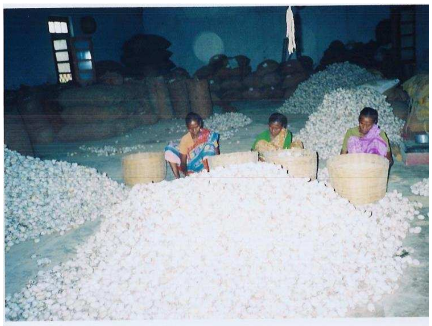

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 5146 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009-10	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम/ योजना क्रमांक 5146	723.00	710.82
2	2010-11		1131.86	899.56
3	2011-12		1138.20	1015.90
4	2012-13		1297.80	1291.45
5	2013-14		1351.60	1278.71
6	2014-15		1332.60	1322.62
7	2015-16		1706.85	1690.80
8	2016-17		1794.95	1692.47

विगत छः वर्षों की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	विवरण		इकाई	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
1	पालित टसर ककून उत्पादन		लाख नग में	440.650	587.012	581.44	583.026	634.026	769.367	874.00
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या		संख्या में	20596	16962	20872	18493	22525	32599	31710
	अ.जा.			2763	1815	2078	2092	2713	3181	4160
	अ.ज.जा.			12376	10668	14060	12017	13380	18110	16542

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम (योजना क्रमांक 3777)

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के अंतर्गत मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत विभाग द्वारा हितग्राहीयों को निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्षन एवं योजनांतर्गत उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून (बाय बोल्टाइन) रू. 168/–एवं पीला मलबरी ककून (मल्टी बोल्टाईन) रू. 144/– प्रति किलोग्राम है। विभागीय रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यम से परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।

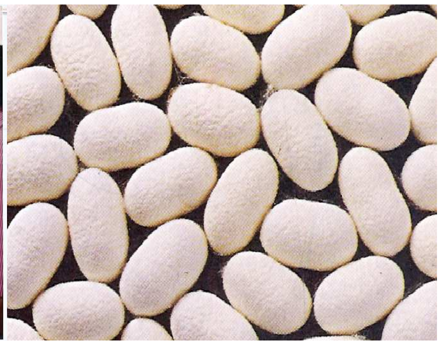

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777 अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009-10	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 3777,3394,5106	224.25	217.51
2	2010-11		327.30	228.61
3	2011-12		252.75	236.80
4	2012-13		271.00	270.29
5	2013-14		307.50	306.68
6	2014-15		320.00	316.82
7	2015-16		383.65	350.21
8	2016-17		420.15	403.29

विगत 8 वर्षो की मलबरी ककून उत्पादन केउपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र	विवरण	ईकाई	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	44280	52340	54488	64911	66278	68918	60468
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	1909	1639	2436	2596	3457	3242	2675
	अ.जा.		218	143	119	285	361	349	199
	अ.ज.जा.		1159	1058	1461	1559	2144	2242	1849

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम(योजना क्रमांक 164)

छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जगदलपुर, (बस्तर), उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, कोरबा, जषपुर, कोरिया जिलें में हरितिमा का परिधान ओढ़े वनों से अच्छादित क्षेत्र है। उक्त जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास करते है जोकि समाज के मुख्य धारा से अभी भी पूर्णतः जुड़े नही है। यद्यपि शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहे है। इसी क्रम में उक्त जिले में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इस दिशा में ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन क्षेत्रों में नैसर्गिक बीज का प्रगुणन किया जाकर, उसे सघन वन क्षेत्रों में फैलाया जाता है जिससे वनवासी हितग्राही द्वारा नैसर्गिक कोसा संग्रहण किया जाकर आय का एक अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सके। इस क्षेत्र में निवास करने वाले उक्त परिवार मूलतः वनों पर आधारित उपज का विपणन कर अपना जीविकोपार्जन करते है। उक्त जिले वन खण्डों में प्राकृतिक रूप से साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते है। इन वृक्षों में टसर कोसा की रैली, लरिया एवं बरफ प्रजाति के कोसाफल नैसर्गिक रूप से उत्पादित होते है।

नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं सघन विकास कार्यक्रम—केम्प की पृष्ठभूमि एवं उपयोगिताः—

प्राकृतिक वन खण्डों से ग्रामीण वनवासी हितग्राहियों द्वारा नैसर्गिक कोसाफल के लगातार दोहन से वनों में बीज हेतु कोसाफलों की संख्या न्यून हो जाने के कारण नैसर्गिक प्रगुणन की प्रक्रिया धीमी होने से नैसर्गिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव होने लगाता है तथा उत्पादन कम होते जाता है। इस चिंतनीय स्थिति से निपटने हेतु ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन खण्डों में नैसर्गिक बीज प्रगुणन कार्यक्रम (इंटेसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम) के माध्यम से बीज कोसाफल की मालाएँ सघन वन क्षेत्रों के मध्य लगाई जाकर उनसे प्राप्त नर—मादा तितलियॉ एवं निषेचित अण्डे प्राकृतिक वन खण्डों में छोड़ा जाता है। मादा तितलियों के द्वारा उत्सर्जित अण्डो में हेंचिग उपरांत साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर की पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण कर अपना जीवन चक्र 45 दिवस में पूर्ण कर कोसाफल बनाते है। नर—मादा तितलियॉ एवं युग्मित अण्डे छोडे जाने से उत्पादन में आषाजनक परिणाम प्राप्त हुए है।

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164) अन्तर्गत आवंटित बजट एवं आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2009–10	नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहणकार्यक्रम योजना क्रमांक 164	156.80	156.54
2	2010–11		439.13	284.04
3	2011–12		376.00	369.75
4	2012–13		495.30	327.92
5	2013–14		534.75	521.56
6	2014–15		534.75	152.38
7	2015–16		530.75	301.28
			632.45	568.21

नैसर्गिक कोसा का उत्पादनः–

सामान्यतः इस प्रजाति के टसर कोसा का उत्पादन वर्ष में दो बार प्राप्त होते है। जिसे स्थानीय संग्रहक हितग्राही भादवीं एवं चैती फसल कहते गत छः वर्षो में अनुमानित नैसर्गिक ककून संग्रहण एवं अनुमानित संग्राहक हितग्राही की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	विवरण	इकाई	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	870.08	1636.27	1999.77	2048.40	657.85	693.818	1110.157
2	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	38802	52366	62869	83866	21469	29042	44009
	अ.जा.		3773	5299	5844	12271	3187	3905	5056
	अ.ज.जा.		30352	35300	45079	53409	12221	19083	24552

4.15.2 ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग छ.ग. अन्तर्गत मांग संख्या 41 – अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत वर्ष 2016–17 में राषि रू. 170.52 लाख का आबंटन के विरूद्ध राशि रू. 170.08 लाख का व्यय हुआ है। इस प्रकार कुल आबंटन का 99.74 प्रतिषत व्यय हुआ है। योजनावार आलेख निम्नानुसार है :–

1. बाजार अध्ययन एवं हाथकरघा प्रदर्षनी (योजना क्रमांक 5222) :– उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों की बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु हाथकरघा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2016–17 में 16.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्व रू. 15.58 लाख व्यय किया गया। जिसमें 6 हाथकरघा प्रदर्शनी आयोजन के लक्ष्य के विरूद्ध 6 हाथकरघा प्रदर्शनी आयोजित किया गया।

2. समग्र हाथकरघा विकास योजना :– प्रदेश के अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास हेतु समग्र हाथकरघा विकास योजना संचालित है। उक्त योजनान्तर्गत हाथकरघा वस्त्र

बुनाई रोजगार के इच्छुक लोंगों को नवीन बुनाई प्रशिक्षण, कौशल उन्नय प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, अधोसंरचना निर्माण, कर्मशाला भवनों का जीर्णोद्वार बुनकरों के लिये वक्रशेड हेतु सहायता दी जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए राशि रू. 100.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 98.29 लाख व्यय किया गया। जिसमें 323 हितग्राही के विरूद्ध 285 हितग्राही लाभांवित किये गये।

3. कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना (योजना क्रमांक 8563) :– कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना आमगांव विकासखण्ड छूरिया, जिला राजनांदगांव में की गयी है। उक्त कंबल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रदेश के बुनकरों द्वारा उत्पादित कंबल प्रोसेस किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में राशि रू. 50.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध शतप्रतिश व्यय किया गया।

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग छ.ग. अन्तर्गत मांग संख्या 64 – अनुसूचित जाति उप योजना के तहत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 142.02 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 140.25 लाख का व्यय किया गया। इस प्रकार कुल आबंटन का 98.75 प्रतिशत व्यय हुआ है। योजनावार आलेख निम्नानुसार है :–

4. रिवाल्विंग फण्ड योजना (योजना क्र 5580) :– उक्त योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बुनकर सहकारी संस्थाओं को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु रू 15,000 प्रति बुनकर के मान से अधिकतम 10 करघों के लिये प्रति बुनकर समिति सहायता दी जाती है। वर्ष 2016–17 में 6.00 लाख प्रावधान के विरूद्व रूपये 6.00 लाख व्यय किया गया। जिसमें 40 हितग्राही लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध 40 हितग्राही लाभान्वित हुए।

5. छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ (योजना क्र 5035) : उक्त योजनान्तर्गत छ.ग.राज्य हाथकरघा विकास एंव विपणन सहकारी संघ द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बुनकरों को कच्चा माल, धागा, मजदूरी, रंगाई प्रोसेसिंग आदि की व्यवस्था हेतु सहायता दी जाती है। वर्ष 2016–17 में राशि रू. 25.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्व राशि रू. 25.00 लाख व्यय किया गया।

4.15.3 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड :–

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु परिवार मूलक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं कारीगर प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी निम्नानुसार है :–

अ) परिवार मूलक योजना :– इस योजनांतर्गत अधिकतम रू. 1.00 लाख तक की परियोजनायें स्वीकार की जाती है। जिन्हें बैंकों द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत रू. 13500.00 अनुदान हितग्राही को दिया जाता है।

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	वर्ग	इकाई संख्या	अनुदान	रोजगार
2016–17	अ.जा.	1303	176.00	2606
	अ.ज.जा.	703	95.00	1406

ब) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (केन्द्र सरकार) :– इस योजनांतर्गत अधिकतम रू. 25.00 लाख तक की परियोजनायें स्वीकार की जाती है। जिन्हें बैंकों द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत 35 प्रतिशत अनुदान हितग्राही को दिया जाता है।

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	वर्ग	इकाई संख्या	अनुदान	रोजगार
2016–17	अ.जा.	81	176.508	706
	अ.ज.जा.	67	119.992	479

स) कारीगर प्रषिक्षण :– इस योजनांतर्गत अधिकतम युवक–युवतियों को CSSDA के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत VTP के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रषिक्षण प्रदाय किया जाता है। प्रषिक्षित होने से हितग्राहियों को उनके स्वरोजगार की स्थापना में सहायता मिलती है।

(राषि लाख रू. में)

वर्ष	वर्ग	प्रशिक्षार्थी संख्या	प्रशिक्षण में व्यय राशि
2016–17	अ.जा.	69	15.039
	अ.ज.जा.	67	15.102

4.16 लोक षिक्षण

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। समस्त 27 राजस्व जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित है। प्रदेश में 146 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, सभी विकासखण्डो में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से विभाग की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन होता है।

शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा किया जाता है इसके साथ ही विभाग में 146 वि0ख0 में से 61 वि0खण्डों में सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के 03–03 पद स्वीकृत है। तथा शेष

85 विकास खण्डों में 01 सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है। इन 85 विकास खण्डों में 02 अतिरिक्त सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद स्वीकृति की कार्यवाही भी की जा रही है। एस0सी0ई0आर0टी0 अन्तर्गत 2 शिक्षा महाविद्यालय, 01 अनुदान प्राप्त तथा 130 निजी शिक्षा महाविद्यालय, 15 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं 03 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान है। जिसमें से 02 शिक्षा विभाग के एवं 01 अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान है। 30 अशासकीय महाविद्यालयों में डी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। 03 ऑग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, बस्तर एवं अम्बिकापुर में संचालित है।

एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य हेतु अकादमिक प्राधिकारी घोषित किया गया है, एवं विभाग के समस्त प्रशिक्षण तथा अकादमिक कार्य के साथ–साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण पुनरीक्षण नवाचार का कार्य भी किया जाता है।

वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं0 एफ–1–2/2015/1/एक दि. 10/03/2015 के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में शिक्षा की पृथक–पृथक प्रबंधन व्यवस्था को समाप्त कर स्कूल शिक्षा एकरूपता की दृष्टि से समस्त शालाओं का प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को स्कूल शिक्षा विभाग में हस्तांतरण (समग्र रूप से शिक्षा की व्यवस्था) का कार्य दिनांक 01 मई 2015 से प्रभावशील माना गया है। प्रदेश स्तर पर समस्त संचालित विद्यालय मय अमले सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिन हो गये है।

–:: महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ ::–

छ0ग0 राज्य में अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह राज्य देश में अग्रणी राज्यों में है। शासन द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है। राज्य स्तर से छात्रों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु दिशाबोध जारी करते हुऐ मॉनीटरिंग सुनिश्चित किया गया है। छात्र अभिव्यक्ति के अभाव में अपने निहित क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते है अतः प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता का सही ढंग से प्रदर्शन कर सके इस हेतु अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास हेतु प्रत्येक छात्र को अवसर प्रदान करने हेतु कार्यवाही की गई है।

शिक्षण अधिगम के प्रतिफल उनके परीक्षा परिणामों के आधार पर दर्शित होते है। अतः विद्यार्थी, पालक, समाज यह जान सके कि उनके पालको को विद्यालयों में कितना ज्ञान अर्जित करना है इस हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी शाला परिसर की दीवालों पर लिखवाने की कार्यवाही की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजना एवं उपलब्धियॉ

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :–

क्रं	वर्ष	आवंटन (लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2015–16	536.22 करोड़	510.71 करोड़	3385849 छात्र–छात्राएं
2	2016–17	562.22 करोड़	377.34 करोड़	32.41 लाख विद्यार्थी

2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :–भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने हेतु कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश के 23 जिलों में कुल 93 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (100 सीटर) संचालित है। उक्त विद्यालयों में 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी/अप्रवेशी, पालक/अभिभावक से वंचित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित विशेष आवश्यकता वाली मौसमी पलायन के कारण पढ़ाई से वंचित एवं कठिन भौगोलिक कारण से पढ़ाई से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।

क्र	वर्ष	आवंटन (लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लाभान्वित हितग्राही
1	2015–16	43.76 करोड	13.55 करोड रू. दिसम्बर 2015 तक व्यय किए जाने का लक्ष निर्धारित है।	छात्राएं

3. राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्तिः– यह योजना केन्द्र प्रवृर्तित योजना है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता होती है। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता आती है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :–कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्र–छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए समस्त शा. अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक–बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।

क्र	वर्ष	आवंटन (लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लाभान्वित हिग्राहियों की संख्या
1	2015–16	129.06 करोड	20.75 करोड	59.44 लाख छात्र–छात्राएं
2	2016–17	163.16 करोड	93.58 करोड	59.50 लाख छात्र–छात्राएं

5. निःशुल्क गणवेश वितरण योजना :–शा0 विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र–छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश प्रदाय की गई।

क्र	वर्ष	आवंटन (लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2015–16	142.85	112.04	राज्य 1232360 एस.एस.ए. 2520887
2	2016–17	192.82	138.89	राज्य 1175952 एस.एस.ए. 2406487

6. निःशुल्क सरस्वती सायकल योजनाः–कक्षा 9वीं के शा. एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी0पी0एल0 परिवार के छात्र–छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना।

क्रं	वर्ष	आवंटन (लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2015–16	5726.00 लाख	5551 लाख	192000 लाभान्वित सभांवित होगी
2	2016–17	132.98 लाख	41.47 लाख	111519 लाभान्वित सभांवित होगी

7. छात्र दुर्घटना बीमाः– विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना जिसमें मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000/– की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर 5,000/– एवं भेसेजिक उपचार हेतु 500/– की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है।

क्रं	वर्ष	आवंटन (लाखो में)	व्यय (लाखो में)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2015–16	70.00 लाख	20.80 लाख	305
2	2016–17	70.00 लाख	67.80 लाख	90

8. कन्या छात्रावास :– शैक्षणिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में बालिकाओं की दर्ज संख्या एवं शिक्षा में सहभागिता बढ़ाने तथा सामाजिक उत्थान में बालिकाओं के सहयोग की दृष्टि से सर्व सुविधायुक्त कन्या छात्रावासों की (100 सीटर) स्थापना की गई है। जिसमें कक्षा 9वीं से 12 तक अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जन जाति/अ0पि0वर्ग/ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को कन्या छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

प्रत्येक छात्रा को भोजन, आवास, दैनिक उपयोग की वस्तुएं शैक्षणिक सहायता एवं क्रीड़ा सामग्री निःशुल्क प्रदाय करने हेतु छात्रावासों को प्रति छात्रा 1050/– प्रतिमाह राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य में कुल 74 कन्या छात्रावास संचालित है जिसमें लगभग 4644 छात्राऍ दर्ज है।

9. बालिका प्रोत्साहन योजना :– यह केन्द्र प्रवृर्तित योजना है इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बी0पी0एल0 परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रू0 3000/–छात्रवृत्ति सीधे छात्राओं के पास बुक में हस्तान्तरित कर दी जाती है।

10. सर्व शिक्षा अभियान :– इस योजना के तहत 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल के माध्यम से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ स्कूल न जा सकने वाले बच्चो के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है सभी बच्चों को कक्षा आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराई जाती है साथ ही छात्र–छात्राओं को असमानता एवं सामाजिक वर्ण भेद को दूर करना।

डॉरमेटरी युक्त विद्यालय– आदिवासी क्षेत्रों में जहां 10 से कम बच्चे उपलब्ध होने की नवीन प्राथमक शाला नहीं खोले जा सके है। वहॉ के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, कोरबा, नारायणपुर, सुकमा एवं जशपुर जिलों में कुल 24 विद्यालयों में 50 सीटर ऑरमेटरी युक्त शालाएं प्रारम्भ की जाकर 1200 बच्चों को तथा पलायन प्रभावित जिले बलौदा बाजार, बेमेतरा, जांजगीर, कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले में कुल 23 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाऐं प्रारम्भ की जाकर 1131 बच्चों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

11. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रांरभ की गई एक महत्वकांक्षी योजना है। योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य शासन का योगदान 25 प्रतिशत् है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण पूर्व संचालित हाईस्कूलों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदण्डों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के कक्ष एवं दर्ज संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलबध कराई जाती है। राज्य में यह अभियान वर्ष 2008–09 से संचालित है।

4.17 उच्च षिक्षा विभाग :–

1. वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 184640 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत थे जिसमें स्नातक स्तर पर लगभग 22234 सामान्य वर्ग, 23335 अनुसूचित जाति, 39790 अनुसूचित जनजाति एवं 74688 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्यनरत् थे। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 4431 समान्य वर्ग, 4125 अनुसूचित जाति, 4681 अनुसूचित जनजाति तथा 11076 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्ययनरत् थे।
2. सत्र 2016–17 में 01 नवीन शासकीय महाविद्यालय जावंगा, गीदम जिला–दंतेवाड़ा की स्थापना किये जाने हेतु कुल 19 पद की स्वीकृत किये गये।
3. इस सत्र में 03 अशासकीय महाविद्यालय (1. आर.आई.टी.ई.ई. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, डुमरतालाब, रायपुर 2. महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला–महासमुंद 3. के.पी. महाविद्यालय, सारंगढ़ बांधापाली, जिला–रायंगढ़) प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
4. सत्र 2016–17 हेतु प्रदेश के 62 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/पाठयक्रम प्रारंभ किये गये है। इस हेतु 171 सहायक प्राध्यापक, 62 प्रयोगशाला तकनीशियन तथा 62 प्रयोगशाला परिचारक के पद स्वीकृत किये गये।
5. सत्र 2016–17 हेतु प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय/जनभागीदारी योजना अन्तर्गत 20 नये व्यावसायिक पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
6. सत्र 2016–17 हेतु प्रदेश के 23 शासकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठयक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु 42 प्राध्यापक के पद स्वीकृत किये गये।
7. सत्र 2016–17 में प्रदेश के 14 स्नातक महाविद्यालयों (1.शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2.शासकीय बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरंग 3.शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद 4.शासकीय कमलादेवी राठी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव 5.शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर 6. शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर 7.शासकीय गुंडा धुर महाविद्यालय, कोन्डागांव 8.शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा 9.शासकीय माता शबरी

नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर 10.शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर 11.शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, मुगेली 12.शासकीय पण्डित रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर 13.शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज 14.शासकीय शहीद वेंकट राव महाविद्यालय, बीजापुर) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन करते हुये कुल 14 स्नातकोत्तर प्राचार्य, 34 प्राध्यापक, 6 प्रयोगशाला तकनीशियन तथा 6 प्रयोगशाला परिचारक के पद स्वीकृत किये गये। जिसके फलस्वरूप अब प्रदेश के सभी 27 जिलों में न्यूनतम एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गये है।

8. प्रदेश में 05 शासकीय आदर्श आवासीय महाविद्यालय (रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर जगदलपुर) प्रारंभ किये गये है एवं इनमें प्रारंभिक रूप से 50 विद्यार्थियों को प्रत्येक में प्रवेश दिया गया है। इन महाविद्यालयों की स्थापना के लिये भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है सत्र 2016–17 में 05 आवासीय शासकीय महाविद्यालय रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगदलपुर में भवन निर्माण हेतु राशि रू. 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा पॉचवीं परियोजना अनुमोदन मंडल की बैठक में रूसा अन्तर्गत इन 05 महाविद्यालयों के लिये कुल राशि रू. 30 करोड़ का अनुमोदन किया गया है तथा विभिन्न प्रकार पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।
9. सत्र 2016–17 में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रो के 10 शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 10, प्राध्यापक के 20 एवं तृतीय एवं चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 20 इस प्रकार कुल 50 आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
10. प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R) वर्ष 2003 में 3.5 से बढ़कर अब लगभग 16 प्रतिशत हो गया है। यदि हम दूरस्थ क्षेत्रों में अध्यनरत छात्रों की संख्या एवं स्वाध्यायी छात्रों को मिलाकर गणना करें तो हमारे प्रदेश के G.E.R का औसत राष्ट्रीय औसत से बढ़कर लगभग 20 हो जाता है।
11. सभी महाविद्यालयों में प्रवेश–प्रक्रिया में सरलता एवं एकरूपता लाने हेतु चिप्स के माध्यम से तैयार किये गये साफ्टवेयर सेतु (Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU) का सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। Student Empowerment Through Technology Utilization-SETU के माध्यम से समस्त शासकीय महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं को सफलतापूर्वक ऑन–लाईन प्रवेश प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं का प्रवेश तथा अन्य सभी अभिलेख ऑन–लाईन करने का प्रयास किया जा रहा है।
12. प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के नैक प्रत्यायन/पुर्नप्रत्यायन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयार जारी है।
13. राज्य के 214 शासकीय महाविद्यालयों में से 174 महाविद्यालयों के स्वयं के भवन है। 35 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन है, जिनमें 02 महाविद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2015–16 में राशि का प्रावधान किया गया है, शेष 05 आदर्श महाविद्यालय इसी सत्र से प्रारंभ किये गये है।
14. 05 शासकीय महाविद्यालयों में 100 सीटर कन्या छात्रावास हेतु कुल 25 पदों का प्रावधान किया गया है। छात्रावास भवन निर्माण हेतु बजट में रू. 300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

15. राज्य के महाविद्यालयों का ''राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)'' द्वारा मूल्यांकन – उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन हेतु राज्य शासन द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2012 के तहत नैक (NAAC) द्वारा प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पात्र विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा नैक को आशय पत्र(LoI) प्रेषित किये गये हैं तथा अनेक महाविद्यालयों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन नैक द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के 02 राजकीय विश्वविद्यालयों (इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ तथा पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर) तथा 05 महाविद्यालयों (शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर, शासकीय ई.राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर, शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय सी.एम. डी. महाविद्यालय, बिलासपुर) को नैक ने 'A' ग्रेड से प्रत्यायित किया है।
16. राष्ट्रीय सेवा योजना – वर्ष 2016–17 में केन्द्र शासन द्वारा अतिरिक्त छात्र संख्या 2800 का अबंटन किया गया है जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना की कुल आबंटित संख्या 93,000 से बढ़कर 95,800 हो गया है।
17. बी.पी.एल. बुक बैंक योजनाः– बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। इस शैक्षणिक सत्र के लिये रू. 45 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।
18. अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करनाः– इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान किया जाता है । इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपये 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है । इस हेतु बजट में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 95.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 75.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से स्नातक स्तर पर कुल–62845 (अनुसूचित जाति के 23328 एवं अनुसूचित जनजाति के 39517) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल–8986 (अनुसूचित जाति के 4125 एवं अनुसूचित जनजाति के 4861) इस प्रकार कुल–71831 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
19. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है । इस हेतु बजट में 4.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कुल–13596 छात्र–छात्राओं

को राशि रू. 15818952/— एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल—2254 छात्र—छात्राओं को राशि रूपये 5011150/— इस प्रकार कुल—15850 छात्र—छात्रओं को कुल राशि रू. 20830102/— वितरित की गयी है।

4.18 जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़ एक आदिवासी एवं अनुसूचित जन जातियों की बाहुल्यता भरा हुआ राज्य है यहॉ का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 44 % घने जंगलों से आच्छादित है एवं विभिन्न खनिज संपदाओं से भरपूर है। इन्ही घने जंगलों के बीच छत्तीसगढ़ के आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोग आदिम युग से निवासरत है जो जंगलों में उत्पन्न वन संपदा व खेती—कार्य में काम करके अपनी आजीविका चलाते है। जिन आदिवासी या जनजातियों के पास खेती—योग्य भूमि है, वे शासन द्वारा निर्मित जल संसाधनों में उपलब्ध जल से सिंचाई कर कम समय में उगने वाले फसलों को उगाते है।

इन आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन—स्तर को बेहतर बनाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा हर वर्ष सिंचाई विभाग के लिए प्रावधानित वार्षिक बजट में से एक बड़ा हिस्सा इस मद में रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2016—17 में जल संसाधन विभाग हेतु आबंटित कुल बजट रू. 2532.12 करोड़ के विरूद्ध कुल व्यय रू. 2042.25 करोड़ (80.65%) किया गया। आबंटित बजट में से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए क्रमशः रू. 649.55 करोड (25.65%) एवं रू. 288.65 करोड (11.40%) का प्रावधान रखा गया था।

उक्त दोनों उपयोजनाओं की वित्तीय व भौतिक उपलब्धियों पर टीप निम्नानुसार हैः—

<u>(अ) आदिवासी क्षेत्र उपयोजनाः—</u> इस मद में आबंटित राशि 649.55 करोड में से रू. 534.71 करोड व्यय कर वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया गया जिससे भौतिक लक्ष्य 15200 हे. के विरूद्ध 21414 हे. में सिंचाई—सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार आबंटित राशि रू. 649.55 करोड में व्यय की गई राशि रू. 534.71 करोड लगभग 82.32% आता है जो कि संतोषप्रद है। देखे परिशिष्ट एक अ एवं ब।

<u>(ब) अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजनाः—</u> इस मद में आबंटित राशि रू. 288.65 करोड़ में रू. 146.22 करोड़ व्यय कर वृहद, मध्यम व लघु योजनाओं को पूरा किया जिससे भौतिक लक्ष्य 5000 हेक्टेयर में से 1132 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया है। इस मद में व्यय की गई राशि आबंटित राशि का 50.65 % आता है जो कि संतोषप्रद है।

4.19 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन।
2. विकासशील क्षेत्रों में 25% एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50% तक भू–खण्डों का 02 वर्ष तक आरक्षण।
3. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ।
4. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख।
5. अनुदान एवं छूट योजनाएं –

1.	ब्याज अनुदान–	सावधि ऋण पर पर ब्याज का 75% , अधिकतम सीमा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, रू. 20 लाख वार्षिक से लेकर रू. 120 लाख वार्षिक तक।
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	40% से 50% तक, अधिकतम सीमा रू. 40 लाख से 500 लाख तक।
3.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम रू. 1.50 लाख से रू. 2.50 लाख।
4.	विद्युत शुल्क छूट	10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
5.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 1.25 लाख।
6.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 6.00 लाख।
7.	प्रौद्योगिक क्रय अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 6.00 लाख।
8.	अनुसूचित जाति/ जनजाति पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1,00,000, रू. 51,000 एवं रू. 31,000

6. अन्य सामान्य योजनाएँ –
   - 1– स्टाम्प शुल्क से छूट –
     - 1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,
     - 1.2 ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,
   - 2– भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100% छूट – अधिकतम 05 एकड़ के लिए।
   - 3– प्रवेश कर छूट – 05 से 07 वर्ष तक।
   - 4– विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक का 25%।
   - 5– इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान – लागत का 25%, अधिकतम 10 लाख

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्य	–	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	–	विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	–	सामान्य वर्ग – 10 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 %
अनुदान की दर	–	सामान्य वर्ग – शहरी 15 %, ग्रामीण 25 % अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	–	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :–

युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा–

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	02.00 लाख

3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. ''शिशु'' – रू. 50,000 तक
2. ''किशोर'' – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
3. ''तरूण'' – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

4. औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत स्टार्ट–अप छत्तीसगढ़ पैकेज की योजनाएँ– (भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में उद्योग व सेवा संबंधी इकाईयों में वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों को।)

1 ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

क्र.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाख में)
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2	मध्यम उद्योग	35	70
3	वृहद उद्योग	35	110
4	मेगा उद्योग	40	350

3 विद्युत शुल्क छूट– शतप्रतिशत छूट।

4 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

5 लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

6 (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।

(स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख।

(द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख।

7 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट।

8 प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।

9 प्रथम 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य शासन को पटाये गये समस्त करों (रिफण्ड को छोड़कर) की शत–प्रतिशत् प्रतिपूर्ति।

10 किराया अनुदान– किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

5. ''स्टैण्ड अप इंडिया'' योजना –

(अ) पात्रता– (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य– प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा– रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

4.20 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पृथक से आबंटन प्राप्त नहीं होता है, तथापि विभाग की अनेक योजनाओं द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉईस केन्द्र)

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केन्द्रों से नागरिकों को विभिन्न जनोपयोगी नागरिक सेवाएँ जैसे आधार पंजीयन एवं अद्यतन, जन्म/मृत्यु पंजीयन, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न शासकीय फार्म की प्रदायगी, भू–अभिलेख दस्तावेजों की प्रदायगी, रोजगार पंजीयन, जन–शिकायत निवारण, बिजली बिल भुगतान एवं अन्य यूटिलिटी बिल भुगतान, परीक्षा परिणाम की प्रदायगी एवं विभागवार सेवाओं का डाटा एन्ट्री कार्य, खनिज विभाग की ऑनलाईन सेवाएँ जैसी सेवाएँ प्रदाय की जा रही है।

इसके साथ–साथ लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत निम्नानुसार सेवाएँ भी प्रदाय की जा रही है।

<u>सहकारिता विभाग अंतर्गत</u>

कार्यालय पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ अंतर्गत

- नई फर्म का पंजीकरण।
- नई सोसायटी का पंजीकरण।

<u>उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत</u>

अ) छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु

- विद्यार्थियों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन।
- विद्यार्थियों का ऑनलाईन आवेदन।

ब) छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु परीक्षा फार्म का ऑनलाईन आवेदन।

<u>नापतौल विभाग अंतर्गत</u>

- नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण।
- विक्रेता अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण।
- सुधारक अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण।

<u>स्कूल शिक्षा विभाग अतर्गत</u>

- अंकसूची की प्रतिलिपि।
- स्थानांतरण प्रमाण–पत्र।

<u>तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत</u>

- स्थानांतरण प्रमाण–पत्र।
- चरित्र प्रमाण–पत्र।
- संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन।
- संस्था स्तर पर सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों का भुगतान।
- संस्था परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
- संस्था स्तर पर सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों का भुगतान (निःशक्तजन)।
- स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (निःशक्तजन)।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत

- संघ/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को नियमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता के आवेदनों का निराकरण।

ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत

- बुनकर सहकारी समितियों एवं हथकरघा ईकाईयों के वित्तीय प्रस्ताव का निराकरण (संचालनालय एवं जिला स्तर पर)।
- शहतूत पौधारोपरण विस्तार अंतर्गत पौधे एवं सहायता राशि के प्रदाय हेतु आवेदन पत्र।
- परिवार मूलक/मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदाय करना ।

- छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड में संचालित योजनाओं के अंतर्गत
  - शिल्पकारों हेतु पंजीयन का आवेदन पत्र।
  - हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों का पंजीयन।
  - स्व–सहायता समूहों/सहकारी समितियों का पंजीयन।
  - राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने बाबत आवेदन पत्र।
  - छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड से औजार उपकरण/कर्मशाला निर्माण अनुदान स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन पत्र।
  - शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता का लाभ दिये जाने हेतु आवेदन पत्र।
  - जनश्री समूह बीमा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र।
  - भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में 04 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र के लिए शिल्पियों के बच्चों हेतु आवेदन पत्र।

कृषि विभाग अंतर्गत

- जिले में उर्वरक व्यवसाय के लिए नवीन पंजीयन एवं नवीनीकरण।
- जिले में पौध संरक्षण औषधियों के व्यवसाय के लिए अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण।
- कृषि के प्रमाणित लेबल बीजों के व्यवसाय हेतु नवीन अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण।
- शक्तिचालित उन्नत कृषि यंत्र वितरण (कृषि/उद्यान संचालनालय)।
- नलकूप योजना (किसान समृद्धि एवं सामान्य नलकूप)।
- प्रमाणित बीजों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति पत्र जारी करना तथा नवीनीकरण (उद्यानिकी)।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत

- स्वावलंबन योजना।

जलसंसाधन विभाग अंतर्गत

- सिंचाई प्रदाय करने हेतु आवेदन।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत

- जन्म/मृत्यु पंजीयन (ग्राम पंचायत स्तर पर)।
- विवाह पंजीयन (ग्राम पंचायत स्तर पर)।
- नल कनेक्शन (ग्राम पंचायत स्तर पर)।

- भवन निर्माण/मरम्मत अनुज्ञा (ग्राम पंचायत स्तर पर)।
- स्ट्रीट लाइट (बल्ब एवं ट्यूब लाइट बदलना)।
- आवश्यक सफाई व्यवस्था।

लोक निर्माण विभाग अंतर्गत

- बेरोजगार इंजीनियर पंजीयन हेतु।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत

- आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक एवं योग स्नातक चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन।

जनशक्ति नियोजन विभाग अंतर्गत

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवेदन।

जेल (गृह) विभाग अंतर्गत

- जेल नियमावली के अंतर्गत दण्डित बंदियों से मुलाकात एवं पत्र व्यवहार की सुविधा दिया जाना (केन्द्रीय जिला एवं उप जेल)।

गृह (पुलिस) विभाग अंतर्गत

- थाने में पंजीबद्ध अपराधो की संख्या की जानकारी।
- सड़क दुर्घटना में मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर रहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतीकरण।
- प्राकृतिक आपदाओं (जिसमे पुलिस जांच या विवेचना की है) में पीड़ित परिवारों के राहत हेतु तहसीलदार को आवेदन।
- सड़क दुर्घटना में घायलों को तात्कालिक राहत हेतु कार्यवाही।
- किसी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मुआवजा राशि के विभिन्न बीमा क्लेम एवं राहत योजनाओ के तहत आवेदन।
- प्रस्तुत शिकायत पर/आवेदन पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी हेतु आवेदन पत्र पर कार्यवाही।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अंतर्गत

- नियंत्रण आदेश के तहत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/नवीनीकरण।
- उचित मूल्य दुकान का आबंटन जिला मुख्यालय एवं उसके अतिरिक्त।

कृषि (मछलीपालन) विभाग अंतर्गत

- विभागीय जलाशयों से स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट करने के इच्छुक संस्थाओं समूहों के आवेदन पत्र पर कार्यवाही।
- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का तालाब पट्टे के प्रकरण प्रस्तुत करना।
- बीमित मछुवारों की मृत्य/स्थायी अपंगता होने पर उसकी दुर्घटना बीमा राशि का प्रकरण तैयार करना।
- हितग्राहियों के मछली पालन हेतु ऋण प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना।

वन विभाग अंतर्गत

- आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/निराकरण।
- विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माता व्यापारियों/बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण।
- विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण।

पशुधन कल्याण विभाग अंतर्गत

- पशु रोग उद्भेदों की सूचना प्राप्ति पर कार्यवाही।

संस्कृति विभाग अंतर्गत

- अभिलेखों का अवलोकन एवं प्रतिलिपि उपलब्ध कराना।

व्यावसायिक सेवाएँ जैसे –

1. बीमा सेवाएँ।
2. बैंकिंग सेवाएँ
3. कृषि सेवाएँ।
4. मोबाईल सेवाएँ
5. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न शैक्षणिक सेवाएँ।
6. अन्य जनोपयोगी सेवाएँ।

राज्य में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर 4651 (IAP जिलों के अंतर्गत संचालित सामान्य सेवा केन्द्र) केन्द्रों के माध्यम से जन–सामान्य को उपरोक्तानुसार सेवाएँ प्रदाय की जा रही है। यह केन्द्र स्थानीय उद्यमी द्वारा स्व–वित्त से संचालित किए जा रहें हैं। यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम 2003 के अंतर्गत संचालित किए जा रहें हैं।

4.21 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में कुल 74,647 बसाहटें हैं जिनमें से 50,693 बसाहटें अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं 3190 बसाहटें अनुसूचित जाति बाहुल्य हैं (संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार)। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 31.03. 2017 की स्थिति में पेयजल व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कुल बसाहटें	50,693	–
2	पेयजल व्यवस्था पूर्ण बसाहटें	47,816	94.32%
3	आंशिक पूर्ण बसाहटें	2,247	4.43%
4	पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटें	630	1.24.%

31.03.2017 की स्थिति में 94.32% बसाहटों में आवश्यकता के अनुरुप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 4.43% बसाहटों में आंशिक रुप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 1.24% बसाहटों में गुणवत्ता की समस्या है जिसके लिए विभिन्न योजनाओं जैसे आई.आर.पी, एफ.आर.पी., आर. ओ. इत्यादि बसाहटों में स्थापित कराये जा रहे हैं।

पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए सभी पंचायतों को FTK उपलब्ध कराया गया है तथा ग्राम के कुछ लोगों को नमूना जांच का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 18 मोबाईल वेन से भी जल नमूना का जांच किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला संचालित है। इस प्रकार जल नमूनों की जांच की पर्याप्त व्यवस्था है एवं गुणवत्ता जांच सतत किया जा रहा है।

भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रोग्राम मद में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि एवं व्यय की गई राशि (31 मार्च 2017 की स्थिति में) का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	छत्तीसगढ़	(राशि रु. लाख में)
1	पूर्व अवशेष	690.00
2	उपलब्ध राशि (राज्यांश)	8880.47
3	उपलब्ध राशि (केन्द्रांश)	8062.49
4	कुल उपलब्ध राशि	17632.96
5	कुल व्यय राशि	14606.58
6	व्यय का प्रतिशत	82.84%

इस वित्तीय वर्ष में व्यय का प्रतिशत अब तक 82.84% है।

4.22 लोक निर्माण विभाग

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 36 सड़क कार्य पूर्ण और 83 सडक कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो के अंतर्गत 617 कि.मी. सड़को का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। 38 पुल पूर्ण एवं 89 पुल कार्य प्रगति पर थे। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 90 कार्य पूर्ण एवं 105 कार्य प्रगति पर थे। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहॉ आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है, जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासीयों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या –42)

(अ). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :– इस योजना में 11 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 21 सड़क कार्य प्रगति पर रहे इस योजना के अंतर्गत 129 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रू 76.25 करोड़ का व्यय किया गया है।

(ब). राज्य मार्ग :– इस योजना के अंतर्गत 02 सड़क पूर्ण 05 सड़क कार्य प्रगति पर थे। जिसमें रू. 46.14 करोड़ का व्यय हुआ एवं 64 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(स). मुख्य जिला मार्ग :– इस योजना के अंतर्गत 10 सड़क कार्य पूर्ण एवं 27 सड़क कार्य प्रगति पर थे, जिसमें रू. 192.90 करोड़ का व्यय हुआ है तथा 282 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया।

(द). वृहत पुलों का निर्माण :– इस योजना के अंतर्गत 38 पुल कार्य पूर्ण तथा 89 पुल के कार्य प्रगति पर रहे तथा रू. 183.49 करोड़ का व्यय किया गया है।

(य). हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्सतार :– इस योजना के अंतर्गत 1 पूर्ण, 06 कार्य प्रगति पर थे। इन पर रू. 3.97 करोड़ का व्यय किया गया है।

(र) नाबार्ड :– इस योजना में 12 सड़क पूर्ण तथा 24 सड़क कार्य प्रगति पर थे। वर्ष 2016–17 में रू. 57.72 करोड़ व्यय हुआ है जिसमें 128 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है।

मांग संख्या –76 :–

(अ). ए.डी.बी. सहायता के कार्य (आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत):– इस योजना के अंतर्गत ए. डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जाना है। इसमें द्वितीय फेस में 3 कार्य लिये गये है, जिसमें से 02 कार्य प्रगति पर है तथा 01 कार्य पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है। इसमें वर्ष 2016–17 में रू. 82.87 करोड़ का व्यय हुआ है।

2. भवन कार्य (मांग संख्या – 68)

(अ). मांग संख्या–68 :– मांग संख्या–68 में भवन कार्यो के तहत 90 नग भवन पूर्ण किये तथा 105 कार्य प्रगति पर रहे, इन कार्यो पर वर्ष 2016–17 में रू. 202.16 करोड़ व्यय किया गया है। योजना अंतर्गत पूर्ण हुए महत्वपूर्ण भवन निम्नानुसार है :–

- 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 01 आदिवासी छात्रावास,
- 11 शैक्षणिक संस्थान
- 11 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन
- 02 माध्यमिक शाला भवन
- 21 महाविद्यालय भवन

- 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन
- 01 पॉलीटेक्निक भवन
- 02 विशेष अधोसंरचना विकास योजना
- 01 खनिज प्रशासन
- 01 पुलिस निर्माण कार्य
- 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 01 जिला/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भवन
- 01 आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत अस्पताल
- 01 शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत
- 01 अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवासगृह का निर्माण

अनूसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के कार्य वर्ष 2016–17

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कुल 19 सड़क कार्य पूर्ण और 28 सड़क कार्य प्रगति पर रहे। इन कार्यो के अंतर्गत 327 कि.मी. सड़को का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। इनके अलावा 08 पुल कार्य पूर्ण एवं 19 पुल कार्य प्रगति पर रहे। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 06 कार्य पूर्ण एवं 07 कार्य प्रगति पर रहे।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या –64)

(अ). अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र :– इस योजना के अंतर्गत 11 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 23 सड़क कार्य प्रगति पर रहे, इसके अंतर्गत 301 कि.मी. सड़क का निर्माण/उन्नयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत रू. 154.69 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

(ब). वृहत पुल कार्य :– इसके अंतर्गत 08 पुल कार्य पूर्ण तथा 19 पुल कार्य प्रगति पर रहे। इस योजना के अंतर्गत रू. 25 करोड़ व्यय किया गया।

(स.) नाबार्ड :– वर्ष 2016–17 में इस योजना में 08 पूर्ण एवं 05 सड़क कार्य प्रगति पर है एवं रू. 14.91 करोड़ का व्यय हुआ है। जिसके अंतर्गत 26 कि.मी. सड़क का निर्माण/उन्नयन कार्य किया गया है।

मांग संख्या –76 :–

(अ). ए.डी.बी. सहायता के कार्य (अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत):– इस योजना के अंतर्गत ए.डी.बी. बैंक से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जाना है। इसमें द्वितीय फेस में 3 कार्य लिये गये है, जिसमें से 03 कार्य प्रगति पर है। इसमें वर्ष 2016–17 रू. 149.81 करोड़ का व्यय हुआ है।

2. भवन कार्य (मांग संख्या – 64) :–

मांग संख्या–64 में भवन कार्यो के तहत 06 नग भवन पूर्ण किये तथा 07 नग कार्य प्रगति पर रहे, इस योजना पर वर्ष 2016–17 में रू. 8.45 करोड़ व्यय किया गया है। योजना अंतर्गत पूर्ण हुये महत्वपूर्ण भवन निम्नानुसार है :–

- 01 महाविद्यालय भवन
- 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 15 सड़क कार्य पूर्ण और 58 सडक कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यो के अंतर्गत 595.31 कि.मी. सड़को का निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया। इनके अलावा हवाई पट्टी के 03 कार्य प्रगति पर रहे एवं 29 पुल पूर्ण एवं 96 पुल कार्य प्रगति पर थे। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 91 कार्य पूर्ण एवं 121 कार्य प्रगति पर थे। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहॉ आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है, जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासीयों को सीधे लाभ मिलता है।

4.23 जनसम्पर्क विभाग

(अनुसूचित जाति विकास उपयोजना)

जनसम्पर्क विभाग द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंडों के ग्रामों तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित कार्य योजना के तहत सम्पादित किया जाएगा ताकि अनुसूचित जाति बहुल जन–समुदाय को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। इसके लिए जनसम्पक्र विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मांग संख्या 64 के तहत अनुसूचित जाति विकास उपयोजना के तहत लगभग 08 करोड़ रूपए की कार्ययोजना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित बजट 08 करोड़ रूपए का प्रस्ताव रखा जाना प्रस्तावित है, जिसमें

01 सूचना शिविर :– राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण अंचलों के लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना शिविरों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए आवश्यक बजट अनुसूचित जाति योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ये सूचना शिविर अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंड के हाट बाजारों एवं बड़े ग्रामों में लगाए जाते हैं। सूचना शिविर त्रैमासिक कार्ययोजना के अनुसार लगाए जाते है और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय–सीमा में की जाती है। शिविर के स्थानों का अनुमोदन कलेक्टर से कराए जाते हैं। इस हेतु 01 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

02. नाचा दल :– शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक स्थानीय नाचा दलों (सांस्कृतिक कार्यक्रमों) के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंडों के हाट बाजारों और ग्रामों में दी जाती है। इसके लिए अच्छे नाचा दलों का चयन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। गांव, गरीब और किसानों के हित में शासन के महत्वपूर्ण फैसले (ब्रोशर) की जानकारी को स्क्रिप्ट में शामिल कर, स्क्रिप्ट की जांच विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। नाचा दलों की सूची और कार्यक्रमों के स्थानों का अनुमोदन कलेक्टर से कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित बजट में से राज्य की 85 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंडों में हाट–बाजारों में कला–जत्था एवं होर्डिंग्स के माध्यम से योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए 02 करोड़ रूपए की कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय–सीमा में कराई जाएगी।

03. चलित छायाचित्र प्रदर्शनी – संचालनालय द्वारा चलित छायाचित्र प्रदर्शनी वाहन तैयार कराकर जिलों में भेजे जाते हैं। इन वाहनों को अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के हाट बाजारों और गांवों में घुमाया जाता है। वाहन के साथ एक कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही इन वाहनों को समय–समय पर चल रहे मेला–मड़ई में घुमाया जाता है। इस हेतु 02 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

04. फिल्म प्रदर्शन/लाईट एण्ड साउण्ड :– जिलों में लगने वाले बड़े ग्रामों और मेलों में एल.ई.डी. के माध्यम से शासन की योजनाओं पर आधारित फिल्म/लाईट एण्ड साउण्ड का प्रदर्शन किया जाना है, जिसके लिए स्थान एवं दिनांक सहित जानकारी तैयार कर क्षेत्र प्रचार शाखा से उपलब्ध कराए जाते हैं। इस हेतु 02 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

05. योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी :– शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित छायाचित्रों की प्रदर्शनी विभिन्न अवसरों पर लगाई जाती है। इसमें राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, प्रदेश में हुई विकास कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आकर्षक छायाचित्रों और तालिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रदशनी को हजारों लोगों ने उत्सुकता से अवलोकन किया तथा इसे ज्ञानवर्धक भी बताया। स्कूली बच्चों ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन एल.ई.डी. के माध्यम से किया गया तथा ब्रोशर वितरित किए गए। इस हेतु 01 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

06. लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना – अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सूचना शिविरों, नाचा दलों, चलित प्रदर्शनी वाहन, दीवाल लेखन, होर्डिंग्स, फिल्म प्रदर्शन, रेडियो कार्यक्रम, डाक्यूमेन्ट्री फिल्म और एल.ई.डी. के माध्यम से शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाना है। जिससे लोग शासकीय कार्यक्रमों से अवगत होकर उनका लाभ लेने के लिए आगे आएंगे। वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासन की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए पाम्पलेट, फोल्डर, ब्रोशर आदि का भी वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

07. हितग्राहीमूलक योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाय – इस विभाग द्वारा आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना संचालित नहीं की जाती है, बल्कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का विभिन्न प्रचार साहित्यों के माध्यमों जैसे सूचना शिविर, नाचा दलों, चलित छायाचित्र प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन एवं एल.ई.डी. और प्रचार साहित्यों के माध्यम से शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजाति बाहुल्य दूर–दराज के ग्रामों में प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिससे लोग शासकीय कार्यक्रमों से अवगत होकर उनका लाभ लेने के लिए आगे आ सके।

(अनुसूचित जनजाति विकास उपयोजना)

जनसम्पक्र विभाग द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को राज्य के 85 आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों के ग्रामों तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित कार्य योजना के तहत सम्पादित किया जाएगा, ताकि आदिवासी बाहुल्य जन–समुदाय को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। इसके लिए जनसम्पक्र विभाग द्वारा निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुसूचित जनजाति विकास उपयोजना के तहत मांग संख्या 41–2220, सूचना और प्रचार आयोजना–60 अन्य 101 विज्ञापन और दृश्य प्रचार 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना 9797 आदिवासी क्षेत्रों में सूचना शिविर का आयोजन 09 विज्ञापन और प्रचार मद में लगभग 40 करोड़ रूपए की कार्ययोजना प्रस्तावित है।

<u>वित्तीय वर्ष 2017–18 :–</u> वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित बजट 40 करोड़ रूपए का प्रस्ताव रखा जाना प्रस्तावित है, जिसमें

01. सूचना शिविर :– राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण अंचलों के लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना शिविरों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए आवश्यक बजट आदिवासी उप योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ये सूचना शिविर आदिवासी बाहुल्य विकासखंड के हाट बाजारों एवं बड़े ग्रामों में लगाए जाते हैं। सूचना शिविर त्रैमासिक कार्ययोजना के अनुसार लगाए जाते है और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय–सीमा में की जाती है। शिविर के स्थानों का अनुमोदन कलेक्टर से कराए जाते हैं। इस हेतु 07 (सात) करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

02. नाचा दल :– शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक स्थानीय नाचा दलों (सांस्कृतिक कार्यक्रमों) के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों के हाट बाजारों और ग्रामों में दी जाती है। इसके लिए अच्छे नाचा दलों का चयन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। गांव, गरीब और किसानों के हित में शासन के महत्वपूर्ण फैसले (ब्रोशर) की जानकारी को स्क्रिप्ट में शामिल कराया जाकर, स्क्रिप्ट की जांच विशेशज्ञ समिति द्वारा की जाती है। नाचा दलों की सूची और कार्यक्रमों के स्थानों का अनुमोदन कलेक्टर से कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित बजट में से राज्य की 85 आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों में हाट–बाजारों में कला–जत्था के माध्यम से योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। होर्डिंग्स के लिए 05 करोड़ रूपए की कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति समय–सीमा में कराई जाएगी।

03. चलित छायाचित्र प्रदर्शनी – संचालनालय द्वारा चलित छायाचित्र प्रदर्शनी वाहन तैयार कराकर जिलों में भेजे जाते हैं। इन वाहनों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के हाट बाजारों और गांवों में घुमाया जाता है। वाहन के साथ एक कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही इन वाहनों को समय–समय पर चल रहे मेला–मड़ई में घुमाया जाता है। इस हेतु 07 (सात) करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

04. फिल्म प्रदर्शन / लाईट एण्ड साउण्ड :– जिलों में लगने वाले बड़े ग्रामों और मेलों में एल.ई.डी. के माध्यम से शासन की योजनाओं पर आधारित फिल्म / लाईट एण्ड साउण्ड का प्रदर्शन किया जाना है, जिसके लिए स्थान एवं दिनांक सहित जानकारी तैयार कर क्षेत्र प्रचार शाखा से उपलब्ध कराए जाते हैं। इस हेतु 12 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

05. योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी :– शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित छायाचित्रों की प्रदर्शनी विभिन्न अवसरों पर लगाई जाती है। इसमें राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, प्रदेश में हुई विकास कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आकर्षक छायाचित्रों और तालिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रदर्शनी को हजारों लोगों उत्सुकता से अवलोकन किया तथा इसे ज्ञानवर्धक भी बताया। स्कूली बच्चों ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन एल.ई.डी. के माध्यम से किया गया तथा ब्रोशर वितरित किए गए। इस हेतु 07 (सात) करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

06. लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना – आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सूचना शिविरों, नाचा दलों, चलित प्रदर्शनी वाहन, दीवाल लेखन, होर्डिंग्स, फिल्म प्रदर्शन, रेडियो कार्यक्रम, डाक्यूमेन्ट्री फिल्म के माध्यम से शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाना है। जिससे लोग शासकीय कार्यक्रमों से अवगत होकर उनका लाभ लेने के लिए आगे आएंगे। वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासन की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए पाम्पलेट, फोल्डर, ब्रोशर आदि का भी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 02 (दो) करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

07. हितग्राहीमूलक योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाय – इस विभाग द्वारा आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना संचालित नहीं की जाती है, बल्कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का विभिन्न प्रचार साहित्यों के माध्यमों जैसे सूचना शिविर, नाचा दलों, चलित छायाचित्र प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन एवं एल.ई.डी. और प्रचार साहित्यों के माध्यम से शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजाति बाहुल्य दूर–दराज के ग्रामों में प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिससे लोग शासकीय कार्यक्रमों से अवगत होकर उनका लाभ लेने के लिए आगे आ सके।

4.24 भौमिकी एवं खनिकर्म

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु खनिज नियमों में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

01. गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का 67 प्रतिशत राशि, आदिवासी अधिसूचित जिलों के विकास हेतु संबंधित पंचायतों / जनपद पंचायतों को आबंटित किया

जाता है। वर्ष 2016–17 में रूपये 28399.57 लाख की राशि अधिसूचित जिलों को आबंटित की गई है।

02. टिन खनिज एक सामरिक महत्व का खनिज है, जिसके पर्याप्त दोहन हेतु शासन कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर, सम्पूर्ण बस्तर क्षेत्र में निवास कर रहें स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को टिन खनिज के कलेक्शन के अधिकार दिये गये है, जिसे राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मूल्य पर क्रय किया जाता हैं। इसमें लगभग 1000 अनुसूचित जनजाति के सदस्य लाभान्वित हो रहे है। इस वित्तीय वर्ष में (वर्ष 2016–17) कुल राशि रूपये 5331178.00 (रूपये तिरपन लाख इक्कतीस हजार एक सौ अठत्तर) मात्र का भुगतान छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा स्थानीय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों/सहकारी समितियों को किया गया है।

03. राज्य के आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत खनिज रियायतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समथा निर्णय के अनुपालन में क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त राजस्व प्रावधानित है। साथ ही खनन क्षेत्रों के तहत निवासरत् आदिवासी वर्ग को रोजगार में प्राथमिकता प्रावधानित है।

4.25 आयुष

मांग संख्या 41–2210–02–101–0102–5683 जिला एलोपैथी चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 3576.65 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 2465.19 लाख व्यय किया गया। उपरोक्त योजना अंतर्गत 422 औषधालय संचालित है।

मांग संख्या 41–2210–04–101–0102–5392 आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना अंतर्गत औषधि हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 30.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 30.00 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 41–4210–03–101–0102–460 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय अंतर्गत भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 63.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 13.00 लाख व्यय किया गया। उक्त राशि लोक निर्माण विभाग के बीसीओं में आबंटित है।

मांग संख्या 41–2210–02–101–0702–7730 राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विविध गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 422.20 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 422.20 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0103–5683 जिला एलोपैथी चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 243.95 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 179.63 लाख व्यय किया गया। उपरोक्त योजनांतर्गत 13 औषधालय संचालित है।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0103–8951 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बिलासपुर अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 524.90 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 282.98 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0103–8952 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय औषधि, चिकित्सकीय उपकरण आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 789.40 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 355.86 लाख व्यय किया गया।

मांग संख्या 64–4210–03–101–0103–460 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय अंतर्गत भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 5.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 5.00 लाख व्यय किया गया। उक्त राशि लोक निर्माण विभाग के बीसीओं में आबंटित है।

मांग संख्या 64–2210–02–101–0703–7730 राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विविध गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू 140.80 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू 140.80 लाख व्यय किया गया।

4.26 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा राज्य में उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य पोषित योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे –एकीकृत बागवानी विकास मिशन ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,नेशनल मिशन आन आईलपाम एवं आईलसीड योजना अंतर्गत प्राप्त आबंटन से किया जाता है।

वर्ष 2016–17 में उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार विशेष महत्व के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया :–

राज्य पोषित योजनाएं

1- फलोद्यान विकास योजना :– प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 में राशि रू. 377.50 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 4013.86 हे. क्षेत्र में फलोद्यान विकास का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 365.25 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य 3958. 51 हेक्टेयर की पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 5925 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 1704 कृषक एवं अजा के 1106 कृषक लाभान्वित हुए।

2- नर्सरी में उन्नत एव प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम :– प्रदेश के कृषकों को उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपयें 165.00 लाख के विरूद्ध रूपये 155.90 लाख व्यय हुए। यह कार्यक्रम शासकीय विभागीय रोपणीयों/प्रक्षेत्रों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलु एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंन्तर्गत कुल लक्ष्य 102.50 हेक्टेयर के विरूद्व अद्यतन 78.48 हेक्टयर की पूर्ति की गई जिसमें अ.ज.जा. क्षेत्रों में संचालित रोपणियों में 110.00 लाख वित्तिय प्रावधान के साथ 72.50 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जिसके विरूद्व 48.48 हेक्टेयर भौतिक पूर्ति हुई।

3- उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना :– प्रदेश में अजजा क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है। वर्ष 2016–17 में राशि रूपयें 35.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध रूपयें 31. 75 लाख व्यय हुए।

4- नदी के कक्षार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना :– प्रदेश में नदी कक्षार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल एवं लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है। वर्ष 2016–17 में राशि रू. 100.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 850.53 हे. क्षेत्र में सब्जी विकास का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 99.92 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 2844 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 1094 कृषक एवं अजा के 338 कृषक लाभान्वित हुए।

5- कम्यूनिटि फेसिंग योजना – उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से 50 प्रतिशत अनुदान पर लागू की गई है। योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को न्यूनतम 0.50 हेक्टेंयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेंयर तक लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 300.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 550.50 हे. क्षेत्र में कम्यूनिटि फेसिंग का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 287.13 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य 435.27 हेक्टेयर की पूर्ति हुई। योजनांतर्गत कुल 550 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 177 कृषक एवं अजा के 159 कृषक लाभान्वित हुए।

- संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन अनुदान योजना– संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त 20 प्रतिशत अनुदान लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु योजना संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 500.00 लाख के वित्तीय प्रावधान का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध अद्यतन 491.48 लाख व्यय हुए। योजनांतर्गत 131 कृषक लाभान्वित हुए हैं जिसमें अजजा के 54 कृषक एवं अजा के 21 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

7- राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – योजना के अंतर्गत कृषकों की खेतों पर टपक सिंचाई सिस्टम लगाने हेतु लघु सीमांत कृषकों 60 प्रतिशत एवं बड़े कृषकों को 40 प्रतिशत अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लगाने हेतु अनुदान दिया जाता है।योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 1000.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 1667 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए टपक सिंचाई सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 886.90 लाख व्यय हुए एवं वर्तमान में अद्यतन भौतिक लक्ष्य 937.45 हेक्टेयर की पूर्ति हुई है। योजनांतर्गत कुल 859 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 294 कृषक एवं अजा के 19 कृषक लाभान्वित हुए।

8- टपक सिंचाई योजना – बीपीएल कृषकों की बाड़ियों में 500 वर्गमीटर में टपक सिंचाई लगाने हेतु 18000 इकाई लागत पर 13500.00 रू. अनुदान दिया जाता है।योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में राशि रू. 11.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 80 कृषकों के लिए टपक सिंचाई सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध 9.46 लाख व्यय हुए एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 56 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 34 कृषक एवं अजा के 9 कृषक लाभान्वित हुए।

9- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –यह योजना वर्ष 2016–17 से क्रियान्वित है एवं योजना का मुख्य उद्‌देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि से कृषको को सुरक्षा प्रदान करना है। योजनान्तर्गत उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने वाले लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को फसलों से हानि होने पर बीमा कराया जाकर

बीमा का लाभ दिया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 1579.35 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु स्टेट शेयर के रूप में राशि रू. 79.27 लाख (50 प्रतिशत राशि) भुगतान बीमा कम्पनी को किया गया जिसमें कुल 5412 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 2165 कृषक एवं अजा के 2165 कृषक लाभान्वित हुए।

केन्द्र प्रवर्तित योजनएं :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना :–

वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है जो वर्ष 2015–16 से एकीकृत बागवानी मिशन योजना के नाम से संचालित है । यह प्रदेश के 19 जिलों में संचालित है। यह योजना केन्द्र पोषित योजना है जिसका संचालन 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि से होता है। वर्ष 2016–17 में राज्य में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के संचालन हेतु केन्द्र सरकार से राशि रू. 11539.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं रूपयें 9963.79 लाख व्यय किया गया तथा बांस मिशन योजनांतर्गत राशि रू. 180.93 लाख व्यय हुआ। वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

- पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास :– वर्ष 2016–17 में पौध उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास किये जाने के उद्देश्य से राशि रू. 487.50 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें शासकीय क्षेत्र मे 2 हाईटेक रोपणी की स्थापना हेतु राशि रू. 200.00 लाख, शासकीय क्षेत्र की 09 रोपणियों के उन्नयन हेतु राशि रू. 90.00 लाख एवं सब्जी एवं मसाला के अन्तर्गत बीज उत्पादन शासकीय क्षेत्र 50 हे. हेतु राशि रू. 17.50 लाख कुल राशि रू. 307.50 लाख व्यय हुए।

- सब्जी क्षेत्र विस्तार :– प्रदेश में वर्ष 2016–17 हेतु सब्जी के क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत 2950 हेक्टेयर क्षेत्र में राशि रू. 590.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत वित्तिय एवं भौतिक उपलब्धि प्राप्त हुए। योजनांतर्गत कुल 5081 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 2507 कृषक एवं अजा के 351 कृषक लाभान्वित हुए।

- फल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम :– प्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उपयुक्त किस्म के फलदार पौधों यथा– आम, केला, लीची, अमरूद एवं अन्य के फलोद्यानों के 3350 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु राशि रू. 991.89 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत वित्तिय एवं भौतिक उपलब्धि रही। योजनांतर्गत कुल 4864 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 2632 कृषक एवं अजा के 278 कृषक लाभान्वित हुए।

  पुष्प क्षेत्र विस्तार :– पृथक राज्य के गठन उपरांत प्रदेश में फूलों का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है। प्रदेश की आवश्यकताओं एवं आसपास के राज्यों में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए, वर्ष 2016–17 में 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न किस्मों के फूल यथा– गुलाब, ग्लेडियोलस, गेंदा,रजनीगंधा, लिलियम एवं जरबेरा के क्षेत्र विस्तार हेतु राशि रू. 262.50 लाख का प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत वित्तिय एवं भौतिक उपलब्धि रही, जिसमें कुल 2114 कृषक लाभान्वित हुए। योजनांतर्गत अजजा के 860 कृषक और अजा के 323 कृषक लाभान्वित हुए।

- मसाला विकास योजना :– राज्य को मसाला फसलों के उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 2016–17 में विभिन्न मसाला फसलों यथा – करायत, काली मिर्च, धनिया, अदरक, मिर्च एवं हल्दी क्षेत्र विस्तार हेतु 2408 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार के लिए राशि रू. 288.96 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया। जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत वित्तिय एवं भौतिक उपलब्धि रही। योजनांतर्गत कुल 3637 कृषक लाभान्वित हुए है, जिसमें अजजा के 1431 कृषक एवं अजा के 293 कृषक लाभान्वित हुए।

- सिंचाई हेतु जल स्त्रोतों का विकास :– उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए सुनिश्चित सिंचाई साधन होना आवश्यक है। वर्ष 2016–17 में कृषकों के प्रक्षेत्र पर सामुदायिक तालाबों, व्यक्तिगत स्तर पर जल संधारण स्त्रोतों का निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि के माध्यम से सिंचाई साधन विकसित किये जाने के लिए राशि रू. 290.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध 15 कम्यूनिटि टैंक हेतु राशि रूपये 300.00 लाख एवं 75 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु 56.25 लाख कुल राशि रू. 356.25 व्यय हुए। योजनांतर्गत कुल 67 कृषक लाभान्वित हुए है, जिसमें अजजा के 32 कृषक एवं अजा के 14 कृषक लाभान्वित हुए।

➢ संरक्षित खेती का विकास :– प्रदेश में उद्यानिकी फसलों विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों तथा पुष्पीय फसलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिए विभिन्न किस्म के ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राशि रू. 4747.86 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध 4625.21 लाख व्यय हुए है। योजनांतर्गत कुल 19157 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 1652 एवं अजा के 13169 कृषक लाभान्वित हुए।

➢ जैविक खेती :– जैविक खेती संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाये रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। कृषकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिए वर्ष 2016–17 में एडॉप्शन ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग, आर्गेनिक सर्टिफिकेट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना आदि के लिए राशि रू. 758.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्ध में 758.00 लाख व्यय हुए। योजनांतर्गत कुल 3400 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 1088 एवं अजा के 408 कृषक लाभान्वित हुए।

➢ अन्य गतिविधियां :– अन्य गतिविधियों के अंतर्गत मशरूम, आई.पी.एम. / आई.एन.एम. को बढावा देना, मधुमक्खी पालन, उद्यानिकी यंत्रीकीकरण, मानव संसाधन विकास के साथ बागवानी एवं नवीन तकनीकी का विकास, एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन, बागवानी उत्पादों के लिए विपणन की व्यवस्था एवं मिशन मैनेजमेंट आदि योजनाएं संचालित है। जिस हेतु वर्ष 2016–17 में रूपयें 2617.28 लाख के वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध रूपयें 1783.48 लाख व्यय हुए। योजनांतर्गत कुल 16611 कृषक लाभान्वित हुए जिसमें अजजा के 5315 एवं अजा के 1995 कृषक लाभान्वित हुए।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–

राज्य के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोंग हेतु वर्ष 06–07 से राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के नाम से प्रारंभ है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार से एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार से किया जाना प्रावधानित है। योजना का क्रियान्वयन कृषि बीज एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु ड्रिप सिंचाई हेतु कुल 6608 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। जिसके लिए 2333.33 लाख वित्तीय आबंटन प्राप्त हुआ एवं अद्यतन

2551 हेक्टेयर की पूर्ति की गई है एवं कुल 2299 कृषक लाभान्वित हुए हैं, जिसमें अजजा के 823 कृषक एवं अजा के 211 कृषक लाभान्वित हुए।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रदेश मे केन्द्र क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत संचालित रही है, एवं वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। वर्ष 2016–17 में कुल रूपये 3106.00 लाख आवंटन प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध रूपये 3101.59 लाख व्यय हुए। योजनांतर्गत फलपौध क्षेत्र विस्तार हेतु 1200 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार हेतु 900 हेक्टेयर ,मसाला क्षेत्र विस्तार 900 हेक्टेयर, सब्जी मिनिकीट संख्या 47500 , एक एकड़ प्रदर्शन संख्या 1500, आई.पी.एम./आई.एन.एम. प्रदर्शन 20000 , मानव संशाधन विकास के साथ बागवानी संख्या 1500, हाईटेक नर्सरी संख्या 01 नग, मिनि प्लग टाइप वेजिटेबल सीडलिंग यूनिट 5 नग, शेडनेट हाउस 80000 वर्ग मीटर का लक्ष्य रखा गया जिसकी शतप्रतिशत् पूर्ति हुई है। योजनान्तर्गत कुल 44866 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 17300 कृषक, अजा के 6342 कृषक लाभान्वित हुए।

4. नेशनल मिशन आन आइलपाम एवं आईलसीड

यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। योजना आइलपाम एवं आईलसीड के क्षेत्र विस्तार के लिए योजना संचालित है । योजना हेतु आवंटन वर्ष 2015–16 तक कृषि से प्राप्त हुई है,जो वर्ष 2016–17 से सीधे विभाग को प्राप्त बजट से संचालित किया जा रहा है। योजना केन्द्र शासन से प्राप्त राशि से 60 प्रतिशत एवं राज्य शासन से प्राप्त 40 प्रतिशत राशि से योजना संचालित हैं।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 मे आईलपाम क्षेत्र विस्तार हेतु 2500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। जिसके लिए 386.66 लाख वित्तीय आबंटन प्राप्त हुआ एवं 1287.46 हेक्टेयर की पूर्ति की गई जिसमें राशि रू. 278.36 लाख व्यय हुआ। योजनान्तर्गत कुल 1026 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 515 कृषक एवं अजा के 69 कृषक लाभान्वित हुए।

4.27 उद्योग

<u>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं</u>

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन।
2. विकासशील क्षेत्रों में 25% एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50% तक भू–खण्डों का 02 वर्ष तक आरक्षण।
3. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ।
4. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख।
5. अनुदान एवं छूट योजनाएं –

1.	ब्याज अनुदान–	सावधि ऋण पर पर ब्याज का 75% , अधिकतम सीमा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, रू. 20 लाख वार्षिक से लेकर रू. 120 लाख वार्षिक तक।
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	40% से 50% तक, अधिकतम सीमा रू. 40 लाख से 500 लाख तक।
3.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम रू. 1.50 लाख से रू. 2.50 लाख।
4.	विद्युत शुल्क छूट	10 वर्ष से 12 वर्ष तक।
5.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 1.25 लाख।
6.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 6.00 लाख।
7.	प्रौद्योगिक क्रय अनुदान	व्यय का 60%, अधिकतम रू. 6.00 लाख।
8.	अनुसूचित जाति/ जनजाति पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1,00,000, रू. 51,000 एवं रू. 31,000

6. अन्य सामान्य योजनाएँ –

1. स्टाम्प शुल्क से छूट –

   1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,

   1.2 ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

2. भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100% छूट – अधिकतम 05 एकड़ के लिए।

3. प्रवेश कर छूट – 05 से 07 वर्ष तक।

4. विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक का 25%।

5. इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान – लागत का 25%, अधिकतम 10 लाख

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्य – देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।

परियोजना लागत – विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख

सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 10.00 लाख

लाभार्थी का – सामान्य वर्ग – 10 %

अंशदान		अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य – 5 %
अनुदान की दर	–	सामान्य वर्ग – शहरी 15 %, ग्रामीण 25 %
		अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	–	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/ सोसायटी भी पात्र

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :–

युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा–

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू.	02.00 लाख

3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण) ''शिशु'' – रू. 50,000 तक

1. ''किशोर'' – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
2. ''तरूण'' – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

4. औद्योगिक नीति 2014–19 के अंतर्गत स्टार्ट–अप छत्तीसगढ़ पैकेज की योजनाएॅ– (भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में उद्योग व सेवा संबंधी इकाईयों में वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र धारकों को।)

1 ब्याज अनुदान – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये वार्षिक।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान–

क्र.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाखं)
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2	मध्यम उद्योग	35	70
3	वृहद उद्योग	35	110
4	मेगा उद्योग	40	350

3 विद्युत शुल्क छूट– शतप्रतिशत छूट।

4 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

5 लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

6 (अ) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(ब) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख।

(स) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख।

(द) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.00 लाख।

7 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट।

8 प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।

9 प्रथम 36 स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य शासन को पटाये गये समस्त करों (रिफण्ड को छोड़कर) की शत–प्रतिशत् प्रतिपूर्ति।

10 किराया अनुदान– किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति 03 वर्षों तक।

5. ''स्टैण्ड अप इंडिया'' योजना –

(अ) पात्रता– (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य– प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा– रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

वर्ष 2016–17 मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना अंतर्गत

अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ग	संख्या	राशि	
			वितरित राशि	वितरित मार्जिन मनी
1.	अनुसूचित जाति	32	60.04	19.04
2.	अनुसूचित जनजाति	35	62.41	13.50
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	122	293.43	45.33
4.	अल्पसंख्यक	11	36.58	7.13

वर्ष 2016–17 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत

अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ग	संख्या	राशि	
			वितरित राशि	वितरित मार्जिन मनी
1.	अनुसूचित जाति	82	286.23	164.57
2.	अनुसूचित जनजाति	150	400.36	220.70
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	193	801.04	453.44
4.	अल्पसंख्यक	25	112.40	60.01

4.28 आर्थिक एवं सांख्यिकी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :–

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु रू. 100.00 लाख तक के जनोपयोगी कार्यों की स्वीकृति हेतु राशि जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई गई थी। योजना के अंतर्गत रू. 75.00 लाख तक के कार्यों की अनुशंसा मान. विधायकों द्वारा एवं रू. 25.00 लाख तक के कार्यों की अनशंसा मान. प्रभारी मंत्री जी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विधायक निधि के अंतर्गत मांग संख्या–41 आदिवासी उपयोजना (TSP) तथा मांग संख्या–64 अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) में क्रमशः 2900.00 लाख एवं रू. 100.00 लाख का आबंटन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें मांग संख्या 41 एवं मांग संख्या 64 अंतर्गत क्रमषः रू. 2875.49 एवं 988.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई जो आबंटन का क्रमषः 99.15 प्रतिशत एवं 98.89 प्रतिशत है। उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गए आबंटन में से माह मार्च 2017 की स्थिति में क्रमशः 1016 एवं 430 कार्यों की स्वीकृतियां प्रदाय की जाकर क्रमशः 309 एवं 70 कार्यों को पूर्ण कराया गया।

4.29 पंचायत :– छत्तीसगढ़ प्रदेश के 13 जिले पूर्णतः एवं 06 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। उक्त जिलों के कुल 85 विकासखण्ड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 86.23 लाख जिसमें 43.01 लाख पुरूष एवं 43.23 लाख महिलाएँ है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 54.68 लाख है, जिसमें 27.07 लाख पुरूष एवं 27.61 लाख महिला जनजाति है। जनसंख्या का विस्तृत विवरण संलग्न है।

पेसा अधिनियम 1996 के अनुरूप छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अध्याय 14–क पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध किया गया है। अधिनियम की धारा 129–क से 129–च में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा, ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की शक्तियॉ और कृत्य, ग्राम पंचायत के कृत्य, स्थानों का आरक्षण एवं जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियों का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में पंचायत विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाऍ संचालित की जा रही है :–

1. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना
2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक गली विद्युतीकरण
3. जिला पंचायत विकास निधि
4. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5. 14वॉ वित्त आयोग
6. मूलभूत
7. स्वामी विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन

उक्त विभागीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना

राशि रूपये लाख में

क्रं.	जिले का नाम	योजना / कार्यक्रम का नाम एवं विवरण	कार्य नाम एवं विवरण	लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि			
					15	80	82	Total
1	रायगढ़	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	अद्योसंरचना निर्माण कार्य	जानकारी उपलब्ध नहीं	88.00	644.29	586.33	1318.62
2	बिलासपुर				101.00	396.43	152.08	649.51
3	राजनांदगांव				82.91	545.68	150.00	778.59
4	धमतरी				625.80	358.87	0.00	984.67
5	गरियाबंद				249.82	238.81	33.00	521.63
6	बालोद				85.00	210.00	130.00	425.00
7	कोरिया				0.00	50.76	233.94	284.70
8	सरगुजा				0.00	0.00	235.57	235.57
9	जशपुर				0.00	105.69	130.00	235.69
10	कोरबा				0.00	0.00	180.00	180.00
11	कांकेर				0.00	63.84	23.86	87.70
12	जगदलपुर				0.00	25.08	10.31	35.39
13	दंतेवाडा				0.00	0.00	0.00	0.00
14	नारायणपुर				0.00	0.00	0.00	0.00
15	बीजापुर				0.00	0.00	265.00	265.00
16	कोण्डागांव				0.00	0.00	27.33	27.33
17	सुकमा				0.00	0.00	0.00	0.00
18	बलरामपुर				0.00	0.00	395.20	395.20
19	सूरजपुर				0.00	0.00	230.00	230.00
योग					1232.53	2639.45	2782.62	6654.60

विभागीय टीप :– मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखतें हुए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते है। योजना के अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित है :–योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थाई परिसम्पत्तियां जैसे तालाब का सौन्दर्यीकरण, पुल–पुलिया निर्माण (आंतरिक), ग्राम पंचायत भवन, अतिरिक्त कक्ष तथा पंचायत भवन में विद्युतीकरण कार्य, गली कांक्रीटीकरण निर्माण, निर्मलाघाट निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउण्ड्रीबाल सहित), व्यवसायिक परिसर निर्माण, कांजी हाऊस भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, अटल समरसता भवन निर्माण, मिनी स्टेडियम निर्माण, यात्री प्रतिक्षालय / शेड निर्माण, नाली निर्माण, ग्रामों में स्वच्छता तथा शुद्व पेयजल की व्यवस्था इत्यादि निर्माण कार्य लिये जाते है। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में कुल 7040 कार्य की अनुशंसा जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना की जानकारी

राशि रूपये लाख में

क्रं.	जिले का नाम	योजना / कार्य क्रम का नाम एवं विवरण	कार्य नाम एवं विवरण	लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि			
					15	80	82	Total
1	रायगढ़	मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना	गली विद्युतीकरण निर्माण कार्य	जानकारी उपलब्ध नहीं	5.18	21.60	16.41	50.19
2	बिलासपुर				50.21	209.21	159.00	517.41
3	राजनांदगांव				1.82	7.59	5.77	20.18
4	धमतरी				38.32	159.69	121.36	441.37
5	गरियाबंद				16.79	69.97	53.17	183.93
6	बालोद				8.72	36.34	27.61	109.67
7	कोरिया				0.00	0.00	0.00	0.00
8	सरगुजा				67.24	280.18	212.93	609.35
9	जशपुर				18.37	76.55	58.18	183.10
10	कोरबा				25.80	107.51	81.70	236.01
11	कांकेर				20.04	83.50	63.46	221.00
12	जगदलपुर				17.37	72.37	55.00	177.74
13	दंतेवाडा				28.03	116.79	88.76	254.57
14	नारायणपुर				1.00	4.16	3.16	10.32
15	बीजापुर				7.81	32.54	24.73	69.07
16	कोण्डागांव				16.25	67.72	51.46	187.43
17	सुकमा				8.35	34.78	26.43	79.56
18	बलरामपुर				11.43	47.63	36.20	135.25
19	सूरजपुर				79.22	330.08	250.86	736.16
योग					421.96	1758.16	1336.20	4222.31

विभागीय टीप :– मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक गली योजना प्रदेश में वर्ष 2014–15 से 27 जिलों प्रारंभ की गई है।योजना के तहत् गांव की गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। 2000 हजार से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों में आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के कार्य स्वीकृत किये गये है। इसके तहत् प्राथमिकता के अनुसार (1) 5000 से अधिक (2) 3000 से 5000 (3) 3000 से 1000 (4) 1000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। योजना में गली आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु शत–प्रतिशत राशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तथा कार्य का निष्पादन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में कुल 706 कार्यो की स्वीकृति दी गई है।

जिला पंचायत विकास निधि की जानकारी

राशि रूपये लाख में

क्रं.	जिले का नाम	योजना/कार्य क्रम का नाम एवं विवरण	कार्य नाम एवं विवरण	लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि			
					15	80	82	Total
1	रायगढ़	जिला पंचायत विकास निधि	अद्योसंरचना निर्माण कार्य	जानकारी उपलब्ध नहीं	22.00	114.00	64.00	200.00
2	बिलासपुर				22.00	114.00	64.00	200.00
3	राजनांदगांव				22.00	114.00	64.00	200.00
4	धमतरी				12.00	50.00	38.00	100.00
5	गरियाबंद				22.60	110.40	67.00	200.00
6	बालोद				22.60	110.40	67.00	200.00
7	कोरिया				22.60	110.40	67.00	200.00
8	सरगुजा				22.00	114.00	64.00	200.00
9	जशपुर				22.00	114.00	64.00	200.00
10	कोरबा				22.60	110.40	67.00	200.00
11	कांकेर				22.00	114.00	64.00	200.00
12	जगदलपुर				22.60	109.40	68.00	200.00
13	दंतेवाडा				12.00	50.00	38.00	100.00
14	नारायणपुर				12.00	50.00	38.00	100.00
15	बीजापुर				12.00	50.00	38.00	100.00
16	कोण्डागांव				22.60	110.40	67.00	200.00
17	सुकमा				12.00	50.00	38.00	100.00
18	बलरामपुर				22.60	109.40	68.00	200.00
19	सूरजपुर				22.60	110.40	67.00	200.00
योग					372.80	1815.20	1112.00	3300.00

विभागीय टीप :– जिला पंचायत विकास निधि योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखतें हुए तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते है 5 या 5 से कम विकासखण्ड वाले जिलों को प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ रूपये तथा 5 से अधिक विकासखण्ड वाले जिलों को प्रतिवर्ष 2.00 करोड के मान से राशि आबंटित की जाती है। योजना के अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित है :– ओ.डी.एफ. ग्रामों में निर्माण कार्य लिया जाना है। पेयजल स्वच्छता तथा सैनिटेशन कार्यो को प्राथमिकता. सांसद/विधायक आर्दश ग्राम तथा रूरबन के ग्रामों को प्राथमिकता तथा ऐसे कार्य जो अन्य योजनाओं के कार्य योजना में शामिल नहीं है उन्हें आवश्यकतानुसार लिया जाता है। कार्यो का चयन जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में किया जावेगा उन्हीं कार्यो को लिया जा सकेगा जिसकी मांग ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर की गई हो, सामान्य सभा के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

तकनीकी स्वीकृति के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में कुल 1025 कार्यो की स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जानकारी

राशि रूपये लाख में

क्रं.	जिले का नाम	योजना / कार्य क्रम का नाम एवं विवरण	कार्य नाम एवं विवरण	लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि			
					15	80	82	Total
1	रायगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	अद्योसंरचना निर्माण कार्य एवं वृष्टिछाया में आनेवाले असाध्य पम्पों के उर्जीकरण कार्य	जानकारी उपलब्ध नहीं		365.04		365.04
2	बिलासपुर					646.22		646.22
3	राजनांदगांव					480.81		480.81
4	धमतरी					190.00		190.00
5	गरियाबंद					167.33		167.33
6	बालोद					230.80		230.80
7	कोरिया					174.72		174.72
8	सरगुजा					421.67		421.67
9	जशपुर					341.72		341.72
10	कोरबा					126.00		126.00
11	कांकेर					95.72		95.72
12	जगदलपुर					80.00		80.00
13	दंतेवाडा					50.00		50.00
14	नारायणपुर					5.00		5.00
15	बीजापुर					10.00		10.00
16	कोण्डागांव					67.00		67.00
17	सुकमा					39.35		39.35
18	बलरामपुर					171.00		171.00
19	सूरजपुर					130.72		130.72
योग						3793.10		3793.10

विभागीय टीप :– छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र में अद्योसंरचना निर्माण कार्यो स्वीकृत किये जाते है। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों एवं वृष्टिछाया क्षेत्र में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानो के असाध्य पंपों के उर्जीकरण कार्य कुल 64.00 करोड़ प्रावधानित रहा जिसके विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में कुल राशि रूपये 3793.10 लाख के 990 कार्यो की स्वीकृति दी गई है।

14वें वित्त आयोग :–

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	जिला का नाम	आबंटित राशि	योजना / कार्यक्रम का नाम एवं विवरण	कार्य का विवरण	लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	धमतरी	2571.51	14वें वित्त आयोग	जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सडकों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों का रखरखाव आदि		2571.51
2	राजनांदगांव	5577.52				5577.52
3	गरियाबंद	2580.39				2580.39
4	बालोद	2899.61				2899.61
5	बिलासपुर	5781.45				5781.45
6	रायगढ़	5701.70				5701.70
7	बस्तर	3555.81				3555.81
8	कोण्डागांव	2748.87				2748.87
9	नारायणपुर	629.59				629.59
10	दन्तेवाड़ा	1294.63				1294.63
11	सुकमा	1569.53				1569.53
12	बीजापुर	1835.54				1835.54
13	कांकेर	3596.18				3596.18
14	कोरबा	3715.40				3715.40
15	सरगुजा	3596.18				3596.18
16	सूरजपुर	3227.70				3227.70
17	बलरामपुर	3396.18				3396.18
18	जशपुर	3839.55				3839.55
19	कोरिया	2207.97				2207.97
	योग :–	35213.13				35213.13

विभागीय टीप :– मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने में किये जाने का प्रावधान है जिसमें जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सडकों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों का रखरखाव और अन्य कोई भी बुनियादी नागरिक सेवाएं जो समुचित कानून के द्वारा सौंपे गये कृत्यों के अंतर्गत आते हैं।

मूलभूत :—

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	जिला का नाम	आबंटित राशि	योजना / कार्यक्रम का नाम एवं विवरण	कार्य का विवरण	लाभांवित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	धमतरी	603.35	मूलभूत	नल जल योजना / स्पाट सोर्स / हैण्ड पंपों के सुधार व्यवस्था एवं बिजली के बिल का भुगतान, ग्रामीण सचिवालय / ग्राम पंचायत के संचालन के लिए लेखन सामग्री आदि पर व्यय हेतु अधिकतम रुपये 5000 / — प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा, महामारी / प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम अन्तर्गत अधिकतम राशि रुपये 5000 / — व्यय किया जा सकेगा, स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावास, ग्राम पंचायत भवनों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत / संधारण, जरुरत मंद व्यक्तियों के लिये उचित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था इत्यादि		603.35
2	राजनांदगांव	917.12				917.12
3	गरियाबंद	870.34				870.34
4	बालोद	643.79				643.79
5	बिलासपुर	1404.18				1404.18
6	रायगढ़	1765.72				1765.72
7	बस्तर	1370.24				1370.24
8	कोण्डागांव	1100.40				1100.40
9	नारायणपुर	312.40				312.40
10	दन्तेवाड़ा	478.27				478.27
11	सुकमा	549.24				549.24
12	बीजापुर	664.31				664.31
13	कांकेर	1458.01				1458.01
14	कोरबा	950.63				950.63
15	सरगुजा	1402.03				1402.03
16	सूरजपुर	1444.80				1444.80
17	बलरामपुर	1434.08				1434.08
18	जशपुर	1536.78				1536.78
19	कोरिया	964.45				964.45
	योग :—	13665.64				13665.64

विभागीय टीप :— छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के अंतर्गत बने प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो के संपादन का दायित्व सौंपा गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत् इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के मध्य वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से प्राप्त राशि का बंटन किया जाता है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में स्थित पंचायतों को रूपये 2.00 लाख अतिरिक्त प्रदाय किये जा रहे है।

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना

राशि रूपये लाख में

क्रं.	जिले का नाम	योजना/ कार्यक्रम का नाम एवं विवरण	कार्य नाम एवं विवरण	लाभांवित अनुसूचित जन जाति हितग्राहीयों की संख्या	व्यय राशि			
					15	80	82	योग
1	रायगढ़	स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	ग्रामीण युवाओं में सामाजिक नेतृत्व विकसित करने तथा युवाओं के व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना		—	00.40	—	00.40
2	बिलासपुर				—	34.28	—	34.28
3	राजनांदगांव				—	114.28	—	114.28
4	धमतरी				—	180.28	—	180.28
5	गरियाबंद				—	29.28	—	29.28
6	बालोद				—	19.28	—	19.28
7	कोरिया				—	9.28	—	9.28
8	सरगुजा				—	44.28	—	44.28
9	जशपुर				—	54.28	—	54.28
10	कोरबा				—	9.28	—	9.28
11	कांकेर				—	9.28	—	9.28
12	जगदलपुर				—	19.28	—	19.28
13	दंतेवाड़ा				—	9.28	—	9.28
14	नारायणपुर				—	9.28	—	9.28
15	बीजापुर				—	9.28	—	9.28
16	कोण्ड़ागांव				—	9.28	—	9.28
17	सुकमा				—	9.28	—	9.28
18	बलरामपुर				—	9.28	—	9.28
19	सूरजपुर				—	19.28	—	19.28
योग					—	598.44	—	598.44

विभागीय टीप :— युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना वर्ष 2013—14 से लागू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 वर्ष के युवा सम्मिलित होंगे। ग्रामीण युवाओं में सामाजिक नेतृत्व विकसित करने, आधुनिक संचार सुविधाओं की पहुंच बनाने, युवाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करना तथा युवाओ के बीच एकता की भावना विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत 2016—17 में रूपये 10 करोड का प्रावधान रहा है। वित्तीय वर्ष 2016—17 में प्रावधानित राशि रूपये 10 करोड़ कें विरूद्व रूपयें 598.44 करोड़ स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 19 अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों को आबंटित किया गया है।

❋❋❋❋❋

अध्याय – 5

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए ''आदिवासी उपयोजना'' (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि/प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2016–17)

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	राज्य आयोजना		
		प्रावधान	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	कृषि	51368.98	41752.80	81.28
2	उद्यानिकी	6096.98	5897.48	96.73
3	पशुधन विकास	2527.10	1123.06	44.44
4	मत्स्य	1939.49	1935.55	99.80
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति	206091.73	125188.97	60.74
6	सहकारी संस्थाएं	12990.01	12877.00	99.13
	योग	281014.29	188774.86	67.18
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	277167.46	226415.92	81.69
8	पंचायत	26083.28	7515.29	28.81
	योग	303250.74	233931.21	77.14
9	आ.जा.तथा अनु.जा.	125343.15	91403.51	72.92
	योग	125343.15	91403.51	72.92
10	जल संसाधन	64955.00	53471.21	82.32
	योग	64955.00	53471.21	82.32
11	ऊर्जा (विद्युत मंडल)	63517.68	110939.93	174.66
12	ऊर्जा (क्रेडा)	14119.00	13367.40	94.68
	योग	77636.68	124307.33	160.11
13	वाणिज्य एवं उद्योग	3568.31	1964.31	55.05
14	भौमिकी एवं खनिज कर्म	8343.56	5648.18	67.70
15	ग्रामोद्योग – रेशम	1225.45	1109.46	90.53
16	खादी	245.58	157.83	64.27
17	हाथकरघा	170.52	170.08	99.74
	योग	13553.42	9049.86	66.77
18	वन	25247.00	13980.23	55.37
	योग	25247.00	13980.23	55.37
19	समाज कल्याण	10838.08	9175.84	84.66
20	स्कूल शिक्षा	322834.85	239061.09	74.05

21	उच्च शिक्षा	12940.70	6861.06	53.02
22	चिकित्सा शिक्षा	15006.25	7860.61	52.38
23	जनशक्ति–रोजगार पक्ष	510.85	63.00	12.33
24	प्रशिक्षण पक्ष	5844.03	2407.83	41.20
25	तकनीकी शिक्षा	3672.45	2466.62	67.17
26	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	92440.69	70262.17	76.01
27	आयुर्वेद	4091.85	2930.39	71.62
28	लो.स्वा.यांत्रिकी	24543.94	21473.29	87.49
29	नगरीय प्रशासन	31591.00	26115.69	82.67
30	जनसंपक्र	300.00	265.59	88.53
31	संस्कृति	485.00	475.68	98.08
32	हस्त शिल्प वि.बो.	305.58	69.58	22.77
33	महिला एवं बाल विकास	70146.32	48394.07	68.99
	योग	595551.59	437882.51	73.53
34	योजना आर्थिक सांख्यिकी	2900.00	2875.49	99.15
	योग	2900.00	2875.49	99.15
35	लोक निर्माण	166508.35	86667.66	52.05
36	विधि और विधायी	70.00	19.66	28.09
	योग	166578.35	86687.32	52.04
	कुल योग	1656030.22	1242363.53	75.02

5.1 कृषि विभाग

वर्ष 2016–17 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रूपये 51368.98 लाख का बजट प्रावधान था, जिसके विरूद्ध रूपये 41752.80 लाख व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जन जाति लाभान्वित हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषक समग्र विकास योजना	2500.00	2222.56	522810	451229	143070
2	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	60.00	44.80	3322	2282	-
3	सूखा प्रभावित किसानों को निःशुल्क धान बीज वितरण	4386.70	3625.36	-	-	-
4	जैविक खेती मिशन	779.22	632.17	10144	9216	21162
5	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	150.00	137.12	-	-	-
6	फसल प्रदर्शन योजना	836.00	806.24	17927	17653	28337
7	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	10585.30	10585.30	-	-	-
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	3067.64	3067.64	-	-	-
9	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना	570.00	499.50	57	49	49
10	कृषि श्रमिकों को दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान	210.00	208.39	464	464	-
11	खलिहान बीमा योजना	150.00	150.00	-	-	-
12	भू–जल संवर्धन	27.70	27.20	-	-	-
13	मृदा परीक्षण प्रयोग शाला का रखरखाव	24.00	7.00	-	-	-

14	शाकम्भरी योजना	1330.00	1323.71	9616	10333	-
15	किसान समृद्धि हेतु अनुदान	610.00	528.33	1706	1887	1497
16	माइक्रोमाइनर सिंचाई योजना	1000.00	982.93	50	30	-
17	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	694.50	472.25	-	-	-
18	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	4428.00	2829.07	-	-	-
19	नेशनल मिशन On oilseeds & oilpam	283.00	92.32	14176	13660	6538
20	NMAET सबमिशन ऑन सीड एवं प्लांटिंग मटेरियल योजना	285.00	221.40	9646	8475	21242
21	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3076.26	2630.32	42781	48436	-
22	NMSA रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना	795.00	231.39	1894	1247	-
23	NMSA स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना	1246.10	803.55	132921	188164	1078988
24	NMSA क्लाईमेट चेंज एण्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग	25.00	0.00	-	-	-
25	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	711.14	702.01	6224	4419	-
26	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)	7580.00	6271.84	162457	149963	-
27	NMAET सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	1240.80	534.70	-	-	-
28	कृषि यंत्रीकरण अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	610.00	368.74	2695	1629	30205
29	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत यांत्रिकीकरण रोपाई,	38.00	0.00	-	-	-

	जुताई एवं बुआई पर अनुदान					
30	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना	335.00	148.00	27	15	-
31	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार प्रसार	83.00	24.00	6	3	-
32	एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन	3800.00	1724.96	-	-	-

5.1.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत राशि रू.6096.98 लाख का बजट प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि रू.5897.48 लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	सघन फलोद्यान विकास योजना	200.00	191.72	882.17	882.17	1704
2	उद्यानिकी प्रशिक्षण	35.00	31.75	-	-	-
3	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	110.00	105.92	72.50	48.48	-
4	टपक सिंचाई योजना	7.60	6.62	56	41	34
5	संरक्षित खेती फसलोत्तर प्रबंधन योजना	190.00	190.00	-	-	54
6	नदी के कछार / तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	38.00	37.95	323	323	1094
7	कम्युनिटी फेंसिंग योजना	100.00	100.00	183.50	136.27	177
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	337.00	31.71	631.70	631.374	2165

9	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना	5343.96	3225.58	252817	240620	17233
10	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1007.00	723.33	2511	879	823
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	3610.00	1179.99	54194	43021	18123
12	नेशनल मिशन ऑन ऑईल सीड एवं ऑईल पॉम	130.00	73.60	950	489.23	515

5.2 पशुपालन विभाग

वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना मद में पशु पालन विभाग को 2527.10 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध 1123.06 लाख की राशि व्यय कर निम्नानुसार प्रमुख योजनायें संचालित की गई है।

(राषि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	60.00	59.09			
2	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	240.00	238.71	8888	8841	8841
3	सूकर वितरण अनुदान	103.98	98.34	1155	1093	1093
4	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	45.00	43.81	196	191	191
5	राज्य बकरी उद्यमिता योजना	19.00	0	-	-	-
6	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	393.09	281.08	-	-	-
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1200.00	1199.51	-	-	-
8	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	45.00	41.42	-	-	-
9	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास	380.00	307.89	114	114	114
10	गौवंश योजना	1.00	0.00	-	-	-
11	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	40.00	39.28	1000	982	982

5.3 मत्स्य विभाग

प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

वर्ष 2016–17 में मत्स्य विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रूपये 1939.49 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 1935.55 लाख व्यय किया गया है। विभाग अंतर्गत क्रियान्वित की गई मुख्य योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां तालिका में प्रदर्शित है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य (ई)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि (ई)	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास	131.96	131.68	198.88	198.80	365
2	मत्स्य बीज उत्पादन	203.00	200.86	4500	4453	6850
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	6.25	6.25	250	250	250
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	6.81	6.81	67000	67000	67000
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	660.74	551.07	1325	1325	4080
6	नील क्रांति योजना (मांग संख्या 41)	648.26	532.13	2103	2103	2103
7	नील क्रांति योजना (मांग संख्या 82)	130.90	109.22	430	430	430
8	मत्स्य पालकों को अनुदान	252.40	252.23	5129	5125	5125
9	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	70.65	70.31	75	75	1875
10	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	75.00	74.99	6000	6000	6000

5.4 सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को 12990.01 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध 12877.00 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु.जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	सहकारी समितियों में अंशक्रय करने हेतु अनुदान	36.00	0.00	12600	0	0
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो को बहुउद्देशीय में उन्नयन	50.00	50.00	5	5	-
3	जनजातिय सेवा समितियो को प्रबंधकीय अनुदान	25.00	0.00	250	-	-
4	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	8131.00	8131.00	472	472	-
5	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (अनुदान)	8.00	0.00	3	-	-
6	सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूंजी	300.00	296.00	102	2	
7	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	2500.00	2500.00	1	2	-
8	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण (ऋण)	40.00	0.00	3	-	-
9	सूखा प्रभावित कृषको के लिए कृषि ऋण राहत योजना	1900.00	1900.00	34478	34478	-

5.5 वन विभाग :–

जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है। वन विभाग को वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या–41 में राशि 25247.00 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि 13980.23 लाख रूपये व्यय किये गये। विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7
1	बिगड़े वनों का सुधार	8200.00	7832.91	1537	1770	-
2	सामाजिक वानिकी	330.00	222.61	1634	1019	21153
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	400.00	267.68	1217	1067	25436
4.	लघु वनोपज संग्राहकों का सामुहिक बीमा	300.00	300.00	-	-	28507
5.	पर्यावरण एवं वानिकी	700.00	561.33	1300	1450	53339
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	550.00	159.93	2473	1514	15197
7.	पौधा प्रदाय योजना	40.00	39.97	12	12	3798
8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	825.00	802.80	3999	3540	76284
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	270.00	267.64	32992	31689	25432
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	225.00	160.26	325	325	15228
11	सड़के तथा मकान निर्माण	1210.00	1117.69	95	53.35	106206
12	बांस वनों का पुनरूद्धार	2000.00	1237.57	28177	21623	117597

13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	250.00	246.41	6	6	23415
14	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	1450.00	1427.69	206	133	135663
15	प्रसंस्करण इकाई	60.00	56.51	-	-	5370
16	वन अधिकारों की मान्यता	50.00	46.38	5585	2730	4407
17	हरियाली प्रसार योजना	3300.00	1800.60	213.07	207.01	171098
18	भू–जल संरक्षण कार्य	275.00	203.75	22740	16720	19361
19	लाख विकास योजना	210.00	210.00	-	-	19955
20	कर्मचारी कल्याण योजना	130.00	129.38	28	26	12294
21	लघु वनोपज कार्ययोजना हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1500.00	1500.00	-	-	142534
22	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	2677.00	915.00	-	-	86946
23	बाड़ी बांस योजना	95.00	58.62	313280	266880	5570
24	लघु वनोपज कार्ययोजना हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (के.क्षे.यो.)	200.00	200.00	-	-	19005

5.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–17 में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 277167.461 लाख रूपये का प्रावधान था जिसके विरूद्ध रू. 226415.922 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	स्वच्छ भारत अभियान	24102.583	23384.188	729132	1287637	489302
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	79600.272	56762.340	96771	139	139
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन	8588.000	7248.853	8990	8070	244437
4	डी.आर.डी.ए. (प्रशासन)	856.368	645.304	-	-	-
5	म.गां.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	96368.017	88502.930	342 लाख मानव दिवस का सृजन	337 लाख मानव दिवस का सृजन	0.71 लाख मानव दिवस का सृजन
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	1868.080	1849.334	-	-	-
7	म.गां.नरेगा अन्तर्गत मातृत्व भत्ता	0.100	0.000	-	-	-
8	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	3334.040	3205.233	-	-	-
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पूलों का निर्माण	1800.000	0.00	-	-	-
10	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वृहद निर्माण कार्य) सड़क एवं पुल निर्माण (राज्य योजना)	3000.00	0.000	-	-	-
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वृहद निर्माण कार्य) सड़क एवं पुल निर्माण (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)	45000.00	32912.380	-	-	-
12	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	6000.001	5558.390	170	105.53	-
13	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	6650.00	6346.970	135	101.28	-
	योग	277167.461	226415.922			

5.7 ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत राशि रूपये 46473.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध रू. 87286.28 व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु. जनजाति लाभान्वित हितग्राही
1	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (एकलबत्ती कनेक्शन)	1478.00	15521.63	656821	656821	656821
2	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	8012.00	33200.28	94112	94112	94112
3	कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	1400.00	1400.00	7300	6810	6810
4	शासकीय स्कूलों / अस्पतालों एवं आंगनबाड़ियों का विद्युतीकरण	2500.00	2753.05	8526	6234	-
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	950.00	3241.40	38499	3371	2951
6	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	25000.00	25000.00	-	-	-
7	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतिकरण योजना	1672.00	1014.12	-	-	-

8	मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना	1672.00	1672.00	-	1339	-
9	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	3328.40	3000.00	70037	2192	2139
10	एकीकृत विद्युत विकास योजना	1.00	23.80	70	-	-
11	पूंजीगत कार्यो हेतु अंशपूंजी का धनावेष्टन	460.00	460.00	-	-	-

5.8 ग्रामोद्योग विभाग

5.8.1 रेशम

राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धति लागू की गई है ताकि राज्य में गुणवत्ता युक्त ककून के उत्पादन साथ–साथ वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लरिया कोसा का उत्पादन लगभग 5.00 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्वित होते है।

वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या–41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 1225.45 लाख के विरूद्ध रू. 1109.46 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	632.45	568.21
2	पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	593.00	541.25
	योग–	1225.45	1109.46

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><th>योजना कार्यक्रम का नाम</th><th>इकाई</th><th>निर्धारित लक्ष्य</th><th>भौतिक उपलब्धि</th><th>अनु.ज.जा. लाभान्वित</th></tr>
<tr><td>1. पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह</td><td>स्व.सहायता समूह (लाख नग)</td><td>30.00</td><td>26.234</td><td rowspan="2">8325</td></tr>
<tr><td></td><td>हित. संख्या कृमिपालक</td><td>12029</td><td>11413</td></tr>
<tr><td>2. नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन</td><td>कैंप संख्या</td><td rowspan="2">169</td><td>181</td><td rowspan="2">1649</td></tr>
<tr><td></td><td>लाभान्वित संख्या</td><td></td></tr>
</table>

5.8.2 खादी :– वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को रू.245.58 लाख रूपयों का प्रावधान था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा रू.157.83 लाख का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.ज.जा. लाभान्वित
1	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	30.25	23.50	-	-	-
2	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	18.75	18.75	198 बुनकर	198 बुनकर	198 बुनकर
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु सहायता	176.00	95.00	2606	1410	1410
4	खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण	15.13	15.13	185	79	79
5.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	5.45	5.45	385 कत्तिन	385 कत्तिन	385 कत्तिन

5.8.3 हाथकरघा :– वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 170.52 लाख का प्रावधान था इसके विरूद्ध रूपये 170.08 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.ज.जा. लाभान्वित
1	बाजार अध्ययन एवं प्रदर्शन	16.00	15.58	120	120	120
2	रिवाल्विंग फण्ड	4.50	4.50	30	30	30
3	समग्र हाथकरघा योजना	100.00	100.00	323	310	310
4	कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	50.00	50.00	500	500	500

5.8.4 हस्तशिल्प विकास बोर्ड :– वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 305.58 लाख का प्रावधान था इसके विरूद्ध रूपये 69.58 लाख व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.ज. जा. लाभान्वित
1	हस्तशिल्प निगम को विकास योजनाओं हेतु अनुदान	167.47	69.58	609	-	-
2	सहकारी संस्थाओं, समितियों को आर्थिक सहायता	0.01	0.00	-	-	-
3	बस्तर हस्तशिल्प विकास परियोजना	0.10	0.00	-	-	-
4	कोण्डागांव में शिल्प सिटी की स्थापना	138.00	0.00	-	-	-

5.9 जल संसाधन विभाग

वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 64955.00 लाख का प्रावधान था इसके विरूद्ध रूपये 53471.21 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
	वृहद परियोजना		
1	(03) सोंढूर परियोजना–बांध तथा संलग्न कार्य	1420.00	596.92
2	सोंढूर परियोजना–बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण	900.00	254.31
3	वृहद सर्वे	200.00	0.00
	योग	2520.00	851.23
4	(08) खरखरा	1500.00	493.18
5	(16) झुमका	100.00	0.00
6	(17) गेज	100.00	0.00
7	(22) कुंवरपुर	200.00	181.92
8	(23) बांकी	100.00	0.00
9	(24) श्याम घुनघुट्टा	110.00	10.00
10	(25) परालकोट	200.00	0.00
11	(29) माण्ड व्यपवर्तन	150.00	28.23
12	(31) बरनई	100.00	100.00
13	(33) कोसारटेड़ा	700.00	143.86
14	(34) मोंगरा परियोजना	4360.00	3977.95
15	मध्यम परि. का सर्वेक्षण	300.00	14.73

16	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	5.00	0.00
	योग	7925.00	4949.87
17	लघु सिंचाई योजना (सामान्य)	22500.00	28144.28
18	सर्वेक्षण	1000.00	220.94
19	मरम्मत, पुनर्नवीनीकरण एवं पुनरोध्दार	2500.00	122.38
20	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1500.00	0.00
21	एनीकट/स्टापडेम का निर्माण	180500.00	11109.45
22	औद्योगिक जल संरचना निर्माण	8500.00	8073.06
23	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	10.00	0.00
	योग	54510.00	47670.11
	महायोग	64955.00	53471.21

5.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

वर्ष 2016–17 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 206191.73 लाख का प्रावधान था इसके विरूद्ध रूपये 125188.97 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1	आदिवासी जिलो में रियायती दर पर आयोडाइज नमक वितरण	2888.00	2475.49	24.05	24.05	24.05
2	अन्नपूर्णा योजना	9.50	5.46	0.03	0.03	0.03
3.	अंत्योदय अन्न योजना	1750.00	1247.12	5.26	5.28	5.28
4.	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना प्रदाय	27000.00	16750.00	24.05	24.05	24.05
5	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	170300.00	101827.49	24.05	24.05	24.05
6	छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋृण	0.10	0.00	-	-	-
7	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	235.50	160.46	-	-	-
8	मुख्यमंत्री पीली मटर दाल वितरण योजना	0.10	0.00	-	-	-`
9	शक्कर वितरण योजना	1511.00	1236.61	24.05	24.05	24.05
10	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	2397.53	1486.34	-	-	-

5.11 स्कूल शिक्षा विभाग

वर्ष 2016–17 में स्कूल शिक्षा विभाग को आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत रू. 287017.80 लाख रूपये का प्रावधान था। इसके विरूद्ध राशि रू. 239061.09 लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1	आश्रम और शालाएं	2646.73	1028.29	-	-	-
2	विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम	15.75	1.03	-	-	-
3	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय (प्रायमरी, अपर प्रायमरी)	2279.00	2100.00	1748000	1643687	1645687
4	छात्राओं को गणवेश	1900.00	1770.74	110390	115564	115564
5	राज्य छात्रवृत्ति	7000.00	4805.45	889444	715379	715379
6	एकीकृत अंब्रेला योजना	8987.59	1178.26	163527	-	-
7	सर्व शिक्षा अभियान	95000.00	64716.57	2078650	654588	654588
8	मुख्यमंत्री अमृत योजना	271.00	0.00	79733	-	-
9	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन	4758.00	4104.09	346905	346905	346905
10	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	3466.00	3194.48	236895	236895	236895
11	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	102.57	101.87	-	-	-
12	निःशुल्क पाठयपुस्तक का प्रदाय	1800.00	1323.88	4748.00	411422	411422

13	पुस्तकालय योजना	250.00	249.78	372	270	270
14	हाईस्कूल	8708.37	5424.70	-	-	-
15	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय	5300.00	4454.04	146738	140243	140243
16	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	7463.00	6208.64	-	-	-
17	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	105.00	78.00	600	180	180
18	कन्या शिक्षा परिसर	65.11	40.57	-	-	-
19	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20000.00	11837.69	13867	9046	9046
20	मॉडल स्कूल योजना	1700.00	1200.00	144	72	72
21	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	4363.83	4062.98	-	-	-
22	एकीकृत अंब्रेला योजना (छात्रा)	245.00	0.00	150600	-	-
23	शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भवन निर्माण	1400.00	1397.64	100	-	-
24	एकीकृत अंब्रेल योजना (भवन)	1200.00	0.00	23	-	-
25	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना	598.00	512.43	74530	110807	110807
26	बलिकाओं को गणवेश	4200.00	3542.10	2207.80	269651	269651
27	शिक्षाकर्मियों का वेतन 01 प्राथमिक–197	79805.00	64257.00	-	-	-
28	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	13515.50	11505.87	809837	809837	809837
29	पूर्व माध्यमिक	12045.40	10579.21	699479	699479	699479

	विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम					
30	शिक्षाकर्मियों को वेतन 02–माध्यमिक–197	37110.00	32580.29	-	-	-

प्री. मैट्रिक छात्रवृत्ति – छ0ग0 राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण में सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा प्री0मै0 अनुसूचित जाति तथा प्री0मै0 अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 10 वीं तक) प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में छ0ग0 राज्य में अनुसूचित जनजाति के 950111 विद्यार्थियों को प्री0मै0 छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिस पर रु 95.074 करोड की राशि व्यय हुई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के कुल 452165 विद्यार्थियों को प्री0मै0 छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिस पर कुल रु. 45.627 करोड़ राशि व्यय हुई।

छ0ग0 राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के 13 पूर्ण एवं 06 आंशिक जिलों में वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति के 809527 विद्यार्थियों को प्री0मै0 छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिस पर रु. 81.384 करोड़ की राशि व्यय हुई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 182834 विद्यार्थियों को प्री0मै0 छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिस पर रु. 18.534 करोड़ की राशि व्यय हुई।

5.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु अनेक जनहितकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा अत्याचार एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के उदेश्य से विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। उपरोक्त उदेश्यों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान हेतु सक्षम हो रहे हैं । विभाग द्वारा संचालित उपलब्धि मूलक योजनाएँ निम्नानुसार हैं :–
वर्ष 2016–17 में संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं, विशिष्ट विद्यालयों (आवासीय व्यवस्था/छात्रावास) एवं क्रीड़ा परिसरों का विवरण

क.	संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	अनु.क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं की संख्या
1	एकलव्य आवासीय विद्यालय	25	19
2	प्रयास आवासीय विद्यालय	07	03
3	आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय, दंतेवाड़ा	01	01
4	क्रीडा परिसर	16	14
5	कन्या शिक्षा परिसर (आवासीय व्यवस्था)	14	13
6	गुरूकुल विद्यालय (आवासीय व्यवस्था)	01	01
7	आदर्श विद्यालय (आवासीय व्यवस्था)	06	06

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये विभाग द्वारा निम्नानुसार छात्रावास एवं आश्रम संचालित किए जा रहे हैं :-

1- छात्रावास/आश्रम :- छ0ग0 राज्य में कुल 2047 छात्रावासों में 96445 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। जिसमें से कुल 1288 अनुसूचित जनजाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 61427 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के (13 संपूर्ण जिले व अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 06 आंशिक जिलों) 1130 अनुसूचित जनजाति प्री. मैट्रिक छा त्रावासों की 55218 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेशित है।

इसी प्रकार राज्य के 341 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 14190 सीटों के विरूद्ध उपरोक्त उल्लेखित अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 142 अनुसूचित जाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 5621 सीट्स पर तथा राज्य के 8 अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 400 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 7 अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों की 350 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं।

301 अनुसूचित जनजाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 14615 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के 13 संपूर्ण जिले व अनुसूचित क्षेत्र में शामिल 06 आंशिक जिलों के 262 अनुसूचित जनजाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 12442 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं। 90 अनुसूचित जाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 4640 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों

के 35 अनुसूचित जाति पो. मैट्रिक छात्रावासों की 2467 सीट्स पर एवं 19 अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावासों की 1050 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 12 अन्य पिछड़ा वर्ग पो. मैट्रिक छात्रावासों की 658 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेशित हैं।

छ0ग0 राज्य में कुल 1226 आश्रमों में 76866 विद्यार्थी प्रवेशित है। जिनमें से अनुसूचित जनजाति के 1099 आश्रमों की 72543 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 1175 अनुसूचित जनजाति आश्रमों की 73822 सीट्स शामिल है। इसी प्रकार राज्य के 22 अनुसूचित जाति आश्रमों की 1102 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के 51 अनुसूचित जाति आश्रमों की 3044 सीट्स पर विद्यार्थी प्रवेशित है।

500 lhVj Nk=kokl ukjk;.kiqj xjkth] vkn k "k#$ "%u;knh vkokl h; %o&k#;

2 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

कक्षा 11वी एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के रू.2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति के 135585 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है, छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य देय राशि (Excluding amount refundable to the student after completion of the course) की भी पात्रता होती है। प्री0 मैट्रिक तथा कक्षा 11वीं व 12वीं तक की पो0 मैट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा वितरित की जा रही है।

छ0ग0 राज्य में वर्ष 2016-17 में महाविद्यालयीन स्तर पर वितरित पो0मै0 छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :-

छात्रवृत्ति का प्रकार	कुल वितरित छात्रवृत्ति				अनु.क्षेत्रों में वितरित छात्रवृत्ति			
	अनु.ज.जा.		अनु.जा.		अनु.ज.जा.		अनु.जा.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
पो0मैट्रिक (महाविद्यालयीन) छात्रवृत्ति	48795	38.136	35386	28.629	37988	26.338	18689	12.309

विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा भुगतान ऑन लाइन किया जा रहा है।

3 खेल परिसर :- राज्य में अध्ययन के साथ-साथ खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा 16 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं। जिनमें से 14 खेल परिसर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे है।

इनमें से 6 परिसर कन्याओं के लिए है। प्रत्येक परिसर में अधिकतम 100 छात्र/छात्राएं आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2016–17 में कुल 1375 छात्र/छात्राओं ने क्रीड़ा परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू. 850 शिष्यवृत्ति, 500 रू. पोषण आहार हेतु वर्ष में एक बार रू. 3000 संपूर्ण खेल पोषाक के लिये (जिसमें ड्रेस, जूता, मोजा तथा संबंधित खेल की पोषाक शामिल है) तथा रू. 500 शाला गणवेश के लिए दिए जाते है। विद्यार्थियों द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कुल 56 पदक विभिन्न राष्ट्रीय स्पर्धाओं में तथा 1232 पदक राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में प्राप्त किये गये है।

4 अशासकीय संस्थाओं को अनुदान :– छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम–2006 बनाया गया हैं।

राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए कुल 12 अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा छात्रावास, औषधालय, बालवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य सेवा केन्द्र आदि प्रवृत्तियां संचालित की जा रही है। अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 1445.96 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है।

5 आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों देवगुड़ी की मरम्मत/निर्माण योजना :–

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु प्रति देवगुड़ी राशि रू. 50,000/– रूपये जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आबंटन उपलब्ध करायी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू0 300.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना प्रारंभ से अब तक 16450 देवगुड़ी का मरम्मत/निर्माण हेतु आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :–

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू0 10,000/– दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत जिलों के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आबंटन उपलब्ध कराया जाता हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि रू0 75.00 लाख का बजट प्रावधान है। योजना प्रारंभ से अब तक 5135 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

6 आदिम जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना :–राज्य में ऐसे प्रतिभावान आदिवासी छात्र/छात्रा जिन्होंने कक्षा 5वीं, तथा 8 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों इस योजना के माध्यम से उन्हे राज्य स्तर पर चयन कर राज्य के बेहतर परिणाम वाले सर्वसुविधायुक्त पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 में राशि रू.925.00 लाख का प्रावधान रखा है जिसके विरूद्ध राशि रू.668.942 लाख जारी/व्यय किया गया। योजना अंतर्गत कुल 719 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है। उक्त छात्र/छात्राओं में अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी शामिल है।

7 निर्माण योजनाएं :– राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक छात्रावास/आश्रमों में भवनों का निर्माण विभिन्न निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जाता है, साथ ही निर्मित भवनों के रख–रखाव का कार्य भी किया जाता है। प्रतिवर्ष विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार लगभग 50 छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण कराया जाता है। इसके लिए वर्ष 2016–17 में राज्य आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में कुल राशि रू. 84.00 करोड़ का बजट प्रावधान विभाग के बजट में किया गया है।

विभाग द्वारा राज्य में संचालित 2373 छात्रावास/आश्रमों में से 2300 भवन युक्त छात्रावास/आश्रम शालाओं का रख–रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2016–17 में राशि रू. 33.00 करोड़ राज्य शासन से प्राप्त हुये हैं। इनमें से राज्य में अनुसूचित क्षेत्र (13 पूर्ण एवं 06 आंशिक जिलों) में स्थित 1279 प्री.मै. तथा 309 पो.मै. इस प्रकार कुल 1588 छात्रावास एवं 1226 आश्रम संचालित है। इन भवनों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2016–17 में राशि रू. 1827.97 लाख व्यय की गई है।

राहत योजनाएं –

1 आकस्मिकता योजना नियम 1995 :–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने, शारीरिक आघात पहुंचाने, संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा आकस्मिता योजना नियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार, आश्रितों को विभिन्न धाराओं में पुनर्वास के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016–17 में अनुसूचित क्षेत्र के 13 पूर्ण एवं 06 आंशिक जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 622 पीड़ितों/आश्रितों को अधिनियम के अंतर्गत राशि रू.492.42 लाख की राहत राशि प्रदान की गई है। संशोधन अधिनियम/नियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा अगस्त 2016 में आकस्मिकता योजना नियम के नियम 7 में संशोधन अनुसार बढ़ी हुई दरों पर पीड़ितों/आश्रितों को राहत सहायता राशि दी जा रही है।

2 राहत योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वर्ष 2016–17 में अनुसूचित क्षेत्र के 461 संकटपन्न व्यक्तियों को राशि रू.7.96 लाख की राहत सहायता प्रदान की गई है।

आर्थिक विकास की योजनाएं

1 स्वरोजगार के लिए विभाग की पहल :– छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाईयां एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह–उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंश पूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्धारित मापदंड में आने वाले अनुसूचित जनजाति हितग्राही वर्ग के आर्थिक उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत दी जाती है।

वर्ष 2016–17 (दिसंबर 2016 की स्थिति) में आदिवासी स्वरोजगार योजना अंतर्गत 1832 हितग्राही लाभान्वित हुए है 180.21 लाख अनुदान एवं 799.32 लाख ऋण के रूप उपलब्ध कराया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना अंतर्गत 823 हितग्राहियों को 1122.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के

अंतर्गत कौषल उन्नयन योजना में 1310 हितग्राहियों को 107.85 लाख रू की राशि उपलब्ध कराई गई है। इन योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के हितग्राही शामिल है।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत राशि रू. 125343.15 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू.91403.51 लाख व्यय किया गया है। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	प्रावधान	उपलब्धियां	
			वित्तीय	भौतिक हितग्राही
शैक्षणिक योजनाएं –				
1	राज्य छात्रवृत्ति	योजना शिक्षा विभाग को हस्तांतरित		
2	छात्रावासों का संचालन	9975.60	8925.11	61427
3	आश्रमों का संचालन	13387.50	10454.72	73822
4	युवा कैरियर निर्माण योजना	458.60	436.08	215
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (महाविद्यालयीन अनु.ज.जा. विद्यार्थियों हेतु)	3813.65	3813.65	48795
6	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	1223.47	823.99	2071
7	मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा	925.00	646.80	719
8	कन्या शिक्षा परिसर	155.55	89.64	2626
9	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	175.00	114.57	27250
10	छात्र भोजन सहाय योजना	865.30	757.17	14615
11	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	775.00	507.89	11 संस्थायें
12	युवा कैरियर निर्माण योजना	458.60	436.08	215
13	सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	18.00	13.20	137
14	खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	1123.00	898.45	189783
15	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	4429.60	4208.78	1654 हितग्राही, 740 कार्य
16	सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र प्राधिकरण	4903.30	4894.87	866 हितग्राही, 992 कार्य

17	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी)	629.00	489.25	300 देवगुड़ी, 730 लोक कला दलों को सहायता 02 पुरस्कार
18	विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना	10903.00	5910.59	108 छात्रावास, 6050 छात्र/छात्राएं

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :–

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यक्रमों को बल प्रदान किया गया है। योजना निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग को गति देने के उदेश्य से प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित है।

परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आबंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके। आदिवासी उपयोजना के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में परिवारमूलक/हितग्राहीमूलक कार्यो के साथ–साथ स्थानीय विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के कार्य कराये जाते है यथा–नलकूप खनन एवं विद्युतीकरण , सौर सिंचाई योजना, पेयजल, विद्यालय/छात्रावास भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि कार्य लिये जाते है।

परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में प्राप्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	भारत सरकार से प्राप्त राषि	आबंटित राषि	स्वीकृत कार्य
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	11717.82	11717.82	25
2	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण	653.68	653.68	24
3	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सी.सी.डी.प्लान)	1230.00	1230.00	21
4	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	10488.52	10488.52	7

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट 5 (अ), (ब), (स), (द) एवं (इ) में संलग्न है।

परियोजनाओं को प्रदत्त आबंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि का 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

5.13 उच्च शिक्षा विभाग :–

उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजनाओं के संचालन के लिए राशि रू.12940.70 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध 6861.06 लाख रू. व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप	162.00	66.08
2	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	3996.00	0.00
3	कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	7209.70	5850.41
4	आदिवासी छात्रों को पुस्तक / स्टेशनरी का प्रदाय	78.00	69.57
5	सरगुजा में विश्वविद्यालय हेतु	400.00	200.00
6	सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना	370.00	250.00
7	बस्तर विकास विश्वविद्यालय हेतु	625.00	425.00
8	विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनःभुगतान	100.00	0.00
	योग –	12940.70	6861.06

5.14 जनशक्ति नियोजन विभाग

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी अब इन संस्थाओं का संचालन तथा विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

5.14.1 तकनीकी शिक्षा विभाग :– तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रूपये 3672.45 लाख का प्रावधान था। जिसके विरूद्ध रूपये 2466.62 लाख की राशि व्यय की गई है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	बुक बैंक योजना (समस्त शास.इंजी.महा.)	10.00	9.43
2	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	700.00	0.00
3	वेतन भत्ते इत्यादि (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	1385.45	1052.63
4	विशेष कोचिंग प्रतियोगिताएं (समस्त शास.इंजी.महा. एवं पॉली. संस्थाएं)	12.00	3.77
5	मशीन और उपकरण (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	100.00	9.04
6	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #28 मशीन और उपकरण (शास.पॉली., धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर, तखतपुर, महासमुंद, जांजगीर–चांपा एवं कन्या पॉली., राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर)	65.00	25.92
7	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #97 निर्माण कार्य (शास.पॉली., कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बस्तर, रामानुजगंज एवं कोण्डागांव)	1400.00	1365.84
	योग	3672.45	2466.62

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विभाग / योजना का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) (शास. पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	संस्थाएं	14	-
2	वेतन भत्ते इत्यादि (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर,	संस्थाएं	14	14

	बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)			
3	विशेष कोचिंग प्रतियोगिताएं (समस्त शास.इंजी.महा. एवं पॉली. संस्थाएं)	संस्थाएं	3	3
4	बुक बैंक योजना (समस्त शास.इंजी.महा.)	संस्थाए	3	3
5	मशीन और उपकरण (शास.पॉली., गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, बस्तर, सुकमा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कोरबा, सूरजपुर, कोण्डागांव एवं कन्या पॉली., जगदलपुर)	संस्थाएं	14	1
6	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #28 मशीन और उपकरण (शास.पॉली., धमतरी, रायगढ़, अंबिकापुर, तखतपुर, महासमुंद, जांजगीर–चांपा एवं कन्या पॉली., राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर)	संस्थाएं	21	10
7	(104) पॉलीटेक्निक संस्थाएं 0802 केन्द्र क्षेत्रीय योजना #97 निर्माण कार्य (शास.पॉली., कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बस्तर, रामानुजगंज एवं कोण्डागांव)	संस्थाएं	9	5

5.14.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग :– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में रूपये 5844.03 लाख प्रावधान के विरूद्ध रूपये 2407. 83 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	प्रावधान	व्यय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अ.ज.जा. लाभान्वित हितग्राही
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएॅ	3615.80	1813.16	64	4876	4812	1783
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएॅ (सी.ओ.ई.)	398.20	112.40	5	863	858	449
3	स्टेट स्किल डेवलपमेन्ट मिशन (सी.ओ.ई.) (LWE)	1221.03	136.45	7	355	355	201
4	लाइवलीहुड कालेज की स्थापना	609.00	74.63	14	14	-	-

5.15 पंचायत

पंचायत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिये आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2016–17 में राशि रू.26083.28 लाख प्रावधान के विरूद्ध रू.7515.29 लाख राशि व्यय हुआ। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है।

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	जिला पंचायत विकास निधि	1500.00	1500.00
2	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	31660.00	3502.62
3	मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	268.28	85.73
4	श्रद्धांजलि योजना	380.00	151.94
5	गांव के गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण	1900.00	1900.00
6	भवन निर्माण	375.00	375.00
	योग	26083.28	7515.29

5.16 महिला एवं बाल विकास

आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं के लिए वर्ष 2016–17 में विभाग को राशि रू.70146.32 लाख रूपये का प्रावधान के विरूद्ध राशि रू.48177.07 लाख व्यय हुआ। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	निराश्रित बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान	20.00	0.00	0.00
2	ग्रामीण महिलाओं को दिशा दर्शन एवं भ्रमण	50.00	46.59	93.15
3	महिला जागृति शिविर	140.00	123.83	88.45
4	निर्धन युवक– युवतियों के विवाह	1200.00	1198.20	99.85
5	न्यूनतम आवश्कता पोषाहार कार्यक्रम	2342.40	1884.70	80.46
6	अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम	60.00	12.34	20.57
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं का मानदेय	3800.00	2831.87	74.52
8	आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय	114.00	7.92	6.95

9	नोनी सुरक्षा योजना	2200.00	3.81	0.17
10	आंगनबाड़ीयों का सुधार एवं निर्माण	0.10	0.00	0.00
11	परियोजना कार्यालय सहसंसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण	100.00	100.00	100.00
12	सूखा प्रभावित कृषक परिवारों के लिए कन्या विवाह हेतु सहायता	304.00	303.75	99.92
13	महतारी जतन योजना	1486.00	964.79	58.20
14	मुख्यमंत्री अमृत योजना	1322.00	515.20	38.97
15	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसी घटक	1721.40	1210.18	70.30
	योग	14859.90	9103.18	61.26
	केन्द्र प्रवर्तित योजना			
16	आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार कार्यक्रम	17000.00	15286.63	89.92
17	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	21273.69	13674.93	64.28
18	एकीकृत बाल विकास सेवाओं को परिवीक्षण योजना	512.61	252.37	49.23
19	सबला योजना	6468.00	6302.54	97.44
20	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत)	1696.95	555.49	32.73
21	आंगनबाड़ीयों का सुधार एवं निर्माण	2280.00	2063.00	90.48
22	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	3000.00	0.00	0.00
23	किशोरी शक्ति योजना	55.17	37.40	67.79
	योग	52286.42	38172.36	73.01
24	फुलवारी योजना	3000.00	901.53	30.05
	योग	3000.00	901.53	30.05
	महायोग	70146.32	48177.07	68.68

5.17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्रीय शासन की विशेष सहायता से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उनके रहने के स्थान के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी विकासखण्ड के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। बहुधा देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर उपस्थित होते हैं। अतः हाट बाजार में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को सहज उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलेरिया लिंक कार्यकर्ता ऐच्छिक सेवा के आधार पर रखे गए है, जिन्हें समुचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेंत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैंः–

क्रमांक	संख्या	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3.	उप–स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

विभाग को वर्ष 2016–17 में राशि रू 119728.71 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू 95880. 57 लाख का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा प्रमुख संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रं	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय राशि (लाख में)	लाभान्वित संख्या
1	2	3	5	6
1	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	135.95	91.58	
2	छततीसगढ इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉस सर्विस	2000.00	2000.00	
3	जिला चिकित्सालय का उन्नयन	9120.03	6986.01	
4	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	3000.00	3000.00	15 लाख एपीएल परिवार
5	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	160.00	64.00	
6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	12500.00	10664.93	42 लाख एपीएल परिवार
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	86.00	86.00	69900 मितानिन प्रशिक्षण
8	जीवनज्योति चलित औषधालय की स्था.	176.75	160.36	
9	राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	47500.00	34939.15	

10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	7755.81	7557.33	
11	उप स्वास्थ्य केन्दों की स्थापना	3737.10	3737.10	
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मुलभूत सेवायें)	12634.99	10813.22	
13	शीत ज्वर	1850.60	746.42	
14	छत्तीसगढ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन हेतु आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान	2000.00	1855.00	3542 हितग्राही
15	टी.बी. के रोकथाम हेतु	720.00	720.00	
16	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	2.00	00.00	

चिकित्सा षिक्षा :–

वर्ष 2016–17 में चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल राशि रू. 15006.25 लाख का प्रावधान था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 7860.61 लाख का व्यय किया गया।

क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	1750.00	1023.39
2	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	2635.15	2327.97
3	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	160.00	83.20
4	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	3810.30	2891.64
5	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	1685.10	558.29
6	नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर, अंबिकापुर	550.70	391.17
7	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	100.00	0.00
8	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	280.00	199.97
9	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	485.00	284.99
10	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	100.00	99.99
11	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय सरगुजा	500.00	0.00
	कुलयोग	15006.25	7860.61

5.18 लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ तथा इसके अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में सड़क मार्गों की लम्बाई कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में अब भी पहुँच विहीन ग्रामों की संख्या बहुत है। नवगठित छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक ऐसा ''नेट वर्क'' विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से राज्य की उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की सीमाऐं चारों दिशाओं से आपस में जुड़ेंगी।

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना अंतर्गत संचालित हेतु रूपये 166508.35 लाख प्रावधान था। जिसके विरूद्ध रूपये 86667.66 लाख का राशि व्यय की गई। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय राशि
1	2	3	4
1	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	2400.00	397.55
2	वृहद पुलों का निर्माण	26500.00	18222.92
3	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	10.00	0.00
4	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	0.00	0.00
5	राज्यों के राज्य मार्ग	15000.00	4614.92
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पुलों का निर्माण	260.00	126.98
7	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	19000.00	7625.19
8	भू–अर्जन मुआवजा भारित	920.00	550.35
9	मुख्य जिला सड़कें	29353.00	19290.56
10	सर्वेक्षण	200.00	62.23
11	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	21400.00	5772.71
12	एन्युटी	1500.00	1500.00
13	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–।।	25000.00	8287.91
14	पुलिस प्रशासन (अति. केन्द्रीय सहायता)	77.00	1.82
15	लोक निर्माण कार्य–भवन	315.00	42.72
16	खनिज प्रशासन	340.00	324.78
17	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	133.00	101.38
18	भू–राजस्व कार्यालय (अति. केन्द्रीय सहायता)	3440.00	2111.45
19	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	45.00	0.00
20	छात्रावास भवनों का निर्माण (अति. केन्द्रीय सहायता)	105.00	78.10

21	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	3200.00	2998.96
22	पालिटेक्निक भवनों का निर्माण	1482.00	1470.91
23	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि राज्य आयोजना	511.00	0.00
24	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	300.00	293.76
25	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	137.00	98.22
26	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (अति.के.सहा.)	60.00	22.29
27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	187.00	66.96
28	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए (अति. केन्द्रीय सहायता)	0.00	0.00
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	228.00	58.73
30	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना	0.00	0.00
31	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	140.00	0.00
32	आयुर्वेद चिकित्सा एवं औषधालय	63.00	0.00
33	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य काएकीकरण	440.00	390.60
34	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	5260.00	5256.98
35	पुलिस प्रशासन	2450.00	1779.95
36	भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण	37.00	13.35
37	न्याय प्रशासन	0.00	0.00
38	सामान्य प्रशासन विभाग	135.00	21.23
39	भू–राजस्व कार्यालय भवन	100.00	0.00
40	अति. विशिष्ट व्यक्तियों के आवास गृह निर्माण	70.00	53.28
41	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	42.00	30.93
42	न्याय प्रशासन भवन का निर्माण के.प्र.यो.	0.00	0.00
43	छात्रावास तथा आश्रम भवन	3.00	0.00
44	शिक्षक आवासगृह	20.00	0.45
45	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(1)	0.00	0.00
46	जिला / विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	14.00	0.00
47	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	1128.05	1070.04
48	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	4029.00	3855.01
49	रोजगार कार्यालय	66.00	28.14
50	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण (के.प्र.)	120.00	27.77
51	लाईवलीहुड कॉलेज	155.00	0.00
52	कोषालय / उपकोषालय वित्त विभाग	100.00	18.53
53	पशुपालन विभाग	33.30	0.00

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि				अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितों की संख्या (लाखों में)
		इकाई	भौतिक लक्ष्य (कार्यो की संख्या)	उपलब्धि		
				पूर्ण	प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7
1	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	संख्या	11	1	6	0.58
2	वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	205	36	86	26.41
3	चतुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	संख्या	0	0	0	0.00
4	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	संख्या	1	0	1	0.00
5	राज्यों के राज्य मार्ग	संख्या	18	2	5	6.69
6	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों पर पुलों का निर्माण	संख्या	1	1	0	0.18
7	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	संख्या	112	11	21	11.05
8	भू–अर्जन मुआवजा भारित	संख्या	0	0	0	0.80
9	मुख्य जिला सड़कें	संख्या	78	10	27	27.96
10	सर्वेक्षण	संख्या	0	0	0	0.09
11	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	संख्या	125	12	24	8.37
12	छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–।।	संख्या	2	0	2	12.01
13	पुलिस प्रशासन (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	0	0	0	0.00
14	लोक निर्माण कार्य–भवन	संख्या	2	0	1	0.06
15	खनिज प्रशासन	संख्या	1	1	0	0.47
16	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	संख्या	2	2	0	0.15
17	भू–राजस्व कार्यालय (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	4	0	4	3.06
18	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	संख्या	2	2	0	0.00
19	छात्रावास भवनों का निर्माण (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	2	1	1	0.11
20	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	संख्या	62	21	22	4.35
21	पालिटेक्निक भवनों का निर्माण	संख्या	11	1	10	2.13
22	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि राज्य आयोजना	संख्या	21	0	0	0.00
23	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	संख्या	1	1	0	0.43
24	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	संख्या	24	11	2	0.14
25	उपस्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (अति.के.सहा.)	संख्या	0	0	0	0.03
26	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए	संख्या	14	10	2	0.10

27	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण मूलभूत सुविधाओं के लिए (अति. केन्द्रीय सहायता)	संख्या	0	0	0	0.00
28	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	संख्या	7	4	1	0.09
29	सुरक्षित मातृत्व केन्द्र योजना	संख्या	0	0	0	0.00
30	चिकित्सालयों में शैयाओं की वृद्धि	संख्या	1	0	0	0.00
31	आयुर्वेद चिकित्सा एवं औषधालय	संख्या	1	0	0	0.00
32	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य काएकीकरण	संख्या	1	0	1	0.57
33	शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	संख्या	3	1	2	7.62
34	पुलिस प्रशासन	संख्या	1	1	0	2.58
35	भाड़ागृह निर्माण योजना के अंतर्गत आवासगृहों का निर्माण	संख्या	2	0	0	0.02
36	न्याय प्रशासन	संख्या	1	0	0	0.00
37	अति. विशिष्ट व्यक्तियों के आवास गृह निर्माण	संख्या	2	1	0	0.08
38	विशेष अधोसंरचना विकास योजना	संख्या	0	0	0	0.04
39	न्याय प्रशासन भवन का निर्माण के.प्र.यो.	संख्या	0	0	0	0.00
40	छात्रावास तथा आश्रम भवन	संख्या	1	0	0	0.00
41	शिक्षक आवासगृह	संख्या	0	0	0	0.00
42	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(1)	संख्या	0	0	0	0.00
43	जिला/विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	संख्या	6	1	1	0.00
44	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	संख्या	39	11	23	1.55
45	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	संख्या	52	21	30	5.59
46	रोजगार कार्यालय	संख्या	1	0	1	0.04
47	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण (के.प्र.)	संख्या	2	0	1	0.04
48	कोषालय/उपकोषालय वित्त विभाग	संख्या	2	0	2	0.03
49	पशुपालन विभाग	संख्या	2	0	1	0.00

❋❋❋❋❋

अध्याय – 6

विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

6.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख है। वर्ष 2005–06 के सर्वेक्षण आधार पर राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की ग्राम संख्या, परिवार संख्या एवं कुल जनसंख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	कमार	गरियाबंद	217	3350	14386
		धमतरी	126	1454	5740
		महासमुंद	73	671	2898
		कांकेर	13	67	264
	योग		429	5542	23288
2	बैगा	कबीरधाम	268	7890	36123
		बिलासपुर	52	2256	9691
		कोरिया	127	4279	16811
		राजनांदगांव	35	975	3495
		मुंगेली	40	1275	5742
	योग		522	16675	71862
3	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	140	2374	9509
		जशपुर	97	3097	13011
		कोरबा	33	610	2397
		बलरामपुर	134	2986	12555
	योग		404	9067	37472
4	बिरहोर	रायगढ़	28	243	959
		जशपुर	14	118	414
		बिलासपुर	6	86	367
		कोरबा	34	353	1294
	योग		82	800	3034
5	अबूझमाड़िया	नारायणपुर	201	3895	19401
		दंतेवाड़ा	8		
		बीजापुर	41		
	योग		201	3895	19401
	कुल योग		1638	35979	155057

जिलों के पुनर्गठन के पष्चात निर्मित नवीन जिलों में उपरोक्तानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति पाये जाने के फलस्वरूप पूर्व से गठित अभिकरणों का पुर्नगठन करते हुए 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठो का गठन किया गया है।

वर्ष 2015–16 में विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG's) के नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTG's) की जनसांख्यिकीय जानकारी के अनंतिम आंकड़े निम्नानुसार है :–

क्र.	विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम	अभिकरण / प्रकोष्ठ का नाम	जिला	विकासखंड	ग्राम संख्या	परिवार संख्या	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमार	गरियाबंद	गरियाबंद	गरियाबंद	71	2006	7010
2				छुरा	59	1092	4083
3				मैनपुर	51	1437	4598
4				फिंगेश्वर	18	205	718
5			बलौदा बाजार	कसडोल	2	40	157
				योग	201	4780	16566
6		नगरी	धमतरी	नगरी	88	1243	4736
7				मगरलोड	26	448	1642
				धमतरी	5	20	78
				योग	119	1711	6456
8		महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	41	461	1686
9				बागबहरा	32	390	1386
10				पिथौरा	2	44	168
				योग	75	895	3240
11		भानुप्रतापपुर	कांकेर	नरहरपुर	13	79	296
				योग	13	79	296
12			कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	1	10	37
				योग	1	10	37
		योग कमार			409	7475	26595
1	बिरहोर	जशपुर	जशपुर	दुलदुला	1	16	56
2				पत्थलगांव	2	34	107
3				कांसाबेल	4	29	99
4				बगीचा	4	60	187
5				कुनकुरी	1	22	66
				योग	12	161	515
6		धरमजयगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	16	223	684
7				घरघोड़ा	3	15	56
8				तमनार	3	53	141
9				लैलुंगा	3	23	84
				योग	25	314	965
10		कोरबा	कोरबा	कोरबा	9	145	446
11				करतला	3	13	40
12				पौडी उपरोडा	12	189	559
13				पाली	11	159	521
				योग	35	506	1566
14		बिलासपुर	बिलासपुर	कोटा	4	104	335
15				मस्तुरी	2	39	123
				योग	6	143	458
		योग बिरहोर			78	1124	3504

1	पहाड़ी कोरवा	जशपुर	जशपुर	बगीचा	81	3863	13557
2				मनोरा	12	238	1019
				कुनकुरी	1	9	32
				योग	94	4110	14608
3		बलरामपुर	बलरामपुर	राजपुर	43	1142	4548
4				कुसमी	27	742	3225
5				शंकरगढ़	50	1336	6157
6				बलरामपुर	7	66	233
				योग	127	3286	14163
7		अंबिकापुर	सरगुजा	लखनपुर	8	185	737
8				सीतापुर	10	197	740
9				बतौली	16	409	1491
10				उदयपुर	5	173	637
11				अंबिकापुर	4	104	547
12				मैनपाट	16	382	1571
13				लुंड्रा	51	887	3380
				योग	110	2337	9103
14		कोरबा	कोरबा	कोरबा	31	378	1292
15				पौडी उपरोड़ा	4	33	118
	_			योग	35	411	1410
		योग पहाड़ी कोरवा			366	10144	39284
1	बैगा	कबीरधाम	कबीरधाम	पंडरिया	78	4625	17109
2				बोड़ला	190	6635	26501
				योग	268	11260	43610
3		बिलासपुर	बिलासपुर	गौरेला	17	2095	6490
4				कोटा	33	1520	5152
5				तखतपुर	2	60	244
				योग	52	3675	11886
6		कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	23	435	1529
7				खड़गंवा	24	355	1223
8				भरतपुर	84	5174	16642
				योग	131	5964	19394
9		राजनांदगांव	राजनांदगांव	छुईखदान	39	1348	4357
				योग	39	1348	4357
10		मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	46	2358	8374
				योग	46	2358	8374
		योग बैगा			536	24605	87621
1	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	नारायणपुर	ओरछा	237	4617	22127
2				नारायणपुर	17	149	719
		योग अबुझमाड़िया		योग	254	4766	22846
		कुल योग		_	1643	48114	179850

उपरोक्त सर्वेक्षण के अनुसार विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की जनसंख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

6.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्यागिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर।

3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।

4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

6.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन संयुक्त म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति/शासी निकाय में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है।

6.4 पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर योजनाएं संचालित की जा रही है। अभिकरणों की समीक्षा बैठकों में प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदत्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद अंतर्गत प्रदत्त आबंटन एवं व्यय का विवरण :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विषेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम	प्रदत्त आवंटन	व्यय
1	अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर	547.579	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से कार्ययोजना की स्वीकृति तथा राशि फरवरी/मार्च 2017 में प्राप्त होने के कारण व्यय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन/प्रगति पर है।
2	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर	50.626	
3	बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली	28.859	
4	बैगा विकास प्रकोष्ठ, राजनांदगांव	17.551	
5	बैगा विकास प्रकोष्ठ, कोरिया	84.552	
6	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, कोरबा	18.562	
7	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा	181.664	
8	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अम्बिकापुर	47.812	
9	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर	67.623	
10	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, बलरामपुर	63.18	
11	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, धरमजयगढ़	4.837	
12	कमार विकास अभिकरण, गरियाबन्द	72.383	
13	कमार विकास प्रकोष्ठ, नगरी	28.859	
14	कमार विकास प्रकोष्ठ, भानुप्रतापपुर	1.325	
15	कमार विकास प्रकोष्ठ, महासमुंद	14.588	
	योग –	1230.00	

6.5 इन विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :–

1. उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, मच्छरदानी का वितरण, कुक्कुट पालन, बाडी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, सौर सिंचाई योजना, पेयजल स्त्रोतों का विकास, हैण्डपम्प स्थापना, स्वरोजगार हेतु सहायता एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रम।
2. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सांस्कृतिक संवर्धन अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य आदि हेतु सहायता।
3. शैक्षणिक संस्थाओं का सुदृढीकरण, स्मार्ट क्लासेस, किचन गार्डन की स्थापना, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण आदि।

6.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

6.6.1 पंडो विकास अभिकरण :– सूरजपुर एवं सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वागीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय सूरजपुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2016–17 में इसके लिए रू. 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना में रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए गए।

6.6.2 भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना :– राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुन्द जिलों के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डो में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2016–17 में इसके लिए रू 50.00 लाख का प्रावधान राज्य आयोजना मद रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

6.7 शैक्षिक विकास हेतु पहल

1. राज्य की पहाड़ी कोरवा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है। अंबिकापुर जिले में 20 पहाड़ी कोरवा आश्रम तथा 01 छात्रावास में कुल 444 पहाड़ी कोरवा विद्यार्थी प्रवेशित हैं। इसी प्रकार जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर के कुल 21 आश्रम संचालित हैं जिनमें 357 विद्यार्थी प्रवेशित हैं।

पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर राजपुर जिला बलरामपुर (छ0ग0)

बलरामपुर जिले में 21 पहाड़ी कोरवा आश्रम संचालित है जिसमें 1068 विद्यार्थी प्रवेशित हैं तथा 01 पहाड़ी कोरवा कन्या शिक्षा परिसर कक्षा पहली से दसवीं तक संचालित है जिसमें 268 कन्याएं प्रवेशित हैं।

2- पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में कन्या शिक्षा परिसर संचालित किया जा रहा हैं।

3- भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के 08 जिलों क्रमशः कोरिया, बलरामपुर, अंबिकापुर, कबीरधाम, धमतरी, बिलासपुर, गरियाबंद, जशपुर में 09 आवासीय विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है इनमें से 07 भवन अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं, 05 भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता पर हैं।

6.8 विषेष पिछड़ी जनजाति के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु राज्य में 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास
2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता
3. विद्युत विहीन ग्रामों का विघुतीकरण
4. स्वास्थ्य परीक्षण
5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना
6. 0–6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिये पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना।
7. कौशल उन्नयन
8. सामाजिक सुरक्षा
9. वन अधिकार पत्रों का वितरण
10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय
11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियों तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कम्बल प्रदाय।

छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा राज्य की पांच जनजातियों तथा राज्य शासन द्वारा दो जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। वर्ष 2005–06 तथा वर्ष 2015–16 में प्रारंभ नवीनतम बेस लाईन सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

अबुझमाड़िया हितग्रहियों को मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत रेडियो एवं छाता का वितरण

मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :–

क्र.	सूत्र का विवरण	सूत्र का संक्षिप्त विषय	इकाई	कुल लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आवासहीन परिवारों के लिए आवास	आवासहीन परिवारों के लिए आवास गृह उपलब्ध कराना।	आवासहीन परिवार सख्या	44331	28042	63.26
2	पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था	पेयजल विहीन ग्रामों एवं मजरों, पारा, टोलो में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।	ग्राम संख्या	2108	1669	79.17
3	विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतविहीन ग्रामों, मजरो, पारा, टोलों में विद्युतीकरण।	ग्राम संख्या	2108	1592	75.52
4	स्वास्थ्य परीक्षण	समस्त विशेष पिछडी जनजातियों के परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना जिसमें सिकलसेल, एनीमिया परीक्षण, मलेरिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप, आंत्रशोध, चर्मरोग, क्षय रोग आदि एवं उपचार की समुचित व्यवस्था शामिल है।	हित.संख्या	194070	93007	47.92
		स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराना।	परिवार संख्या	44331	25771	58.13
		हेल्थ कार्ड	परिवार संख्या	44331	21081	47.55
5	खाद्य सुरक्षा प्रदान करना	प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराना।	परिवार संख्या	44331	41142	92.81
6	0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार प्रदाय सुनिश्चित करना।	0 से 6 वर्ष के बच्चो को पोषण आहार	शिशु संख्या	42437	40522	95.49
		गर्भवती माताओं को पोषण आहार।	माताओं की संख्या	5841	3520	60.26
		शिशुवती माताओं को पोषण आहार।	शिशुवती माता संख्या	5318	2902	54.57
		कुपोषित बच्चों को पोषण आहार।	शिशु संख्या	5577	5062	90.77

7	कौशल उन्नयन	विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवकों को प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करना।	हित.संख्या	44331	5321	12.00
8	सामाजिक सुरक्षा	जनधन योजना	हित.संख्या	88662	22579	25.47
		प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित कराना।	हित.संख्या	88662	35339	39.86
9	वन अधिकार पत्रों का वितरण	समस्त पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत वन अधिकार का वितरण।	हित.संख्या	44331	18574	41.90
		सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण	ग्राम संख्या	2107	517	24.54
10	जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय	जाति प्रमाण पत्र	हित.संख्या	194070	14696	7.57
		निवास प्रमाण पत्र	हित.संख्या	194070	12715	6.55
11	सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिनी आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदाय	दैनिक उपयोग हेतु प्रति परिवार 02 कंबल प्रदाय	परिवार संख्या	88662	49134	55.42
		विशेष पिछड़ी जनजातियों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति परिवार एक रेडियो का प्रदाय।	परिवार संख्या	44331	12974	29.26
		दैनिक उपयोग हेतु प्रति परिवार एक छाता प्रदाय।	परिवार संख्या	44331	9887	22.30

वर्ष 2015–16 में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा किये जा रहे नवीन बेसलाईन सर्वेक्षण के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या एवं परिवार संख्या में परिवर्तन/वृद्धि संभावित है। उक्त योजना राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों सहित उपयोजना क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा रही है।

❋❋❋❋❋

अध्याय – 7

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

–– 00 ––

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है, तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 दिनांक 06.09.2012 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन बाबत् दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग.शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र. /987/ 25– 3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1.	मुख्य सचिव,छ.ग. शासन	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,वन विभाग	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन, राजस्व विभाग	–	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	–	सदस्य
5.	सचिव, छ.ग. शासन,पंचायत एव ग्राम विकास विभाग	–	सदस्य
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य
7.	जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य		

(माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत) — सदस्य

8 आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा

अनुसूचित जाति विकास छ.ग. — सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 15147 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाकर 14871 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

ou v%'k$kj i $k %o(j.k %t#k 'k)(ih *N0x0+

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य तथा अनुसूचित क्षेत्र मे प्राप्त दावों में से पात्रता अनुसार वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों की जानकारी निम्नानुसार है :–

व्यक्तिगत वन अधिकार (वर्ष 2016–17)

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र						अनु.क्षेत्रों में वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र					
वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/दावों की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		वितरित भूमि (हेक्टे. में)		वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/दावों की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		वितरित भूमि (हेक्टे. में)	
एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.	एस.टी.	ओ. टी. एफ. डी.	एस.टी.	ओ.टी. एफ.डी.
625627	226117	358043	21513	310938.202	18773.483	585943	209576	330527	17876	285090.123	15554.747

सामुदायिक वन अधिकार (वर्ष 2016–17)

सामुदायिक वन अधिकार पत्र			अनु.क्षेत्रों में वितरित सामुदायिक वन अधिकार		
वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/दावों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	वितरित भूमि (हेक्टे. में)	वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदन/दावों की संख्या	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या	वितरित भूमि (हेक्टे. में)
26843	13294	578546.795	25761	12568	543072.765

वन अधिकार के समस्त निरस्त प्रकरणों को पुनर्विचार में लेकर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाती है। वर्षवार वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का विवरण बार डायग्राम के रूप में दर्शित है जिसमें उपरोक्त तालिका में दर्शित राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी सम्मिलित है :–

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

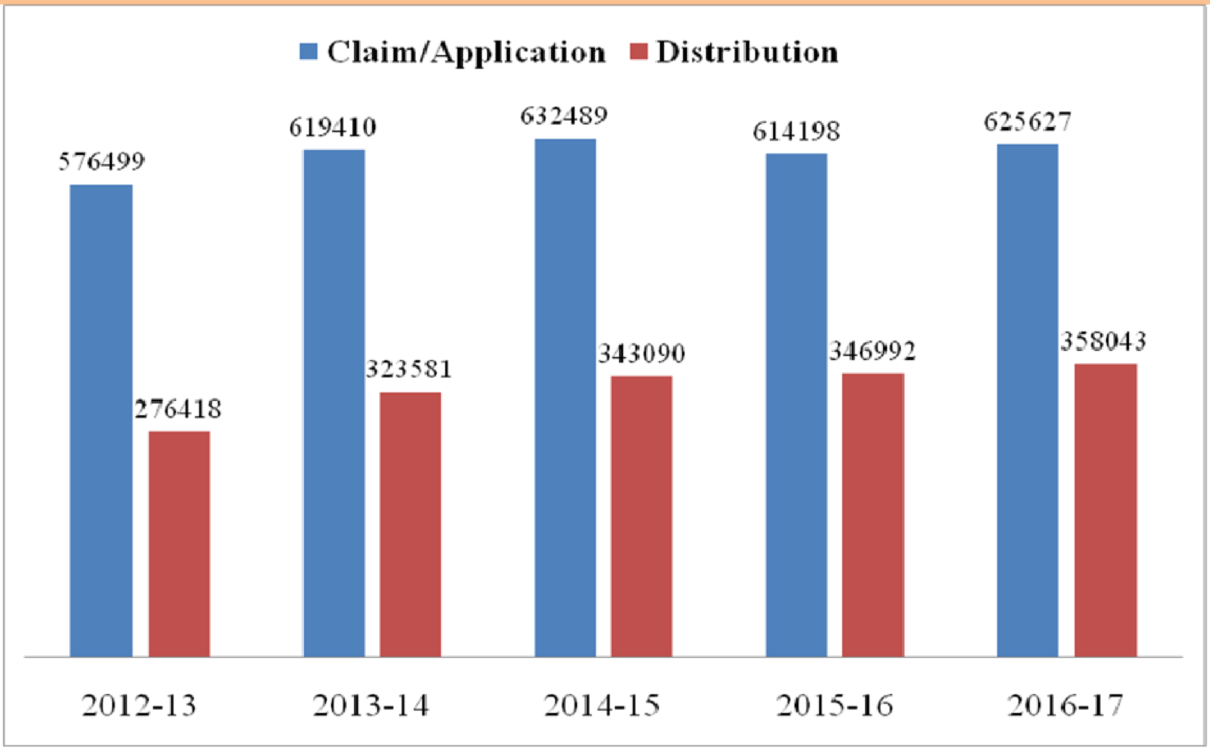

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

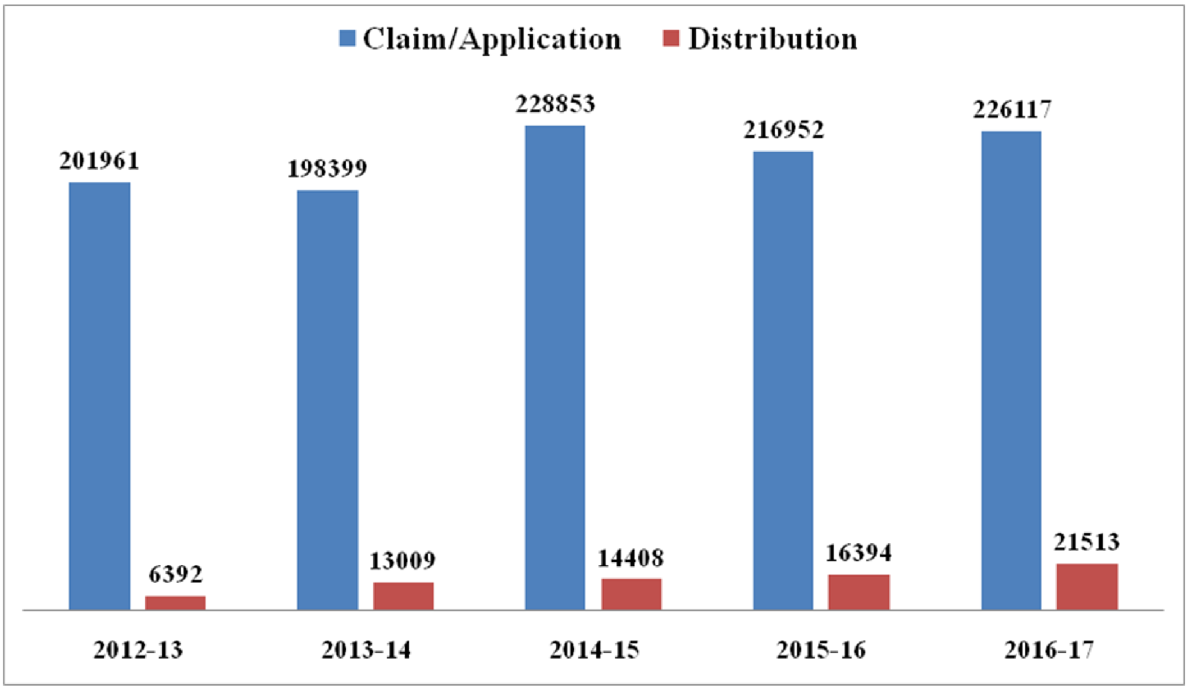

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

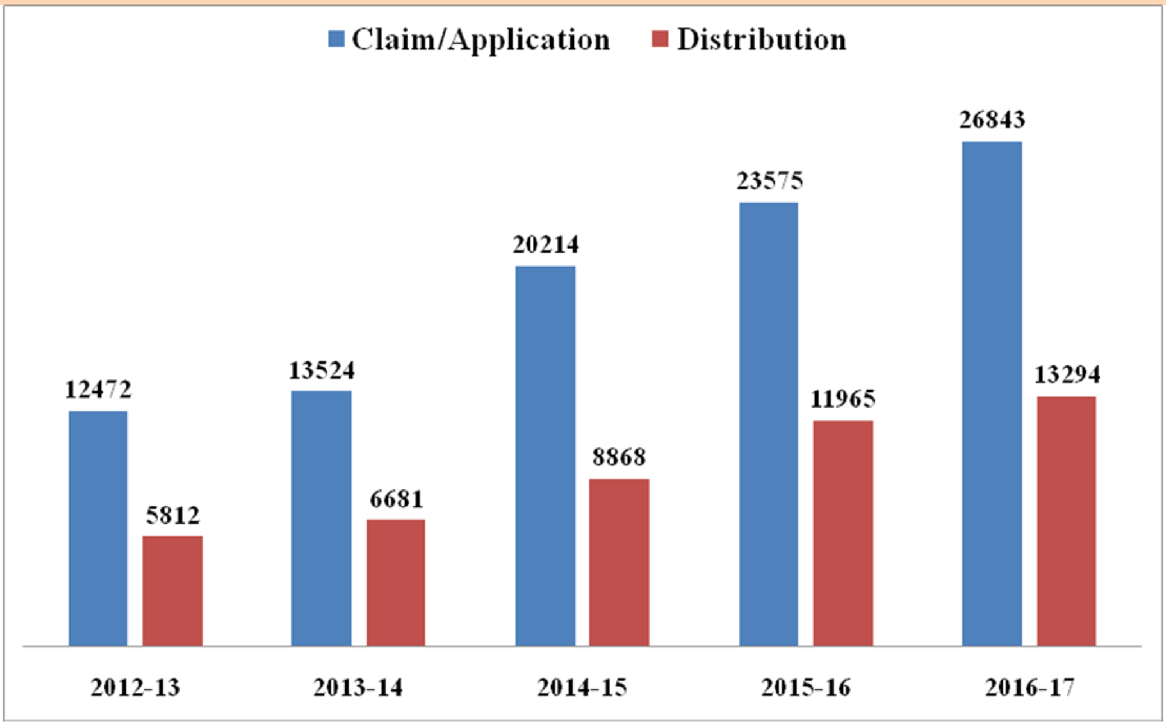

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

परिशिष्ट 1– (अ)

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र :–

<u>छत्तीसगढ़</u>

(1) सरगुजा जिला

(2) कोरिया जिला

(3) बस्तर जिला

(4) दन्तेवाड़ा जिला

(5) कांकेर जिला

(6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला–1, गौरेला–2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सक्रिल

(7) कोरबा जिला

(8) जशपुर जिला

(9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैंलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।

(10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड

(11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड

(12) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड

(13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

परिशिष्ट – 1 (ब)

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1 – जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2 – कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3 – नारायणपुर		
4	कांकेर	4 – भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5 – दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6 – कोन्टा		
7	बीजापुर	7 – बीजापुर		
8	गरियाबंद	8 – गरियाबंद		
9	बलौदाबाजार		1 –बलौदा बाजार	1 – धुरीबांधा
10	धमतरी	9 – नगरी	2 – गंगरेल	
11	महासमुन्द		3 – महासमुन्द –1	
			4 – महासमुन्द –2	
12	बालोद	10 – डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11 – राजनांदगांव	5 – नचनियां	2 – बछेराभाटा
14	कवर्धा		6 – कवर्धा	
15	सरगुजा	12 – अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13 – सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14 –पाल (रामानुजगंज)		
18	कोरिया	15 – बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16 – कोरबा		
20	बिलासपुर	17 – गौरेला		
21	जांजगीर–चांपा		7 – रूगजा	
22	रायगढ़	18 – धरमजयगढ़	8 – सारंगढ़	
			9 –गोपालपुर	
23	जशपुर	19 – जशपुरनगर		

छत्तीसगढ़ – उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य

(अ)		छत्तीसगढ़ (जनगणना 2011)	
	1.	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,133 वर्ग किमी.
	2.	प्रदेश की कुल जनसंख्या	255.45 लाख
	3.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	78.22 लाख
	4.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	30.62 प्रतिशत
(ब)		आदिवासी उपयोजना :–(जनगणना 2011)	
	1.	आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000 वर्ग किमी.
	2.	आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12 प्रतिशत
	3.	कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
	4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	115.61 लाख
	5.	उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	45.26 प्रतिशत
	6.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का उपयोजना क्षेत्र की अनु.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	56.09 प्रतिशत
	7.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	102.79 लाख
	7.1	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	57.09 प्रतिशत
	7.2	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	75.02 प्रतिशत
	7.3	उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	90.50 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद्
की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2016 का कार्यवाही विवरण

––0––

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2016 अपरान्ह 1:30 बजे आयोजित की गई । उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों की जानकारी परिशिष्ट – 01 एवं 02 पर संलग्न है। बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया गया तथा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तथा पूर्व निर्धारित एजेण्डावार निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा क्रमांक :– 01

दिनांक 17.12.2015 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा –

(1.1) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.1

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के जारी होने के उपरांत जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में अनुभव की जा रही कठिनाईयों का लगभग 80 प्रतिशत निराकरण हो चुका है शेष 20 प्रतिशत कठिनाईयों नियमों से संबंधित न हो कर नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतीत होती है अतः इनका निराकरण भी सभी जिलों में वीडियों कान्फ्रेसिग के माध्यम से कर लिया जावे तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की जिम्मेदारी सभी कलेक्टरों को दी जाय तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय ताकि सरलता से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके।

इस संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कलेक्टर्स को निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई कठिनाई आ रही है, तो उनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिया जावे। इस संबंध में शाला प्रवेश उत्सव के साथ जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाय।

उक्त के संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–7/2015/आ.प्र./1–3 दिनांक 10.06.2015 द्वारा शासन के समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–09–2015 को जगदलपुर में लिये गये निर्णय अनुसार कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी शाला छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया था कि कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक के अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय। स्कूल शिक्षा विभाग आगामी बैठक के पूर्व प्रगति से अवगत कराये।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 28–05–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को शासकीय शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उनके स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संबंधित शालाओं में ही शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों को उनके निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने की कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। तथा प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु समयबद्व कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन स्तर से समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाये कि :–

(क) निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण –पत्र बनाने हेतु शालाओं में सम्मेलन आयोजित किया जाये तथा इस आयोजन में प्रधान पाठक/प्राचार्य आवश्यक रूप से सक्रिय भागीदारी निभायेंगे।

(ख) समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

(कार्यवाही – सामान्य प्रशासन विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ राजस्व विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग)

(1.2) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.3)

परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा यह अवगत कराए जाने पर कि विकासखण्ड कुसमी, राजपुर तथा रायपुर के कुछ ग्राम, यथा, भराजी, महंगई, दुधव आदि न तो वन ग्रामों की सूची में सम्मिलित है और न ही राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि उक्त संबंध में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे कुछ ग्रामों को चिन्हांकित कर उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने की जानकारी परिषद् को दी गई तथा परिषद् को अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 23–7–2013 को समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करने हेतु सर्वेक्षण किया जावे तथा जानकारी एक माह के अंदर भिजवाई जावे।

परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए। परिषद् के माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सर्वेक्षण में ऐसे ग्रामों को पहले शामिल किया जा सकता है, जो मुख्य सड़कों के किनारे स्थित है।

इस संबंध में सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 813 ग्रामों के सर्वे के लिए आदेश जारी किया गया है, तथा इस कार्य में 04 माह का समय लग सकता है जिसमें अबुझमाड़ के 237 ग्राम भी सम्मिलित हैं।

चर्चा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री एवं परिषद् अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया है, उन्हें राजस्व ग्राम के निवासियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही है। साथ ही उक्त सर्वे कार्य समय–सीमा में करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के संबधं में सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कलेक्टर बलरामपुर की अधिसूचना क्रमांक 234/वाचक/2013, दिनांक 25.01.2014 के माध्यम से ग्राम मंहगई, उधवाकठरा तथा सेमराकठरा को वनग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है।

दिनांक 17.12.2015 की बैठक में परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि –

(अ) ग्राम भराजी के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।
(ब) प्रदेश के 813 ग्रामों की सर्वे की अद्यतन प्रगति से आगामी बैठक के पूर्व अवगत कराया जाये।
(स) सुनिश्चित किया जाए कि जिन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया है, उन्हें राजस्व ग्राम के निवासियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही है।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि :–

(अ) रायपुर जिले में भंराजी नाम का कोई गॉव या बसाहट होना नहीं पाया गया है।

(ब) प्रदेश के 813 असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण संचालक भू–अभिलेख रायपुर द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित 431 नवीन राजस्व ग्राम भी शामिल हैं। इस तरह वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित ग्रामों का सर्वेक्षण विभागीय योजना में शामिल है। सर्वेक्षण पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

(स) वन अधिकार मान्यता पत्रधारियों को ऋण पुस्तिका के समान वन अधिकार पत्र पुस्तिका भाग–1 एवं भाग–2 प्रदाय किया गया है ताकि उन्हें अन्य भूमिस्वामियों की भॉति शासन की विभिन्न सुविधाएं मिल सके।

निर्णयः— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :—

(क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के नर्मदापारा एवं टपरकेला ग्राम न तो राजस्व ग्राम न ही वन ग्राम में सम्मिलित है जिसके कारण उक्त ग्रामों में किसी प्रकार का वन अधिकार/पट्टा नहीं मिला है। इनका परीक्षण कर लिया जाय ।

(ख) असर्वेक्षित 382 गॉवों (813—431) में सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाय।

(ग) राजस्व सचिव इन 831 ग्रामों के सर्वेक्षण की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा निर्धारित योजनायें जो कि सामान्य राजस्व ग्रामों में लागू हैं इन ग्रामों में भी उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, यथा बीज, खाद, सहकारी बैंकों से ऋण आदि ।

(कार्यवाही — कमिश्नर सरगुजा/राजस्व विभाग/ सहकारिता विभाग/कृषि विभाग)

(1.3) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.4)

बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन होने की शर्त हटाकर उसके स्थान पर 100 एकड़ जमीन में राष्ट्रीय आदिवासी विश्व विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया जावे तथा जमीन की उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर कांकेर एवं कलेक्टर बस्तर से जानकारी मॉगी जावे। परिषद् को अवगत कराया गया था कि माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भूमि सीमा के संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय से उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है । भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया है कि कलेक्टर कोण्डागांव एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा अपने—अपने जिले में क्रमशः 200 एकड़ तथा 292.77 एकड़ भूमि का चयन कर नक्शा खसरा आदि उपलब्ध कराया गया है।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन एवं कनेक्टिविटी वाली जगह का चयन किया जाना चाहिए इस दृष्टि से कोण्डागांव दंतेवाड़ा की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। अतः तद्नुसार इस दिशा में कार्यवाही की जावे।

मान. केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08—10—2014 द्वारा माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलना संभव प्रतीत नहीं होने से अवगत कराया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विषय को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुर्नविचार हेतु लिखा जाए।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को छ.ग.राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में पत्र क्रमांक एफ 16–9/2013/38–2 दिनांक 17–12–2015 द्वारा लेख किया गया है।

बैठक दिनांक 17–12–2015 में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग का सृजन किया जाय।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्व विद्यालय को पाठ्यक्रम निर्धारित कर कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया है। यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(क) शासन स्तर से ही सृजन करने का आदेश जारी किया जाये तथा इस पृथक विभाग के सृजन हेतु जो भी सेटअप की आवश्यकता होगी वह शासन स्तर से मंजूर किया जाये। सम्पूर्ण कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जावे।

(ख) अमरकंटक जनजाति विश्व विद्यालय का स्टडी सेंटर बस्तर में स्थापित करने हेतु मानव संसाधन मंत्रालय, केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग)

(1.4) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.6)

समस्त वन अधिकार पत्रों के वितरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2014 निर्धारित की जावे तथा वन अधिकार पत्र जारी करने तथा वितरण की स्थिति संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा पब्लिक डोमेन में डाली जावे तथा इसे प्रकाशित कराकर ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराया जावे। उक्त के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को उक्त जानकारी विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के निर्देश दिये जा चुकें है। जिला सूरजपुर में 355 तथा महासमुन्द में 435 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष है। अन्य जिलों में अनुमोदित समस्त व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि लंबित वन अधिकार पत्रों का वितरण यथाशीघ्र किया जाए।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि जिला सूरजपुर में 355 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष था, जिसमें से सभी पात्र आवेदकों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया गया है तथा जिला महासमुंद में 435 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र पुनर्विचार में होने के कारण वितरण शेष था जिसमें से पुनर्विचार पश्चात 275 वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है तथा 98 आवेदन पत्र निरस्त एवं 62 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है।

बैठक दिनांक 17–12–2015 में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार की प्रकरणवार जानकारी विभागीय वेब–साईट पर तीन माह की अवधि में दर्शाने की कार्यवाही की जाये।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में अपर मुख्य सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg@gov.in पर बालोद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कवर्धा, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, कोण्डागांव, गरियाबंद एवं राजनांदगांव जिलों के व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हितग्राहियों की सूची अपलोड कर दी गई है। शेष जिलों की जानकारी अपलोड करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(क) शेष जिलों की सूची विभागीय वेबसाईट पर 01 माह में अपलोड की जावे।

(ख) ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरण जो कि राजस्व भूमि होने के कारण निरस्त किये गये हैं, उन प्रकरणों की सूची 01 माह में कमिश्नर सरगुजा तथा बस्तर राजस्व विभाग को प्रेषित करें। राजस्व विभाग मंत्रीपरिषद् से इस संबंध में आदेश प्राप्त करें।

(कार्यवाही संभागीय आयुक्त सरगुजा तथा बस्तर /राजस्व विभाग/ आयुक्त, आदिम जाति तथा अ.जा. विकास)

(1.5) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.7)

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि लाख, महुआ बीज, चिरौंजी, ईमली, कोसा को विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित करने संबंधी जारी अधिसूचना की प्रतियॉ जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जावे। वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिसूचना की प्रतियॉ राजपत्र दिनांक 07.03.2014 को प्रकाशित कर दिया गया है तथा जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि संग्रहित ईमली का मूल्य संवर्धन (value addition) कर विक्रय किया जाए, इससे समिति को अधिक लाभ होगा तथा इसका लाभ संग्रहणकर्ताओं को भी प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु एस.आर.एल.एम. के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कि वर्ष 2014 से राज्य में भारत सरकार का समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 07 लघु वनोपजों का संग्रहण/क्रय किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार से 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से 25 प्रतिशत राशि प्राप्त हो रही है। अब तक इस हेतु रूपये 179.05 करोड़ का आबंटन प्राप्त हो चुका है। योजना के क्रियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नोडल विभाग है। लघु वनोपजों के क्रय की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ क्रियान्वयन एजेन्सी है।

वनोपज का नाम	समर्थन मूल्य	संग्रहित मात्रा	पारिश्रमिक

		(क्विंटल में)	(करोड़ में)
सालबीज 2014	रू.10	125676.05	12.57
सालबीज 2015	रू.10	102240.16	10.22
हर्रा	रू.11	34127.44	3.75
इमली	रू. 22	36187.53	7.96
महुआ बीज	रू. 22	2166.29	0.48
चिरौंजी गुठली	रू.100	5476.99	5.48
रंगीनी लाख	रू.230	1238.24	2.85
कुसुमी लाख	रू.320	1416.52	4.53
योग	—	—	48.12

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुरूप योजना का लाभ लेने वाले राज्यों के लिए यह शर्त अधिरोपित किया गया था कि जिन वनोपजों के समर्थन मूल्य घोषित हैं उन्हें राज्य सरकार गैर अधिसूचित वनोपज घोषित करे। अतः उक्त शर्त के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा सालबी, हर्रा, चिरौंजी गुठली, इमली, महुआ बीज, कोसा कोकून एवं लाख, जो पूर्व में अधिसूचित वनोपज घोषित थे, को गैर अधिसूचित वनोपज घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय योजना के तहत लघु वनोपजों के क्रय की कार्यवाही प्रगति पर है।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (जिला पंचायत) को जनजाति क्षेत्रों में ईमली के मूल्य संवर्धन एवं विपणन हेतु स्व–सहायता के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन की कार्यवाही करने हेतु जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त संबंध में जिला कोण्डागांव के माकड़ी विकास खंड में लगभग 80 स्व–सहायता समूहों के द्वारा ईमली के मूल्य संवर्धन हेतु कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 120 से 150 रू. प्रतिदिन अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। शेष जिलों में कार्यवाही प्रचलन में है।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 को निर्णय लिया गया था कि (अ) संग्राहकों का भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से किया जाय।

(ब) संग्रहित वनोपज का विक्रय ऑन लाईन ट्रेडिंग के माध्यम से भी करने के प्रयास किये जाये।

(स) इमली के मूल्य संवर्धन एवं वितरण हेतु क्षमतावर्धन करने हेतु प्रशिक्षण का कार्य छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाय।

वन विभाग द्वारा दिनांक 12–07–2016 की बैठक में अवगत कराया गया कि:–

(क) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत क्रय वनोपज का भुगतान संग्राहकों को सीधे संग्राहकों के बैंक खाते में करने हेतु शासन/संघ द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत संग्रहित वनोपज का विक्रय ऑनलाईन प्रक्रिया से किया

जा रहा है तथा विक्रय का निर्णय माननीय वनमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राजकीय वनोपज की अंर्तविभागीय समिति द्वारा लिया जाता है।

(ग) इमली के मूल्य संवर्धन एवं वितरण हेतु क्षमता वर्धन करने हेतु पूर्व में बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोण्डागांव, केशकाल, कांकेर, नारायणपुर एवं भानुप्रतापपुर के 292 स्थानीय संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, आगे भी उक्त प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही की जाएगी ताकि अधिक से अधिक संग्राहक लाभान्वित हो सकें।

निर्णयः— चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.6) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.8)

छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होम गार्ड के लिए आई.ए.पी. मद से अनुमानित 2 लाख रूपये तक के आवास बनाने का कार्य किया जावे। इस हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे। उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पत्र दिनांक 02—07—2014 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को जिले में संचालित कन्या छात्रावास/आश्रमों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों के लिये आवास निर्माण हेतु मानक इकाई लागत राशि रूपये 2.30 लाख के आधार पर प्राधिकरण मद, बी.आर.जी.एफ, आई.ए.पी. आदि मद से राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संबंधित जिला कलेक्टरों से जानकारी प्राप्त की जाये कि कितने आवास गृह निर्मित कराये गये हैं।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि राज्य में संचालित 1242 कन्या छात्रावास/आश्रमों में सुरक्षा हेतु महिला नगर सैनिक तैनात किये गये हैं। छात्रावास/आश्रमों में ही महिला नगर सैनिकों के आवास हेतु अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा IAP मद से कबीरधाम जिले में 21 आवासगृह स्वीकृत किए गए हैं तथा अपूर्ण हैं।

दिनांक 17—12—2015 में निर्णय लिया गया था कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास आश्रमों में सुरक्षा हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों हेतु आवास की व्यवस्था की जावे। यह कार्य मनरेगा के अंतर्गत भी स्वीकृत किया जाय।

बैठक दिनांक 12—07—.2016 में द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची—1 एवं अनुसूची—2 के संशोधन आदेश 2013 द्वारा स्कीमों को IV प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत किया गया है, जिसमें महिला नगर सैनिकों के आवास का उल्लेख नहीं है। अतः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत महिला नगर सैनिकों के आवास स्वीकृत नहीं किए जा सकते।

अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016—17 के बजट में कन्या छात्रावास/आश्रमों में महिला नगर सैनिकों के लिए गार्ड रूम निर्माण हेतु रूपये 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

निर्णयः— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :—

(क) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त छात्रावास एवं आश्रमों का निरीक्षण करने हेतु कलेक्टर्स को निर्देश दिया जाये। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाये कि भवनों में छत से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है तथा खिड़की—दरवाजे सही स्थिति में है। समस्त खिड़की, रोशनदान, दरवाजों में मच्छर रोधी जाली लगवाकर भवन में समस्त पंखों, बिजली आदि की मरम्मत सुनिश्चित की जावे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा पंजी में अपनी टीप एवं दिनांकित हस्ताक्षर किये जायें। निरीक्षण प्रतिवेदन 01 माह में शासन स्तर पर प्राप्त किया जावे। जिले में पदस्थ सहायक आयुक्त को प्रतिमाह कम से कम 10 छात्रावास/आश्रम के निरीक्षण का लक्ष्य दिया जाये। वे निरीक्षण पंजी में विस्तृत निरीक्षण टीप अंकित करेंगे।

(ख) कोण्डागांव जिले में माननीय विक्रम उसेंडी जी सांसद द्वारा हाई स्कूल के घटिया निर्माण की जॉच हेतु कमिश्नर बस्तर को लेख किया गया था।

कमिश्नर बस्तर जॉच पूर्ण करवाकर माननीय सांसद एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत करावें।

(ग) गरियाबंद जिले के अमलीपदरमें कन्या स्कूल का भवन अपूर्ण है जबकि इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाया गया है। लोकार्पण के उपरान्त भी भवन अपूर्ण होने के लिये जवाबदेही निर्धारित कर दोषी

अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, तथा इस भवन को पूर्ण करने की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

(घ) धमतरी जिले में सिंगपुर में छात्रावास भवन गत 13 वर्षों से निर्माणाधीन है। इसको पूर्ण करने की कार्यवाही की जावे।

(च) राजनांदगॉव जिले के मानपुर बोरिया में अपूर्ण भवन को पूर्ण किया जावे।

(छ) कवर्धा जिले के दलदली में बालक एवं कन्या छात्रावास तथा बालिका आश्रम में पेयजल व्यवस्था हेतु एक—एक सोलर पम्प एक माह में स्थापित किया जावे।

(ज) छात्रावास एवं आश्रमों में विद्यार्थियों के सोने के लिये उपयोग में आने वाले तखत की आपूर्ति जेल विभाग के साथ—साथ छ0ग0 वन विकास निगम से भी की जावे।

(कार्यवाही — आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.वि./स्कूल शिक्षा विभाग/
लोक निर्माण विभाग/वन विभाग/ऊर्जा विभाग/कमिश्नर बस्तर/)

(1.7) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.9)

राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में यहॉ औसत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, में पुनर्गणना का कार्य कराए जाने का आग्रह जनगणना निदेशालय से किया गया है। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उसके कारणों के संबंध में व्यापक अन्वेषण/अध्ययन कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अध्ययन हेतु रूपये 10.00 लाख की मांग की गई है। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा तद्नुसार सहमति दी गई।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि आयुक्त, आ.जा.तथा अनु. जा.विकास के पत्र दिनांक 20–11–2015 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को उक्त कार्य हेतु रूपये 10.00 लाख का आबंटन जारी कर दिया गया है।

परिषद द्वारा दिनांक 17–12–2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की जावे।

दिनांक 12–07–2016 की बैठक में अपर मुख्य सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा. वि.विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि जिला नारायणपुर एवं सुकमा हेतु प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में यह कार्य प्रगति पर है। प्रतिवेदन अनुसार अनुसंधान कार्य प्रगति पर है तथा प्रतिवेदन निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अध्ययन प्रतिवेदन की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग/उच्च शिक्षा विभाग)

(1.8) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.10)

पूर्व बैठक में परिषद् के माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा राज्य में संचालित प्रयास विद्यालयों में गणित विषय एवं जीवविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या अनुपात तय करने का अनुरोध किया गया था। बीजापुर में इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया था तथा बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन कराए जाने की मॉग की गई थी। आयुक्त, बस्तर संभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया जा चुका है परंतु वन भूमि के कारण कठिनाई आ रही है। जिस पर निर्णय लिया गया कि उक्त विषयों पर परीक्षण कर संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिषद को अवगत कराया गया कि प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की ईच्छानुसार गणित अथवा जीव– विज्ञान विषय में अध्ययन एवं कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। परिषद को अवगत कराया गया कि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का

पुनः परीक्षण कर सीमाओं का पुनः निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो सीमाओं का पुनः निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया जावेगा।

परिषद को अवगत कराया गया कि कि बीजापुर वन मंडल अंतर्गत रकबा 43.956 हेक्टेयर में एयर स्ट्रिप निर्माण का पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, वन मंत्रालय को भेजी जावेगी। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृति हेतु प्रकरण शीघ्र भारत सरकार को भेजा जावे।

इस सबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन का वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण राज्य शासन के पत्र दिनांक 30–05–2015 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। तथा इंद्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय अन्य जीव बोर्ड की अनुमति हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र दिनांक 13–07–2015 द्वारा भेजा गया है। उक्त दोनों प्रकरण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिषद द्वारा बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सम्पक्र कर उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन विभाग विशेष प्रयास करे। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं संभाग आयुक्त बस्तर मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विमानन विभाग की अनुशंसा अनुसार, बीजापुर में नवीन हवाई पट्टी निर्माण का कार्य जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जाना है तथा इस संबंध में दिनांक 05–12–2014 को विमानन विभाग को विभागीय सहमति प्रदान कर दी गई है।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में प्रमुख सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि बीजापुर हवाई पट्टी हेतु 39.604 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को दिनांक 06–01–2016 को प्रेषित किया गया है। उक्त क्षेत्र इंद्रावती टाईगर रिजर्व का बफर क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण को भी लिखा गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा दिनांक 15–03–2016 को सशर्त अनुमति दी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 25–02–2016 को 9 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी अगले सप्ताह तक प्रेषित कर दी जावेगी।

इंद्रावती टाईगर रिजर्व की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्ताव दिनांक 13–07–2015 को प्रेषित किया गया था, जिस पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाना है। उक्त समिति के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 26–02–2016 को बीजापुर में प्रस्तावित हवाई पट्टी का स्थल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कलेक्टर बीजापुर को निर्देशित किया गया कि एयर स्ट्रीप निर्माण हेतु शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि सम्मिलित होने पर निजी भूमि स्वामी को नियमानुसार मुआवजा आदि के प्रकरण तैयार किये जायें।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जाकर उक्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही वन विभाग/संभाग आयुक्त बस्तर)

(1.9) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.11)

माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग द्वारा नक्सल पीड़ित परिवार के एक आश्रित को शासकीय नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गये हैं। जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि गृह विभाग के पत्र दिनांक 06–10–2015 द्वारा अवगत करया गया कि नक्सल पुर्नवास योजना के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के तहत नक्सल पीड़ित के परिवार को नौकरी दिये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। तथा नक्सल पीड़ित परिवार के 01 आश्रित को शासकीय नौकरी दिये जाने के संबंध में कुल 176 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 112 प्रकरणों में नौकरी दी गई है। शेष 64 प्रकरण लंबित हैं।

परिषद द्वारा दिनांक 17.12.2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि नक्सल पुर्नवास योजना के अंतर्गत गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के तहत नक्सल पीड़ित के परिवार को नौकरी दिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से भी निर्देश प्रसारित किया जाय।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12.07.2016 में अवगत कराया कि पत्र क्रमांक / 212/ आर–2916/2015/1–6 दिनांक 10–02–2015 द्वारा गृह

विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4–82/दो/ गृह–सी/ 201 दिनांक 16–11–2015 की प्रति शासन के समस्त विभाग, समस्त कलेक्टर्स तथा समस्त पुलिस अधीक्षक को भेजकर नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु जारी नवीन संशोधित पुनर्वास कार्ययोजना अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

प्रमुख सचिव, गृह द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सल पीढ़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नौकरी देने के कूल 422 प्रकरणों में से 392 का निपटारा कर दिया गया है। शेष प्रकरण वर्ष 2014–15 के बाद के हैं, जिन पर कार्यवाही प्रचलित हैं।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(क) भैरमगढ़ में वर्ष 2003 में नक्सल हिंसा से हुई हत्या के प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से माननीय वन मंत्री श्री महेश गागड़ा को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही गृह विभाग)

(ख) मर्दापाल में सीआरपीएफ कैंप हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है। भूमि स्वामी को संभवतः मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। मुआवजे की कार्यवाही की जावे तथा उक्त भूमि स्वामी को शासन की योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही कलेक्टर, कोण्डागांव)

(ग) नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लाक मुख्यालयों की नगर पंचायतों में भी आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराया जाये तथा कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

(कार्यवाही नगरीय प्रशासन विकास विभाग, कौशल उन्नयन विभाग)

(घ) नारायणपुर जिले के जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि पर माड़िया निवास के नाम से 20 से 25 कमरों का सामुदायिक भवन निर्माण किया जावे, तथा 01 दाल–भात केन्द्र भी भवन के परिसर में खोला जाय।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनसूचित जाति विकास विभाग)

(1.10) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.13)

माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग में अनेक आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाये। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आगामी बैठक के पूर्व स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

आयुक्त बस्तर संभाग बस्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त,

बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1) मान.कमिश्नर न्यायालय से पुनरीक्षण आदेशोपरांत प्राप्त कुल प्रकरण संख्या–77

2) मा.न्यायालय राजस्व मण्डल छ.ग.सक्रिट कोर्ट जगदलपुर की ओर सुनवाई पूर्व मांग अनुसार प्रेषित प्रकरण –27

3) कलेक्टर न्यायालय से पुनरीक्षण की कार्यवाही में कुल निर्णित प्रकरण संख्या–50

कुल प्रकरण संख्या –77

1) अंतिम आदेश पश्चात आदिवासी पक्ष को कब्जा सौंपा गया–23

2) अंतिम आदेशानुसार निरस्त किये गये प्रकरण (भूमि आदिवासी पक्ष से गैर आदिवासी पक्ष को अनुमति पश्चात अंतरित न होने की स्थिति में –03

3) अनुविभाग स्तर पर कब्जा सौंपने हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरण संख्या –07

4) मान.उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन पर कार्यवाही स्थगित प्रकरण संख्या –17

कुल प्रकरण संख्या–50

जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव अंतर्गत कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर्स को सख्त निर्देश जारी किये जाये।

सचिव, राजस्व विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12–07–2016 में अवगत कराया गया कि बस्तर संभाग के जिला बस्तर एवं दंतेवाड़ा में नगरीय क्षेत्र में आदिवासियों की गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई थी। ऐसे मामलों की संख्या बस्तर में 77 तथा दंतेवाड़ा में 10, इस तरह कुल 87 मामले पाये गये थे। आयुक्त बस्तर संभाग के द्वारा इन सभी 87 मामलों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया। अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यवाही का विवरण	जिलेवार की गई कार्यवाही		
		बस्तर	दंतेवाड़ा	योग
1	कुल प्रकरण संख्या	77	10	87
2	आयुक्त बस्तर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में लिये गये प्रकरण संख्या	77	10	87
3	आयुक्त बस्तर द्वारा निराकृत प्रकरण संख्या	77	10	87
4	आदिवासियों को वापस करने तथा कब्जा सौंपने के आदेश पारित प्रकरण संख्या	77	10	87
5	आदिवासियों को कब्जा सौपे गये प्रकरण संख्या	26	7	33

6	कब्जा सौंपने की कार्यवाही अ.वि.अ.के पास विचाराधीन	7	1	8
7	माननीय उच्च न्यायालय /राजस्व मंडल/ व्यवहार न्यायालय में लंबित/ स्थगन	44	2	46

निर्णयः— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

(1.11) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.17)

माननीय सांसद श्री विक्रम उसेंडी द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि पर स्थित सूखे पेड़ों के काटने की अनुमति प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के संबंध में अवगत कराया गया।

निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस संबंध में समुचित कार्यवाही करें।

राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में इमारती एवं अन्य वृक्षों की कटाई हेतु छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—240 उपं 241 में प्रावधान है। गत वर्षो में अनुसूचित क्षेत्रों में यह अनुभव रहा है कि अनुसूचित जनजाति के कृषकों के खाते पर स्थित इमारती लकड़ी की कटाई बिचौलिया द्वारा की जाकर भारी पैमाने में अनुसूचित जनजाति के कृषकों का शोषण किया गया है।

अतः अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि पर स्थित इमारती वृक्षों की कटाई का नियमन छत्तीस्रगढ़ आदिम जनजातियां का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 द्वारा किया जाकर अनुसूचित जनजाति के कृषकों का हित संरक्षित किया जा रहा है।

अतः विभाग प्रचलित प्रक्रिया में किसी भी तरह के संशोधन किये जाने पर सहमत नहीं है।

परिषद की बैठक दिनांक 17.12.2015 में निर्णय लिया गया कि कृषकों के खेतों में खड़े सूखे एवं मृत वृक्षों को काटने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाये।

दिनांक 12—07—2016 की बैठक में राजस्व विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में इमारती एवं अन्य वृक्षों की कटाई हेतु छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—240 एवं 241 में प्रावधान है। पूर्व वर्षों में अनुसूचित क्षेत्रों में यह अनुभव रहा है कि अनुसूचित जनजाति के कृषकों के खेतों पर स्थित इमारती लकड़ी की कटाई बिचौलियों द्वारा की जाकर भारी पैमाने में अनुसूचित जनजाति के कृषकों का शोषण किया गया है। अतः अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि पर स्थित इमारती वृक्षों की कटाई का नियमन छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियां का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 अंतर्गत किया जाकर अनुसूचित जनजाति के कृषकों का हित संरक्षित किया जा रहा है। अतः विभाग प्रचलित इस अधिनियम के प्रावधानों में किसी भी

तरह के संशोधन किये जाने पर सहमत नहीं है।सूखे तथा गिरे पड़े वृक्षों के मामलों में अनुमति देने के प्रावधान संहिता की धारा 240–241 में पहले से ही उपलब्ध है।

निर्णयः–   चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई ।

(1.12) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.20)

माननीय सदस्या श्रीमती चम्पादेवी पावले द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि भरतपुर/जनकपुर क्षेत्र में बैगा जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इनके पूर्वजों के अभिलेख में कोल जाति अंकित है।

गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश हेतु गेट लगा है, जिसे पार करने पर ग्रामीणों से टैक्स वसूल किया जाता है। तमोर पिंगला अभ्यारण क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण नहीं करने दिया जाता, तथा सड़क आदि निर्माण के कार्य भी नहीं हो रहें है।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। टी. ई.टी. पास नहीं करने वाले बैगाओं को शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं मिल रही है।

चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि जाति प्रमाण पत्र तथा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर, कोरिया समुचित कार्यवाही करें। वन विभाग से संबधित बिन्दु पर वन विभाग कार्यवाही करें। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण से वंचित किये जाने की क्षतिपूर्ति कैम्पा मद से किये जाने पर विचार किया जाये। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवकों को जो टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें इस शर्त के साथ नियुक्ति दिये जाने हेतु पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जाये कि ऐसे युवक पांच वर्षों में टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के अभ्यारणय, टाईगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यानों का संग्रहण पर रोक के कारण ग्रामीणों को हो रहे आर्थिक नुकसान का आंकलन एवं प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु मैदानी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश हेतु गेटमनी के तौर पर बाहरी क्षेत्र के चार पहिया वाहनों से 50/– प्रति वाहन प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। दो पहिया वाहनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं ली जा रही है। इस व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र में सड़क आदि निर्माण का कोई प्रस्ताव वन विभाग में पंजीकृत नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आने पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि :–

(अ) कोरिया जिला में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।

(ब) आयुक्त सरगुजा संभाग को निर्देशित किया गया कि वे भरतपुर/जनकपुर क्षेत्र का प्रवास कर यह सुनिश्चित करें कि कोल जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(स) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों में निवासरत 24448 संग्राहकों को रूपये 2000/— प्रतिमान बोरा की दर से तेदूपत्ता संग्राहकों को रूपये 4.84 करोड़ प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान कैम्पा मद से स्वीकृत किया जावे।

(द) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के परिवारों को एक नग कम्बल, एक नग ट्रांजिस्टर रेड़ियो ब्रांडेड कम्पनी का एवं एक नग छाता कैम्पा मद के ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाय।

(य) विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के युवकों को टी ई टी परीक्षा की तैयारी हेतु सरकारी खर्च पर कोचिंग दिलाई जाय।

बैठक दिनांक 12—07—2016 को विभागों द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया :—

(अ) आयुक्त, सरगुजा संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोरिया जिले के अनुकंपा नियुक्ति हेतु 13 आवेदनों में से 06 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। पद रिक्त नहीं होने के कारण शेष आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(ब) आयुक्त सरगुजा संभाग ने अवगत कराया है कि वर्तमान में ''कोल'' एवं ''बैगा'' जाति को प्रमाण पत्र जारी किए जा रहें हैं। जिन प्रकरणों में बन्दोबस्त के समय के अभिलेख में जाति का उल्लेख होना नहीं पाया जा रहा है, वहॉ स्थानीय जांचोपरांत प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

(स) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवारों द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण न करने की स्थिति में इन परिवारों को कैम्पा निधि से राशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29—12—2015 को सम्पन्न राज्य कैम्पा की संचालन समिति में प्रस्तुत किया गया। संचालन समिति द्वारा वर्ष 2015—16 हेतु 24,448 संग्राहक परिवारों को रूपये 2000/— प्रति मानकबोरा की दर से प्रतिपूर्ति हेतु राज्य कैम्पा के अंतर्गत अर्जित ब्याज से रूपये 500.00 लाख के व्यय की स्वीकृति दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2016—17 हेतु राज्य कैम्पा निधि के ए.पी.ओ. में रूपये 500.00 लाख का प्रस्ताव प्रावधानित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कराया जावेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से उन तेंदूपत्ता संग्राहकों को, जिन्हें प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है, के संबंध में जानकारी अप्राप्त है। अतः जानकारी प्राप्त होते ही प्रतिपूर्ति की राशि कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से जारी की जावेगी।

(द) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सघन वनों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों में नागरिक सहयोग के निर्माण एवं वन संरक्षण संबंधी सूचनाओं के संज्ञान हेतु आवश्यक सामग्री कैम्पा निधि से प्रदान करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29—12—2015 को सम्पन्न राज्य कैम्पा संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सघन वनक्षेत्रों में निवासरत विशेष जनजाति समूह में वनों में अग्नि प्रसार की रोकथाम में

सहयोग एवं वन संरक्षण में सहयोग की दृष्टि से प्रत्येक परिवार को दो–दो कंबल प्रदाय करने हेतु कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से रूपये 250.00 लाख की राशि दो वित्तीय वर्ष में व्यय की जाए। संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में 35,979 परिवार को दो–दो कंबल के हिसाब से कुल 71,958 नग कंबल प्रदाय करने हेतु रूपये 179.895 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। कंबल वितरण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) छत्तीसगढ़ रायपुर के अधीन किया जा रहा है।

(य) राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के युवकों को टी.ई.टी. परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था के लिए आवश्यक राशि का बजटीय प्रावधान वर्ष 2016–17 हेतु भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष राज्य में माह जुलाई 2016 में टी.ई.टी. की परीक्षा आयोजित हो रही है। अतः संबंधित जिले के कलेक्टर को विशेष पिछड़ी जनजाति के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षकीय कार्य के इच्छुक अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर आवेदन पत्र भरवाये जाने के साथ ही टी.ई.टी. परीक्षा के पूर्व कम से कम 15 दिन की कोचिंग डाईट के माध्यम से कराए जाने के निर्देश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस कार्य में स्कूल शिक्षा विभाग अपना पूरा सहयोग देगा।

निर्णयः– परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(क) कोरिया जिले के शेष 07 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाये।

(कार्यवाही कलेक्टर, कोरिया)

(ख) आयुक्त, सरगुजा तथा बस्तर संभाग समस्त माननीय विधायकों एवं कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) की बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं शंकाओं का समाधान करें।

(कार्यवाही आयुक्त, बस्तर/सरगुजा)

(ग) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा जाये कि राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को इस शर्त पर शिक्षक (पंचायत संवर्ग) में नियुक्ति की छूट दी जाये कि उनके द्वारा 03 वर्षों में टी.ई.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जावेगी।

(कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग)

(घ) विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीव्हीटीजी) के प्रत्येक परिवार को 02 कम्बल, 01 ट्रॉजिस्टर, एवं 01 छाता वितरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करावें।

(कार्यवाही आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि.)

(च) राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में निवासरत तेदूपत्ता संग्राहकों को क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही वन विभाग)

(1.12) पूर्व बैठक का एजेण्डा क्रमांक चार (अ)

श्रीमती चम्पादेवी पावले माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम डोलकी न तो राजस्व ग्राम में है और न ही वन ग्राम में है। अतः सर्वे कराकर निराकरण किया जाय।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि उक्त के संबध में सर्वे कर आगामी बैठक के पूर्व स्थिति से अवगत कराया जाय।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में सचिव, राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि कलेक्टर कोरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बसाहट का नाम डोलकी न होकर लोलकीपारा है। लोलकीपारा क्षेत्र के मतदाता सूची में ग्राम पंचायत कछाड़ी के मोहल्ले के रूप में दर्ज है। लोलकीपार की परिवार संख्या 42 है तथा जनसंख्या 105 है। मतदाता संख्या 76 है। लोलकीपारा ग्राम कछाडी का पारा है, लेकिन जिस भूमि पर लोलकीपारा बसाहट है, वह भूमि न तो वन क्षेत्र में शामिल है, और न ही राजस्व ग्राम कछाडी की सीमा में शामिल है। असर्वेक्षित होने के कारण उक्त ग्राम के लोगों को एफआरए का वन अधिकार मान्यता पत्र भी नहीं मिला है। उक्त बसाहट के सर्वे करने के लिए संचालक भू–अभिलेख को निर्देशित किया गया है। सर्वेक्षण उपरांत उक्त बसाहट को राजस्व ग्राम कछाडी में शामिल कर लिया जावेगा।

निर्णयः– आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही राजस्व विभाग/कलेक्टर कोरिया)

(1.13) पूर्व बैठक का एजेण्डा क्रमांक चार (ब)

श्री चिंतामणी महाराज, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को स्थानीय जनजातियों से भरे जाने पर विचार किया जाय।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के संबध में परीक्षण कराया जाय।

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12–07–2016 में अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग के पत्र क्रमांक 330/02/टी.एल./2016/1–3 दिनांक 25–02–2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य स्तरीय एवं संभाग/जिला स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्गो के लिए मॉडल रोस्टर संबंधी जारी अधिसूचना दिनांक 29–11–2012 प्रभावशील है।

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबध में जारी नीति–निर्देश दिनांक 03–06–2016 एवं दिनांक 31–07–2015 अनुसार दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र एवं सामान्य अनुसूचित क्षेत्र के जिलों/विकासखण्डों में विभाजित किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3 दिनांक 17–01–2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के

स्थानीय निवासी संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति किये जाने संबंधी प्रावधान को अधिसूचना दिनांक 10–03–2015 द्वारा 16 जनवरी, 2017 तक के लिए बढ़ाया गया है।

उक्तानुसार अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जनसंख्या के अनुपात एवं उनकी योग्यता के आधार पर समस्त विभागों एवं कार्यालयों के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

निर्णयः– चर्चा उपरान्त कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

एजेण्डा क्रमांक– 02 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :–

(अ) श्री महेश गागड़ा, माननीय वन मंत्री ने जानना चाहा कि बस्तर संभाग के 22000 हेक्टेयर नारंगी क्षेत्र को वन भूमि से राजस्व भूमि में डी–नोटीफाई करने की कार्यवाही में विलंब हो रहा है।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विधि विभाग 01 माह में अपना अभिमत प्रेषित करें। यदि आवश्यक हो तो महाधिवक्ता छ0ग0 से भी अभिमत प्राप्त कर लेवें।

(कार्यवाही विधि एवं विधायी विभाग / राजस्व / वन विभाग)

(ब) श्रीमती देवती कर्मा माननीय सदस्या ने जानना चाहा कि बैलाडीला के ग्राम कड़मपाल में एनएमडीसी के द्वारा खनन किये गये लौह अयस्क के कारण पानी दूषित हो रहा है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर आगामी बैठक में स्थिति से अवगत करावें तथा कमिश्नर, बस्तर मौके पर निरीक्षण कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल संभागीय आयुक्त, बस्तर)

(स) श्री चिंतामणि महाराज, माननीय सदस्य ने विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) क्षेत्रों विशेष रूप से सरगुजा संभाग में अन्य देशों के अनाधिकृत रूप से निवासरत लोगों के संबंध में कार्यवाही करने का प्रस्ताव परिषद के समक्षा रखा गया।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सरगुजा संभाग के जिलों में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) बाहुल्य क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से निवासरत बाहरी व्यक्तियों के संबंध में सर्वे किया जाकर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इसी तरह की कार्यवाही अन्य संभागों में भी की जावे। जबरिया धर्मांतरण के प्रकरण पाये जाने पर नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही गृह विभाग / पुलिस महानिदेशक)

(द) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केन्द्र शासन द्वारा केन्दीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) हेतु ''बस्तर बटालियन'' के नाम से

नई बटालियन स्वीकृत की गई है। इस बटालियन की विशेषता यह है कि केवल बस्तर संभाग के 700 युवक ही उक्त बटालियन में भर्ती हेतु पात्र होंगे। भर्ती हेतु आवश्यक अर्हतायें यथा ऊचाई आदि में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। निर्धारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 10वीं पास युवकों को विशेष कोचिंग दी जावेगी। परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया।

निर्णयः— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि ''बस्तर बटालियन'' की भॉति ही सरगुजा बटालियन गठन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जावे।

(कार्यवाही गृह विभाग)

अंत में सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण एवं परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(आशीष कुमार भट्ट)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2016 में उपस्थित सदस्यों का सूची

क्र.	नाम	पद
1	माननीय डॉ रमन सिंह	अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
2	माननीय श्री केदार कश्यप	उपाध्यक्ष एवं मंत्री, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. विभाग
3	माननीय श्री रामसेवक पैंकरा	सदस्य एवं मंत्री, गृह, जेल एवचं लोक स्वास्थ्य विभाग
4	माननीय श्री महेश गागड़ा	सदस्य एवं मंत्री, वन, विधि और विधायी विभाग
5	माननीय श्री विक्रम उसेण्डी	सदस्य एवं सांसद कांकेर
6	माननीय श्री शिवशंकर पैंकरा	सदस्य एवं संसदीय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य तथा स्वास्थ्य विभाग
7	माननीय श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया	सदस्य एवं संसदीय सचिव, वाणिज्यिक कर, नगरीय प्रशासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
8	माननीय श्रीमती चम्पादेवी पावले	सदस्य एवं संसदीय सचिव, वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
9	माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी	सदस्य एवं संसदीय सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
10	माननीय श्री राजशरण भगत	सदस्य एवं विधायक जशपुर
11	माननीय श्री रोहित कुमार साय	सदस्य एवं विधायक कुनकुरी
12	माननीय श्री श्रवण मरकाम	सदस्य एवं विधायक सिहावा
13	माननीय श्री चिन्तामणी महाराज	सदस्य एवं विधायक लुण्ड्रा
14	माननीय श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम	सदस्य एवं विधायक मोहला–मानपुर
15	माननीय श्रीमती देवती कर्मा	सदस्य एवं विधायक दंतेवाड़ा
16	माननीय श्री खेल साय	सदस्य एवं विधायक प्रेमनगर
17	माननीय श्री भोजराज नाग	विधायक अन्तागढ़ (विशेष आमंत्रित)
18	श्री बैसाखू राम कमार	कमार विकास अभिकरण (विशेष आमंत्रित)
19	श्री लमतू राम बैगा	बैगा विकास अभिकरण (विशेष आमंत्रित)

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2016 में उपस्थित अधिकारियों का सूची

क्रमांक	नाम	पद
1	श्री विवेक ढॉड	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री एन. के. असवाल	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि. विभाग
3	श्री एम. के. राउत	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग
4	श्री आर. पी. मंडल	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
5	श्री ए. के. सामंतरे	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग
6	श्री अमिताभ जैन	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
7	श्री बी.व्ही.आर.सुब्रमणियम	प्रमुख सचिव, गृह विभाग
8	श्री सुब्रत साहू	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग
9	श्री विकासशील	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग
10	श्री के.आर.पिस्दा	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
11	श्री अमित अग्रवाल	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
12	श्री आशीष कुमार भट्ट	सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग
13	श्री ए.एन.उपाध्याय	पुलिस महानिदेशक
14	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास
15	श्री दिलीप वासनीकर	आयुक्त, बस्तर संभाग
16	श्री टी.सी.महावर	आयुक्त, सरगुजा संभाग
17	श्री एस.एस.बजाज	आयुक्त सह सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग
18	श्री भुवनेश यादव	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
19	श्री पी.निहलानी	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
20	श्री टोपेश्वर वर्मा	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
21	श्री बी.एल.शरन	प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर
22	श्री बी.एल.द्विवेदी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) रायपुर
23	श्री एस के सोनी	AGM (PERS.) Bhilai Steel Plant
24	श्री एच राय चौधरी	General Manager (Personnel) Bhilai Steel Plant
25	श्री अरूण कुमार शुक्ला	General Manager, NMDC Bacheli

26	श्री बी.के.माधव	AGM(Pers.), NMDC Bacheli Complex
27	श्री ए रमेश	AGM(Pers.), NMDC Kirandul Complex
28	श्री एम एस पाण्डे	CM , SLBC, Raipur

✵✵✵✵✵

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की
बैठक दिनांक 31–03–2017 का कार्यवाही विवरण

––––

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 31–03–2017 को पूर्वान्ह 11.30 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के समिति कक्ष क्रमांक एम–0–12 में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा किया गया । अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा पूर्व निर्धारित एजेण्डावार निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए :–

<u>एजेण्डा क्रमांक – एक :</u>

दिनांक 12 जुलाई, 2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

(1.1) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.1

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के जारी होने के उपरांत जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में अनुभव की जा रही कठिनाईयों का लगभग 80 प्रतिशत निराकरण हो चुका है शेष 20 प्रतिशत कठिनाईयों नियमों से संबंधित न हो कर नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतीत होती है अतः इनका निराकरण भी सभी जिलों में वीडियों कान्फ्रेसिग के माध्यम से कर लिया जावे तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की जिम्मेदारी सभी कलेक्टरों को दी जाय तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय ताकि सरलता से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके।

इस संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कलेक्टर्स को निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई कठिनाई आ रही है, तो उनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिया जावे। इस संबंध में शाला प्रवेश उत्सव के साथ जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाय।

उक्त के संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–7/2015/आ.प्र./1–3 दिनांक 10.06.2015 द्वारा शासन के समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक

03–09–2015 को जगदलपुर में लिये गये निर्णय अनुसार कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी शाला छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया था कि कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक के अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय। स्कूल शिक्षा विभाग आगामी बैठक के पूर्व प्रगति से अवगत कराये।

(1.1.1) बैठक दिनांक 12–07–2016 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 28–05–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को शासकीय शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शाला छोड़ने के पूर्व उनके स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संबंधित शालाओं में ही शिविर का आयोजन कर विद्यार्थियों को उनके निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने की कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। तथा प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु समयबद्व कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि शासन स्तर से समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाये कि :–

(क) निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण –पत्र बनाने हेतु शालाओं में सम्मेलन आयोजित किया जाये तथा इस आयोजन में प्रधान पाठक/प्राचार्य आवश्यक रूप से सक्रिय भागीदारी निभायेंगे।

(ख) समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31–03–2017 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ज्ञापन क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 29–08–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 31–08–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत संचालनालय के पत्र दिनांक 12–09–2016 द्वारा समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(1.1.2) कक्षा आठवी से बारहवी तक अध्यनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई एवं समस्त अध्ययनरत विद्यार्थियों की पात्रता के आधार पर यथाशीघ्र 29 अप्रैल2017 तक जाति प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश समस्त कलेक्टर द्वारा जारी किये जाये।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.1.1) कक्षा आठवी से बारहवी तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र विद्यार्थियों को 29 अप्रैल 2017 तक जाति प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाए।

(1.1.2) चर्चा उपरांत आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(1.2) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.3)

परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा यह अवगत कराए जाने पर कि विकासखण्ड कुसमी, राजपुर तथा रायपुर के कुछ ग्राम, यथा, भराजी, महंगई, दुधव आदि न तो वन ग्रामों की सूची में सम्मिलित है और न ही राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि उक्त संबंध में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे कुछ ग्रामों को चिन्हांकित कर उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने की जानकारी परिषद् को दी गई तथा परिषद् को अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 23–7–2013 को समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करने हेतु सर्वेक्षण किया जावे तथा जानकारी एक माह के अंदर भिजवाई जावे। परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए। परिषद् के माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सर्वेक्षण में ऐसे ग्रामों को पहले शामिल किया जा सकता है, जो मुख्य सड़कों के किनारे स्थित है।

इस संबंध में सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 813 ग्रामों के सर्वे के लिए आदेश जारी किया गया है, तथा इस कार्य में 04 माह का समय लग सकता है जिसमें अबुझमाड़ के 237 ग्राम भी सम्मिलित हैं।

चर्चा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री एवं परिषद् अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया है, उन्हें राजस्व ग्राम के निवासियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही है। साथ ही उक्त सर्वे कार्य समय–सीमा में करने के निर्देश दिये गये।

(1.2.1) उक्त के संबधं में सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कलेक्टर बलरामपुर की अधिसूचना क्रमांक 234/वाचक/2013, दिनांक 25.01.2014 के माध्यम से ग्राम मंहगई, उधवाकठरा तथा सेमराकठरा को वनग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है। दिनांक 17.12.2015 की बैठक में परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि –

(अ) ग्राम भराजी के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

(ब) प्रदेश के 813 ग्रामों की सर्वे की अद्यतन प्रगति से आगामी बैठक के पूर्व अवगत कराया जाये।

(स) सुनिश्चित किया जाए कि जिन वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया है, उन्हें राजस्व ग्राम के निवासियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही है।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि :–

(अ) रायपुर जिले में भंराजी नाम का कोई गॉव या बसाहट होना नहीं पाया गया है।

(ब) प्रदेश के 813 असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण संचालक भू–अभिलेख रायपुर द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित 431 नवीन राजस्व ग्राम भी शामिल हैं। इस तरह वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित ग्रामों का सर्वेक्षण विभागीय योजना में शामिल है। सर्वेक्षण पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

(स) वन अधिकार मान्यता पत्रधारियों को ऋण पुस्तिका के समान वन अधिकार पत्र पुस्तिका भाग–1 एवं भाग–2 प्रदाय किया गया है ताकि उन्हें अन्य भूमिस्वामियों की भॉति शासन की विभिन्न सुविधाएं मिल सके।

जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि :–

(क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के नर्मदापारा एवं टपरकेला ग्राम न तो राजस्व ग्राम न ही वन ग्राम में सम्मिलित है जिसके कारण उक्त ग्रामों में किसी प्रकार का वन अधिकार/पट्टा नहीं मिला है। इनका परीक्षण कर लिया जाय ।

(ख) असर्वेक्षित 382 गॉवों (813–431) में सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाय।

(ग) राजस्व सचिव इन 831 ग्रामों के सर्वेक्षण की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा निर्धारित योजनायें जो कि सामान्य राजस्व ग्रामों में लागू हैं इन ग्रामों में भी उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, यथा बीज, खाद, सहकारी बैंकों से ऋण आदि ।

(1.2.2) परिषद की बैठक दिनांक 31–03–2017 में बिन्दु क्रमांक (क) के संबंध में कलेक्टर सरगुजा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अवगत कराया गया कि नर्मदापारा, घंघरी एवं भकुरा के मध्य में 25 हेक्टेयर भूमि न तो राजस्व विभाग के अभिलेख में अंकित है और न ही वन विभाग के अभिलेख में अंकित है। उक्त भूमि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आता है। जिसमें कुल 44 कब्जेधारियों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि उस क्षेत्र को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग को प्रदान किया जाता है तो कब्जे धारियों को पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

ग्राम टपरकेला की सीमा से लगी कुल 7 हेक्टेयर भूमि नारंगी क्षेत्रान्तर्गत आता है। जिसमें कुल 14 कब्जे धारियों द्वारा कब्जा किया गया है। उक्त भूमि को शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि उस क्षेत्र को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग को प्रदान किया जाता है तो कब्जेधारियों को पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

(ख) राजस्व विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर्स से प्राप्त नवीन जानकारी के आधार पर कुल 1083 ग्रामों का सर्वे/रि–सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। सर्वे/रि–सर्वे की सूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इन ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कराया गया है। 1083 ग्रामों के विरूद्व 870 ग्रामों का डिजिटल नक्शा प्राप्त हो चुका है जिसे सत्यापन हेतु जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया गया है।

(1.2.3) सहकारिता विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वन ग्रामों के निवासियों को राजस्व ग्राम के निवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार ही सुविधाएं प्रदाय करने के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा दिनांक 21–09–2016 को कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के वन पट्टाधारियों को वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कृषि कार्य हेतु दिये गये ऋण की जानकारी निम्नानुसार है।

वन भूमि पट्टाधारी (विभाग अनुसार)		वर्ष 2015–16 में कुल पट्टाधारियों में से ऋण उपलब्ध कराया		वर्ष 2016–17 कुल पट्टाधारियों में से ऋण उपलब्ध कराया	
संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	संख्या	राशि	संख्या	राशि
239149	241500.827	11052	915.93	9987	997.24

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि–

(1.2.1) राज्य के 1083 ग्रामों के सर्वे/रिसर्वे की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। यह कार्य एक वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

(1.2.2) उक्त 1083 ग्रामों में जिला सरगुजा के विकासखंड लुण्ड्रा ग्राम नर्मदापारा, घंघरी एवं भकुरा तथा टपरकेला जिला सरगुजा के नारंगी भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन की कार्यवाही की जाये तथा प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। के सुरंगपानी ग्राम पंचायत कुकराझार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर एवं ग्राम बरमुड़ा विकासखण्ड तमनार जिला रायगढ़ का नाम भी सम्मिलित है, यह भी सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही—वन विभाग / राजस्व विभाग)

(1.2.3) कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.3) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.4)

बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन होने की शर्त हटाकर उसके स्थान पर 100 एकड़ जमीन में राष्ट्रीय आदिवासी विश्व विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया जावे तथा जमीन की उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर कांकेर एवं कलेक्टर बस्तर से जानकारी मॉगी जावे। परिषद् को अवगत कराया गया था कि माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भूमि सीमा के संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन मंत्रालय से उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है । भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया है कि कलेक्टर कोण्डागांव एवं कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा अपने—अपने जिले में क्रमशः 200 एकड़ तथा 292.77 एकड़ भूमि का चयन कर नक्शा खसरा आदि उपलब्ध कराया गया है।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि नेशनल ट्राईबल युनिवर्सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन एवं कनेक्टिविटी वाली जगह का चयन किया जाना चाहिए इस दृष्टि से कोण्डागांव दंतेवाड़ा की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। अतः तद्नुसार इस दिशा में कार्यवाही की जावे।

मान. केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के पत्र दिनांक 08—10—2014 द्वारा माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलना संभव प्रतीत नहीं होने से अवगत कराया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विषय को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पुर्नविचार हेतु लिखा जाए।

(1.3.1) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्विचार हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को छ.ग.राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में पत्र क्रमांक एफ 16—9 / 2013 / 38—2 दिनांक 17—12—2015 द्वारा लेख किया गया है।

बैठक दिनांक 17—12—2015 में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों पर अध्ययन हेतु एक पृथक विभाग का सृजन किया जाय।

बैठक दिनांक 12—07—2016 में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्व विद्यालय को पाठ्यक्रम निर्धारित कर कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन कराने हेतु लिखा गया है। यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :—

(क) शासन स्तर से ही सृजन करने का आदेश जारी किया जाये तथा इस पृथक विभाग के सृजन हेतु जो भी सेटअप की आवश्यकता होगी वह शासन स्तर से मंजूर किया जाये। सम्पूर्ण कार्यवाही 02 माह में पूर्ण की जावे।

(ख) अमरकंटक जनजाति विश्व विद्यालय का क्षेत्रीय (Regional)स्टडी सेंटर बस्तर में स्थापित करने हेतु मानव संसाधन मंत्रालय, केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

(क) परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सेटअप सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(1.3.1) निर्णय :– आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(ख) मान.श्री प्रकाश जावडेकर, मंत्री मानव संसाधन विकास भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 30–08–2016 में लेख किया गया है कि राज्य रूसा के अंतर्गत विद्यमान स्वायत्त कॉलेज के उन्नयन अथवा कॉलेज कलस्टर को बस्तर जिला में एक जनजातीय विश्वविद्याय में तबदील करने के लिए अपनी राज्य उच्चतर शिक्षा योजना (एसएचईपी) में प्रस्तावित कर सकता है। बस्तर जिले के जगदलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय को अपनी पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से अवसंरचना अनुदान प्रदान किए गए हैं।

(1.3.2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राईबल विश्वविद्याय अमरकंटक द्वारा बस्तर में एक स्टडी सेंटर स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि :–

(1.3.1) आगामी बैठक में प्रगति से कराया जाये।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा विभाग)

(1.3.2) (1) अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय स्टडी सेंटर स्थापना की कार्यवाही की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

(2) बस्तर क्षेत्रीय स्टडी सेंटर के अलावा सरगुजा विश्वविद्यालय में भी क्षेत्रीय स्टडी सेंटर प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा विभाग)

(1.4) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.6)

समस्त वन अधिकार पत्रों के वितरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2014 निर्धारित की जावे तथा वन अधिकार पत्र जारी करने तथा वितरण की स्थिति संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा पब्लिक डोमेन में डाली जावे तथा इसे प्रकाशित कराकर ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराया जावे। उक्त के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को उक्त जानकारी विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने के निर्देश दिये जा चुकें है। जिला सूरजपुर में 355 तथा महासमुन्द में 435 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष है। अन्य जिलों में अनुमोदित समस्त व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि लंबित वन अधिकार पत्रों का वितरण यथाशीघ्र किया जाए।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि जिला सूरजपुर में 355 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष था, जिसमें से सभी पात्र आवेदकों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया गया है तथा जिला महासमुंद में 435 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र पुनर्विचार में होने के कारण वितरण शेष था जिसमें से

पुनर्विचार पश्चात 275 वन अधिकार पत्र वितरण किया गया है तथा 98 आवेदन पत्र निरस्त एवं 62 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है।

बैठक दिनांक 17–12–2015 में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वितरित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार की प्रकरणवार जानकारी विभागीय वेब–साईट पर तीन माह की अवधि में दर्शाने की कार्यवाही की जाये।

(1.4.1) बैठक दिनांक 12–07–2016 में अपर मुख्य सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg@gov.in पर बालोद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कवर्धा, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, कोण्डागांव, गरियाबंद एवं राजनांदगांव जिलों के व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हितग्राहियों की सूची अपलोड कर दी गई है। शेष जिलों की जानकारी अपलोड करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

शेष जिलों की सूची विभागीय वेबसाईट पर 01 माह में अपलोड की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा जिले में वनभूमि क्षेत्र न होने के फलस्वरूप वन अधिकार पत्रों के वितरण की योजना संचालित नहीं है। शेष 24 जिलों में वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की हितग्राहीवार सूची विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg@gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

(1.4.2) ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार प्रकरण जो कि राजस्व भूमि होने के कारण निरस्त किये गये हैं, उन प्रकरणों की सूची 01 माह में कमिश्नर सरगुजा तथा बस्तर राजस्व विभाग को प्रेषित करें। राजस्व विभाग मंत्रीपरिषद् से इस संबंध में आदेश प्राप्त करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्रस्तुत संभागीय आयुक्त सरगुजा के प्रतिवेदन अनुसार पांच जिले के कुल 18868 प्रकरण निरस्त किये गये हैं। सूची राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई है।

संभागीय आयुक्त बस्तर के जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर,सुकमा, कोण्डागांव में कुल 5877 वन अधिकारी प्रकरण राजस्व भूमि में होने के कारण निरस्त किये गये । जिला कांकेर एवं बीजापुर से जानकारी अप्राप्त है।

(1.4.3.) परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ओटीएफडी के वन अधिकार पत्रों से संबंधित आवेदनों में निरस्तीकरण की संख्या 90 प्रतिशत से भी अधिक होने के संबंध में चिंता जताई गई एवं यह निर्देश दिये गये कि ऐसे जिले जहां पर अत्यधिक संख्या में ओटीएफडी प्रकरणों में निरस्तीकरण हुआ है वहां पर पुनः परीक्षण करा लिया जाए।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.4.1) कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.4.2) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।
(कार्यवाही संभागीय आयुक्त, बस्तर/राजस्व विभाग)

(1.4.3) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाए।

(1.6) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.8)

छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होम गार्ड के लिए आई.ए.पी. मद से अनुमानित 2 लाख रूपये तक के आवास बनाने का कार्य किया जावे। इस हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे। उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पत्र दिनांक 02–07–2014 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को जिले में संचालित कन्या छात्रावास/आश्रमों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों के लिये आवास

निर्माण हेतु मानक इकाई लागत राशि रूपये 2.30 लाख के आधार पर प्राधिकरण मद, बी. आर.जी.एफ, आई.ए.पी. आदि मद से राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संबंधित जिला कलेक्टरों से जानकारी प्राप्त की जाये कि कितने आवास गृह निर्मित कराये गये हैं।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि राज्य में संचालित 1242 कन्या छात्रावास/आश्रमों में सुरक्षा हेतु महिला नगर सैनिक तैनात किये गये हैं। छात्रावास/आश्रमों में ही महिला नगर सैनिकों के आवास हेतु अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा IAP मद से कबीरधाम जिले में 21 आवासगृह स्वीकृत किए गए हैं तथा अपूर्ण हैं।

दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया था कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास आश्रमों में सुरक्षा हेतु तैनात महिला नगर सैनिकों हेतु आवास की व्यवस्था की जावे। यह कार्य मनरेगा के अंतर्गत भी स्वीकृत किया जाय।

बैठक दिनांक 12–07–.2016 में द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के संशोधन आदेश 2013 द्वारा स्कीमों को IV प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत किया गया है, जिसमें महिला नगर सैनिकों के आवास का उल्लेख नहीं है। अतः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत महिला नगर सैनिकों के आवास स्वीकृत नहीं किए जा सकते।

अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 के बजट में कन्या छात्रावास/आश्रमों में महिला नगर सैनिकों के लिए गार्ड रूम निर्माण हेतु रूपये 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.6.1) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त छात्रावास एवं आश्रमों का निरीक्षण करने हेतु कलेक्टर्स को निर्देश दिया जाये। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाये कि भवनों में छत से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है तथा खिड़की–दरवाजे सही स्थिति में है। समस्त खिड़की, रोशनदान, दरवाजों में मच्छर रोधी जाली लगवाकर भवन में समस्त पंखों, बिजली आदि की मरम्मत सुनिश्चित की जावे। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा पंजी में अपनी टीप एवं दिनांकित हस्ताक्षर किये जायें। निरीक्षण प्रतिवेदन 01 माह में शासन स्तर पर प्राप्त किया जावे। जिले में पदस्थ सहायक आयुक्त को प्रतिमाह कम से कम 10 छात्रावास/आश्रम के निरीक्षण का लक्ष्य दिया जाये। वे निरीक्षण पंजी में विस्तृत निरीक्षण टीप अंकित करेंगे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पत्र दिनांक 23.07. 2016 द्वारा समस्त जिलाध्यक्षों को छात्रावास आश्रमों के मरम्मत एवं निरीक्षण हेतु निर्देश जारी किया गया है। वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों के मरम्मत/रखरखाव हेतु अनुरक्षण मद में राशि रू. 2587.00 लाख प्रावधानित है। उक्त राशि सभी कलेक्टर्स को जारी किया गया है। जिलों में अभी तक 1307 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 915 कार्य पूर्ण कर लिये गये है।

छात्रावास/आश्रमों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये विभाग में नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। अब अनुरक्षण मद से प्राप्त राशि में से छात्रावास/आश्रम के छोटे–छोटे मरम्मत कार्यो के लिये 50 सीट वाले प्रत्येक छात्रावास/आश्रम अधीक्षक को 25,000/– एवं 100 सीट या अधिक वाले छात्रावास/आश्रम अधीक्षक को 40,000/– अग्रिम दिया जावेगा। जिससे छोटे–छोटे किन्तु अति महत्वपूर्ण कार्य अपने स्तर से कराकर छात्रावास/आश्रम को व्यवस्थित रख सकें।

महिला होमगार्ड रूम हेतु वर्ष 2017–18 में बजट में रूपये 6.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(1.6.1) कोण्डागांव जिले में माननीय विक्रम उसेंडी जी सांसद द्वारा हाई स्कूल के घटिया निर्माण की जॉच हेतु कमिश्नर बस्तर को लेख किया गया था। कमिश्नर बस्तर जॉच पूर्ण करवाकर माननीय सांसद एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत करावें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में संभागीय आयुक्त बस्तर द्वारा अवगत कराया गया हे कि माननीय सांसद महोदय लोकसभा क्षेत्र कांकेर के द्वारा ग्राम सोड़मा एवं ग्राम पासंगी विकास खंड फरसगांव जिला कोण्डागांव में नवनिर्मित शासकीय हाईस्कूल के निर्माण कार्य की अनियमितता की शिकायत पर कार्यालय के पत्र दिनांक 05–07–2016 द्वारा श्री निर्मल तिग्गा अतिरिक्त कलेक्टर कोण्डागांव, श्री मुकेश संतोषी अधीक्षण अभियंता प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जगदलपुर एव श्री डी.एन.साय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग कांकेर की समिति गठित कर उक्त शिकायत के संबंध में स्थल जांच कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर अभिमत सहित भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। जांच दल द्वारा निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की मौके पर जांच कर जांच प्रतिवेदन श्री निर्मल तिग्गा अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने पत्र निांक 08–08–2016 के द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया है कि जांच में कार्य की गुणवत्ता, मापदण्डों के अनुरूप किया गया है अथवा नहीं ? तथा अन्य तकनीकी बिन्दुओं का समावेश जांच प्रतिवेदन में नहीं किया गया है। इस बिन्दुओं पर भी जांच समिति के द्वारा जांच कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 24–08–2016 में उक्त गठित समिति की जांच प्रतिवेदन पर अपना अभिमत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर कोण्डागांव को लेख किया गया है, किन्तु जांच प्रतिवेदन में अभिमत प्रतिवेदन अपेक्षित होने के कारण स्मरण पत्र जारी किया गया है।

(1.6.3) गरियाबंद जिले के अमलीपदरमें कन्या स्कूल का भवन अपूर्ण है जबकि इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाया गया है। लोकार्पण के उपरान्त भी भवन अपूर्ण होने के लिये जवाबदेही निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे, तथा इस भवन को पूर्ण करने की कार्यवाही शीघ्र की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 29–08–2016 एवं स्मरण पत्र दिनांक 26–09–2016 द्वारा कलेक्टर गरियाबंद से पालन प्रतिवेदन/जांच रिपोर्ट चाहा गया है।

(1.6.4) धमतरी जिले में सिंगपुर में छात्रावास भवन गत 13 वर्षों से निर्माणाधीन है। इसको पूर्ण करने की कार्यवाही की जावे। परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि धमतरी जिले में संचालित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु वर्ष 2007–08 में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से रूपये 26.67 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2009 में राशि रू. 38.22 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। पुनः कार्य एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव रूपये 89.40 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा चाही गई पृच्छा टीप के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(1.6.5) राजनांदगॉव जिले के मानपुर बोरिया में अपूर्ण भवन को पूर्ण किया जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत मानपुर के ग्राम बोरिया

ठेकेदारी में हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु 49.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। विद्युतीकरण सहित भवन निर्माण कार्य दिनांक 20–03–2017 को पूर्ण कर लिया गया है। भवन का हस्तांतरण शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिया गया है।

(1.6.6) कवर्धा जिले के दलदली में बालक एवं कन्या छात्रावास तथा बालिका आश्रम में पेयजल व्यवस्था हेतु एक–एक सोलर पम्प एक माह में स्थापित किया जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा जिला कबीरधाम के बालक एवं कन्या छात्रावास एवं बालिका आश्रम में पेयजल की व्यवस्था हेतु 5 एचपी/4800 वॉट क्षमता के सोलर सबमर्सिबल पंप की स्थापना का कार्य दिनांक 20–12–2016 को पूर्ण कर लिया गया है एवं जिला खनिज संस्थान न्यास मद से कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कवर्धा द्वारा विद्युत पंप के साथ अतिरिक्त में जनरेटर फिटिंग एवं पाइप लाइन से जलापूर्ति व्यवस्था हेतु जिला स्तर से स्वीकृति प्रदान कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(1.6.7) छात्रावास एवं आश्रमों में विद्यार्थियों के सोने के लिये उपयोग में आने वाले तखत की आपूर्ति जेल विभाग के साथ–साथ छ0ग0 वन विकास निगम से भी की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पत्र दिनांक 07–12–2016 तथा 10–01–2017 द्वारा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन विकास निगम, रायपुर से तखत उत्पादन की इकाईयों की क्षमता, स्थान एवं प्रति तखत दर इत्यादि के संबंध में मंगाई गई थी। वन विकास निगम के पत्र दिनांक 24–03–2017 द्वारा तखत निर्माण (साईज काष्ठ 6x3) हेतु सरगुजा परियोजना मंडल जिला अंबिकापुर, अंतागढ़ परियोजना मंडल जगदलपुर तथा कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर में जेल विभाग की दर पर कार्य हेतु सहमति दी गई है। तद्‌नुसार छ.ग.राज्य वन विकास निगम के माध्यम से भी जिलों द्वारा तखत का क्रय किया जावेगा।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.6.1) कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.6.2) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही संभागीय आयुक्त, बस्तर)

(1.6.3) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही–स्कूल शिक्षा विभाग)

(1.6.4) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास तथा वित्त विभाग प्रकरण में पुनरीक्षित प्रशासकीय शीघ्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश के साथ कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

(कार्यवाही–आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/वित्त विभाग)

(1.6.5.) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही–स्कूल शिक्षा/लोक निर्माण विभाग)

(1.6.6) कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.6.7) निरंतर प्रक्रिया है। अतःकार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(कार्यवाही–आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास)

(1.7) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.9)

राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में यहॉ औसत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, में पुनर्गणना का कार्य कराए जाने का आग्रह जनगणना निदेशालय से किया गया है। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उसके कारणों के संबंध में व्यापक अन्वेषण/अध्ययन कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने अध्ययन हेतु रूपये 10.00 लाख की मांग की गई है। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा तद्नुसार सहमति दी गई।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि आयुक्त, आ.जा.तथा अनु. जा.विकास के पत्र दिनांक 20–11–2015 द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को उक्त कार्य हेतु रूपये 10.00 लाख का आबंटन जारी कर दिया गया है।

परिषद द्वारा दिनांक 17–12–2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की समयावधि निर्धारित की जावे।

दिनांक 12–07–2016 की बैठक में अपर मुख्य सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा. वि.विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि जिला नारायणपुर एवं सुकमा हेतु प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर एवं कोरिया में यह कार्य प्रगति पर है। प्रतिवेदन अनुसार अनुसंधान कार्य प्रगति पर है तथा प्रतिवेदन निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण कर प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अध्ययन प्रतिवेदन की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में कमी आने तथा उनके कारणों के संबंध में शोध अध्ययन की कार्यवाही छ.ग.राज्य के 07 जिलों यथा बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, जशपुर, कोरिया में की जा रही है। इन 07 जिलों में शोध अध्ययन की व्यावहारिक एवं मैदानी कार्यवाही की जाकर सांख्यिकी डाटा व जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उसके विस्तृत विश्लेषण के साथ ही प्रति सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है और इस कारण अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने में किंचित विलंब हो रहा है। अंतिम प्रतिवेदन उक्तानुसार कार्यवाही के बाद यथाीशीघ्र प्रेषित की जायेगी।

परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

(1.7.1) मानव विकास सूचकांक के आधार पर सबसे वंचित वर्ग का जिलों में क्लस्टर के रूप में चयन कर तुलनात्मक आंकड़े रखे जायें।

(1.7.2) प्रायमरी डाटा एकत्र कर उसके आधार पर अध्ययन निष्पादित की जाये न की सेंकडरी डाटा के आधार पर ।

(1.7.3) अध्ययन हेतु यदि अतिरिक्त राशि एवं समय की आवश्यकता हो तो तद्नुसार सूचित किया जाये।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा विभाग)

(1.8) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.10)

पूर्व बैठक में परिषद् के माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा राज्य में संचालित प्रयास विद्यालयों में गणित विषय एवं जीवविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या अनुपात तय करने का अनुरोध किया गया था। बीजापुर में इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया था तथा बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन कराए जाने की मॉग की गई थी। आयुक्त, बस्तर संभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया जा चुका है परंतु वन भूमि के कारण कठिनाई आ रही है। जिस पर निर्णय लिया गया कि उक्त विषयों पर परीक्षण कर संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिषद को अवगत कराया गया कि प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों की ईच्छानुसार गणित अथवा जीव– विज्ञान विषय में अध्ययन एवं कोचिंग की व्यवस्था की जाती है।

परिषद को अवगत कराया गया कि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः परीक्षण कर सीमाओं का पुनः निर्धारण करने हेतु शासन द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो सीमाओं का पुनः निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का पुनः निर्धारण किया जावेगा।

परिषद को अवगत कराया गया कि कि बीजापुर वन मंडल अंतर्गत रकबा 43.956 हेक्टेयर में एयर स्ट्रिप निर्माण का पंजीयन क्रमांक आबंटित किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात प्रकरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, वन मंत्रालय को भेजी जावेगी। चर्चा उपरांत परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृति हेतु प्रकरण शीघ्र भारत सरकार को भेजा जावे।

इस सबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन का वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण राज्य शासन के पत्र दिनांक 30–05–2015 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। तथा इंद्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय अन्य जीव बोर्ड की अनुमति हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र दिनांक 13–07–2015 द्वारा भेजा गया है। उक्त दोनों प्रकरण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिषद द्वारा बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के सीमाओं के पुनर्निर्धारण संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सम्पक्र कर उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन विभाग विशेष प्रयास करे। साथ ही लोक निर्माण विभाग एवं संभाग आयुक्त बस्तर मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विमानन विभाग की अनुशंसा अनुसार, बीजापुर में नवीन हवाई पट्टी निर्माण का कार्य जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जाना है तथा इस संबंध में दिनांक 05–12–2014 को विमानन विभाग को विभागीय सहमति प्रदान कर दी गई है।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में प्रमुख सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि बीजापुर हवाई पट्टी हेतु 39.604 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को दिनांक 06–01–2016 को प्रेषित किया गया है। उक्त क्षेत्र इंद्रावती टाईगर रिजर्व का बफर क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण को भी लिखा गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा दिनांक 15–03–2016 को सशर्त अनुमति दी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 25–02–2016 को 9 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी अगले सप्ताह तक प्रेषित कर दी जावेगी।

इंद्रावती टाईगर रिजर्व की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्ताव दिनांक 13–07–2015 को प्रेषित किया गया था, जिस पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाना है। उक्त समिति के निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 26–02–2016 को बीजापुर में प्रस्तावित हवाई पट्टी का स्थल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कलेक्टर बीजापुर को निर्देशित किया गया कि एयर स्ट्रीप निर्माण हेतु शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि सम्मिलित होने पर निजी भूमि स्वामी को नियमानुसार मुआवजा आदि के प्रकरण तैयार किये जायें। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वन विभाग के अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में जाकर उक्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की सप्तम बैठक में इन्द्रावती टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए नियमानुसार उक्त प्रस्ताव को केन्द्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित करने हेतु निर्णय लिया गया। जिस पर कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) द्वारा प्रस्ताव केन्द्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त क्षेत्र का स्थल निरीक्षण करने हेतु तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। गठित दल द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 24–07–2016 को किया गया तथा उनके द्वारा चाही गयी जानकारी उन्हें प्रदाय की जा चुकी है। उनके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जावेगा। इस प्रकरण की कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर लंबित है।

बीजापुर शहर में एयर स्ट्रीप निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 37वीं बैठक में सशर्त अनुमति दिनांक 15–03–2016 को जारी कर दी गयी है। जिसे आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बीजापुर तथा मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) जगदलपुर को प्रेषित की जा चुकी है। शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति हेतु भारतीय वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान देहरादून को लेख किया गया है।

प्रमुख सचिव, वन विभाग द्वारा बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रयोजन हेतु रूपये दस करोड़ की आवश्यकता है।

(1.8.1) परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वांछित राशि रूपये दस करोड़ की व्यवस्था एन.एम.डी.सी के सी.एस.आर मद से अथवा खनिज विकास निधि से कराई जाये।

(कार्यवाही–वन विभाग/आयुक्त, बस्तर संभाग/
एन.एम.डी.सी/कलेक्टर बीजापुर)

(1.9) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.11)

माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग द्वारा नक्सल पीड़ित परिवार के एक आश्रित को शासकीय नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गये हैं। जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराया गया कि गृह विभाग के पत्र दिनांक 06–10–2015 द्वारा अवगत करया गया कि नक्सल पुर्नवास योजना के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के तहत नक्सल पीड़ित के परिवार को नौकरी दिये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। तथा नक्सल पीड़ित परिवार के 01 आश्रित को शासकीय नौकरी दिये जाने के संबंध में कुल 176 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 112 प्रकरणों में नौकरी दी गई है। शेष 64 प्रकरण लंबित हैं।

परिषद द्वारा दिनांक 17.12.2015 की बैठक में निर्णय लिया गया कि नक्सल पुर्नवास योजना के अंतर्गत गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 के तहत नक्सल पीड़ित के परिवार को नौकरी दिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से भी निर्देश प्रसारित किया जाय।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12.07.2016 में अवगत कराया कि पत्र क्रमांक/212/आर–2916/2015/1–6 दिनांक 10–02–2015 द्वारा गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4–82/दो/गृह–सी/201 दिनांक 16–11–2015 की प्रति शासन के समस्त विभाग, समस्त कलेक्टर्स तथा समस्त पुलिस अधीक्षक को भेजकर नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु जारी नवीन संशोधित पुनर्वास कार्ययोजना अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

प्रमुख सचिव, गृह द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सल पीढ़ित परिवार के आश्रितों को शासकीय नौकरी देने के कृल 422 प्रकरणों में से 392 का निपटारा कर दिया गया है। शेष प्रकरण वर्ष 2014–15 के बाद के हैं, जिन पर कार्यवाही प्रचलित हैं। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.9.1) भैरमगढ़ में वर्ष 2003 में नक्सल हिंसा से हुई हत्या के प्रकरण के संबंध में की गई कार्यवाही से माननीय वन मंत्री श्री महेश गागड़ा को अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भैरमगढ़ में वर्ष 2003 में नक्सल हिंसा में हुई हत्या के प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक बीजापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार 03 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं। तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 26–09–2016 द्वारा पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया गया था एवं पत्र दिनांक 25–03–2017 द्वारा तत्संबंध में जानकारी माननीय वन मंत्री जी को प्रेषित की गई है।

(1.9.2) मर्दापाल में सीआरपीएफ कैंप हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है। भूमि स्वामी को संभवतः मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। मुआवजे की कार्यवाही की जावे तथा उक्त भूमि स्वामी को शासन की योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाय।

(1.9.3) परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में संभागीय आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि कलेक्टर कोण्डागांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

(1.9.3) नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लाक मुख्यालयों की नगर पंचायतों में भी आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराया जाये तथा कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पत्र दिनांक 29—03—2016 द्वारा नगर पंचायतों के अंतर्गत किये जाने वाले समस्त कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्रधिकरण द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के विभिन्न विकासखंडों में दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। सिपेट रायपुर में नक्सल पीड़ितों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(1.9.4) नारायणपुर जिले के जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि पर माड़िया निवास के नाम से 20 से 25 कमरों का सामुदायिक भवन निर्माण किया जावे, तथा 01 दाल—भात केन्द्र भी भवन के परिसर में खोला जाय।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि नारायणपुर एवं ओरछा में सामुदायिक भवन का प्राक्कलन प्रतिभवन रू. 50.00 लाख (पचास लाख) के मान से कलेक्टर नारायणपुर के पत्र दिनांक 02—09—2016 के द्वारा प्राधिकरण प्रकोष्ठ को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

निर्णय :— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :—

(1.9.1) कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।

(1.9.2) परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि निर्णय के पालन में कार्यवाही की जा रही है। अतः कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

(कार्यवाही—आयुक्त बस्तर संभाग)

(1.9.3) परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों को ब्लाक मुख्यालयों के नगर पंचायतों में आवास उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराई जाये।

(कार्यवाही—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

(1.9.4) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराई जाये।

(कार्यवाही—आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. / कलेक्टर, नारायणपुर)

(1.10) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.13)

माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि बस्तर संभाग में अनेक आदिवासियों की जमीन

कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाये। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आगामी बैठक के पूर्व स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

आयुक्त बस्तर संभाग बस्तर द्वारा जानकारी दी गई है कि आदिवासियों की जमीन कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर गैर आदिवासियों को बेची गई है। संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा ऐसे प्रकरणों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया जाकर कार्यवाही किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1)मान.कमिश्नर न्यायालय से पुनरीक्षण आदेशोपरांत प्राप्त कुल प्रकरण संख्या–77

2)मा.न्यायालय राजस्व मण्डल छ.ग.सक्रिट कोर्ट जगदलपुर की ओर सुनवाई पूर्व मांग अनुसार प्रेषित प्रकरण –27

3)कलेक्टर न्यायालय से पुनरीक्षण की कार्यवाही में कुल निर्णित प्रकरण संख्या–50

कुल प्रकरण संख्या –77

1)अंतिम आदेश पश्चात आदिवासी पक्ष को कब्जा सौंपा गया–23

2)अंतिम आदेशानुसार निरस्त किये गये प्रकरण (भूमि आदिवासी पक्ष से गैर आदिवासी पक्ष को अनुमति पश्चात अंतरित न होने की स्थिति में –03

3)अनुविभाग स्तर पर कब्जा सौंपने हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरण संख्या –07

4)मान.उच्च न्यायालय/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन पर कार्यवाही स्थगित प्रकरण संख्या –17

कुल प्रकरण संख्या–50

जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव अंतर्गत कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग इस सबंध में मुख्य सचिव की ओर से समस्त संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर्स को सख्त निर्देश जारी किये जाये।

सचिव, राजस्व विभाग द्वारा बैठक दिनांक 12–07–2016 में अवगत कराया गया कि बस्तर संभाग के जिला बस्तर एवं दंतेवाड़ा में नगरीय क्षेत्र में आदिवासियों की गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई थी। ऐसे मामलों की संख्या बस्तर में 77 तथा दंतेवाड़ा में 10, इस तरह कुल 87 मामले पाये गये थे। आयुक्त बस्तर संभाग के द्वारा इन सभी 87 मामलों को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया। अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्यवाही का विवरण	जिलेवार की गई कार्यवाही		
		बस्तर	दंतेवाड़ा	योग
1	कुल प्रकरण संख्या	77	10	87
2	आयुक्त बस्तर द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण में लिये गये प्रकरण संख्या	77	10	87
3	आयुक्त बस्तर द्वारा निराकृत प्रकरण संख्या	77	10	87
4	आदिवासियों को वापस करने तथा कब्जा सौंपने के आदेश पारित प्रकरण संख्या	77	10	87
5	आदिवासियों को कब्जा सौपे गये प्रकरण संख्या	26	7	33
6	कब्जा सौंपने की कार्यवाही अ.वि.अ.के पास विचाराधीन	7	1	8

7	माननीय उच्च न्यायालय /राजस्व मंडल/ व्यवहार न्यायालय में लंबित/ स्थगन	44	2	46

जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में संभागीय आयुक्त बस्तर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 87 प्रकरण पुनरीक्षण में लिये जिनमें से 27 प्रकरण राजस्व मंडल में लंबित हैं, 01 प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है, कुल 59 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें से 31 प्रकरणों में कब्जा वापस सौंपा गया तथा 10 प्रकरणों में कब्जा सौंपने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 18 प्रकरण उच्च न्याया/राजस्व मंडल/व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त हैं।

निर्णयः— परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :—

(1.10.1) आगामी कार्यवाही अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही—राजस्व विभाग/आयुक्त, बस्तर)

(1.12) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु (2.20)

माननीय सदस्या श्रीमती चम्पादेवी पावले द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि भरतपुर/जनकपुर क्षेत्र में बैगा जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इनके पूर्वजों के अभिलेख में कोल जाति अंकित है।

गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश हेतु गेट लगा है, जिसे पार करने पर ग्रामीणों से टैक्स वसूल किया जाता है। तमोर पिंगला अभ्यारण क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण नहीं करने दिया जाता, तथा सड़क आदि निर्माण के कार्य भी नहीं हो रहें है।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। टी.ई.टी. पास नहीं करने वाले बैगाओं को शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं मिल रही है।

चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि जाति प्रमाण पत्र तथा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर, कोरिया समुचित कार्यवाही करें। वन विभाग से संबधित बिन्दु पर वन विभाग कार्यवाही करें। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण से वंचित किये जाने की क्षतिपूर्ति कैम्पा मद से किये जाने पर विचार किया जाये। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवकों को जो टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें इस शर्त के साथ नियुक्ति दिये जाने हेतु पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जाये कि ऐसे युवक पांच वर्षों में टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।

इस संबंध में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के अभ्यारणय, टाईगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यानों का संग्रहण पर रोक के कारण ग्रामीणों को हो रहे आर्थिक नुकसान का आंकलन एवं प्रभावित ग्रामीणों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु मैदानी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवेश हेतु गेटमनी के तौर पर बाहरी क्षेत्र के चार पहिया वाहनों से 50/— प्रति वाहन प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। दो पहिया वाहनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं ली जा रही है। इस व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

तमोर पिंगला अभ्यारण्य क्षेत्र में सड़क आदि निर्माण का कोई प्रस्ताव वन विभाग में पंजीकृत नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आने पर वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि :–

(अ) कोरिया जिला में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे।

(ब) आयुक्त सरगुजा संभाग को निर्देशित किया गया कि वे भरतपुर/जनकपुर क्षेत्र का प्रवास कर यह सुनिश्चित करें कि कोल जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(स) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों में निवासरत 24448 संग्राहकों को रूपये 2000/– प्रतिमान बोरा की दर से तेदूपत्ता संग्राहकों को रूपये 4.84 करोड़ प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान कैम्पा मद से स्वीकृत किया जावे।

(द) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के परिवारों को एक नग कम्बल, एक नग ट्रांजिस्टर रेड़ियो ब्रांडेड कम्पनी का एवं एक नग छाता कैम्पा मद के ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाय।

(य) विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के युवकों को टी ई टी परीक्षा की तैयारी हेतु सरकारी खर्च पर कोचिंग दिलाई जाय।

बैठक दिनांक 12–07–2016 को विभागों द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

(अ) आयुक्त, सरगुजा संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कोरिया जिले के अनुकंपा नियुक्ति हेतु 13 आवेदनों में से 06 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। पद रिक्त नहीं होने के कारण शेष आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(ब) आयुक्त सरगुजा संभाग ने अवगत कराया है कि वर्तमान में ''कोल'' एवं ''बैगा'' जाति को प्रमाण पत्र जारी किए जा रहें हैं। जिन प्रकरणों में बन्दोबस्त के समय के अभिलेख में जाति का उल्लेख होना नहीं पाया जा रहा है, वहॉ स्थानीय जांचोपरांत प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

(स) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवारों द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण न करने की स्थिति में इन परिवारों को कैम्पा निधि से राशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29–12–2015 को सम्पन्न राज्य कैम्पा की संचालन समिति में प्रस्तुत किया गया। संचालन समिति द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु 24,448 संग्राहक परिवारों को रूपये 2000/– प्रति मानकबोरा की दर से प्रतिपूर्ति हेतु राज्य कैम्पा के अंतर्गत अर्जित ब्याज से रूपये 500.00 लाख के व्यय की स्वीकृति दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु राज्य कैम्पा निधि के ए.पी.ओ. में रूपये 500.00 लाख का प्रस्ताव प्रावधानित किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कराया जावेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से उन तेंदूपत्ता संग्राहकों को, जिन्हें प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है, के संबंध में

जानकारी अप्राप्त है। अतः जानकारी प्राप्त होते ही प्रतिपूर्ति की राशि कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से जारी की जावेगी।

(द) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के सघन वनों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों में नागरिक सहयोग के निर्माण एवं वन संरक्षण संबंधी सूचनाओं के संज्ञान हेतु आवश्यक सामग्री कैम्पा निधि से प्रदान करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29–12–2015 को सम्पन्न राज्य कैम्पा संचालन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सघन वनक्षेत्रों में निवासरत विशेष जनजाति समूह में वनों में अग्नि प्रसार की रोकथाम में सहयोग एवं वन संरक्षण में सहयोग की दृष्टि से प्रत्येक परिवार को दो–दो कंबल प्रदाय करने हेतु कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से रूपये 250.00 लाख की राशि दो वित्तीय वर्ष में व्यय की जाए। संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में 35,979 परिवार को दो–दो कंबल के हिसाब से कुल 71,958 नग कंबल प्रदाय करने हेतु रूपये 179.895 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। कंबल वितरण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) छत्तीसगढ़ रायपुर के अधीन किया जा रहा है।

(य) राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के युवकों को टी.ई.टी. परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था के लिए आवश्यक राशि का बजटीय प्रावधान वर्ष 2016–17 हेतु भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष राज्य में माह जुलाई 2016 में टी.ई.टी. की परीक्षा आयोजित हो रही है। अतः संबंधित जिले के कलेक्टर को विशेष पिछड़ी जनजाति के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षकीय कार्य के इच्छुक अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर आवेदन पत्र भरवाये जाने के साथ ही टी.ई.टी. परीक्षा के पूर्व कम से कम 15 दिन की कोचिंग डाईट के माध्यम से कराए जाने के निर्देश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस कार्य में स्कूल शिक्षा विभाग अपना पूरा सहयोग देगा।

जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.12.1) कोरिया जिले के शेष 07 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण किया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर कोरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर 03 अभ्यर्थियों को राजस्व विभाग अंतर्गत भृत्य के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। 01 अभ्यर्थी गोद पुत्र होने संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र की मांग की गई है। 01 प्रकरण पुलिस विभाग के द्वारा मंगाये जाने पर पुलिस अधीक्षक कोरिया की ओर प्रेषित किया गया है। शासन के निर्देशानुसार राजस्व विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये सहायक ग्रेड–3 का पद रिक्त नहीं होने से 02 अभ्यर्थियों के प्रकरण मूलतः उनके विभागाध्यक्ष की ओर प्रेषित किया जा चुका है।

(1.12.2) आयुक्त, सरगुजा तथा बस्तर संभाग समस्त माननीय विधायकों एवं कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) की बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं शंकाओं का समाधान करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 22 दिसम्बर 2016 को जिला पंचायत कार्यालय सरगुजा के सभा कक्ष

में उप संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर तथा उपायुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नया नया रायपुर द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग रायपुर की अध्यक्षता में जिलेवार कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आयुक्त, बस्तर द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 08–09–2016 को कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर के आस्था कक्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आ रही शंकाओं का समाधान करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में बस्तर संभाग के माननीय विधायकगण, कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपस्थित रहे।

(1.12.3) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा जाये कि राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को इस शर्त पर शिक्षक (पंचायत संवर्ग) में नियुक्ति की छूट दी जाये कि उनके द्वारा 03 वर्षों में टी.ई.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जावेगी।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अवगत कराया गया कि मान.मंत्री,भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 03–11–2016 द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के परामर्श से मामले की जांच की गई है, जिसने यह सूचित किया है कि पर्याप्त विचार–विमर्श और चर्चा के पश्चात न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं। न्यूनतम अर्हता बेंचमाक्र में कोई कमी करने से अध्यापकों की गुणवत्ता में अत्यधिक कमी आएगी और इससे भविष्य के लिए एक गलत परंपरा स्थापित होगी। तथापि, एनसीटीई द्वारा दिनांक 29–07–2011 की समय–समय पर संशोधित अधिसूचना के जरिए आरक्षण नीति में यह शर्त रखी गई है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग (पीएच) वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए अर्हक परीक्षाओं में 5 तक छूट दी जाए। आरटीई अधिनियम, 2009 और एनसीटीई विनियम, 2010 और 2014 दोनों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कोई भी छूट देने पर प्रतिबंध है और छूट देने का कोई उपबंध नहीं है।

(1.12.4) विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीव्हीटीजी) के प्रत्येक परिवार को 02 कम्बल, 01 ट्रॉजिस्टर, एवं 01 छाता वितरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करावें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में अवगत कराया गया कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) हेतु मुख्यमंत्री के 11 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के 30100 परिवारों को (प्रति परिवार 02 कंबल के मान से) कुल 60,199 कंबलों का वितरण दिसम्बर, 2016 तक किया गया है। शेष परिवारों को कंबल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कंबल का वितरण वन विभाग द्वारा कैम्पा (क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) निधि की अर्जित ब्याज की राशि से किया गया है।
छाता एवं रेडियो प्रदाय करने हेतु वर्ष 2016–17 के विभाग के बजट में राशि रू.435.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। विभागीय आदेश क्र.एफ–18–31/2016/25/2 दिनांक 27–12–2016 द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय के प्रत्येक परिवार को छाता एवं रेडियो प्रदाय करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। अब तक 5841

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को कुल 5841 नग रेडियो एवं 5841 छाता का वितरण जिलों द्वारा किया गया है।

(1.12.5) राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में निवासरत तेदूपत्ता संग्राहकों को क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के 336 ग्रामों में निवासरत 22,879 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को तेन्दूपत्ता संग्रहण न करने के कारण हो रही क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य कैम्पा निधि से राशि रूपये 457.58 लाख भुगतान करने की स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 12–07–2016 द्वारा प्रदान की गयी है। वितरण कार्य जारी है।

निर्णयः– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया किः–

(1.12.1) परिषद द्वारा नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का निर्देश दिया गया।
(1.12.2) कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।
(1.12.3) चर्चा उपरांत कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।
(1.12.4) विशेष जनजाति परिवार को वितरण की कार्यवाही के अद्वतन स्थिति की जानकारी से आगामी बैठक में अवगत करावे।

(कार्यवाही–आयुक्त, आ.जा.तथा अ.जा.वि. / वन विभाग)

(1.12.5) परिषद के निर्णय के पालन की दिशा में कार्यवाही चल रही है अतः विलोपित की जाती है।

(कार्यवाही–वन विभाग / आयुक्त, आ.जा.तथा अ.जा.वि.)

(1.13) पूर्व बैठक का एजेण्डा क्रमांक चार (अ)

श्रीमती चम्पादेवी पावले माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम डोलकी न तो राजस्व ग्राम में है और न ही वन ग्राम में है। अतः सर्वे कराकर निराकरण किया जाय।

परिषद की बैठक दिनांक 17–12–2015 में निर्णय लिया गया कि उक्त के संबध में सर्वे कर आगामी बैठक के पूर्व स्थिति से अवगत कराया जाय।

बैठक दिनांक 12–07–2016 में सचिव, राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि कलेक्टर कोरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बसाहट का नाम डोलकी न होकर लोलकीपारा है। लोलकीपारा क्षेत्र के मतदाता सूची में ग्राम पंचायत कछाड़ी के मोहल्ले के रूप में दर्ज है। लोलकीपार की परिवार संख्या 42 है तथा जनसंख्या 105 है। मतदाता संख्या 76 है। लोलकीपारा ग्राम कछाडी का पारा है, लेकिन जिस भूमि पर लोलकीपारा बसाहट है, वह भूमि न तो वन क्षेत्र में शामिल है, और न ही राजस्व ग्राम कछाडी की सीमा में शामिल है। असर्वेक्षित होने के कारण उक्त ग्राम के लोगों को एफआरए का वन अधिकार मान्यता पत्र भी नहीं मिला है। उक्त बसाहट के सर्वे करने के लिए संचालक भू–अभिलेख को निर्देशित किया गया है। सर्वेक्षण उपरांत उक्त बसाहट को राजस्व ग्राम कछाडी में शामिल कर लिया जावेगा। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में कलेक्टर कोरिया से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6–108 / 2016 / सात–1 दिनांक 17–10–2016 के द्वारा तहसील सोनहत के पटवारी हल्का नम्बर 07 में स्थित लोलकीपारा का सर्वेक्षण कराने हेतु स्वीकृति अधिसूचना के माध्यम से प्रदान कर दी गई है। निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(1.13.1) निर्णय :– निर्णय के पालन हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अतः कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

(कार्यवाही–कलेक्टर, कोरिया)

(1.14) पूर्व बैठक का एजेण्डा क्रमांक– 02 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :–

(1.14.1) श्री महेश गागड़ा, माननीय वन मंत्री ने जानना चाहा कि बस्तर संभाग के 22000 हेक्टेयर नारंगी क्षेत्र को वन भूमि से राजस्व भूमि में डी–नोटीफाई करने की कार्यवाही में विलंब हो रहा है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विधि विभाग 01 माह में अपना अभिमत प्रेषित करें। यदि आवश्यक हो तो महाधिवक्ता छ0ग0 से भी अभिमत प्राप्त कर लेवें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में विधि एवं विधायी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशासकीय विभाग (वन) से प्राप्त विषयांकित प्रकरण में महाधिवक्ता उच्च न्यायालय छ.ग. का अमूल्य अभिमत प्राप्त करने हेतु दिनांक 26–07–2016 एवं 01–02–2017 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। वांछित अभिमत अपेक्षित है।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–
(1.14.1) आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही–विधि एवं विधायी विभाग/राजस्व/वन विभाग)

(1.15) श्रीमती देवती कर्मा माननीय सदस्या ने जानना चाहा कि बैलाडीला के ग्राम कड़मपाल में एनएमडीसी के द्वारा खनन किये गये लौह अयस्क के कारण पानी दूषित हो रहा है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर आगामी बैठक में स्थिति से अवगत करावें तथा कमिश्नर, बस्तर मौके पर निरीक्षण कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निर्देश के पालन में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोण्डा ग्राम कड़मपाल का निरीक्षण कर समुचित दिये गये। जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम कड़मपाल में कुल 32 हैण्डपंप स्थापित किये गये हैं, जिसमें से 29 चालू हालत, 3 बंद पड़े हैं। इसी प्रकार सोलरपंप की संख्या 02 है। दोनों सोलरपंप चालू हालत में है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम कड़मपाल में मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के निक्षेप क्रमांक 14/11 सी का दूषित जल निस्सारित होता है। परियोजना को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क के तहत कड़मपाल टेलिंग डैम की डिसिल्टिंग करने एवं निस्सारित जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु दिनांक 21–04–2016 को निर्देश दिये गये थे। उद्योग द्वारा निर्देशों के पालन में असफल रहने के कारण मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के निक्षेप क्रमांक 14/11 सी के प्रबंधन के विरूद्व दिनांक 03–12–2016 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के न्यायालय में वाद दायर किा गया है, जो पंजीकरण हेतु विचाराधीन है।

निर्णय :– परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि :–

(1.15.1) परिषद के निर्णय पर पालन की दिशा में कार्यवाही हो रही है। अतः कार्यवाही पूर्ण मान्य की जाती है।

(कार्यवाही–आयुक्त, बस्तर संभाग / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल)

(1.16) श्री चिंतामणि महाराज, माननीय सदस्य ने विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) क्षेत्रों विशेष रूप से सरगुजा संभाग में अन्य देशों के अनाधिकृत रूप से निवासरत लोगों के संबंध में कार्यवाही करने का प्रस्ताव परिषद के समक्षा रखा गया।

जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सरगुजा संभाग के जिलों में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति (पीव्हीटीजी) बाहुल्य क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से निवासरत बाहरी व्यक्तियों के संबंध में सर्वे किया जाकर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इसी तरह की कार्यवाही अन्य संभागों में भी की जावे। जबरिया धर्मांतरण के प्रकरण पाये जाने पर नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही की जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में निर्णय के परिपालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त पुलिस इकाईयों को पत्र दिनांक 01–09–2016 एवं 25–03–2017 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

(1.16.1) निर्णय :– कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को पुनः पत्र लिखा जाये।

(कार्यवाही–गृह विभाग)

(1.17) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केन्द्र शासन द्वारा केन्दीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) हेतु ''बस्तर बटालियन'' के नाम से नई बटालियन स्वीकृत की गई है। इस बटालियन की विशेषता यह है कि केवल बस्तर संभाग के 700 युवक ही उक्त बटालियन में भर्ती हेतु पात्र होंगे। भर्ती हेतु आवश्यक अर्हतायें यथा ऊचाई आदि में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। निर्धारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 10वीं पास युवकों को विशेष कोचिंग दी जावेगी। परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। जिस पर परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि ''बस्तर बटालियन'' की भॉति ही सरगुजा बटालियन गठन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जावे।

परिषद की बैठक दिनांक 31.03.2017 में गृह विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सरगुजा बटालियन के गठन हेतु पुलिस मुख्यालय को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है एवं प्रकरण प्राप्त होने पर भारत सरकार के प्रेषित किया जाएगा।

(1.17.1) निर्णय :– आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही –गृह विभाग)

एजेंडा क्रमांक –दो

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 का अनुमोदन :

(2.1) विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – तीन

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चाः–

(3.1) शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्हीं भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहायता दी जाये।

निर्णय :– शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों (सभी वर्गों) की आकस्मिक मृत्यु होने पर, चाहे किन्ही भी कारणों से मृत्यु हुई हो, उसके शोक संतप्त परिवार को रूपये एक लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

(कार्यवाही–स्कूल शिक्षा विभाग)

(3.2) कक्षा आठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा।

निर्णयः– कक्षा आठवीं से बारहवीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र विद्यार्थियों को 29 अप्रैल 2017 तक जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र जारी की जाये।

(कार्यवाही–सामान्य प्रशासन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/
राजस्व विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(स) कतिपय जातियां जिन्हें मात्रात्मक सुधार की आवश्यकता होने के कारण अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा।

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा भरिया, गोंड़, गोड़, पंडो, पण्डो, पन्डो, धांगड़, नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगबंसी, नगवासी, नागबसि नगबसी, गदबा, कोड़ाकू एवं कोंद, के प्रकरण भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, को मात्रात्मक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित किया गया है। निम्नलिखित जातियों के संदर्भ में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सहमति दिये जाने के उपरांत प्रकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग को सहमति हेतु भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई हैः–
1. कोड़ाकू 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा, 8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी।

निर्णय :–(1) उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की जाती है कि 1. कोड़ाकू 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा 8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी
निर्णय :–
(1) उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा की जाती है कि 1. कोड़ाकू 2. कोंद 3. भरिया 4. पंडो, पण्डो, पन्डो, 5. धांगड़ 6. गोंड़ 7. गदबा 8. नगवंसी, नगवन्सी, नागबंसि, नगवासी, नागबसि, नगबसी जातियों के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के समतुल्य राज्य मद से राज्य छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रमों में स्वीकृत सीट में से रिक्त होने की स्थिति में प्रवेश दिये जायें। इन जाति कि विद्यार्थियों, व्यक्तियों को उक्त सुविधाओं के अलावा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त कोई संवैधानिक अधिकार

एवं जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन जातियों का नाम सम्मिलित करने की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात ही होगी।

(2) मात्रात्मक त्रुटियों के निराकरण के संबंध में मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल जल्द ही नई दिल्ली में संबंधितों से मिलकर राज्य का पक्ष रखेंगे।

(कार्यवाही–आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

(3.3) छात्रावास आश्रमों के मरम्मत एवं लिपाई–पोताई के संबंध में चर्चा।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी छात्रावास आश्रमों में रंगाई–पोताई का कार्य अनिवार्य रूप से माह अप्रैल–मई 2017 में किया जाये।

(कार्यवाही– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग / समस्त कलेक्टर)

(3.4) दंतेवाड़ा एवं कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा अन्य स्त्रोतों से राशि की व्यवस्था कर एजुकेशन हब विकसित किये गये हैं। अन्य जिलों में भी इस तरह की पहल यथा 2000 सीटर आवासीय विद्यालय आदि समावेशन (convergance) के माध्यम से की जाये। संभागीय आयुक्त आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही– समस्त संभागीय आयुक्त / समस्त कलेक्टर)

(3.5) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (P.V.T.G) के सदस्यों के नसबंदी विषय पर चर्चा हुई । संयुक्त मध्यप्रदेश के समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 13.12.1979 द्वारा इन जातियों के नसबंदी के संबंध में कतिपय प्रबंध लगाये गये हैं। यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में लगाये गये प्रतिबंध के शिथिलीकरण हेतु सही स्तर से परीक्षण कर निर्णय लिया जाये।

(कार्यवाही–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अंत में विशेष सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण एवं परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

परिशिष्ट–1

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 31–03–2017 में उपस्थित सदस्यों का सूची

क्रमांक	नम	पद
1	माननीय डॉ रमन सिंह	अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
2	माननीय श्री केदार कश्यप	उपाध्यक्ष एवं मंत्री,आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग
3	माननीय श्री रामसेवक पैंकरा	सदस्य एवं मंत्री, गृह विभाग
4	माननीय श्री दिनेश कश्यप	सदस्य एवं लोक सभा सदस्य बस्तर
5	माननीय श्री शिवशंकर पैंकरा	सदस्य एवं संसदीय सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6	माननीय श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया	सदस्य एवं संसदीय सचिव
7	माननीय श्रीमती चम्पादेवी पावले	सदस्य एवं संसदीय सचिव
8	माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी	सदस्य एवं संसदीय सचिव
9	माननीय श्री राजशरण भगत	सदस्य एवं विधायक जशपुर
10	माननीय श्री रोहित कुमार साय	सदस्य एवं विधायक कुनकुरी
11	माननीय श्री श्रवण मरकाम	सदस्य एवं विधायक सिहावा
12	माननीय श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम	सदस्य एवं विधायक मोहला–मानपुर
13	माननीय श्रीमती देवती कर्मा	सदस्य एवं विधायक दंतेवाड़ा
14	माननीय श्री श्यामलाल कंवर	सदस्य एवं विधायक रामपुर
15	श्री मंडल सिंह बैगा	अध्यक्ष, बैगा विकास अभिकरण बिलासपुर (विशेष आमंत्रित)
16	श्री भगतू राम	अध्यक्ष, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण जशपुर (विशेष आमंत्रित)

परिशिष्ट–2

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 31–03–2017 में उपस्थित अधिकारियों का सूची

क्रमांक	नाम	पद
1	श्री विवेक ढॉड	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री एम. के. राउत	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग
3	श्री सुनील कुजूर	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
4	श्री आर. पी. मंडल	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
5	श्री रविशंकर शर्मा	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग
6	श्री सुब्रत साहू	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य विभाग
7	श्रीमती रेणु जी.पिल्ले	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा राजस्व विभाग
8	श्री सुबोध कुमार सिंह	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
9	श्री विकासशील	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन तथा स्कूल शिक्षा विभाग
10	श्री अरूण देव गौतम	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग
11	श्री आशीष कुमार भट्ट	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
12	सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग
13	श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
14	श्री डी.डी.सिंह	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
15	श्री संतोश मिश्र	सचिव, छत्तीसगढ़ षासन, जनसम्पक्र विभाग
16	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो	संचालक, जनसम्पक्र विभाग
17	श्री निरंजन दास	संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग
18	श्री राजीव कुमार टमटा	प्रधान मुख्य वन सरंक्षक रायपुर
19	श्री आर.के.सिंह	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) रायपुर
20	डॉ. बी.पी.नोन्हारे	प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ रायपुर
21	श्री ए.एन.उपाध्याय	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़
22	श्री आर.के.विज	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़
23	श्री दिलीप वासनीकर	आयुक्त, बस्तर संभाग
24	श्री टी.सी.महावर	आयुक्त, सरगुजा संभाग
25	सुश्री निहारिका बारिक सिंह	आयुक्त, बिलासपुर संभाग
26	श्री एस.के.चक्रवर्ती	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
27	श्री ब्रम्ह सिंह	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर
28	श्री मणी शंकर	सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर
29	डॉ. स्वपन कुमार कोले,	सह–प्राध्यापक एवं प्रमुख / मुख्य अन्वेषक मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन शाला, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना का परियोजनावार विवरण वर्ष 2016–17

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
				08.47	06.69	03.32	03.28	03.40	03.71	04.80	02.83	02.02	03.15	03.99	05.43	08.34	04.95	09.12	06.19	05.85	06.66	07.80	
1	Education;																						
1.1	Estalishing Digital Classroom in EMRS	पूंजी	5.00	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	10
	Rs			10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	50.00
1.2	Establishment of kitchen garden in 300 residential school/Hostels/Ashrams @ 0.50 lakh per unit 15000 beneficiaries (For seeds, fertilizers, saplings, irrigation to grow fruits and vegetables)	पूंजी	0.50	18	12	12	9	11	13	15	7	5	7	14	12	23	15	25	18	16	16	20	268
	Rs			9.00	6.00	6.00	4.50	5.50	6.50	7.50	3.50	2.50	3.50	7.00	6.00	11.50	7.50	12.50	9.00	8.00	8.00	10.00	134.00
1.3	Construction of kitchen cum store building in Hostels/Ashrams (10000 beneficiaries) (Old dilapidated kitchens to be reconstructed, and stores to be made)	पूंजी	3.00	9	7	5	5	6	5	5	4	4	4	5	6	11	8	12	10	9	13	13	141
	Rs			27.00	21.00	15.79	15.00	18.00	15.00	15.00	12.00	12.00	12.00	15.00	18.00	33.00	24.00	36.00	30.00	27.00	39.00	39.00	423.79
1.4	Establishment of modern kitchen in tribal Hostels/ Ashrams at district head quarters (The facility is required for catering to cooking needs for large no. Of students simultaneously, including gas cooking, roti machines etc.)	पूंजी	5.00	5	1	2	5	3	2	3	2	2	3	3	4	5	3	5	6	5	5	7	71
	Rs			25.00	5.00	10.00	25.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	25.00	15.00	25.00	30.00	25.00	25.00	35.00	355.00
1.5	Vocational training centre in Ashram schools/Hostels & other Institute (This is for working shed and equipment including for IT training, domestic (sewing etc) training) 6 Model Schools, 1 Gurukul, 3 Girls Education Complex, 5 Sports Complex, 15 Ashrams Schools/Hostels	पूंजी	15.00	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	25
	Rs			30.00	15.00	30.00	15.00	15.00	30.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	375.00

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
1.6	Smart/Knowledge class Rooms in Ashrams Schools. A. Integrated Learning Tool ; K-yan b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations) d. Educational Science Videos e. Teacher Capacity Building (10000 beneficiaries) (50 Unit)	पूंजी	3.50	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	4	4	3	3	3	3	3	45
	Rs			14.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.50	3.50	3.50	3.50	7.00	14.00	14.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	157.50
1.7	Construction of Bathroom/ Toilets in Girls Hostel/Ashram (12500 beneficiaries) with overhead tank and pipe fitting	पूंजी	5.00	12	8	16	11	17	15	13	10	7	9	17	19	27	18	28	24	19	20	28	318
	Rs			60.00	40.00	80.00	55.00	85.00	75.00	65.00	50.00	35.00	45.00	85.00	95.00	135.00	90.00	140.00	120.00	95.00	100.00	140.00	1590.00
1.8	Upgradation of Ashram Schools (middle level to high school level)	पूंजी	25.00	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	2	14
	Rs			25.00	25.00	35.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	360.00
1.9	Construction of Boundary wall (average length 75 running meter per Hostel/Ashram length 11250 running meter) in Girls Hostel/Ashram	पूंजी	4.50	10	4	9	6	7	7	9	4	3	5	7	9	12	10	13	13	11	9	13	161
	Rs			45.00	18.00	40.50	27.00	31.50	31.50	40.50	18.00	13.50	22.50	31.50	40.50	54.00	45.00	58.50	58.50	49.50	40.50	58.50	724.50
1.10	Construction of 50 seater Hostel Building for Hostels functioning without own buildings. Total cost is Rs. 917.82	पूंजी	152.97	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6
	Rs			152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	458.91
1.11	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set 600 watts, LED Light Total 120 watts with 48 hour Battery backup) 100 Hostel	पूंजी	2.90	6	4	4	3	4	3	5	3	3	2	3	4	7	6	8	6	6	6	6	89
	Rs			17.40	11.60	11.60	8.70	11.60	8.70	14.50	8.70	8.70	5.80	8.70	11.60	20.30	17.40	23.20	17.40	17.40	17.40	17.40	258.10

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
1.12	Establishment of Solar Power plant (2kw) in Hostel & Ashrams (For ceiling fan in class room) with 10 ceiling fan each plant minimum (50 unit)	पूंजी	2.96	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	4	3	3	4	3	3	3	45
	Rs			11.84	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	2.96	2.96	2.96	2.96	5.92	11.84	8.88	8.88	11.84	8.88	8.88	8.88	133.20
4.2	Construction of working shed for Silk/Tusar yarn spinning centre	पूंजी	5.00	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	20
	Rs			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
5	Fisheries			0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5.1	Construction of rearing pond for fish seed produntion 1/4 area of one pond=0.20 Hect.	पूंजी	2.75	13	2	8	5	8	6	9	5	2	5	6	9	12	8	13	11	11	11	14	158
	Rs			35.75	5.50	22.00	13.75	22.00	16.50	24.75	13.75	5.50	13.75	16.50	24.75	33.00	22.00	35.75	30.25	30.25	30.25	38.50	434.50
6	Employment-cum-income generation programmes																						
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	पूंजी	0.35	299	36	141	102	147	153	169	98	48	93	138	149	259	185	259	218	208	220	264	3186
	Rs			104.65	12.60	49.35	35.70	51.45	53.55	59.15	34.30	16.80	32.55	48.30	52.15	90.65	64.75	90.65	76.30	72.87	77.00	92.40	1115.17

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
6.2	Construction of commercial shop cum community building 30 shops	पूंजी	20.00	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	27
	Rs			40.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	540.00
6.3	Tailoring shop including training & providing sewing machine and work place for business 100 Units	पूंजी	1.00	7	5	4	3	4	3	4	3	1	2	4	5	7	5	7	6	6	5	6	87
	Rs			7.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	1.00	2.00	4.00	5.00	7.00	5.00	7.00	6.00	6.00	5.00	6.00	87.00
7	Promotion of sports facilities;																						
7.2	Purchase of sports equipments for Residential Tribal Schools and Krida Parishar	पूंजी	4.95	1	0	1	1	2	2	2	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	23
	Rs			4.95	0.00	4.95	4.95	9.90	9.90	9.90	4.95	0.00	9.90	9.90	9.90	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	113.85
8	Promotion of culture;																						
8.1	Construction of 30 Ghotul huts in district Narayanpur, Kanker & Kondagaon	पूंजी	10.00	0	10	0	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
	Rs			0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	Total		Unit	398	99	212	158	217	226	253	142	78	137	204	227	381	273	384	325	304	318	386	4722
			Rs.	624.56	455.59	352.11	265.52	331.87	382.57	428.22	204.66	126.46	208.46	287.36	360.82	636.73	423.48	619.42	489.74	445.35	456.48	591.13	7690.52
2	Health and Sanitation																						
2.1	Posting of trained ANM/Nurse belonging to STs on contract basis for health checkup of girl students in Hostel & Ashrams. 115 Beneficiaries	राजस्व	1.80	7	5	4	3	4	6	5	3	1	3	5	5	8	6	9	7	7	7	7	102
	Rs			12.60	9.00	7.20	5.40	7.20	10.80	9.00	5.40	1.80	5.40	9.00	9.00	14.40	10.80	16.20	12.60	12.60	12.60	12.60	183.60
2.2	Testing/screening of Sickle cell Anemia No. Of screening completed till date -1.96 lakh	राजस्व	0.00385	5891	3943	3193	2372	2994	3419	3863	1857	1231	1851	2598	3270	5724	3833	5686	4446	4033	4147	5330	69681
	Rs			22.68	15.18	12.29	9.13	11.53	13.16	14.87	7.15	4.74	7.13	10.00	12.59	22.04	14.76	21.89	17.12	15.53	15.97	20.52	268.27

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	जगदलपुर	कोण्डागांव	बीजापुर	दंतेवाड़ा	सुकमा	नारायणपुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडीलोहारा	राजनांदगांव	गौरेला	कोरबा	बैकुण्ठपुर	अंबिकापुर	रामानुजगंज	सूरजपुर	जशपुर	धरमजयगढ़	योग
3	Agricultural and allied activity including irrigation																						
3.1	Production of organic food (Paddy, Minor millet like kodo, kutki, pulses, oil seed crops, vegetables, fruits including vermi compost, Nadap & barbed wire fencing etc.)75 locations Beneficiaries 5000	राजस्व	0.015	353	263	204	122	226	221	247	119	74	106	167	225	370	246	361	294	267	266	341	4472
	Rs			5.30	3.95	3.06	1.83	3.39	3.32	3.71	1.79	1.11	1.59	2.51	3.38	5.55	3.69	5.42	4.41	4.01	3.99	5.12	67.08
3.2	Distribution of sprinkler set 2000 beneficiaries	राजस्व	0.20	148	43	82	66	96	92	99	60	35	52	70	84	147	97	149	119	103	107	139	1788
	Rs			29.60	8.60	16.40	13.20	19.20	18.40	19.80	12.00	7.00	10.40	14.00	16.80	29.40	19.40	29.80	23.80	20.60	21.40	27.80	357.60
4	Sericulture																						
4.1	Establishment of Silk/Tusar yarn spinning centre (including 10 reeling & 5 spinning machine per centre)	राजस्व	4.375	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	20
	Rs			4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	4.38	8.75	8.75	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	87.50
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/ electrician,beautician, handicraft, boutiquedevelopment, plumbing, masonry,electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	राजस्व	0.35	18	93	39	26	23	34	50	7	17	14	19	35	65	32	65	49	43	45	71	745
	Rs			6.30	32.55	13.65	9.10	8.05	11.90	17.50	2.45	5.95	4.90	6.65	12.25	22.75	11.20	22.75	17.15	14.98	15.75	24.85	260.68
7.1	State level EMRS Sports competition	राजस्व	20.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Rs			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	Total			6420	4348	3523	2590	3344	3773	4265	2047	1358	2027	2860	3620	6316	4216	6271	4916	4454	4573	5889	76810
				100.85	73.65	56.98	43.04	53.74	61.95	69.25	33.16	20.60	33.79	46.53	58.39	102.89	68.60	100.43	79.45	72.09	74.08	95.26	1244.73

	Total (P+R)			6818	4447	3735	2748	3561	3999	4518	2189	1436	2164	3064	3847	6697	4489	6655	5241	4758	4891	6275	81532
				725.41	529.24	409.09	308.56	385.61	444.52	497.47	237.82	147.06	242.25	333.89	419.21	739.61	492.08	719.85	569.19	517.44	530.56	686.39	8935.25

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2016–17 माडा पाकेट

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुंद–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
				14.06	26.18	17.85	05.17	05.12	03.41	20.90	04.83	02.48	
1	Education;												
1.1	Estalishing Digital Classroom in EMRS	पूंजी	5.00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
1.2	Establishment of kitchen garden in 300 residential school/Hostels/Ashrams @ 0.50 lakh per unit 15000 beneficiaries (For seeds, fertilizers, saplings, irrigation to grow fruits and vegetables)	पूंजी	0.50	2	1	2	1	1	1	3	1	0	12
	Rs			1.00	0.50	1.00	0.50	0.50	0.50	1.50	0.50	0.00	6.00
1.3	Construction of kitchen cum store building in Hostels/Ashrams (10000 beneficiaries) (Old dilapidated kitchens to be reconstructed, and stores to be made)	पूंजी	3.00	3	0	1	1	0	0	0	0	1	6
	Rs			9.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	18.00
1.4	Establishment of modern kitchen in tribal Hostels/Ashrams at district head quarters (The facility is required for catering to cooking needs for large no. Of students simultaneously, including gas cooking, roti machines etc.)	पूंजी	5.00	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	Rs			0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00
1.5	Vocational training centre in Ashram schools/Hostels & other Institute (This is for working shed and equipment including for IT training, domestic (sewing etc) training) 6 Model Schools, 1 Gurukul, 3 Girls Education Complex, 5 Sports Complex, 15 Ashrams Schools/Hostels	पूंजी	15.00	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
	Rs			0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	45.00

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुंन्द–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
1.6	Smart/Knowledge class Rooms in Ashrams Schools. A. Integrated Learning Tool ; K-yan b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations)d. Educational Science Videos e.Teacher Capacity Building (10000 beneficiaries) (50 Unit)	पूंजी	3.50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
1.7	Construction of Bathroom/Toilets in Girls Hostel/Ashram (12500 beneficiaries) with overhead tank and pipe fitting	पूंजी	5.00	3	3	3	1	1	1	3	0	0	15
	Rs			15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	75.00
1.8	Upgradation of Ashram Schools (middle level to high school level)	पूंजी	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Construction of Boundary wall (average length 75 running meter per Hostel/Ashram length 11250 running meter) in Girls Hostel/Ashram	पूंजी	4.50	2	1	2	1	0	0	1	0	0	7
	Rs			9.00	4.50	9.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	31.50
1.10	Construction of 50 seater Hostel Building for Hostels functioning without own buildings. Total cost is Rs. 917.82	पूंजी	76.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set 600 watts, LED Light Total 120 watts with 48 hour Battery backup) 100 Hostel	पूंजी	2.90	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4
	Rs			0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	11.60
1.12	Establishment of Solar Power plant (2kw) in Hostel & Ashrams (For ceiling fan in class room) with 10 ceiling fan each plant minimum (50 unit)	पूंजी	2.96	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
4.2	Construction of working shed for Silk/Tusar yarn spinning centre	पूंजी	5.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
5	Fisheries			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Construction of rearing pond for fish seed prodfuntion 1/4 area of one pond=0.20 Hect.	पूंजी	2.75	1	0	1	0	2	0	1	1	2	8
	Rs			2.75	0.00	2.75	0.00	5.50	0.00	2.75	2.75	5.50	22.00

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुंद–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
6	Employment-cum-income generation programmes			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training)4400 Beneficiaries	पूंजी	0.35	23	35	23	3	6	10	26	4	11	141
	Rs			8.05	12.25	8.05	1.05	2.10	3.50	9.10	1.40	3.85	49.35
6.2	Construction of commercial shop cum community building 30 shops	पूंजी	20.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
6.3	Tailoring shop including training & providing sewing machine and work place for business 100 Units	पूंजी	1.00	1	0	1	0	1	1	0	1	1	6
	Rs			1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
7	Promotion of sports facilities;			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Purchase of sports equipments for Residential Tribal Schools and Krida Parishar	पूंजी	4.95	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
8	Promotion of culture;			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Construction of 30 Ghotul huts in district Narayanpur,k Kanker & Kondagaon	पूंजी	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total		Unit	35	45	37	7	12	13	38	9	15	211
			Rs.	45.80	90.21	56.15	14.05	17.00	10.00	60.75	13.55	13.35	320.86
2	Health and Sanitation												
2.1	Posting of trained ANM/Nurse belonging to STs on contract basis for health checkup of girl students in Hostel & Ashrams. 115 Beneficiaries	राजस्व	1.80	1	1	1	1	1	0	1	0	0	6
	Rs			1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	10.80
2.2	Testing/screening of Sickle cell Anemia No. Of screening completed till date -1.96 lakh	राजस्व	0.00385	419	783	508	133	139	94	574	174	85	2909
	Rs			1.61	3.01	1.96	0.51	0.54	0.36	2.21	0.67	0.33	11.20

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बलौदाबाजार	महासमुंद–1	महासमुन्द–2	रूकजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कवर्धा	नचनिया	गंगरेल	योग
3	Agricultural and allied activity including irrigation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Production of organic food (Paddy, Minor millet like kodo, kutki, pulses, oil seed crops, vegetables, fruits including vermi compost, Nadap & barbed wire fencing etc.)75 locations Beneficiaries 5000	राजस्व	0.015	27	50	33	6	7	22	34	10	3	192
	Rs			0.41	0.75	0.50	0.09	0.11	0.33	0.51	0.15	0.05	2.88
3.2	Distribution of sprinkler set 2000 beneficiaries	राजस्व	0.20	13	18	12	0	2	3	20	3	4	75
	Rs			2.60	3.60	2.40	0.00	0.40	0.60	4.00	0.60	0.80	15.00
4	Sericulture												
4.1	Establishment of Silk/Tusar yarn spinning centre (including 10 reeling & 5 spinning machine per centre)	राजस्व	4.375	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training)4400 Beneficiaries	राजस्व	0.35	3	1	7	0	0	1	5	4	1	22
	Rs			1.05	0.35	2.45	0.00	0.00	0.35	1.75	1.40	0.35	7.70
7.1	State level EMRS Sports competition	राजस्व	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total			463	854	561	140	149	120	634	191	93	3205
				7.47	13.89	9.10	2.40	2.84	1.64	10.27	2.82	1.52	51.95
	Total (P+R)			498	899	598	147	161	133	672	200	108	3416
				53.26815	104.09955	65.25080	16.45205	19.84015	11.64190	71.01990	16.36990	14.87225	372.81465

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2016–17 लघु अंचल

(राशि लाखों में)

क्र	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बच्छेराभाठा	धुरीबांधा	योग
				50.51	49.49	
1	Education;					
1.1	Estalishing Digital Classroom in EMRS	पूंजी	5.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.2	Establishment of kitchen garden in 300 residential school/Hostels/Ashrams @ 0.50 lakh per unit 15000 beneficiaries (For seeds, fertilizers, saplings, irrigation to grow fruits and vegetables)	पूंजी	0.50	1	0	1
	Rs			0.50	0.00	0.50
1.3	Construction of kitchen cum store building in Hostels/Ashrams (10000 beneficiaries) (Old dilapidated kitchens to be reconstructed, and stores to be made)	पूंजी	3.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.4	Establishment of modern kitchen in tribal Hostels/Ashrams at district head quarters (The facility is required for catering to cooking needs for large no. Of students simultaneously, including gas cooking, roti machines etc.)	पूंजी	5.00	1	0	1
	Rs			5.00	0.00	5.00
1.5	Vocational training centre in Ashram schools/Hostels & other Institute (This is for working shed and equipment including for IT training, domestic (sewing etc) training) 6 Model Schools, 1 Gurukul, 3 Girls Education Complex, 5 Sports Complex, 15 Ashrams Schools/Hostels	पूंजी	15.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.6	Smart/Knowledge class Rooms in Ashrams Schools.A. Integrated Learning Tool ; K-yanb. Interactive Multimedia contentc. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations)d. Educational Science Videose. Teacher Capacity Building (10000 beneficiaries) (50 Unit)	पूंजी	3.50	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.7	Construction of Bathroom/Toilets in Girls Hostel/Ashram (12500 beneficiaries) with overhead tank and pipe fitting	पूंजी	5.00	1	1	2
	Rs			5.00	5.00	10.00

क्र	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बच्छेराभाठा	धुरीबांधा	योग
1.8	Upgradation of Ashram Schools (middle level to high school level)	पूंजी	25.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.9	Construction of Boundary wall (average length 75 running meter per Hostel/Ashram length 11250 running meter) in Girls Hostel/Ashram	पूंजी	4.50	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.10	Construction of 50 seater Hostel Building for Hostels functioning without own buildings. Total cost is Rs. 917.82	पूंजी	76.485	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.11	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set 600 watts, LED Light Total 120 watts with 48 hour Battery backup) 100 Hostel	पूंजी	2.90	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
1.12	Establishment of Solar Power plant (2kw) in Hostel & Ashrams (For ceiling fan in class room) with 10 ceiling fan each plant minimum (50 unit)	पूंजी	2.96	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
4.2	Construction of working shed for Silk/Tusar yarn spinning centre	पूंजी	5.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
5	Fisheries					
5.1	Construction of rearing pond for fish seed produntion 1/4 area of one pond=0.20 Hect.	पूंजी	2.75	1	1	2
	Rs			2.75	2.75	5.50
6	Employment-cum-income generation programmes					
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	पूंजी	0.35	3	8	11
	Rs			1.05	2.80	3.85
क्र	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बच्छेराभाठा	धुरीबांधा	योग

6.2	Construction of commercial shop cum community building 30 shops	पूंजी	20.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
6.3	Tailoring shop including training & providing sewing machine and work place for business 100 Units	पूंजी	1.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
7	Promotion of sports facilities;					
7.2	Purchase of sports equipments for Residential Tribal Schools and Krida Parishar	पूंजी	4.95	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
8	Promotion of culture;					
8.1	Construction of 30 Ghotul huts in district Narayanpur,k Kanker & Kondagaon	पूंजी	10.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
	Total		Unit	7	10	17
			Rs.	14.30	10.55	24.85
2	Health and Sanitation					
2.1	Posting of trained ANM/Nurse belonging to STs on contract basis for health checkup of girl students in Hostel & Ashrams. 115 Beneficiaries	राजस्व	1.80	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
2.2	Testing/screening of Sickle cell Anemia No. Of screening completed till date - 1.96 lakh	राजस्व	0.00385	99	133	232
	Rs			0.38	0.51	0.89
3	Agricultural and allied activity including irrigation					
3.1	Production of organic food (Paddy, Minor millet like kodo, kutki, pulses, oil seed crops, vegetables, fruits including vermi compost, Nadap & barbed wire fencing etc.)75 locations Beneficiaries 5000	राजस्व	0.015	8	10	18
	Rs			0.12	0.15	0.27
3.2	Distribution of sprinkler set 2000 beneficiaries	राजस्व	0.20	3	3	6
	Rs			0.60	0.60	1.20

क्र	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बच्छेराभाठा	धुरीबांधा	योग
4	Sericulture					
4.1	Establishment of Silk/Tusar yarn spinning centre (including 10 reeling & 5 spinning machine per centre)	राजस्व	4.375	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	राजस्व	0.35	3	2	5
	Rs			1.05	0.70	1.75
7.1	State level EMRS Sports competition	राजस्व	20.00	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00
	Total			113	148	261
				2.15	1.96	4.11
	Total (P+R)			120	158	278
				16.45115	12.51205	28.96320

विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुमोदित कार्ययोजना विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण/प्रकोष्ठवार विवरण वर्ष 2016–17

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	प.को.अभिकरण अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा/बिरहोर अभिकरण जशपुर		पहाड़ी कोरवा/बिरहोर प्रकोष्ठ कोरबा		प.को.प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा अभिकरण कबीरधाम	बैगा/बिरहोर अभिकरण बिलासपुर		बैगा प्रकोष्ठ कोरिया
					पहाड़ी कोरवा	बिरहोर	पहाड़ी कोरवा	बिरहोर			बैगा	बिरहोर	
1	Education;												
1.1	Estalishing Digital Classroom in EMRS	पूंजी	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1.2	Establishment of kitchen garden in 300 residential school/Hostels/Ashrams @ 0.50 lakh per unit 15000 beneficiaries (For seeds, fertilizers, saplings, irrigation to grow fruits and vegetables)	पूंजी	0.50	4	2	0	0	0	3	2	0	0	2
	Rs			2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3	Construction of kitchen cum store building in Hostels/Ashrams (10000 beneficiaries) (Old dilapidated kitchens to be reconstructed, and stores to be made)	पूंजी	3.00	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0
	Rs			0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	3.00	0.00	0.00
1.4	Establishment of modern kitchen in tribal Hostels/Ashrams at district head quarters (The facility is required for catering to cooking needs for large no. Of students simultaneously, including gas cooking, roti machines etc.)	पूंजी	5.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Rs			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Vocational training centre in Ashram schools/Hostels & other Institute (This is for working shed and equipment including for IT training, domestic (sewing etc) training) 6 Model Schools, 1 Gurukul, 3 Girls Education Complex, 5 Sports Complex, 15 Ashrams Schools/Hostels	पूंजी	15.00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Rs			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Smart/Knowledge class Rooms in Ashrams Schools. A. Integrated Learning Tool ; K-yan b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations) d. Educational Science Videos e. Teacher Capacity Building (10000 beneficiaries) (50 Unit)	पूंजी	3.50	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1
	Rs			0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50
1.7	Construction of Bathroom/Toilets in Girls Hostel/Ashram (12500 beneficiaries) with overhead tank and pipe fitting	पूंजी	5.00	4	2	0	0	0	5	1	0	0	1
	Rs			20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	5.00
1.8	Upgradation of Ashram Schools (middle level to high school level)	पूंजी	25.00	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Rs			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

(2)

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार अभिकरण गरियाबंद	कमार प्रकोष्ठ नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	अबूझमाड़ अभिकरण नारायणपुर	योग
1	Education;											
1.1	Estalishing Digital Classroom in EMRS	पूंजी	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1.2	Establishment of kitchen garden in 300 residential school/Hostels/Ashrams @ 0.50 lakh per unit 15000 beneficiaries (For seeds, fertilizers, saplings, irrigation to grow fruits and vegetables)	पूंजी	0.50	0	0	1	0	0	0	0	5	19
	Rs			0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	9.50
1.3	Construction of kitchen cum store building in Hostels/Ashrams (10000 beneficiaries) (Old dilapidated kitchens to be reconstructed, and stores to be made)	पूंजी	3.00	0	0	3	0	0	0	0	2	10
	Rs			0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
1.4	Establishment of modern kitchen in tribal Hostels/Ashrams at district head quarters (The facility is required for catering to cooking needs for large no. Of students simultaneously, including gas cooking, roti machines etc.)	पूंजी	5.00	0	0	0	2	0	0	0	1	5
	Rs			0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00
1.5	Vocational training centre in Ashram schools/Hostels & other Institute (This is for working shed and equipment including for IT training, domestic (sewing etc) training) 6 Model Schools, 1 Gurukul, 3 Girls Education Complex, 5 Sports Complex, 15 Ashrams Schools/Hostels	पूंजी	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1.6	Smart/Knowledge class Rooms in Ashrams Schools. A. Integrated Learning Tool ; K-yan b. Interactive Multimedia content c. Exploriments (Science Concepts through interactive Simulations) d. Educational Science Videos e. Teacher Capacity Building (10000 beneficiaries) (50 Unit)	पूंजी	3.50	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
1.7	Construction of Bathroom/Toilets in Girls Hostel/Ashram (12500 beneficiaries) with overhead tank and pipe fitting	पूंजी	5.00	0	1	2	0	1	0	1	7	25
	Rs			0.00	5.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	35.00	125.00
1.8	Upgradation of Ashram Schools (middle level to high school level)	पूंजी	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

(3)

क्र.	योजना का नाम	मद	प्रति इकाई	प.को.अभिकरण	पहाड़ी कोरवा/बिरहोर अभिकरण	पहाड़ी कोरवा/बिरहोर	प.को.प्रकोष्ठ	बैगा अभिकरण	बैगा/बिरहोर अभिकरण	बैगा प्रकोष्ठ

		का नाम	लागत	अंबिकापुर	जशपुर		प्रकोष्ठ कोरबा		बलरामपुर	कबीरधाम	बिलासपुर		कोरिया
					पहाड़ी कोरवा	बिरहोर	पहाड़ी कोरवा	बिरहोर			बैगा	बिरहोर	
1.9	Construction of Boundary wall (average length 75 running meter per Hostel/Ashram length 11250 running meter) in Girls Hostel/Ashram	पूंजी	4.50	0	1	0	0	1	3	0	2	0	1
	Rs			0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	13.50	0.00	9.00	0.00	4.50
1.10	Construction of 50 seater Hostel Building for Hostels functioning without own buildings. Total cost is Rs. 917.82	पूंजी	76.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set 600 watts, LED Light Total 120 watts with 48 hour Battery backup) 100 Hostel	पूंजी	2.90	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1
	Rs			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	5.80	2.90	0.00	0.00	2.90
1.12	Establishment of Solar Power plant (2kw) in Hostel & Ashrams (For ceiling fan in class room) with 10 ceiling fan each plant minimum (50 unit)	पूंजी	2.96	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Rs			2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00
4.2	Construction of working shed for Silk/Tusar yarn spinning centre	पूंजी	5.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Fisheries			0	0		0		0				
5.1	Construction of rearing pond for fish seed produntion 1/4 area of one pond=0.20 Hect.	पूंजी	2.75	1	1	0	0	1	1	1	0	0	2
	Rs			2.75	2.75	0.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	5.50
6	Employment-cum-income generation programmes			0	0		0		0				
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	पूंजी	0.35	27	20	6	12	4	42	11	8	2	7
	Rs			9.45	7.00	2.10	4.20	1.40	14.70	3.85	2.80	0.70	2.45
6.2	Construction of commercial shop cum community building 30 shops	पूंजी	20.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	Tailoring shop including training & providing sewing machine and work place for business 100 Units	पूंजी	1.00	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
	Rs			0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	Promotion of sports facilities;			0	0		0		0				
7.2	Purchase of sports equipments for Residential Tribal Schools and Krida Parishar	पूंजी	4.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(4)

क्र.	योजना का नाम	मद	प्रति इकाई	बैगा प्रकोष्ठ	बैगा प्रकोष्ठ	कमार	कमार प्रकोष्ठ	कमार प्रकोष्ठ	कमार प्रकोष्ठ	बिरहोर प्रकोष्ठ	अबूझमाड़	योग

		का नाम	लागत	राजनांदगांव	मुंगेली	अभिकरण गरियाबंद	नगरी	महासमुंद	भानुप्रतापपुर	धरमजयगढ़	अभिकरण नारायणपुर	
1.9	Construction of Boundary wall (average length 75 running meter per Hostel/Ashram length 11250 running meter) in Girls Hostel/Ashram	पूंजी	4.50	0	0	1	0	0	0	0	3	12
	Rs			0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	54.00
1.10	Construction of 50 seater Hostel Building for Hostels functioning without own buildings. Total cost is Rs. 917.82	पूंजी	76.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	Use of solar energy in Residential Schools, Hostel & Ashram (Solar pump set 600 watts, LED Light Total 120 watts with 48 hour Battery backup) 100 Hostel	पूंजी	2.90	0	0	0	0	0	0	0	1	7
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	20.30
1.12	Establishment of Solar Power plant (2kw) in Hostel & Ashrams (For ceiling fan in class room) with 10 ceiling fan each plant minimum (50 unit)	पूंजी	2.96	0	0	1	0	0	0	0	0	4
	Rs			0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
4.2	Construction of working shed for Silk/Tusar yarn spinning centre	पूंजी	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5	Fisheries											
5.1	Construction of rearing pond for fish seed produntion 1/4 area of one pond=0.20 Hect.	पूंजी	2.75	1	0	2	0	1	0	0	1	12
	Rs			2.75	0.00	5.50	0.00	2.75	0.00	0.00	2.75	33.00
6	Employment-cum-income generation programmes											
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	पूंजी	0.35	6	4	20	6	12	1	1	34	223
	Rs			2.10	1.40	7.00	2.10	4.20	0.35	0.35	11.90	78.05
6.2	Construction of commercial shop cum community building 30 shops	पूंजी	20.00	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00
6.3	Tailoring shop including training & providing sewing machine and work place for business 100 Units	पूंजी	1.00	1	0	0	0	0	1	1	0	7
	Rs			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00
7	Promotion of sports facilities;											
7.2	Purchase of sports equipments for Residential Tribal Schools and Krida Parishar	पूंजी	4.95	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95

(5)

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	प.को.अभिकरण अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा/बिरहोर अभिकरण जशपुर		पहाड़ी कोरवा/बिरहोर प्रकोष्ठ कोरबा		प.को.प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा अभिकरण कबीरधाम	बैगा/बिरहोर अभिकरण बिलासपुर		बैगा प्रकोष्ठ कोरिया
					पहाड़ी कोरवा	बिरहोर	पहाड़ी कोरवा	बिरहोर			बैगा	बिरहोर	
8	Promotion of culture;			0	0		0		0				
8.1	Construction of 30 Ghotul huts in district Narayanpur,k	पूंजी	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Kanker & Kondagaon												
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total		Unit	43	31	6	13	6	63	20	11	2	16
			Rs.	110.06	39.15	2.10	5.20	8.65	96.21	47.96	14.80	0.70	29.85
2	Health and Sanitation												
2.1	Posting of trained ANM/Nurse belonging to STs on contract basis for health checkup of girl students in Hostel & Ashrams. 115 Beneficiaries	राजस्व	1.80	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0
	Rs			0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	3.60	1.80	0.00	0.00	0.00
2.2	Testing/screening of Sickle cell Anemia No. Of screening completed till date -1.96 lakh	राजस्व	0.00385	776	322	84	65	62	871	415	157	38	291
	Rs			2.99	1.24	0.32	0.25	0.24	3.35	1.60	0.60	0.15	1.12
3	Agricultural and allied activity including irrigation												
3.1	Production of organic food (Paddy, Minor millet like kodo, kutki, pulses, oil seed crops, vegetables, fruits including vermi compost, Nadap & barbed wire fencing etc.)75 locations Beneficiaries 5000	राजस्व	0.015	63	22	1	4	6	57	28	11	1	16
	Rs			0.95	0.33	0.02	0.06	0.09	0.86	0.42	0.17	0.02	0.24
3.2	Distribution of sprinkler set 2000 beneficiaries	राजस्व	0.20	20	10	0	1	4	23	10	9	0	8
	Rs			4.00	2.00	0.00	0.20	0.80	4.60	2.00	1.80	0.00	1.60
4	Sericulture												
4.1	Establishment of Silk/Tusar yarn spinning centre (including 10 reeling & 5 spinning machine per centre)	राजस्व	4.375	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	राजस्व	0.35	15	3	0	1	1	9	5	0	0	5
	Rs			5.25	1.05	0.00	0.35	0.35	3.15	1.75	0.00	0.00	1.75
7.1	State level EMRS Sports competition	राजस्व	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total			875	358	85	71	73	962	459	177	39	320
				17.56	6.42	0.34	0.86	1.48	15.56	7.57	2.57	0.16	4.71
	Total (P+R)			918	389	91	84	79	1025	479	188	41	336
				127.61760	45.56970	2.43840	6.06025	10.12870	111.76835	55.52775	17.36945	0.86130	34.56035

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	बैगा प्रकोष्ठ कोरिया	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार अभिकरण गरियाबंद	कमार प्रकोष्ठ नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	अबूझमाड़ अभिकरण नारायणपुर	योग
8	Promotion of culture;												
8.1	Construction of 30 Ghotul huts in district Narayanpur,k Kanker & Kondagaon	पूंजी	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	Total		Unit	16	8	5	30	8	14	2	3	58	339
			Rs.	29.85	5.85	6.40	39.46	12.10	11.95	1.35	6.35	124.50	562.64
2	Health and Sanitation												
2.1	Posting of trained ANM/Nurse belonging to STs on contract basis for health checkup of girl students in Hostel & Ashrams. 115 Beneficiaries	राजस्व	1.80	0	0	0	1	0	1	0	0	1	7
	Rs			0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	12.60
2.2	Testing/screening of Sickle cell Anemia No. Of screening completed till date -1.96 lakh	राजस्व	0.00385	291	39	184	350	93	67	82	74	1130	5100
	Rs			1.12	0.15	0.71	1.35	0.36	0.26	0.32	0.28	4.35	19.64
3	Agricultural and allied activity including irrigation												
3.1	Production of organic food (Paddy, Minor millet like kodo, kutki, pulses, oil seed crops, vegetables, fruits including vermi compost, Nadap & barbed wire fencing etc.)75 locations Beneficiaries 5000	राजस्व	0.015	16	2	6	23	4	6	1	3	64	318
	Rs			0.24	0.03	0.09	0.35	0.06	0.09	0.02	0.05	0.96	4.77
3.2	Distribution of sprinkler set 2000 beneficiaries	राजस्व	0.20	8	2	1	13	8	0	0	1	21	131
	Rs			1.60	0.40	0.20	2.60	1.60	0.00	0.00	0.20	4.20	26.20
4	Sericulture												
4.1	Establishment of Silk/Tusar yarn spinning centre (including 10 reeling & 5 spinning machine per centre)	राजस्व	4.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
6.1	Skill development training program office managment, Motor driving, solar techincian/electrician,, beautician, handicraft, boutique development, plumbing, masonry, electrician, fitter, welder, carpenter, mobile reairing, refrigeration, horticulture, fisheries, poultry, computer training. (6 months residentaial training) 4400 Beneficiaries	राजस्व	0.35	5	1	0	1	0	0	0	1	25	67
	Rs			1.75	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	8.75	23.45
7.1	State level EMRS Sports competition	राजस्व	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rs			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total			320	44	191	388	105	74	83	79	1241	5624
				4.71	0.93	1.00	6.44	2.02	2.15	0.33	0.88	20.06	91.03
	Total (P+R)			336	52	196	418	113	88	85	82	1299	5963
				34.56035	6.78015	7.39840	45.90250	14.11805	14.09795	1.68070	7.22990	144.56050	653.67000

परिशिष्ट–04 ''ई''

विशेष रूप से कमजोर बैगा जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2016–17

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम		बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव		बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर		बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली		योग बैगा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	उद्यानिकी													
1	आलू विकास कार्यक्रम	0.06			46	2.757	0	0.000	8	0.483	0	0.000	54	3.240
2	सब्जी बीज मिनीकिट	0.02			347	6.940			116	2.320			463	9.260
3	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50											0	0.000
4	हाईब्रीड मुनगा पौध वितरण (प्रति परिवार 05 पौधा) (प्रति पौधा 8.00 रू.के मान से)	0.00008	450	0.180	725	0.290	275	0.110	1350	0.540	200	0.080	3000	1.200
5	डीजल पंप (03 एच.पी.) का प्रदाय 100 मीटर पाईप सहित		21	6.305			8	2.411	27	7.989	4	1.339	60	18.044
	योग		471	6.485	1118	9.987	283	2.521	1501	11.332	204	1.419	3577	31.744
2	पेयजल													
1	हैण्डपंप	1.00	3	3.000	3	3.000			12	12.000	4	4.000	22	22.000
2	आयरन रिमुवल	0.50											0	0.000
3	स्पाट सोर्स	3.40											0	0.000
4	ढौंढी / झिरिया (प्राकृतिक स्त्रोत)	0.20											0	0.000
	योग		3	3.000	3	3.000	0	0.000	12	12.000	4	4.000	22	22.000
3	कुक्कुट विकास कार्यक्रम													
1	बैकयार्ड पोल्ट्री	0.25	34	8.500	39	9.750			32	8.000	13	3.250	118	29.500
	योग		34	8.500	39	9.750	0	0.000	32	8.000	13	3.250	118	29.500

क.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम		बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव		बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर		बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली		योग बैगा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
4	स्वास्थ्य													
1	मोबाईल स्वास्थ्य जांच / रोग परीक्षण प्रयोगशाला (वैन, चिकित्सा उपकरण, रसायन, औषधीय सामग्री, चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, ड्राईवर एवं पेट्रोलियम तथा मरम्मत आदि पर व्यय)	25.00			1	25.000							1	25.000
2	मच्छरदानी वितरण	0.003	1076	3.230							2030	6.090	3106	9.320
	योग		1076	3.230	1	25.000	0	0.000	0	0.000	2030	6.090	3107	34.320
5	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम													
1	स्कील डेवेलपमेंट प्रोग्राम –आफिस मैनेजमेंट, मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन / इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हस्तशिल्प, बुटिक डेवेलपमेंट, प्लंबरिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, बढ़ई, मोबाईल मरम्मत, रेफ्रिजरेशन, उद्यानिकी, मछली पालन, मुर्गीपालन, कम्प्यूटर मरम्मत, ईट / टाईल्स / मोमबत्ती, सिलाई प्रशिक्षण, नर्सिंग / हैंडपंप मैकेनिक प्रशिक्षण, लैब टेक्निशियन, ट्रैक्टर रिपेयर, दुपहिया वाहन रिपेयर, सेडनेट तकनीक द्वारा सब्जी एवं फल उत्पादन आदि।	0.35	34	11.900	288	100.800	32	11.200	103	36.050	9	3.150	466	163.100
2	बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.10	0	0.000	170	17.000	27	2.700	50	5.000	0	0.000	247	24.700
3	लाख उत्पादन	0.10	55	5.500							41	4.100	96	9.600
4	मधुमक्खी पालन	0.10	60	6.000							40	4.000	100	10.000
5	टसर उत्पादन एवं प्रशिक्षण	3.10											0	0.000
	योग		149	23.400	458	117.800	59	13.900	153	41.050	90	11.250	909	207.400

क.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर		बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम		बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव		बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर		बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली		योग बैगा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
6	विद्युतीकरण													
1	सौर उर्जा सिस्टम एवं मरम्मत	0.125	0	0.000	0	0.000	0	0.000	38	4.750	0	0.000	38	4.750
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	38	4.750	0	0.000	38	4.750
7	सामाजिक सुरक्षा													
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	951	3.140	3530	11.650	343	1.130	1643	5.420	561	1.850	7028	23.190
	योग		951	3.140	3530	11.650	343	1.130	1643	5.420	561	1.850	7028	23.190
8	सांस्कृतिक संवर्धन													
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता	1.00	1	1.000	3	3.000			2	2.000	1	1.000	7	7.000
	योग	-	1	1.000	3	3.000	0	0.000	2	2.000	1	1.000	7	7.000
9	कबीरधाम जिले के ग्राम घोघराखुर्द एवं बदना के 39 बैगा परिवारों के पुनर्वास के लिये आबंटित भूमि का एकीकृत विकास	-	0	0.000	1	161.480	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	161.480
	योग	-	0	0.000	1	161.480	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	161.480
	कुल योग	-	2685	48.755	5153	341.667	685	17.551	3381	84.552	2903	28.859	14807	521.384

विशेष रूप से कमजोर पहाड़ी कोरवा जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2016–17

(राशि लाखों मे)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उद्यानिकी											
1	आलू विकास कार्यक्रम	0.06	66	3.960	0	0.000	0	0.000	60	3.600	126	7.560
2	सब्जी बीज मिनीकिट	0.02	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	10	5.000	0	0.000	3	1.500	4	2.000	17	8.500
4	हाईब्रीड मुनगा पौध वितरण (प्रति परिवार 05 पौधा) (प्रति पौधा 8.00 रू.के मान से)	0.00008	425	0.170	600	0.240	25	0.010	975	0.390	2025	0.810
5	डीजल पंप (03 एच.पी.) का प्रदाय 100 मीटर पाईप सहित		4	1.152	3	0.891	6	1.800	11	3.340	24	7.183
	योग		505	10.282	603	1.131	34	3.310	1050	9.330	2192	24.053
2	पेयजल											
1	हैण्डपंप	1.00	6	6.000	9	9.000	2	2.000	6	6.000	23	23.000
2	आयरन रिमुवल	0.50	0								0	0.000
3	स्पाट सोर्स	3.40									0	0.000
4	ढौंढी / झिरिया (प्राकृतिक स्त्रोत)	0.20							35	7.000	35	7.000
	योग		6	6.000	9	9.000	2	2.000	41	13.000	58	30.000
3	कुक्कुट विकास कार्यक्रम											
1	बैकयार्ड पोल्ट्री	0.25	0	0.000	0	0.000	0	0.000	48	12.000	48	12.000
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	48	12.000	48	12.000

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
4	स्वास्थ्य											
1	मोबाईल स्वास्थ्य की जांच/ रोग परीक्षण प्रयोगशाला (वैन, चिकित्सा उपकरण, रसायन, औषधीय सामग्री, चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, ड्राईवर एवं पेट्रोलियम तथा मरम्मत आदि पर व्यय)	25.00	1	25.000							1	25.000
2	मच्छरदानी वितरण	0.003	0								0	0.000
	योग		1	25.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1	25.000
5	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम											
1	स्कील डेवेलपमेंट प्रोग्राम –आफिस मैनेजमेंट, मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हस्तशिल्प, बुटिक डेवेलपमेंट, प्लंबरिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, बढ़ई, मोबाईल मरम्मत, रेफ्रिजरेशन, उद्यानिकी, मछली पालन, मुर्गीपालन, कम्प्यूटर मरम्मत, ईट/टाईल्स/ मोमबत्ती, सिलाई प्रशिक्षण, नर्सिंग/हैंडपंप मैकेनिक प्रशिक्षण, लैब टेक्निशियन, ट्रैक्टर रिपेयर, दुपहिया वाहन रिपेयर, सेडनेट तकनीक द्वारा सब्जी एवं फल उत्पादन आदि।	0.35	7	2.450	86	30.100	0	0.000	68	23.800	161	56.350
2	बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.10									0	0.000
3	लाख उत्पादन	0.10									0	0.000
4	मधुमक्खी पालन	0.10									0	0.000
5	टसर उत्पादन एवं प्रशिक्षण	3.10					2	6.200			2	6.200
	योग		7	2.450	86	30.100	2	6.200	68	23.800	163	62.550
6	विद्युतीकरण											
1	सौर उर्जा सिस्टम एवं मरम्मत	0.125			160	20.000					160	20.000
	योग		0	0.000	160	20.000	0	0.000	0	0.000	160	20.000

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर		पहाड़ी कोरवा जशपुर		पहाड़ी कोरवा कोरबा		पहाड़ी कोरवा बलरामपुर		योग पहाड़ी कोरवा	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
7	सामाजिक सुरक्षा											
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	933	3.080	1273	4.200	176	0.580	1227	4.050	3609	11.910
	योग		933	3.080	1273	4.200	176	0.580	1227	4.050	3609	11.910
8	सांस्कृतिक संवर्धन											
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता	1.00	1	1.000	1	1.000			1	1.000	3	3.000
	योग		1	1.000	1	1.000	0	0.000	1	1.000	3	3.000
	कुल योग		1453	47.812	2132	65.431	214	12.090	2435	63.180	6234	188.513

विशेष रूप से कमजोर बिरहोर जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2016–17

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बिरहोर जशपुर		बिरहोर बिलासपुर		बिरहोर कोरबा		बिरहोर रायगढ़		योग बिरहोर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उद्यानिकी											
1	आलू विकास कार्यक्रम	0.06	20	1.200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	20	1.200
2	सब्जी बीज मिनीकिट	0.02	33	0.660	0	0.000	0	0.000	55	1.100	88	1.760
3	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	0	0.000	0	0.000	4	2.000	2	1.000	6	3.000
4	हाईब्रीड मुनगा पौध वितरण (प्रति परिवार 05 पौधा) (प्रति पौधा 8.00 रू. के मान से)	0.00008	0	0.000	20	0.005	25	0.010	50	0.020	95	0.035
5	डीजल पंप (03 एच.पी.) का प्रदाय 100 मीटर पाईप सहित		1	0.328	1	0.286	3	0.963	2	0.717	7	2.294
	योग		54	2.188	21	0.291	32	2.973	109	2.837	216	8.289
2	पेयजल											
1	हैण्डपंप	1.00									0	0.000
2	आयरन रिमुवल	0.50									0	0.000
3	स्पाट सोर्स	3.40									0	0.000
4	ढोंढी / झिरिया (प्राकृतिक स्त्रोत)	0.20									0	0.000
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	कुक्कुट विकास कार्यक्रम											
1	बैकयार्ड पोल्ट्री	0.25			4	1.000			8	2.000	12	3.000
	योग		0	0.000	4	1.000	0	0.000	8	2.000	12	3.000

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	बिरहोर जशपुर		बिरहोर बिलासपुर		बिरहोर कोरबा		बिरहोर रायगढ़		योग बिरहोर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
4	स्वास्थ्य											
1	मोबाईल स्वास्थ्य की जांच/ रोग परीक्षण प्रयोगशाला (वैन, चिकित्सा उपकरण, रसायन, औषधीय सामग्री, चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, ड्राईवर एवं पेट्रोलियम तथा मरम्मत आदि पर व्यय)	25.00									0	0.000
2	मच्छरदानी वितरण	0.003			193	0.580					193	0.580
	योग		0	0.000	193	0.580	0	0.000	0	0.000	193	0.580
5	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम											
1	स्कील डेवेलपमेंट प्रोग्राम –आफिस मैनेजमेंट, मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हस्तशिल्प, बुटिक डेवेलपमेंट, प्लंबरिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, बढ़ई, मोबाईल मरम्मत, रेफ्रिजरेशन, उद्यानिकी, मछली पालन, मुर्गीपालन, कम्प्यूटर मरम्मत, ईट/टाईल्स/ मोमबत्ती, सिलाई प्रशिक्षण, नर्सिंग/हैंडपंप मैकेनिक प्रशिक्षण, लैब टेक्निशियन, ट्रैक्टर रिपेयर, दुपहिया वाहन रिपेयर, सेडनेट तकनीक द्वारा सब्जी एवं फल उत्पादन आदि।	0.35									0	0.000
2	बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.10									0	0.000

3	लाख उत्पादन	0.10					4	0.400			4	0.400
4	मधुमक्खी पालन	0.10									0	0.000
5	टसर उत्पादन एवं प्रशिक्षण	3.10					1	3.100			1	3.100
	योग		0	0.000	0	0.000	5	3.500	0	0.000	5	3.500
6	विद्युतीकरण											
1	सौर उर्जा सिस्टम एवं मरम्मत	0.125									0	0.000
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	सामाजिक सुरक्षा											
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033									0	0.000
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	सांस्कृतिक संवर्धन											
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता	1.00									0	0.000
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	कुल योग		54	2.188	218	1.871	37	6.473	117	4.837	426	15.369

विशेष रूप से कमजोर कमार एवं अबूझमाड़िया जनजाति हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अभिकरणवार कार्ययोजना वर्ष 2016–17

(राशि लाखों में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	कमार गरियाबंद		कमार नगरी		कमार भानुप्रतापपुर		कमार महासमुंद		योग कमार		अबूझमाड़ नारायणपुर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	उद्यानिकी													
1	आलू विकास कार्यक्रम	0.06	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	50	3.000
2	सब्जी बीज मिनीकिट	0.02	219	4.380	100	2.000	5	0.100	0	0.000	324	6.48	125	2.500
3	बाड़ी विकास कार्यक्रम	0.50	7	3.500	5	2.500	2	1.000	3	1.500	17	8.50		
4	हाईब्रीड मुनगा पौध वितरण (प्रति परिवार 05 पौधा) (प्रति पौधा 8.00 रू.के मान से)	0.00008	650	0.260	250	0.100	13	0.005	125	0.050	1038	0.42	9	0.360
5	डीजल पंप (03 एच.पी.) का प्रदाय 100 मीटर पाईप सहित		16	4.843	11	3.259	1	0.200	7	2.098	35	10.40	5	1.579
	योग		892	12.983	366	7.859	21	1.305	135	3.648	1414	25.80	189	7.439
2	पेयजल													
1	हैण्डपंप	1.00	9	9.000	3	3.000					12	12.00	13	13.000
2	आयरन रिमुवल	0.50			3	1.500					3	1.50		
3	स्पाट सोर्स	3.40	1	3.400							1	3.40		
4	ढोंढी / झिरिया (प्राकृतिक स्त्रोत)	0.20									0	0.00		
	योग		10	12.400	6	4.5	0	0	0	0	16	16.90	13	13.000

क्र.	कार्यक्रम का नाम	इकाई लागत (लाख रू.में)	कमार गरियाबंद		कमार नगरी		कमार भानुप्रतापपुर		कमार महासमुंद		योग कमार		अबूझमाड़ नारायणपुर	
			इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि	इकाई	राशि
3	कुक्कुट विकास कार्यक्रम													
1	बैकयार्ड पोल्ट्री	0.25	16	4.000							16	4.00	6	1.500
	योग		16	4.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	16	4.00	6	1.500
4	स्वास्थ्य													
1	मोबाईल स्वास्थ्य की जांच/ रोग परीक्षण प्रयोगशाला (वैन, चिकित्सा उपकरण, रसायन, औषधीय सामग्री, चिकित्सक, प्रयोगशाला तकनीशियन, ड्राईवर एवं पेट्रोलियम तथा मरम्मत आदि पर व्यय)	25.00									0	0.00	1	25.000
2	मच्छरदानी वितरण	0.003	0	0.000	800	2.400	7	0.020			807	2.42	2560	7.680
	योग		0	0.000	800	2.400	7	0.020	0	0.000	807	2.42	2561	32.680
5	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम													
1	स्कील डेवेलपमेंट प्रोग्राम –आफिस मैनेजमेंट, मोटर ड्रायविंग, सोलर टेक्निशियन/ इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हस्तशिल्प, बुटिक डेवेलपमेंट, प्लंबरिंग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, बढ़ई, मोबाईल मरम्मत, रेफ्रिजरेशन, उद्यानिकी, मछली पालन, मुर्गीपालन, कम्प्यूटर मरम्मत, ईट/ टाईल्स/ मोमबत्ती, सिलाई प्रशिक्षण, नर्सिंग/हैंडपंप मैकेनिक प्रशिक्षण, लैब टेक्निशियन, ट्रैक्टर रिपेयर, दुपहिया वाहन रिपेयर, सेडनेट तकनीक द्वारा सब्जी एवं फल उत्पादन आदि।	0.35	101	35.350	35	12.250			28	9.800	164	57.40	66	23.150
2	बांस शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.10									0	0.00	53	5.300
3	लाख उत्पादन	0.10									0	0.00		

4	मधुमक्खी पालन	0.10									0	0.00		
5	टसर उत्पादन एवं प्रशिक्षण	3.10									0	0.00		
	योग		101	35.350	35	12.250	0	0.000	28	9.800	164	57.40	119	28.450
6	विद्युतीकरण													
1	सौर उर्जा सिस्टम एवं मरम्मत	0.125									0	0.00	42	5.250
	योग		0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.00	42	5.250
7	सामाजिक सुरक्षा													
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	0.0033	1712	5.650	561	1.850			345	1.140	2618	8.64	1897	6.260
	योग		1712	5.650	561	1.850	0	0.000	345	1.140	2618	8.64	1897	6.260
8	सांस्कृतिक संवर्धन													
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी महोत्सव, परंपरागत नृत्य, आदि हेतु सहायता	1.00	2	2.000		0.000					2	2.00	3	3.000
	योग		2	2.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	2	2.00	3	3.000
	कुल योग		2733	72.383	1768	28.859	28	1.325	508	14.588	5037	117.155	4830	97.579
	टीपः–अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर के ओरछा में 200 सीटर आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए राशि 450.00 लाख भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार कुल 1390.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में राशि रू. 1230.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है।													

❋ ❋ ❋ ❋ ❋